मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

बुधवार, दिनाँक 18 मार्च 2015

स्थायी आदेश 13-क के अनुसरण में अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

वन विभाग से निर्माण कराये गये मार्गों की जाँच व कार्यवाही

1. (क्र. 115) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2010 से 2013 की अवधि में वि.खं. ढीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम झिन्ना-पिपरिया से दियागढ़, ठिर्री से सारंगपुर, खंदवारा से शाहडार वन मार्गों के मनरेगा योजना के अंतर्गत कलेक्टर कटनी ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर वन विभाग को निर्माण एजेंसी बनाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) के मार्गों की भौतिक स्थिति क्या पायी गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) मार्गों के संबंध में कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी को प्रश्नकर्त्ता द्वारा वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में पत्र प्रेषित कर जाँच कार्यवाही कराने की मांग की है? (घ) प्रश्नांश (क) मार्गों की किस विभाग से जाँच करायी गई है और उनमें क्या गड़बड़ियां पायी गयी हैं और उन आधारों पर किस किसके विरूद्ध क्या कार्यवाहियां की गयी हैं? (ड.) क्या प्रश्नांश (क) मार्गों के पुनर्निर्माण हेतु कब कितनी राशि की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई? स्वीकृत कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। परन्तु उल्लेखित मार्ग वन मार्ग नहीं होना प्रतिवेदित है। स्वीकृत सड़कों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उत्तरांश- "क" अनुसार स्वीकृत सड़कों में केवल एम्बेकमेंट का कार्य कराया गया है। (ग) जी हाँ। (घ) जिला पंचायत कटनी द्वारा दिनाँक 28.5.2014 को आदेश जारी कर कार्यपालन यंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग से जाँच कराई गई। जाँच में वन विभाग द्वारा सम्पादित कार्य उपयोगी एवं संतोषप्रद पाये जाने से किसी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। (ड.) जी नहीं। योजना मांग आधारित होने से कार्यों का पूर्ण कराया जाना जाबकार्डधारियों द्वारा काम की मांग एवं भारत सरकार से समुचित राशि प्राप्त होने पर निर्भर होने से निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है

तेलदूत योजना व कैरोसिन परिवहन में अनियमितता

2. (क्र. 116) श्री मोती कश्यप : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने मा.विभागीय मंत्री जी को अपने पत्र दिनाँक 13.06.2013 द्वारा किन्हीं विभागीय परिपत्र

एवं कलेक्टर कटनी के आदेश में तेलदूत योजना तथा कैरोसिन परिवहन के प्रावधानों की किन्हीं विसंगतियों का उल्लेख किया है और किसके किस आदेश से कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) परिपत्रों में तेलदूत योजना के किन प्रावधानों व आदेशों के अंतर्गत कटनी जिला के किन डीलरों को किन निर्धारित दरों के विरूद्‌ध किन दरों पर कितनी राशियों का भुगतान किया गया है? (ग) जिला कटनी में लिंक एवं उनकी पोषक समितियों की एक से दूसरी की दूरी कितने कि.मी. है और वर्ष 2012 व 2013 में प्रति बैरल राउण्ड ट्रिप दूरी पर प्रावधान के अनुसार निर्धारित दर के विरूद्‌ध किस दर पर राशि का भुगतान किया गया है और जिससे किन डीलरों को हुये भुगतान पर कितनी-कितनी राशि का अंतर है और उसके लिये कौन अधिकारी दोषी पाया गया है? (घ) क्या प्रश्नांश (क) से (ग) की जाँच किस अधिकारी से कब करायी गयी है और उसके द्‌वारा किन परिपत्रों व आदेशों, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया है और क्या कोई प्रतिवेदन कब किसे प्रस्तुत किया गया है? (ड.) प्रश्नांश (घ) प्रतिवेदन पर किसके विरूद्‌ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या किन्हीं डीलर व सेमीडीलरों से किन्हीं आधारों पर कोई राशि वसूली गयी है?

खाद्‌य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ग्राम पंचायतों की सचिवों की स्थानांतरण नीति</u>

3. (क्र. 368) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्‌वारा 2014-15 में 20 अगस्त, 2014 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के ऐसे पंचायत सचिवों, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष अथवा स्थानीय पंचायत के निवासी होने पर उनके स्थानांतरण शत् प्रतिशत उसी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत में करने के आदेश हैं? (ख) नर्मदापुरम संभाग में जिला पंचायतवार ऐसे कितने ग्राम पंचायतों के सचिवों का स्थानांतरण 20 अगस्त, 2014 तक किये गये? संख्यात्मक जानकारी दें? (ग) 21 अगस्त, 2014 के बाद राज्य शासन के अनुमोदन से पंचायत सचिवों के स्थानांतरण निरस्त करने एवं संशोधन करने की कार्यवाही अंतर्गत 21 अगस्त, 2014 से 25 दिसम्बर, 2014 तक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय द्‌वारा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतवार कुल कितने पंचायत सचिवों के स्थानांतरण निरस्त/संशोधित किए गए हैं? (घ) क्या उल्लेखित अवधि में आयुक्त, पंचायत राज द्‌वारा किये गये आदेशों का अनुमोदन राज्य शासन से प्राप्त किया गया है? क्या सैंकड़ों आदेश बगैर राज्य शासन के अनुमोदन से जारी किये गये? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है एवं सम्बधितों के विरूद्‌ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत जिला होशंगाबाद में 303 जिला हरदा में 165 तथा जिला बैतूल में 380 ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किये गये। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (घ) जी हाँ। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - ''एक''</u>

<u>इंदिरा आवास कुटीर एवं मुख्यमंत्री आवास की जानकारी</u>

4. (क्र. 885) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ब्लाकवार इंदिरा आवास कुटीर एवं मुख्यमंत्री आवास

हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित था? कितनी धन राशि प्राप्त हुई विवरण दें? (ख) गुना जिले में ब्लॉकवार बताये कि इंदिरा आवास कुटीर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति वर्ग एवं अनु.जनजाति वर्ग तथा महिलाओं को, मुक्त बंधुआ मजदूरों को एवं विकलांगों को कुटीरों का लक्ष्य अनुसार ब्लॉकवार आवंटन हुआ है कि नहीं? (ग) वर्ष 2013 से प्रश्न दिनाँक तक आवंटित लक्ष्य अनुसार इंदिरा आवास कुटीर एवं मुख्यमंत्री आवास के निर्माण कार्य पूर्ण हो गये कि नहीं यदि नहीं तो कब तक पूर्ण होंगे? (घ) गुना जिले में आवंटित कुटीरों में महिलाओं एवं विकलांगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को कितने प्रतिशत आवंटन किया है? वह पूर्ण है कि अपूर्ण, वर्गवार विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गुना जिले में वर्ष 2013-14 में 1554 इंदिरा आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ, जिनकी राशि रू. 1087.80 लाख जिले को प्राप्त हो चुकी है एवं वर्ष 2014-15 में 1709 इंदिरा आवास का लक्ष्य गुना जिले को दिया गया, जिसमें से 635 हितग्राहियों के खाते मे राशि भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास में वर्ष 2013-14 में जिले को 51 का लक्ष्य नहीं दिया गया है। वर्ष 2014-15 मे 94 आवासों का लक्ष्य दिया गया है जिसकी राशि रू. 65.80 लाख जिले को प्राप्त हो चुकी है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। (ख) गुना जिले में ब्लॉकवार इंदिरा आवास कुटीर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनु.जाति वर्ग एवं अनु.जनजाति वर्ग तथा महिलाओं को मुफ्त बंधुआ मजदूरों को एवं विकलांगों को कुटीरों का लक्ष्य अनुसार ब्लॉकवार आवंटन हुआ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। (ग) गुना जिले में वर्ष 2013-14 में 802 इंदिरा आवास कुटीरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष इंदिरा आवास प्रगतिरत है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। वर्ष 2014-15 में 635 हितग्राहियों को सीधे राशि उनके खातों में भेजी जा चुकी है। शेष हितग्राहियों को भेजने की राशि प्रकियाधीन है तथा उनके द्वारा स्वयं आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री आवास में शासन से 51 का लक्ष्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2014-15 का आवंटन ब्लॉकवार आवंटित किया जा चुका है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार** है। (घ) गुना जिले में वर्ष 2013-14 में 3 प्रतिशत कुटीरों में 44 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें महिलाओं को 28. विकलागों को 16 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 25 आवास पूर्ण हो चुके है, शेष का कार्य प्रगतिरत है, तथा जनपद पंचायतों द्वारा किसी भी विमुक्त बंधुआ मजदूर का नाम प्रस्तावित नहीं किया गया है।

उचित मूल्य की दुकानों की अनियमिततायें एवं नवीन दुकान खोलना

5. (क्र. 891) श्रीमती ममता मीना : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में विधानसभा वार कितनी उचित मूल्य की दुकाने संचालित है, नवीन दुकानें खोलने की क्या नीति है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा अनुसार क्या नवीन दुकानें खोली जावेगी विवरण दें? (ख) गुना जिले में उचित मूल्य की दुकानों की शिकायतों पर की गई धांधली अनियमितताओं पर क्या दुकाने बंद कर दी या उनका कार्य क्षेत्र बदला गया क्या नवीन दुकानें खोली जायेगी विवरण दें? (ग) चांचौडा विधानसभा में संचालित उचित मूल्य की दुकानों की दूरी 5 से 10 कि.मी. दूरी पर होने से क्या नवीन दुकानें खोली जावेगी यदि हाँ तो कब तक? (घ) खाद्यान वितरण हेतु गुना जिले में संचालित उचित मूल्य की दुकानों की क्या संख्या बढ़ायी जावेगी, खाद्यान के सुचारू वितरण एवं निरीक्षण उनके मूल्याकंन की क्या नीति है?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) गुना जिले की बमौरी विधानसभा में 49, गुना विधानसभा में 49, चांचौड़ा विधानसभा में 62 एवं राघौगढ़ में 58 इस प्रकार कुल 218 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी ने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है। (ख) गुना जिले में विगत एक वर्ष में उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायत की जाँच उपरांत 11 उचित मूल्य दुकानों को अन्य संस्था से संलग्न किया जाकर संचालित कराया गया है। जिले में कार्यरत दुकानें बंद नहीं की गई है। (ग) उचित मूल्य दुकानें दूरी के साथ-साथ आर्थिक सम्भाव्यता को भी ध्यान में रखकर खोली जाती है। वर्तमान में दुकानें नियंत्रण आदेश के अनुसार संचालित हैं। (घ) पात्र परिवार संख्या, दूरी और आर्थिक संभाव्यता के आधार पर नवीन दुकान खोलने का प्रस्ताव यदि प्राप्त होता है तो निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण खाद्य, सहकारिता एवं राजस्व विभाग के अमले द्वारा एवं सतर्कता समिति द्वारा निगरानी का प्रावधान है।

किसान को नकली व खराब बीज सप्लाय

6. (क्र. 963) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2013 एवं 2014 में रतलाम जिले में किसानों को नकली अनुपजाऊ, खराब सोयाबीन सप्लाई के किन-किन विक्रेताओं के खिलाफ शिकायतें जिलें के कलेक्टर/उप संचालक कृषि रतलाम को मिली? (ख) उक्त शिकायतों पर नकली अनुपजाऊ सोयाबीन सप्लायर्स पर क्या-क्या कार्यवाही शासन द्वारा की गई?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रश्नांकित अवधि में रतलाम जिले में नकली अनुपजाऊ खराब सोयाबीन बीज की किसी भी प्रदायकर्ता के विरूद्ध शिकायत प्राप्त नहीं हुयी। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

किसान कल्याण संबंधित कार्यरत प्रयोगशालाएं

7. (क्र. 966) श्री जितेन्द्र गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में किसानों के कृषि से संबंधित कितनी प्रयोग शालाएं किन-किन प्रयोजनार्थ कार्यरत हैं व कब से? (ख) क्या कपास प्रौद्योगिकी मिशन अंतर्गत प्रयोगशाला प्रारंभ करने हेतु आलोट विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रयास हुआ है? यदि हाँ, तो कहाँ एवं वर्तमान स्थिति क्या है? (ग) क्या किसानों व युवाओं के हित में आलोट विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मंशा शासन रखता है? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) रतलाम जिले में किसानों के लिये 02 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं (1) कालूखेडा में वर्ष 2007 से (2) कृषि उपज मंडी रतलाम में वर्ष 2012-13 से स्थापित है। (ख) कपास प्रौद्योगिकी मिशन योजनांतर्गत आलोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भूतेडा ग्राम में बायोएजेण्ट प्रयोगशाला स्थापित की गई है। वर्तमान में यह प्रयोगशाला अक्रियाशील है। (ग) आलोट विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव प्रश्न दिनाँक तक विचाराधीन नहीं है।

कृषि उपज मण्डी एवं उपमण्डी की आय

8. (क्र. 1024) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर जिला अंतर्गत संचालित कृषि उपज मण्डी एवं कृषि उपज उपमण्डी की विगत

तीन वर्षों में आय कितनी रही, वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या कृषि उपज उप मण्डी, कर्रापुर, जिला सागर की आय विगत तीन वर्षों में सागर जिले में स्थित किन-किन कृषि उपज मण्डी से अधिक रही है, जानकारी देवें? (ग) यदि कृषि उपज उपमण्डी, कर्रापुर की आय कृषि उपज मण्डी से अधिक है, तो क्या शासन कृषि उपज उप मण्डी कर्रापुर को मण्डी का दर्जा दिलाने हेतु कार्यवाही करेगा और कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रश्नांगत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उदभुत नहीं होता।

परिशिष्ट – "दो"

सोरनाहटी के सचिव के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

9. (क्र. 1146) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुना के सहायक पंजीयक कार्यालय से पत्र शिकायत 2014/553 अशोकनगर से दिनाँक 02-08-2014 को रामनगर सहकारी समिति को संचालक मंडल को पत्र लिखा है कि श्रीमती उमादेवी पत्नी जगदीश कुशवाह जिन्हें सोसायटी ने बैंक प्रतिनिधि चुन लिया था को पात्रता नहीं होने संचालक व बैंक प्रतिनिधि से हटाने का पत्र लिखा है, उस पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या श्री जगदीश कुशवाह जो उमादेवी के पति है रामनगर सोरनाहटी के सचिव प्रबंध संचालक है, अत: उनकी पत्नी को पात्रता नहीं है? (ग) श्री जगदीश कुशवाह कि कितनी शिकायतें राशन वितरण व अन्य मामलों में पिछले 5 वर्ष में मिली हैं तथा किस प्रकरण में हाईकोर्ट से स्टे कब मिला है व इस कारण पुलिस रिपोर्ट नहीं की है? इतनी अधिक शिकायतों के बाद उन्हें निलंबित या गुना कार्यालय में अटैच क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) क्या श्रीमती मनोरमा सिंघल को मार्केटिंग सोसायटी से गुना सहकारी बैंक प्रतिनिधि बनाया गया है, जबकि वे मार्केटिंग सोसायटी की सदस्य व संचालक नहीं है तथा नियम यह है कि बैंक प्रतिनिधि होने के लिये मार्केटिंग में होना आवश्यक है? गुना, अशोकनगर जिलों की समितियों में कौन-कौन से कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है व उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

मनरेगा के तहत् मजदूरी का भुगतान

10. (क्र. 1430) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के तहत् अभी तक कितने जनों की मजदूरी का भुगतान विलम्ब से हुआ है? इनमें से कितनों को मजदूरी मुआवजा अधिनियम के तहत मजदूरी का मुआवजा दिया गया है? (ख) क्या अभी तक प्रदेश ने मजदूरी मुआवजा के लिए आवश्यक नियम नहीं बनाएं हैं, जिसके तहत आज दिनाँक तक प्रदेश के एक भी मजदूर को इसका लाभ नहीं मिल पाया है? (ग) यदि हाँ, तो इसके पीछे क्या यह समझा जाय कि राज्य सरकार मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रही है? (घ) नियम बनाये जाने कि प्रक्रिया कब तक की जावेगी और अभी तक के प्रकरणों को किस तरह से कम्पंशेट किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मनरेगा अंतर्गत मजदूरी विलम्ब की स्थिति जानकारी भारत सरकार की वेबसाईट nrega.nic.in पर उपलब्ध है। (ख) मजदूरी मुआवजा के लिये नियम बनाये गये है, आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ग) एवं (घ) उत्तरांश ख के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पात्रता पर्ची का वितरण

11. (क्र. 1506) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत रायसेन एवं देवास जिले में पात्रता श्रेणी में सम्मिलित किन-किन पात्र व्यक्तियों को पात्रता पर्ची का वितरण नहीं किया गया? (ख) इसके लिए कौन-कौन जबावदार है, तथा पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची कब तक वितरित कर दी जायेगी? (ग) पात्र श्रेणी के परिवारों को पात्रता पर्ची न मिलने के संबंध में मान. मंत्रीजी तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को किन-किन जनप्रतिनिधियों के पत्र प्राप्त हुए? (घ) उक्त पत्रों पर आज दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई पूर्ण विवरण दें तथा कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों कारण बतायें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र के ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्होंने अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत की जिससे सत्यापन न होने से ऐसे व्यक्तियों को पात्रता पर्ची जारी नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार त्रुटि अथवा कमी के लिए संबंधित व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है अत: ऐसे वंचित व्यक्ति द्वारा जानकारी देने पर सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। (ग) रायसेन जिले के बेगमगंज एवं सिलवानी विकासखण्ड के पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची वितरण न मिलने के संबंध में माननीय राजस्व मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन का पत्र दिनाँक 13.12.2014 प्राप्त हुआ है। देवास जिले में किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। (घ) माननीय मंत्रीजी के पत्र के संदर्भ में बेगमगंज एवं सिलवानी विकासखण्ड के स्थानीय निकाय से सत्यापित पात्रता पर्ची न मिलने के संबंध में प्रमाणीकरण लिया गया उनके द्वारा सभी सत्यापित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची वितरण होना प्रतिवेदित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मजदूरों को मजदूरी का भुगतान

12. (क्र. 1507) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बागली विधानसभा में मनरेगा की उपयोजना में सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क तथा खेल मैदान कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये? (ख) कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है तथा क्यों? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में उक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं हुआ? कारण बतायें? (घ) कब तक मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हो जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बागली विधान सभा में मनरेगा की उपयोजना सुदूर ग्राम सम्पर्क सड़क व खेत सड़क अंतर्गत 146 एवं खेल मैदान के 109 कार्य स्वीकृत हैं। स्थलवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। मनरेगा योजना में अपूर्ण/अप्रारंभ कार्यों का पूर्ण होना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग एवं केन्द्र सरकार से समुचित राशि की उपलब्धता पर निर्भर होने से निश्चित समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं है। (ग) जनवरी 2015 की स्थिति में खेल मैदान तथा खेत सड़क कार्यों पर मजदूरी का भुगतान रू. 19668 शेष था। वर्तमान में उक्त कार्यों में कोई भुगतान शेष नहीं है। (घ) उत्तरांश ग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसान सड़क निधि योजना के कार्य

13. (क्र. 1768) कुँवर विक्रम सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में किसान सड़क निधि से वर्ष, 2012-13 से 2013-14 तक कितनी राशि का व्यय किया गया? (ख) छतरपुर जिले के राजनगर, लवकुश नगर क्षेत्रांतर्गत प्रश्नांश (क) अवधि में पूर्ण हुए कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां प्रमाणित कर उपलब्ध करावें? (ग) विभाग द्वारा कब-कब निविदाएं आमंत्रित की गई, उसका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जावे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रदेश में किसान सड़क निधि से वर्ष 2012-13 में राशि रू. 3,23,29,72,996/- एवं वर्ष 2013-14 में राशि रू. 4,18,09,19,792/- का व्यय किया गया है। (ख) किसान सड़क निधि से छतरपुर जिले के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं होने से शेष जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान एवं संविलियन

14. (क्र. 2025) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण बैंक मर्या., गुना में कार्यरत कर्मचारियों को माह मई, 2013 से जनवरी, 2015 तक कुल 21 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान करने हेतु शासन ने क्या व्यवस्था की? (ख) क्या श्रीमान के प्रभार वाले जिला गुना/अशोकनगर जिले में प्रथम नगर आगमन दिनाँक 12.6.2014 को प्रेसवार्ता में वक्तव्य दिया गया था कि भूमि विकास बैंक की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, इसलिए इन बैंकों को शीघ्र ही बंद किया जावेगा और कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी संस्थाओं में संविलियन करने हेतु अगली केबिनेट में प्रकरण रखा जा रहा है? यदि हाँ, तो कर्मचारियों के संविलियन की कार्यवाही 6 माह व्यतीत होने पर भी क्यों नहीं की गयी? (ग) क्या प्रदेश के समस्त जिला बैंकों में कुल 1274 कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा शासन के विभिन्न विभागों जैसे कृषि उपज मंडी समिति, जिला पंचायत, सहकारिता विभाग आदि में अनेकों पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो इन बैंक कर्मचारियों को उपरोक्त विभागों में तिलहन संघ के कर्मचारियों की भांति संविलियन किया जा सकता है या नहीं? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ बैंक कर्मचारियों को शासन स्तर से वेतन भुगतान नहीं किया जाता. वरन् बैंक द्वारा वसूली के माध्यम से ही वेतन का भुगतान किया जा सकता है. (ख) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण इन बैंकों को बन्द किये जाने तथा कार्यरत कर्मचारियों को अन्यसंस्थाओं में संविलियत करने हेतु विचार किए जाने का वक्तव्य दिया गया था. बैंक अभी बन्द नहीं किये गये है अतः संविलियन की कार्यवाही पर निर्णय नहीं लिया गया है. (ग) कुल 38 जिला विकास बैंकों में 1291कर्मचारी कार्यरत है. प्रश्नांश में उल्लिखित विभागों में संविलियन का प्रस्ताव न होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

बैंक में संविदा समिति प्रबंधकों की नियुक्ति

15. (क्र. 2028) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैंक में संविदा समिति प्रबंधकों की नियुक्ति संबंधी पंजीयक का परिपत्र क्रमांक/ साख/ विधि/842, दि. 6.3.2002 की प्रतिलिपि तथा इस संबंध में जारी अन्य कोई निर्देशी परिपत्र आदेश की प्रति हो तो उपलब्ध करावें? जिला सह.के.बैंक, गुना अंतर्गत कौन-कौन संविदा समिति प्रबंधक कार्यरत हैं, संबंधित समिति के नाम सहित एवं इनकी शैक्षणिक योग्यता सहित जानकारी देवें? (ख) आज दिनाँक तक किस-किस समिति प्रबंधक एवं संविदा समिति प्रबंधक पर कब-कब धारा 64 पुलिस में एफ.आई.आर., गबन धोखाधड़ी का प्रकरण चला है, नाम सहित बतावें? बैंक के सेवा नियमों में संविदा में कार्यरत समिति प्रबंधकों की वेतन वृद्धि का प्रावधान है या नहीं? (ग) उपरोक्त संविदा समिति प्रबंधकों की नियुक्ति पूर्णत: अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिऐ परीक्षावधि पर हुई थी, इसके बाद हर साल इनकी समयावधि बढ़ाना एवं बैंक अधिकारियों द्वारा इनका वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन लेना, बैंक पर अतिरिक्त खर्च का भार अधिरोपित करने की कार्यवाही करना क्या नियमानुसार सही है? यदि नहीं, तो दोषियों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बैंक में संविदा समिति प्रब्रंधकों की नियुक्ति संबंधी पंजीयक का परिपत्र क्रमांक/साख/विधि/842, दिनाँक06.03.2002 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है.** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना में कार्यरत संविदा समिति प्रबंधकों के नाम, प्रभार की समिति तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है.** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है.** जी नहीं. (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना में कर्मचारियों की कमी के दृष्टिगत बैंक के प्रस्ताव के अनुसार संविदा समिति प्रबंधकों की समयावधि एवं वेतन में वृद्धि की गई है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

<u>ग्राम पंचायतों के अपूर्ण तथा आप्रारंभ कार्य</u>

16. (क्र. 2070) श्री संजय शर्मा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले के सिलवानी- बेगमगंज विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों में 1 फरवरी 2015 की स्थिति में कौन-कौन से कार्य अपूर्ण-आप्रारंभ है तथा क्यों? योजनावार ग्राम पंचायतवार सूची दें? (ख) उक्त कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करवाने हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास, कार्यवाही की? (ग) पंचपरमेश्वर योजना तथा समग्र स्वच्छता अभियान मर्यादा अभियान में विगत 5 वर्षो में उक्त ग्राम पंचायतों में क्या-क्या कार्य कराये गये ग्राम पंचायतवार सूची दें? (घ) उक्त ग्राम पंचायतों में 5 वर्षो में कराये गये कार्यों में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) रायसेन जिले की सिलवानी एवं बेगमगंज विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में 01 फरवरी 2015 की स्थिति में क्रमशः 112 व 69 कार्य अपूर्ण-अप्रांरभ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ'** के कॉलम 03 एवं 10 अनुसार। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार**। (घ) कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>जन शिकायत केन्द्र में प्राप्त आवेदनों का निराकरण</u>

17. (क्र. 2091) श्री रामप्यारे कुलस्ते : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंडला जिले की जन शिकायत केन्द्र में विगत दो वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कितने शिकायत आवेदनों का पंजीयन हुआ है? (ख) क्या पंजीयन के आधार पर निराकरण की कोई समय सीमा तय होती है? अगर होती है तो अभी तक कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया है? (ग) अगर नहीं किया जा सका है तो किन कारणों से विभागवार जानकारी उपलब्ध करावें? (घ) साथ ही राज्य सचिवालय से प्राप्त शिकायत पत्रों की विभागवार जानकारी एवं स्थिति से भी अवगत करावें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मण्डला जिले की जन शिकायत केन्द्र में विगत दो वर्षो से प्रश्न दिनाँक तक कुल 97 शिकायत आवेदनों का पंजीयन हुआ है। (ख) पंजीयन के आधार पर शिकायतों के निराकरण की कोई समय-सीमा तय नहीं है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य सचिवालय से 2739 शिकायत/आवेदन मंडला जिले को भेजे गये है। जिसमें से 2555 शिकायत/आवेदन पत्रों का निराकरण किया जा चुका है।

स्वीकृत वृद्धा पेंशन का प्रदाय

18. (क्र. 2118) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में मार्च 2014 से प्रश्न दिनाँक तक की स्थिति में स्वीकृत वृद्धा पेंशन, सामाजिक पेंशन बहुत सारे लोगों की बंद कर दी गयी है? (ख) यदि हाँ, तो क्यों? (ग) यदि ऐसा हुआ है तो रीवा जिले में सभी स्वीकृति पेंशन धारियों की पेंशन शासन द्वारा कब से देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश-''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री सड़क निर्माण

19. (क्र. 2121) पं. रमाकान्त तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की त्योंथर तहसील के पुरवा से भिगुड़ी एवं जनकपुर से भुआरा पहुँच मार्ग, क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत है? यदि स्वीकृति है, तो दोनों मार्गों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति की जानकारी प्रदान करें? (ख) उपरोक्त निर्माण के निविदा की वर्तमान में क्या स्थिति है? (ग) यदि निविदा स्वीकृति हो चुकी है, तो अब तक कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया गया? (घ) कार्य प्रारंभ न हो पाने की स्थिति में दोषी कौन है एवं दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी और कब तक? कार्य कब तक प्रारंभ करा लिया जाएगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। **शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "तीन"

मर्यादा अभियान के तहत शौचालय निर्माण

20. (क्र. 2167) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम पंचायत खड्डा, कुंआ, साखी के कितने हितग्राहियों के यहाँ मर्यादा अभियान के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है? (ख) क्या शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी के ग्राम पंचायत साखी के हितग्राही श्री रामस्वरूप

पिता अमोले राठौर के यहाँ मर्यादा अभियान के तहत शौचालय निर्माण की राशि 9000.00 रू. खर्च की जाकर सी.सी. भी जारी हो गयी है? यदि हाँ, तो क्या उक्त व्यक्ति के यहाँ शौचालय का निर्माण हुआ है? यदि नहीं तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी ग्राम पंचायत खड्डा में 64 कुंआ में 511 एवं साखी में 271 हितग्राहियों के यहाँ मर्यादा अभियान अंतर्गत शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है। (ख) शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी के ग्राम पंचायत साखी के हितग्राही श्री रामस्वरूप पिता अमोले राठौर के यहाँ मर्यादा अभियान के तहत शौचालय निर्माण नहीं कराया गया है किन्तु पंचायत द्वारा 9000 रूपये आहरित कर दी गई है। दोषी सचिव को निलंबित किया गया है। दोषियों से राशि वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को लेख किया गया है।

<u>वी.आर.जी.एफ. को कार्यों में विसंगति</u>

21. (क्र. 2169) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला पंचायत शहडोल के प्रशासकीय स्वीकृति क्र. 3761 दिनाँक 13.03.2014 द्वारा जनपद पंचायत जयसिंहनगर के ग्राम पंचायत छूदा, मुदरियाटोला, पोड़ी तथा कनाड़ीकला में बी.आर.जी.एफ. मद से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? इसी तरह प्रशासकीय स्वीकृति क्र. 1476 दिनाँक 03.03.2014 के द्वारा जनपद पंचायत जयसिंहनगर के ग्राम पंचायत दादर, छतैनी एवं बनचाचर में भी निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं और समस्त कार्यों की स्वीकृत राशि एक मुश्त निर्माण एजेंसी के खातें में अंतरित कर दी गयी है? (ख) क्या उपरोक्त निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति के पूर्व प्राप्त नहीं की गयी है क्योंकि ग्राम पंचायत छूदा के कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्र. 61 दिनाँक 28.06.2014, मुदरिया टोला की तकनीकी स्वीकृति क्र. 53 दिनाँक 16.06.2014, झिरियाटोला की तकनीकी स्वीकृति क्र. 111 दिनाँक 28.06.2014 तथा छतैनी के कार्य की तकनीकी स्वीकृति क्र. 114 दिनाँक 14.08.2014 है? तकनीकी स्वीकृति के पूर्व किस आधार पर मूल्यांकन कर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी है? इसके अतिरिक्त क्या ग्राम पंचायत पोड़ी, कनाड़ीकला और दादर के कार्यों की तकनीकी स्वीकृति अभी भी प्राप्त नहीं हुयी है और उपरोक्त कार्यों की राशि भी संबंधित एजेंसी द्वारा आहरित कर ली गयी है? (ग) क्या उक्त विसंगति के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है? और नहीं तो क्यों? यदि कार्यवाही की जावेगी तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार**। (ख) जी नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'द' अनुसार**।

<u>जिला ग्वालियर में कृषि महोत्सव यात्रा का आयोजन</u>

22. (क्र. 2255) श्रीमती इमरती देवी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर के वि.ख. डबरा, भितरवार में दिनाँक 25-09-2014 से 20-10-2014 तक कृषि महोत्सव यात्रा आयोजित की गई? यात्रा के दौरान जिन ग्रामों में कृषि रथ का भ्रमण हुआ उन ग्रामों में मिट्‌टी की जाँच हेतु कितने के नमूने लिये गये, इन नमूनों की जाँच रिर्पोट प्राप्त हो गई है, नहीं

तो कब तक जाँच पूर्ण होगी, समयावधि बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वि.ख. डबरा एवं भितरवार के जिन ग्रामों में कृषि रथ का रात्रि विश्राम था, वहाँ पर टीम के सदस्यों द्वारा रात्रि विश्राम किया एवं कृषि संगोष्ठी तथा कल्चर प्रोग्राम का आयोजन किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार डबरा एवं भितरवार क्षेत्र में दिनाँक 25-09-2014 से 20-10-2014 तक कृषि क्रांति रथ भ्रमण के दौरान कौन-कौन अधिकारी, रथप्रभारी थे, रथ प्रभारियों द्वारा विकासखण्डवार कितनी-कितनी राशि किस-किस, कार्य पर व्यय की गई?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। कृषि महोत्सव के दौरान डबरा विकासखण्ड में 150 मिट्टी के नमूने तथा भितरवार विकासखण्ड में 281 मिट्टी के नमूने लिये गये। विकासखण्ड डबरा के निरंक तथा भितरवार के 92 मिट्टी के नमूने मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में जाँच हेतु भेजे गये। इनमें से 19 नमूनों के परिणाम भेजे जा चुके हैं तथा शेष नमूनों को प्रयोगशाला में भेजकर विश्लेषण प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। ग्रामवार सूची **संलग्न परिशिष्ट एक अनुसार** है। (ग) उल्लेखित अवधि में श्री महेश बाबू शर्मा सहायक संचालक कृषि (गन्ना) श्री कृष्ण यादव उप परियोजना संचालक (आत्मा) ग्वालियर तथा श्री पी.एस. सिकरवार अनुविभागीय अधिकारी डबरा प्रभारी रहे। प्रभारीवार व्यय की गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट दो अनुसार** है।

परिशिष्ट – "चार"

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यालय का स्थानान्तरण

23. (क्र. 2269) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यालय के स्थापना की स्वीकृति बड़वाहा नगर में की गई थी? यदि हाँ, तो स्वीकृति के आदेश की प्रति एवं उस कार्यालय, नगर बड़वाहा में कब से प्रारंभ होकर कब तक अस्तित्व में रहा है? इसकी जानकारी दी जावे? (ख) क्या उक्त कार्यालय नगर बड़वाहा से नगर महेश्वर में स्थापित किया गया है? यदि हाँ, तो किन कारणों से किया गया? (ग) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत नवीन सड़क मार्गों की संख्या महेश्वर विधान सभा क्षेत्र से अधिक बड़वाहा क्षेत्र में है? विगत 5 वर्षों के बड़वाहा एवं महेश्वर क्षेत्र में वर्षवार स्वीकृत सड़कों की जानकारी दी जावे? (घ) क्या बड़वाहा क्षेत्र में अधिक संख्या के मार्ग स्वीकृत हुए हैं? जिससे स्टॉफ को आना-जाना होता है, वाहनों का ईंधन आदि अधिक होता है? इससे शासन पर भार नहीं होगा, इसका जिम्मेदार अधिकारी कौन होगा? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस संबंध में कार्यालय प्रमुख को कार्यालय, महेंश्वर से बड़वाहा किये जाने के संबंध में पत्र व्यवहार किया गया था? यदि हाँ, तो शासन स्तर पर क्या कार्यवाही की गर्इ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। आदेश की प्रति/**जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई बड़वाह का कार्यालय दिनाँक 28.11.2009 से प्रारंभ होकर दिनाँक 15.04.2011 तक अस्तित्व मे रहा था। (ख) जी हाँ। प्रशासनिक कार्य सुविधा के कारणों से। (ग) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।** (घ) जी हाँ। महाप्रबंधक को छोडकर बड़वाह के कार्यों हेतु पदस्थ अन्य मैदानी अमले का मुख्यालय बड़वाह ही रखा गया है जिससे स्टाफ के कार्यस्थल पर आने जाने से न तो वाहनों पर ईंधन आदि पर अधिक व्यय होगा और न ही शासन पर अतिरिक्त भार आयेगा। अतः

इसके लिये किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ। प्रशासनिक कार्य सुविधा के दृष्टिगत परियोजना क्रियान्वयन इकाई-महेश्वर को यथावत रखा गया है।

परिशिष्ट - "पांच"

कृषि उपज मण्डी समिति गुना एवं गुना जिले की अन्य मंडियों में अतिक्रमण एवं अनियमितता

24. (क्र. 2289) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में (अ), (ब), (स) वर्ग की कितनी मंडिया एवं उपमंडिया है, क्या मंडियों की भूमि पर कोई अतिक्रमण है, क्या इन मंडियों में गंदगी और गंदा पानी भरा रहता है, यदि हाँ, तो कब तक हटायेंगे? (ख) क्या कृषि उपज मण्डी गुना की पुरानी गल्ला मण्डी के सिंधिया पार्क तथा कॉम्पलेक्स क्षेत्र एवं सब्जी मण्डी क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है? यदि अतिक्रमण है तो कब और कैसे हटायेंगे? क्या उक्त मण्डी में गंदगी और कीचड़ है? क्या छोटे व्यापारियों ने पानी निकासी की नालिया बंद करा दी है, कब और कैसे हटाकर सुचारू संचालन करेंगे? (ग) क्या कृषि उपज मण्डी गुना एवं उसकी उपमण्डियों में कोई अतिक्रमण एवं गंदगी है, इसका जिम्मेदार कौन है, बार-बार क्यों होता है, बतायें? (घ) गुना जिले की समस्त नयी एवं पुरानी मण्डियों, उपमण्डियों में गत 5 वर्षों से बार-बार अतिक्रमण एवं गंदगी फैलाने, नालिया बंद करने का जिम्मेदार कौन है, मंडियों में साफ-सफाई के लिये जो पैसा खर्च होता है, फिर भी अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों पर कब और कैसे कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) गुना जिले में (अ) वर्ग की 01, (ब) वर्ग की 03, (स) वर्ग की 01 मंडी है। इस प्रकार कुल 05 मंडियां संचालित हैं जिनके अंतर्गत कुल 07 उपमंडियां कार्यरत हैं। जिनमें आरोप आरोन मंडी को छोडकर शेष 05 मंडियां एवं उपमंडियों में अस्थायी अतिक्रमण है। उक्त अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु मंडी समिति द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं तथा प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही मंडी समिति मकसूदनगढ के प्रांगण में एक पुराना तालाब है जिसमें वर्षांत का पानी भरा रहने से उक्त स्थल पर कव्हर्ड आक्शन प्लेटफार्म निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही जारी है। (ख) जी हाँ। कृषि उपज मंडी समिति गुना की पुरानी गल्ला मण्डी के सिंधिया पार्क तथा कॉम्पलेक्स हेतु दुकानदानों द्वारा भसुआ, चददर शीट, चाय पान की गुमठियां एवं अन्य गुमठियों द्वारा अस्थाई अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त अतिक्रमण प्रशासन के सहयोग से हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी। जी हाँ। पुरानी मण्डी के रहवासियों एवं व्यापारियों तथा फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा सडी गली सब्जी एवं संपूर्ण कचरा नालियों में फेंक देने के कारण नाली बंद तथा गंदगी हो जाती है। जिसकी मण्डी प्रशासन द्वारा पूर्व में भी सफाई कराई जा चुकी है तथा पुन: सफाई कराने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है। (ग) कृषि उपज मण्डी समिति गुना प्रश्नांश "क" एवं प्रश्नांश "ख" के उत्तर अनुसार है। उपमंडियों में कोई अतिक्रमण एवं गंदगी नहीं है। (घ) गुना जिले की नयी एवं पुरानी मण्डियों एवं उपमण्डियों में गत 5 वर्षों से अतिक्रमण करने एवं गंदगी फैलाने वाले रहवासी एवं दुकानदार है। साफ-सफाई हेतु नियमानुसार ठेका दिया जाकर राशि व्यय की जाती है। प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। गंदगी एवं नालियों को बंद करने वालों पर मंडी प्रशासन की ओर से नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। समय-सीमा बतायी जाना संभव नहीं है।

<u>सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान वितरण की दुकानों के संचालन की व्यवस्था</u>

25. (क्र. 2292) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा केन्द्र एवं राज्य का खाद्यान वितरण ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियों या ग्राम पंचायतों या वन समितियों की दुकानों से कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो जिलो की संख्या सहित विवरण दें? (ख) क्या म.प्र. शासन द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी किया है जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में पी.डी.एस. की दुकानें खोली जा सकती है? यदि हाँ, तो क्या गुना जिले में पंचायतवार दुकाने खोलने की योजना है? (ग) क्या गुना जिले में खाद्यान वितरण सहकारी समितियॉं, वन समितियाँ, या ग्राम पंचायतों की संचालित दुकानों से कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो कितनी दुकानें किस वर्ग की संचालित है विवरण सहित जानकारी दें? (घ) यदि म.प्र. के अन्य जिलों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अधिकतर खाद्यान का वितरण विभाग कर रहा है तो बतायें कि गुना जिले में भी खाद्यान के वितरण की दुकानें प्रत्येक पंचायतवार कब और कैसे संचालित करायेगें ताकि गरीबों को समय पर पूर्ण खाद्यान का लाभ मिले कारणों सहित जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>डी.ए.पी./यूरिया खाद का आवंटन</u>

26. (क्र. 2324) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी 2014-2015 में दतिया जिले में कितने टन यूरिया/ डीएपी उर्वरक वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये उसके विरूद्ध कितना उर्वरक उपलब्ध कराया गया? इसमें से कितना सहकारी समितियों एवं कितना निजी विक्रेताओं को उपलब्ध कराया गया? (ख) दतिया जिले में कुल कितने उर्वरक विक्रेता पंजीकृत है? पंजीकृत विक्रेताओं के नाम / फर्म के नाम की सूची उपलब्ध करावे? (ग) क्या दूररथ सोसायटियों को कम एवं पास की सोसायटियों को अधिक उर्वरक उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि नहीं तो सभी को समान रूप से उर्वरक क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाता है? (घ) यदि नहीं, तो ड़बललाक केन्द्र सेवढा की सोसायटियों को कम उर्वरक क्यों उपलब्ध कराया गया? क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- 1 अनुसार** है। (ख) दतिया जिले में कुल 164 उर्वरक विक्रेता पंजीकृत है। पंजीकृत विक्रेताओं के नाम/फर्म के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) सोसायटियों की मांग अनुसार रिलीज आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट लेकर प्राथमिक सहकारी समितियों को जिला विपणन अधिकारी द्वारा उर्वरक भंडारण से कराया जाता है। (घ) डबललाक केन्द्र सेवढा की सोसायटियों की मांग अनुसार उर्वरक का भंडारण जिला विपणन अधिकारी द्वारा कराया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>विभागीय निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्यवाही</u>

27. (क्र. 2513) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या-65 (क्रं. 627) दिनाँक 8.12.2014 प्रश्नांश (ग) के उत्तर में श्रीमती माधुरी शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध जिला पंचायत शाजापुर द्वारा दिनाँक 29.11.2014 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाना बताया गया था? उक्त सूचना पत्र के उत्तर की प्रमाणित

प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या की गई जाँच प्रक्रिया के दौरान श्रीमती माधुरी शर्मा द्वारा वित्तीय अनियमितता संज्ञानित हुई है? यदि हाँ, तो क्या संबंधित के विरूद्ध ठोस कार्यवाही की जावेगी? कार्यवाही कब तक की जायेगी? (ग) श्रीमती माधुरी शर्मा द्वारा स्वीकृत किए गए मांगलिक भवनों का प्रस्ताव किस बैठक में पारित किया गया? (घ) विभाग की कौन-कौन सी योजनायें/कार्य हैं, जिनमें क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा ली जानी चाहिए? विवरण देवें? विगत तीन वर्षों में जनपद पंचायत सुसनेर द्वारा उक्तानुसार कौन-कौन से कार्य किए हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार।** (ख) प्रकरण में जाँच प्रक्रिया प्रचलित है। जाँच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। समय अवधि बताना संभव नहीं। (ग) जनपद पंचायत सुसनेर की समान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनाँक 08.09.2014 में आहुत बैठक के प्रस्ताव क्र.5 अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण का अनुमोदन किया गया था। (घ) जनपद पंचायत की बैठकों में माननीय विधायक एक्स आफीसियो सदस्य है, जिनके सहयोजन/सहभागिता से विकास कार्य को मूर्तरुप दिया जाता है। जनपद पंचायत सुसनेर के पत्र क्रमांक-131 दिनाँक 28.02.2015 द्वारा प्रेषित कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार।**

<u>क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही</u>

28. (क्र. 2514) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला आगर क्षेत्रान्तर्गत विगत 03 वर्षों में किन-किन पंचायत सचिवों एवं सरपंचों की वित्तीय अनियमितता एवं कार्यप्रणाली से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (ख) जनपद पंचायत सुसनेर अंतर्गत ग्राम पंचायत बराई द्वारा विगत 03 वर्षों में क्या-क्या कार्य करवाये गये? लागत सहित कार्यवार विवरण देवें? क्या ग्राम पंचायत बराई के सरपंच/सचिव पर गंभीर वित्तीय अनियमितता संबंधी जाँच प्रचलित थी? यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? (ग) आगर जिला अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कितने मार्ग स्वीकृत है? इनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने निर्माणाधीन है? निर्माणाधीन कार्य कब तक पूर्ण होना है? (घ) क्या सी.एम.जी.एस.व्हाई. द्वारा निर्मित इंदौर कोटा मार्ग से त्रिलोकपुरा मार्ग में पुल का भी निर्माण होना था? यदि हाँ, तो अब तक निर्माण नहीं किए जाने संबंधी जाँच की जाकर निर्माण करवाया जाएगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) आगर जिला अंतर्गत जनपदवार शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैः-जनपद पंचायत सुसनेर अंतर्गत ग्राम पंचायत बराई, देहरिया सुसनेर, सिरपोई, मोडी एवं पिल्यानानकार के सरपंच/सचिव के विरूद्ध अनियमितता एवं कार्यप्रणाली से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें पिपल्यानानकार की शिकायत असत्य पायी गई एवं ग्राम पंचायत मोडी,देहरिया सुसनेर एवं बराई के प्रकरण लोकायुक्त में प्रचलित है। जनपद पंचायत नलखेड़ा अंतर्गत शिकायत निरंक है। जनपद पंचायत आगर अंतर्गत ग्राम पंचायत धुराश्या, खीमाखेड़ी एवं भादवा की शिकायत प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत धुराश्या में सचिव को निलंबित कर सरपंच के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है। ग्राम पंचायत खीमाखेड़ी में सचिव की विभागीय जाँच संस्थित की गई है एवं ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक् कर दिया गया है। ग्राम पंचायत भादवा में सचिव को पद से पृथक किया जाकर सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जनपद पंचायत बड़ौद अंतर्गत शिकायत निरंक

है। (ख) **जनकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ'अनुसार**। जी हाँ। ग्राम पंचायत बराई के सचिव/सरपंच के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता संबंधी जाँच लोकायुक्त में प्रचलित है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार**। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम नंबर 8 अनुसार**। निर्माणाधीन **2** कार्य दिनाँक 31.05.2015 तक पूर्ण होना है। (घ) जी हाँ। जी नहीं। कार्य प्रचलन में है। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-''स'' के कॉलम नंबर 7 अनुसार**।

<u>उचित मूल्य की दुकानों को खाद्यान्न आवंटन</u>

29. (क्र. 2541) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित है? उन दुकानों का संचालन कौन कब से कर रहा है? (ख) पूरे जिले में प्रति दुकान कितने ए.पी.एल./बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय कार्डधारी है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की दुकानवार जानकारी दें? (ग) वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक इस शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में प्रति दुकान कितनी मात्रा में गेहूँ, चावल, शक्कर, केरोसीन का आवंटन दिया गया? (घ) क्या किसी शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कम एवं किसी पर अधिक आवंटन दिया जाता है? अगर हाँ तो इसके लिए दोषी कौन है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) झाबुआ जिले में 247 ग्रामीण एवं 19 शहरी इस प्रकार कुल 266 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित है। उचित मूल्य दुकान संचालनकर्ता एवं दुकान संचालन की अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन के पश्चात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की श्रेणी अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी है। जिले में अन्त्योदय अन्न योजना के 23142 एवं प्राथमिकता श्रेणी के 188807 परिवार है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय गेहूं, चावल, शककर एवं केरोसिन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पिटोल चौकी में अनियमितता</u>

30. (क्र. 2545) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले की पिटोल चेक पोस्ट पर 1 जनवरी, 2013 से प्रश्नांश दिनाँक तक कितने माल वाहन पास किये गये, ट्रांसपोर्ट/मालिक एवं कम्पनी के नाम सहित वाहनों की सूची दें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पास किये गये वाहनों/ माल का विवरण, माल की तादाद बतावें एवं इनमें से शासन को कितना निर्धारित राजस्व शुल्क प्राप्त हुआ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार किन-किन वाहनों से कितना-कितना टेक्स वसूली गया, तथा कितनी-कितनी अतिरिक्त राशि ली गई? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार चेक पोस्ट पर किस कारणवश कितने वाहनों को कितने-कितने समय तक खड़ा रखा गया?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>झाबुआ जिले में सड़क निर्माण</u>

31. (क्र. 2548) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ जिले में वर्ष 2011 में प्रश्नांश दिनाँक तक ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कितनी जीएसबी रोड बनाई गई? वर्षवार, स्थानवार, राशिवार पृथक-पृथक बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में जिन सड़कों को बनवाया गया है क्या वे विभाग द्वारा अथवा टेण्डर प्रक्रियाओं से बनाई गई पृथक-पृथक बतावें? (ग) जीएसबी रोड़ बनवाये जाने का क्या मापदण्ड है कैसे बनाई गई है क्या सड़कें गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित मापदण्ड के तहत बनाई गई विस्तार से बतावें? (घ) उक्त निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी किसके आदेश से किस-किस दिनाँक को किस-किस एजेंसी से कराई गई एवं उनको किस-किस दर से भुगतान किया गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। सड़कों के कार्य मनरेगा अभिकरण से स्वीकृत होने से मनरेगा मद अंतर्गत मिट्टी का कार्य विभागीय रूप से एवं ग्रेवल तथा पुल-पुलिया का कार्य निविदा पद्धति से कराया जा रहा है। (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल सड़क भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) एसपी-77 के मापदण्डों अनुसार बनाए जाने का प्रावधान है। निर्धारित मापदण्डों में सामग्री एवं कार्य कौशल के प्रयोगशाला परीक्षणों का प्रावधान है तदनुसार निर्माण कार्यों पर गुणवत्ता नियंत्रण किया जा रहा है। (घ) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी योजना के प्रचार-प्रसार के लिए कराई गई है। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

परिशिष्ट –"छ:"

परियोजना संचालक (आत्मा) जिला खरगोन के विरूद्ध कार्यवाही

32. (क्र. 2643) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परियोजना संचालक (आत्मा) जिला खरगोन के विरूद्ध वर्ष 2013 से वर्तमान दिनाँक तक शासन/वरिष्ठ कार्यालय में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? शिकायत एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रति देवें? (ख) विजय चौरसिया द्वारा उनके कार्यकाल में आखिरी 3 वर्ष की कार्यवार एवं व्यय राशि का विवरण देवें? (ग) विजय चौरसिया द्वारा उप संचालक कृषि (प्रभारी) खरगौन के कार्यकाल में खरीदी सामग्री एवं व्यय राशि का विवरण दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) विजय चौरसिया द्वारा उप संचालक कृषि (प्रभारी) खरगौन के कार्यकाल में कोई भी सामग्री नहीं खरीदी गई है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

खरगौन में सौर ऊर्जा सिस्टम में की स्थापना

33. (क्र. 2652) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगौन जिले में कितनी जिला सहकारी बैंक की शाखाओं एवं उनके अंतर्गत आने वाली आदिम जाति सहकारी सेवा समितियों में कितने सौर ऊर्जा सिस्टम लगाए गये है? (ख) लगाऐ गये सौर ऊर्जा सिस्टम की लागत, क्षमता समितिवार बताएं? यह सिस्टम लगने पर संस्था के बिजली बिल में कितना अंतर आया है? वर्तमान में कितने सिस्टम कार्यरत है? (ग) सौर ऊर्जा सिस्टम किस संस्थाओं

से खरीदे गये थे, किन शर्तों पर खरीदे गए थे? उक्त उपकरणों की ग्यारंटी/वारण्टी कितनी है मेंटेनेंस की अवधि कितनी है? मेंटेनेंस करने वाली संस्था वर्तमान में कार्यरत है उनके द्वारा किए गए कार्यों की सूची समितिवार देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जिला ई गवर्वेन्स के कार्य

34. (क्र. 2688) श्री नीलेश अवस्थी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ई गवर्वेन्स सोसायटियों का गठन किन परियोजनों के तहत किया जाकर व्यवस्था हेतु किसे नोडल विभाग बनाया गया है? जिलों में नोडल कार्यपालिक विभाग का अधिकृत अधिकारी कौन-कौन है एवं किस अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य संपादित किये जाते है? जिलेवार सूची देवें? (ख) ई डिस्टिक्ट परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों एवं परियोजना में प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाओं का निर्वहन प्रत्येक जिलों में कौन-कौन किस नियम/आदेश के तहत कर रहा है? (ग) जिला ई गवर्वेन्स सोसायटी के बैंक खातों से राशि व्यय करने हेतु किस विभाग के नियम लागू है एवं यह क्या इन खातों का शासन के निर्देशों के तहत आय-व्यय लेखा संधारण विभाग के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी द्वारा किया जा रहा है? जिलो की सूची देवें? यदि नहीं तो क्या यह नियमों का उल्लंघन है, तथा यह वित्तीय कदाचार की श्रेणी में आता है? (घ) प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित वित्तीय कदाचार के लिये कौन जिम्मेदार है? इनके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) ई गवर्नेस सोसायटी का गठन deity, GOI की ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत किया गया है। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अस्थाई रूप से नोडल कार्यपालक विभाग बनाया गया है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जिलो में नोडल कार्यपालिक विभाग का अधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर है, जो कि ई-गवर्नेंस सोसायटी के कलेक्टर द्वारा सोसायटी के दैनंदिनी कार्यों हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिलों में कलेक्टर एवं सचिव, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की अनुमति से प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य संपादित किये जाते है। (ख) ई डिस्ट्रक्ट परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों एवं परियोजना में प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थाओं का निर्वाहन प्रत्येक जिलों में मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग के परिपत्र क्रमांक 265/2012/लोसेप्र/61 दिनाँक 25.02.2012 तथा सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-1/2007/56 दिनाँक 26 जून, 2009 के नियम/आदेश के तहत कर रहा है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जिला ई गवर्नेस सोसायटी के बैंक खातों से राशि व्यय करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के वित्तीय नियम लागू है। हाँ, इन खातों का शासन के निर्देशों के तहत आय-व्यय लेखा संधारण विभाग के अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में प्रश्नांश (घ) का उत्तर निरंक है।

गोटेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत मुख्यमंत्री सड़क

35. (क्र. 2734) डॉ. कैलाश जाटव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011 से 2015 के बीच गोटेगांव तहसील एवं नरसिंहपुर विकासखण्ड के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कितनी सड़के स्वीकृत हुई एवं कितनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? सूची प्रदान

करें? (ख) क्या इन सड़कों को शासकीय नियमानुसार गुणवत्ता के मापदण्ड के आधार पर बनाया गया है? यदि हाँ, तो इनमें से वर्ष 2012-13 की निर्मित अधिकतर सड़कों की हालत दयनीय एवं जर्जर क्यों है? (ग) क्या इन सड़कों के निर्माण का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है? यदि हाँ, तो खराब सड़कों से शासन को हुई क्षति नुकसान की वसूली कैसी की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वर्ष 2011 से 2015 के बीच गोटेगांव तहसील एवं नरसिंहपुर विकासखण्ड के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 80 सड़कें स्वीकृत हुई इनमें से 77 सड़कें पूर्ण हो चुकी हैं। सड़कों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) जी हाँ। वर्ष 2012-13 में निर्मित सड़कों के जर्जर होने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है,ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष तक संधारण कार्य भी किया जाता है। (ग) पूर्ण सड़कों में से 52 सड़कों का पूर्ण भुगतान सुरक्षा निधि एवं परफारमेंस सिक्युरिटी की राशि को छोड़कर किया जा चुका है। उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "सात"

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माण कार्य

36. (क्र. 2756) श्री शान्तिलाल बिलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) झाबुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? (ख) यदि स्वीकृत किये गये हैं तो कहाँ-कहाँ कितनी दूरी के स्वीकृति लागत सहित कार्यवार विवरण देवें? (ग) यदि कार्य स्वीकृत किये गये हैं तो वर्तमान तक पूर्ण किये जा चुके हैं? अथवा नहीं? यदि नहीं तो इसके विलंब का क्या कारण? (घ) क्या इस विलंब में विभागीय अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तो विवरण देवे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) झाबुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013-14 से 2014-15 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किए गए। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अमरवाड़ा में घटिया निर्माण

37. (क्र. 2794) श्री कमलेश शाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अमरवाड़ा वि.स. क्षेत्र में चिलक से बालूसार मार्ग की स्वीकृति दिनाँक, लागत, कार्यपूर्णता दिनाँक बतावें? (ख) इसके लिए टेंडर प्रकिया का पालन क्यों नहीं किया गया? कारण स्पष्ट करें? (ग) घटिया निर्माण कार्य की जाँच शासन किस स्तर के अधिकारी से करवाएगा? (घ) घटिया निर्माण करने वाले आधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में चिलक से बालूसार मार्ग की स्वीकृति दिनाँक 04.03.2014 एवं अनुमानित लागत राशि रू. 239.18 लाख है। कार्य प्रगतिरत है। इस कार्य को जून 2015 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत कार्य की निविदा 10वें ऑनलाईन निविदा आमंत्रण में प्राप्त हुई, 02निविदाकारों ने भाग लिया था, न्यूनतम निविदा दर की प्राप्त निविदा प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई। टेंडर प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया। (ग) निर्माण कार्य विभागीय अधिकारी एवं स्वतंत्र राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनिटर द्वारा निर्माण कार्य का नियमित निरीक्षण किया जाता है। निर्माण कार्य घटिया होने की कोई शिकायत प्रकाश में न होने से

जाँच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी</u>

38. (क्र. 2831) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भिण्ड जिले की लहार तहसील के अंतर्गत ग्राम सोंसरा के समीप कृषि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 40 क्वि. गेहूँ पी.डी.एस. का परिवहन करने वाले ठेकेदार द्वारा कालाबाजारी करने के पूर्व दिनाँक 24.12.2014 को सरकारी पैकिंग से उलटते समय ग्रामवासियों की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार की शिकायत करने पर खाद्य निरीक्षक लहार ने पकड़ा था? (ख) यदि हाँ, तो वेयर हाउस के गोदाम प्रभारी, खाद्य निरीक्षक, परिवहन ठेकेदार एवं राजस्व अधिकारी की मिलीभगत होने से पी.डी.एस. का माल ले जाने वाले ट्रेक्टर को भ्रष्टाचार के चलते छोड़ दिया था? यदि हाँ, तो क्यों? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी लहार ने वेयर हाउस के कागजातों के माह नवंबर का पी.डी.एस. का खाद्यान्न सोसायटी को न भेजकर माह दिसंबर 2014 एवं माह जनवरी 2015 का खाद्यान्न रिकार्ड में भेजना पाया था? यदि हाँ, तो अभी तक पी.डी.एस. वितरण में गड़बड़ी करने वाले परिवहन ठेकेदार, खाद्य निरीक्षक, वेयर हाउस प्रभारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) पी.डी.एस. के गेहूं के पास पाये ट्रेक्टर मालिक का नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर बतायें? जप्त किया गया गेहूं किस सोसायटी का था तथा किसको सुपुर्द किया? (ड.) क्या यह भी सच है कि वेयर हाउस प्रभारी, परिवहनकर्ता ठेकेदार, खाद्य निरीक्षक एवं सेवा सहकारी संस्था अरूसी के शाखा प्रबंधक ने मिलकर दिनाँक 25.12.2014 को छुट्टी के दिन वेयर हाउस से सेवा सहकारी संस्था अरूसी का चावल एवं शक्कर का उठाव दिखाकर एवं बाजार से गेहूं उठाकर सोसायटी में पहुंचाकर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास किया है? यदि हाँ, तो क्या इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>असत्य जाँच प्रतिवेदन दिए जाने के संबंध में</u>

39. (क्र. 2835) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न 5 (क्रमांक 23) दिनाँक 08 दिसम्बर 2014 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर में बताया गया कि श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक को असत्य जाँच प्रतिवेदन देने के आरोप में निलंबित करना बताया गया था? (ख) क्या आरोप पत्र जारी कर जाँच की जा रही है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी द्वारा आरोप पत्र जांरी कर जाँच की जा रही है, तथा जाँच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी? (ग) क्या विभाग द्वारा श्रीमती नरवरिया को निलंबन के कुछ समय बाद ही निलंबन से बहाल कर दिया गया? यदि हाँ, तो निलंबन से बहाली का आदेश प्रस्तुत करें? (घ) श्रीमती शाह का निलंबन समाप्त करने का कारण बताएं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। (ख) श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया को विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था। जिस पर सुनवाई उपरांत पाई गई त्रुटि के लिए दण्डित किया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) श्रीमती नरवरिया की जाँच उपरांत दिए गए आरोप पत्र पर

अंतिम निर्णय में त्रुटि के लिए दण्डित करते हुए बहाली की गई है। आदेश **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) प्रकरण में अंतिम निर्णय लिया जाकर बहाल किया गया है।

परिशिष्ट - "आठ"

यात्री बस किराये में वृद्धि /कमी के साथ अन्य सुविधाओं के संबंध में

40. (क्र. 2875) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा परिवहन निगम को बंद कर अनुबंध के आधार पर यात्री बसों का संचालन निजी हाथों में सौंपा गया है? यदि हाँ, तो राज्य शासन द्वारा ईधन के मूल्य में वृद्धि होने पर शासन द्वारा यात्री किराये में वृद्धि कर सकेगी? वर्तमान में शासन द्वारा किस दर पर यात्री किराया बढ़ाया गया है? (ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतराष्ट्रीय स्तर पर ईधन के मूल्य में गिरावट होने से राज्य सरकार द्वारा भी ईधन मूल्य में कमी की है यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार यात्री बसों के किराये में की गई वृद्धि को र्इधन के मूल्य के आधार पर कम करने का कोई निर्णय ले रही है? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं? यदि ईधन मूल्य के कम होने से यात्री किराये में की गई वृद्धि को वापस न लेकर सीधे-सीधे बस मालिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है क्या? यात्री बस किराये में की गई वृद्धि को शासन कब तक कम करेगा? (ग) क्या शासन जैसे की यात्री परिचालकों द्वारा यात्रियों को किलोमीटर की दूरी एवं की गई यात्री किरायें के वृद्धि आदि का ज्ञान न होने से परिचालकों द्वारा अधिक किराया वसूल किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती है, तो क्या शासन द्वारा राजस्थान सरकार की यात्री बसों जैसे मालिक का नाम सहित प्रिटेंड टिकिट की कोई व्यवस्था कर रही है? यदि नहीं तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक की जावेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी नहीं। यात्री किराये में वृद्वि हेतु शासन स्तर पर आदेश क्रमांक 22-142/2004/आठ दिनाँक 09.09.2010 द्वारा समिति का गठन किया गया है। शासन की अधिसूचना दिनाँक 03.08.13 अनुसार किराया रूपये 0.90 प्रति यात्री प्रति कि.मी. न्यूनतम किराया रूपये 07.00 के अधीन रहते हुये था। जिसे अधिसूचना दिनाँक 25.08.2014 द्वारा बढाकर 0.97 प्रति यात्री प्रति कि.मी. न्यूनतम किराया रूपये 07.00 के अधीन रहते हुये किया गया है। (ख) नहीं। ईधन मूल्यों का निर्धारण राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाता। ईधन मूल्यों में कमी होने पर यात्री किराये के पुनरीक्षण समिति की बैठक दि. 10.02.2015 को आयोजित की जा चुकी है। अंतिम निर्णय विचाराधीन है। जी नहीं। बस मालिकों को कोई लाभ नहीं पहुँचाया जा रहा है। उपरोक्तानुसार समिति की बैठक हो चुकी है। अंतिम निर्णय विचाराधीन है। (ग) यात्री बसों को जारी किये जाने वाले परमिटों में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 72 (2) की उप धारा xiii के अनुसार किराया निर्धारित किराये सूची अनुसार वसूले जाने के निर्देश तथा उपधारा xv के अनुसार लिये गये निर्धारित किराये का टिकिट दिये जाने संबंधी प्रावधान होने संबंधी शर्त अंकित की जाती है तदनुसार ही परिचालक यात्रियों से किराया वसूल करते है। यदा-कदा अधिक किराया वसूल करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जाँच कराई जाकर नियमानुसार समूचित कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में शासन की राजस्थान सरकार के यात्री बसों के समान टिकिट व्यवस्था की कोई योजना नहीं है। शेष उत्तर अपेक्षित नहीं।

रोजगार सहायकों की सेवावृद्धि

41. (क्र. 2919) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रोजगार सहायकों की संविदा अवधि में वृद्धि करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो धार जिले में कार्यरत रोजगार सहायकों की संविदा अवधि में कब-कब वृद्धि की गई है? (ख) यदि नहीं की गई तो इन्हें वेतन किन नियमों के तहत भुगतान किया जा रहा है? (ग) इस वित्तीय अनियमित्ता के लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी है? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संयुक्त संचालक डा.प्रेमलता वाजपेयी द्वारा की गई अनियमितताएं

42. (क्र. 3043) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इन्दौर स्थित महिला बाल विकास कार्यालय की संयुक्त संचालक डॉ. वाजपेयी द्वारा किये गये कथित गबन का आरोप पत्र क्र. एफ.4-53/99/26-1 दिनाँक 25.08.01 में आरोप था कि (I) 24.39.236/ (II) 1.44.21.589 (III) 3.82.348 (IV) 8.27.562 कामिस एप्रोप्रिएशन किया बाद में विभाग से कथित सांठगॉठ के आधार पर 24.06.2008 को मुक्त कर दिया? (ख) यदि हाँ, तो क्या पुन: एक और सुनवाई जिलाधीश इन्दौर द्वारा की गई उसमें कुछ वसूली का लिखा जो राजस्व आयुक्त के यहाँ लंबित है, यदि हाँ, तो आयुक्त द्वारा 31.01.15 तक क्या कार्यवाही की गई? पहली जाँच करके इतने गबन का आरोप पत्र दिया गया और 24.6.8 को मुक्त कर दिया इसका आधार बतावें? (ग) क्या डॉ.वाजपेयी के मा.शि.मंडल द्वारा दिये प्रमाण पत्र में या सर्विस बुक में काट छॉट करके जन्म तिथि 1954 से 1957 कर ली गई यह बात इन्दौर राजस्व आयुक्त के नालेज में भी आई है? (घ) प्रश्न भाग (ख) और (ग) के बारे में शासन द्वारा 31.01.15 तक क्या कार्यवाही की गई?क्या डा. वाजपेयी को सेवानिवृत्त कर दिया अथवा कार्यरत है? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो स्पष्ट कारण बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। विभागीय अधिकारी के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच में आरोप प्रमाणित न पाये जाने पर शासन आदेश दिनाँक 24.06.2008 को विभागीय जाँच प्रकरण समाप्त किया गया। (ख) आयुक्त इन्दौर संभाग द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन इन्दौर से जाँच कराई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शासन पत्र दिनाँक 26.03.2014 से संबंधित को आरोप पत्र जारी किया गया। (ग) माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि 1954 अंकित पाई गई। (घ) उत्तरांश (ख) अनुसार कार्यवाही की गई। उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य मे संबंधित को शासन आदेश दिनाँक 19.02.2014 द्वारा दिनाँक 01.06.2014 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनाँक 31.05.2014 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया गया।

इंदौर स्थित नागरिक सहकारी बैंक के संचालक मंडल की अनियमितताएं

43. (क्र. 3046) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर स्थित नागरिक सहकारी बैंक सुभाष मार्ग, इंदौर में कौन-कौन सी अनियमितताओं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यवाही की है? क्या तत्कालीन संचालक मंडल और उसके अध्यक्ष श्री भगवतीप्रसाद मिश्रा से कभी संयुक्त पंजीयक द्वारा इकहत्तर लाख रूपये मय ब्याज के वसूलने का निर्देश दिया है? हाँ, तो 31-01-15 तक कितनी राशि की वसूली हुई? (ख) क्या वर्तमान संचालक मंडल

अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष के पुत्र हैं? इस कारण राशि वसूल नहीं हो रही है? संयुक्त पंजीयक इंदौर ने कब-कब राशि वसूली हेतु लिखा है? राशि की वसूली नहीं हुई, इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है? अगर राशि मिश्रा द्वारा जमा नहीं की गई, तो क्या संचालक मण्डल जमा करावेगा? (ग) क्या एक सहकारी संस्था में कोई संचालक डिफाल्टर हो तो वह अन्य संस्था के निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं बन सकता? हाँ, तो श्री भगवती प्रसाद मिश्रा सहकारी कार्य संस्था शिक्षा विभाग इंदौर में उम्मीदवार कैसे बन गये? (घ) नागरिक बैंक की अनियमितताओं बाबत् जनवरी 2011 में दिसंबर 2014 तक कितने व्यक्तियों ने आयुक्त सहकारिता, जिलाधीश इंदौर, पुलिस विभाग को शिकायत की? इन शिकायतों पर विभिन्न विभागों ने क्या कार्यवाही की? अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो कारण देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित इन्दौर पर, नॉन एस.एल.आर. बॉडस में किये गये त्रुटिपूर्ण विनियोजन के कारण दिनाँक 28-04-2009 को राशि रूपये 5.00 लाख की शास्ति एवं बैंक के निदेशकों से संबंधित ऋणों के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर दिनाँक 07-08-2013 को राशि रूपये 5.00 लाख का मौद्रिक दण्ड लगाया गया. जी हाँ, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनिमय 1960 की धारा 58-बी के अंतर्गत दिनाँक 06-08-2012 से बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद मिश्रा एवं पूर्व प्रबंधक श्री रवि प्रकाश गर्ग से राशि रूपये 71.40 लाख की आर्थिक क्षति की वसूली हेतु आदेश पारित किया गया. दिनाँक 31-01-2015 की स्थिति पर राशि रूपये 7.18 लाख की वसूली हुई है. (ख) जी हाँ. यह सही नहीं है कि राशि की वसूली पिता-पुत्र संबंधों के कारण नहीं हो पा रही है, बल्कि संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर के आदेश दिनाँक 06-08-2012 के अतिरिक्त दिनाँक 26-09-2012, 28-09-2013 एवं दिनाँक 30-09-2014 को पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही हेतु लिखा गया है. वसूली कार्यवाही पर न्यायालयीन स्थगन प्रभावशील होने एवं अपील प्रकरण मान. सहकारी अधिकरण में विचाराधीन होने से वसूली नहीं हो पा रही है. अपील प्रकरण निराकृत होने पर न्यायालयीन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी. (ग) जी हाँ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 44 (1) (एच/ज) के प्रवधानों के अनुसार 'कोई व्यक्ति लिये गये किसी ऋण अथवा ऋणों के संबंध में 12 मास से अधिक काल तक किसी संस्था के प्रति त्रुटि की है, तो वह अन्य संस्था के निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं बन सकता है.' सहकारी कार्य संस्था शिक्षा विभाग इंदौर के निर्वाचन में श्री भगवती प्रसाद मिश्रा के डिफाल्टर होने के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 44 (1) (एच/ज) के अनुसार प्रमाणित नहीं पाये जाने पर संस्था के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा श्री मिश्रा की उम्मीदवारी मान्य की गई. (घ) बैंक की अनियमितताओं के संबंध में जनवरी 2011 से दिसम्बर 2014 तक कुल 07 व्यक्तियों द्वारा पृथक-पृथक शिकायतें कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश भोपाल को, पुलिस विभाग इन्दौर से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 02 व्यक्तियों द्वारा 06 शिकायते की गई, कार्यालय जिलाधीश इन्दौर से प्राप्त जानकारी अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत नहीं किया जाना पाया गया. कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश को प्राप्त शिकायतें सक्षम अधिकारी संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इन्दौर को समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित की गई, जिस पर संयुक्त आयुक्त, सहकारिता संभाग इन्दौर द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट**

के प्रपत्र-एक अनुसार है. पुलिस विभाग इन्दौर द्वारा की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है.**

<u>सहायक विकास विस्तार अधिकारियों के स्थानांतरण</u>

44. (क्र. 3136) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यपालिका अधिकारियों को एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक की पदस्थापना हेतु एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिका अधिकारी को एक ही जिले में पांच वर्ष से अधिक समय की पदस्थापना हेतु विभागीय अनुमोदन लिये जाने का नियम हैं? (ख) यदि हाँ, तो जिला जबलपुर के अंतर्गत कितने सहायक विकास विस्तार अधिकारी है जो एक ही स्थान पर तीन/पॉच वर्ष से अधिक समय से लगातार पदस्थ हैं एवं विभाग से अनुमोदन लिया गया है? (ग) यदि विभाग का अनुमोदन नहीं है, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण क्यों नहीं किया गया है? कारण बतावें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। (ख) सूची **संलग्न परिशिष्ट** पर है। उत्तर ''क'' अनुसार। (ग) उत्तर ''क'' अनुसार। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "नौ</u>"

<u>नौंगवां पहुंच मार्ग का निर्माण</u>

45. (क्र. 3162) श्री अजय सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वित्त वर्ष 2005-06 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत झिरिया (काल्हुआ) से नौंगवां पहुंच मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य की निर्माण एजेंसी एवं लागत क्या थी? (ग) क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? (घ) यदि नहीं तो निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा? विलम्ब के लिए दोषी कौन है, क्या उन पर कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रश्नाधीन कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत नहीं है। (ख) से (घ) उत्तरांश क के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>राजीव गांधी जल संग्रहण मिशन के तहत् किए गए कार्य</u>

46. (क्र. 3202) श्री संजय शाह मकड़ाई : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में वर्ष 2013-14 से आई.डब्ल्यू.एम.पी में निर्मित स्टापडेम चेक डेम तथा अन्य निर्माण किए गए कार्यों में भंडार क्रय अधिनियम का पालन किया गया है? (ख) भंडार क्रय अधिनियम के तहत वर्ष 2013-14 से क्रय सामग्री की सूची एवं संस्था का नाम पता सहित जानकारी देवें? जिला पंचायत हरदा ने आई.डब्ल्यू.एम.पी हेतु वर्ष 2013-14 से कितनी राशि पीआईए व कमेटियों को आवंटित की वर्षवार सूची प्रदान करें व प्रशासनिक मद हेतु आवंटित राशि की वर्षवार जानकारी प्रदान करें? (ग) प्रशासनिक मद में वर्ष 2013 से 2014 तक व्यय की गई राशि की जानकारी देवें? (घ) प्रशासनिक मद के अंतर्गत प्राप्त राशि किन मदों में व्यय की जा सकती है? शासन के निर्देशों की छायाप्रति प्रदान करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) क्रय सामग्री की सूची एवं संस्था की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। राशि आवंटन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है।

रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत राशि का प्रदाय

47. (क्र. 3206) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शासन को केन्द्र द्वारा चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजना की राशि से बारहमासी सड़कों का निर्माण कार्य किये जाने के लिए विगत 3 वर्षों से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितनी राशि का आवंटन हुआ? वर्षवार जानकारी दें? (ख) उक्त राशि से इंदौर संभाग के किन-किन जिलों में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये गये नामवार स्थानवार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शित निर्माण कार्यों के संबंध में क्या शिकायती पत्र प्राप्त हुए है हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रदेश शासन को केन्द्र द्वारा चलाई महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत बारहमासी सड़कों के निर्माण हेतु पृथक से आंवटन प्राप्त न होकर सभी संदर्भ में अनुमत कार्यों हेतु आंवटन प्राप्त होना है। विगत 3 वर्षों में (2012-13, 2013-14 प्रश्न दिनाँक तक) प्रदेश शासन को मनरेगा अंतर्गत प्राप्त आंवटन क्रमशः राशि रू.2042.55करोड़, 2263.97 करोड़ व 2488.17 करोड़ है। (ख) मनरेगा योजना की राशि से इंदौर संभाग में जिलों में संपादित कराये गये बारहमासी सड़क कार्यों की वांछित जानकारी नरेगा बेवसाइट www.nrega.nic.in/state/ madhyapradesh/year/workstatus/district पर rural connectivity श्रेणी में वर्षवार सामान्यजन के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। (ग) वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "दस"

रबी फसल के लिए खाद वितरण की पूर्ति के संबंध में

48. (क्र. 3207) श्री सचिन यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी 2014-15 में 01 अक्टूबर,2014 से 31 मार्च,2015 तक खरगौन जिले हेतु कितने मैट्रिक टन उर्वरक वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये है? उसके विरूद्ध कितना उर्वरक खरगौन जिले में उपलब्ध कराया गया? उर्वरकवार बतलावें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार खरगौन जिले में कुल कितने मैट्रिक टन उर्वरक कम प्राप्त हुआ इसके क्या कारण है? (ग) खरगौन जिले में रबी 2014-15 में उर्वरक वितरण के दौरान कितनी शिकायते प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई बतलावें? (घ) खरगौन जिले में रबी 2012-13 एवं 2013-14 हेतु कितने मैट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया? उर्वरक की मात्रा वर्षवार देवें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) खरगौन जिले के लिये 01 अक्टूबर, 2014 से 31 मार्च 2015 तक के लिये 93161 मेट्रिक टन उर्वरक वितरण के लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिसके विरूद्ध दिनाँक 28.02.2015 तक 77500 मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया। उर्वरकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) खरगौन जिले में रबी 2014-15 के लक्ष्य की तुलना में दिनाँक 28.02.2015 तक 15661 मैट्रिक टन उर्वरक कम प्राप्त हुआ है। आपूर्ति निरंतर

जारी है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) खरगौन जिले में रबी 2014-15 में उर्वरक वितरण के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (घ) खरगौन जिले में रबी 2012-13 में 87408 मैट्रिक टन एवं रबी 2013-14 में 93299 मेट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया। उर्वरकवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

परिशिष्ट - "ग्यारह"

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कें

49. (क्र. 3265) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 तक कौन-कौन सी सड़कें, कितनी-कितनी दूरी की, कितनी-कितनी लागत की, कब-कब स्वीकृत की गई? (ख) उक्त सड़कों में से कौन-कौन सी सड़कों के कार्य किन-किन ठेकेदारों/ऐजेंसियों द्वारा कब से किए जा रहे हैं? अनुबंध अनुसार उक्त कार्य कब तक पूर्ण किए जाने थे और किनके द्वारा कौन से कार्य अनुबंध अवधि अनुसार अभी तक पूर्ण नहीं किए गए है? समयावधि में कार्य पूर्ण न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़कों से कार्यों का कितना-कितना मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों द्वारा कब - कब किया गया, तथा उसका सत्यापन किन-किन अधिकारियों के द्वारा कब-कब किया गया? (घ) क्या बदरवास ब्लॉक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुटवारा से छापी तक सड़क निर्माण कार्य प्रचलित है? यदि हाँ, तो उक्त कार्य का कितना-कितना मूल्यांकन किन-किन के द्वारा कब-कब किया गया एवं कितना-कितना भुगतान किस-किस को किस उद्देश्य से कब किया गया? कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार।** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार।** (घ) जी हाँ। मार्ग कुटवारा से छापी कार्य में किये गये मूल्यांकन की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार।** कार्य प्रगतिरत है एवं मार्च, 2015 में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

आर.ई.एस. के अंतर्गत प्रचलित कार्य

50. (क्र. 3266) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिसंबर 2014 की स्थिति में आर.ई.एस. संभाग शिवपुरी/उपसंभाग कोलारस के अंतर्गत किन-किन योजनाओं/मदों के ऐसे कौन-कौन से कार्य स्वीकृत थे? जो वर्तमान में अपूर्ण है? कार्य का नाम, लागत राशि, प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक/दिनाँक एवं निर्माण एजेंसी का नाम सहित जानकारी दें? (ख) उक्त कार्यों का निर्माण कार्य कब से प्रचलित है तथा कितना भुगतान किस-किस कार्य में किसे किया जा चुका है तथा कितना राशि का शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण किए जायेंगे? निश्चित समयावधि बताएं? (ग) प्रश्नाधीन वर्णित ऐसे कौन-कौन से स्वीकृत कार्य है जो प्रश्न दिनाँक तक प्रारंभ नहीं किए गए हैं? क्यों प्रारंभ नहीं किए गए? इसका विवरण सहित जानकारी दें कि इसके लिए कौन दोषी है? क्या शासन कार्य प्रारंभ न करने के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? (घ) क्या निर्माण एजेंसी द्वारा समयावधि

में कार्य पूर्ण न किए जाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। कार्य प्रारंभ न होने का विवरण परिशिष्ट में दिया है। कार्य अप्रारंभ के लिये कोई दोषी न होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। (घ) समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों को अनुबंध की धाराओं के तहत नोटिस जारी किये गये एवं कार्य के अंतिम भुगतान के पूर्व अर्थदण्ड का निर्धारण भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है। कार्य समय सीमा में पूर्ण न होने में किसी अधिकारी का दोष न होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

विधान सभा क्षेत्र सांरगपूर अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़क की स्वीकृति

51. (क्र. 3294) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे ओर कितने ग्राम है जिनकी जनसंख्या 500 से 799 के बीच है और उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदाय नहीं की गयी? सड़क का नाम, लागत व लम्बाई की जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार छूटे हुए ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित कर कब तक कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उक्त ग्रामों की वर्षा पूर्व प्रधानमंत्री सड़क योजना से निर्माण स्वीकृति प्रदाय नहीं की जाती है तो उक्त ग्रामों में कीचड़ से बचाने एवं चलने योग्य बनाने हेतु विभाग द्वारा क्या मरम्मत कार्य करवाया जावेगा? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि नहीं तो फिर किस मद से किस विभाग द्वारा उक्त मार्गों को आवागमन योग्य बनाया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) राजगढ जिले की सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के ऐसे 12 ग्राम है जिनकी जनसंख्या वर्ष 2001 की जनसंख्या अनुसार 500 से 799 के बीच है। उक्त ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत सम्मिलित कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है वर्तमान में स्वीकृति अपेक्षित है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) उत्तरांश (क) के प्रकाश में वर्तमान में स्वीकृति अपेक्षित है अतः कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी नहीं। (घ) वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने हेतु पात्र विचाराधीन कार्यों को अन्य किसी योजनान्तर्गत कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट - "बारह"

निर्मल भारत अभियान अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

52. (क्र. 3307) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आष्टा विधान सभा क्षेत्र में निर्मल भारत अभियान अंतर्गत जिन शौचालयों का निर्माण किया गया है उनकी पूरी राशि जारी कर दी गई है? (ख) क्या कुछ ग्रामों में शौचालय बने भी नहीं और पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है? (ग) क्या इस संबंध में आष्टा क्षेत्र की शिकायतें प्राप्त हुई है यदि हाँ, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई, तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है? नाम बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) जी हाँ। (ग) ग्राम पंचायत चिन्नौटा, बापचाबरामद, कल्याणपुरा एवं जसमत में राशि वसूली की कार्यवाही के दौरान स्थिति प्रकाश में आई है कि उक्त पंचायतों में राशि आहरण के उपरांत भी शौचालय निर्माण नहीं किये गये है। इसके लिये ग्राम पंचायत चिन्नौटा की सरपंच श्रीमती प्रेमलता बाई पति जगदीश एवं पंचायत सचिव श्री अजबसिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत बापचा बरामद की सरपंच श्रीमति मानूबाईपति अजबसिंह एवं तत्कालीन पंचायत सचिव श्री अनोखीलाल मालवीय (हाल पंचायत सचिव ग्राम जसमत), ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के सरपंच स्व. राधेश्याम वर्मा एवं तत्कालीन पंचायत सचिव श्री दर्शनसिंह वर्मा (हाल पंचायत सचिव ग्राम पंचयत टिटोरिया) तथा जसमत की सरपंच श्रीमती आशाबाई पति दिलीपसिंह एवं पंचायत सचिव श्री अनोखीलाल मालवीय जिम्मेदार है। सभी को सूचना पत्र जारी किया गया। आगामी कार्यवाही प्रचलित है।

निजी वाहन संचालन हेतु विभाग के नियम

53. (क्र. 3326) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य परिवहन के निजी वाहन चलाने हेतु परमिट के क्या नियम हैं? प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या नरसिंहपुर जिले में बिना परमिट अवैध बसों का संचालन हो रहा है, यदि नहीं, तो किस रूट पर कौन सी बस को परमिट दिया गया है? (ग) जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के किस रूट (सड़क) पर किस बस का संचालन हो रहा है? रूटवार जानकारी दें? (घ) क्या नये बस रूट बनाने के फलस्वरूप बिना परमिट के निजी बसों का संचालन हो रहा है? उनको कब तक विभाग द्वारा परमिट प्रदान किया जायेगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन पूर्णतः बंद किया जा चुका है, किसी भी परिवहन यान को परमिट की आवश्यकता संबंधी प्रावधान मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 66 (1) एवं (2) में उल्लेखित है, किन्तु उपधारा (1) के उपबंध धारा 66 (3) में उल्लेखित स्थितियों में लागू नहीं होंगे। निजी वाहन चलाने हेतु परमिट की आवश्यकता नहीं होती। धारा 66 की प्रति **पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) जी नहीं, नरसिंहपुर जिले के मार्गो पर संचालित बसों का विवरण **पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक गाडरवाडा विधान सभा क्षेत्र के जिन मार्गो पर समय समय पर अस्थाई परमिट दिये गये है, उनकी बस व मार्ग सहित **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि उपज मंडी में अनियमितता

54. (क्र. 3389) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 10 दिसंबर 2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र.684) के भाग (क) के उत्तर में कृषि उपज मंडी समिति कटनी के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 10 अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट अ में दिया गया है, तो लाखों रू. की आर्थिक हानि पहुंचाने वाले इन अधिकारियों/कर्मचारियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्या नोटिस जारी करना ही कार्यवाही है, बतायें? (ख) क्या इन पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी? इनमें कितने फील्ड में पदस्थ है, नाम, पद बतायें? इन्हें फील्ड में क्यों पदस्थ किया गया है? (ग) संदर्भित प्रश्नांश के (ख) में जाँच में पूर्ण

सावधानी नहीं बरतने के लिये जाँचकर्ता अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है बताया है, तो दूषित जाँचकर्ता अधिकारी का नाम, पद क्या है? अब तक क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) प्रश्नागत प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 10 अधिकारी एवं कर्मचारियों में से राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के 01 तत्कालीन मण्डी सचिव कटनी को निलंबित किया गया है तथा अन्य 07 तत्कालीन कटनी मण्डी के सचिवों के विरूद्व विभागीय जाँच करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज मण्डी समिति कटनी सेवा के 02 कर्मचारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जी नहीं। प्रश्नाधीन **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। प्रश्नागत अधिकारी/कर्मचारी की पदस्थी मैदानी कार्य हेतु निर्धारित संवर्ग में होने से उन्हें फील्ड में रखा गया है। (ग) श्री अरूण बागडी, उपसंचालक/जाँचकर्ता अधिकारी म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति कटनी एवं पवई की प्रश्नाधीन मामले की जाँच में अपेक्षित सावधानी नहीं बरतने के लिये उनके विरूद्व विभागीय जाँच करने का निर्णय लिया गया है।

<u>परिशिष्ट - ''तेरह''</u>

<u>फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जाँच</u>

55. (क्र. 3390) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उपसंचालक किसान कल्याण कृषि विकास जिला कटनी जानराव हेडऊ के जाति प्रमाण पत्र को म.प्र. अनुसूचित जनजाति आयोग ने जाँच में फर्जी पाकर प्रमुख सचिव किसान कल्याण कृषि विकास को पत्र क्र.3601 दिनाँक 24.02.2014 एवं पत्र क्र. 11498 दि. 8.6.14 तथा अ.शा. पत्र क्र. 13773 दि. 2.12.14 को कार्यवाही करने हेतु लिखा है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है? (ख) क्या उपसंचालक के जाति प्रमाण पत्र की जाँच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोपाल के यहाँ प्रचलित है? यदि हाँ, तो शासन/विभाग ने एफ.आई.आर.दर्ज कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई? (ग) जब प्रथम दृष्टया एवं सक्षम एजेंसी ने जाति प्रमाण पत्र को फर्जी पाया है, अनुसूचित जनजाति का होने का फायदा लेकर पदोन्नति पाई है, तब जानराव हेडाऊ को उपसंचालक कृषि के फील्ड के पद से क्यों नहीं हटाया गया है? (घ) क्या शासन कार्यवाही में विलंब करके उक्त उपसंचालक को पूरी सेवा करने का अवसर दे रहा है? यदि नहीं तो कार्यवाही में विलंब का समुचित कारण बताये?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। जाँच हेतु छानबीन समिति को भेजा गया है। (ख) जी नहीं। (ग) जी नहीं। फर्जी जाँच प्रमाण-पत्र प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। (घ) जाँच प्रमाण पत्र जाँच हेतु छानबीन समिति को भेजा गया है। जाँच के निष्कार्ष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

<u>डोलनी पहुंच मार्ग का निर्माण</u>

56. (क्र. 3431) श्री ठाकुरदास नागवंशी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद के ग्राम डोलनी हेतु पहुंच मार्ग निर्माण कार्य वर्ष 11-12 से 14-15 के बीच स्वीकृत किया था? (ख) यदि हाँ, तो इस कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस. होशंगाबाद द्वारा किस ठेकेदार निर्माण एजेंसी को ठेका किन-किन शर्तों के अधीन ठेका दिया गया, तथा अनुबंध अनुसार कार्य किस दिनाँक को प्रारंभ किया जाना था एवं किस दिनाँक तक पूर्ण किया

जाना था? (ग) अनुबंध अनुसार कार्य न करने पर एवं कार्य आदेश उपरांत भी कार्य प्रारंभ न करने पर ठेकेदार के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या ठेकेदार को काली सूची में डाल कर उसको रिस्क एवं कास्ट पर पुन: प्रक्रिया अपना कर नई कार्य एजेंसी विभाग निर्धारित करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) श्री जगन्नाथ सिंह यादव, पुराना माता मंदिर रोड, गणेश कालोनी,अशोकनगर (म.प्र.) को शासन द्वारा निर्धारित निविदा शर्तों के अधीन दिनाँक 10.02.2014 को अनुबंध किया गया जिसके अनुसार कार्य दिनाँक 09.08.2014 तक पूर्ण किया जाना था। (ग) वन विभाग से मार्ग निर्माण करने की अनुमति न मिलने से दिनाँक 06.02.2015 को कार्य निरस्त किया तदनुसार दिनाँक 20.02.2015 को ठेकेदार से अनुबंध निरस्त किया गया। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

होशंगाबाद जिले की जिला सह.समितियाँ

57. (क्र. 3478) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित होशंगाबाद से संबद्ध प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में समर्थन मूल्य पर धान एवं गेंहू की खरीदी की गई है? (ख) यदि हाँ, तो किन-किन सहकारी समितियों द्वारा कितनी-कितनी मात्रा एवं राशि की धान एवं गेंहू की खरीदी वर्षवार की गई है? जानकारी समितिवार एवं वर्षवार मात्रा व राशि सहित दी जावे? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के संदर्भ में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान एवं गेंहू का जो परीक्षण किया गया तथा जो कमी बतायी गई है उसका विवरण निम्न कालमों में उपलब्ध करावें - क्रमांक/खरीदी केन्द्र का नाम/वर्ष 2012-13 में धान एवं गेंहू परिदान एवं कमी का विवरण/वर्ष 2013-14 में धान एवं गेंहू परिदान एवं कमी का विवरण?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

मनरेगा अन्तर्गत कराये गये कार्य

58. (क्र. 3482) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के अंतर्गत सड़क,तालाब निर्माण कार्य कराने का क्या प्रावधान है? क्या सड़क एवं तालाबों में राजस्थानी ट्रेक्टर एवं मशीनों से कार्य कराये जाने का प्रावधान है? (ख) टीकमगढ़ जिले के अन्तर्गत जनपद पंचायत पलेरा में ग्राम पंचायत उपरारा, कलरा, टोरिया, वीरपुरा में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में कितने तालाबों एवं सड़कों का निर्माण कराया गया? कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय की जानकारी उपलब्ध करावे? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार ग्राम पंचायतों में तालाबों एवं सड़कों के निर्माण में व्यय की गई राशि का सत्यापन सामाजिक अंकेक्षण भोपाल स्तर से कराया जाकर एवं दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध समय-सीमा में जाँच कराकर इस जानकारी से प्रश्नकर्ता को भी अवगत कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मनरेगा अंतर्गत सड़क, तालाब निर्माण तकनीकी मापदण्डों के अनुसार ई-मस्टर पद्धति से कराये जाने का प्रावधान है। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये मिक्सर, रोड रोलर व टेक्टर मशीन इत्यादि से कार्य कराये जाने का प्रावधान है परंतु मानव श्रम के स्थान पर मशीनों का उपयोग जैसे जेसीबी इत्यादि का प्रयोग प्रतिबंधित है। (ख) टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत पलेरा में ग्राम पंचायत उपरारा, कलरा टोरिया, वीरपुरा में वर्ष 2013-

14 एवं 2014-15 में 35 तालाबों एवं 30 सड़कों का निर्माण कराया गया है। कार्यवार स्वीकृत एवं व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) मनरेगा अधिनियम की धारा 17 की कण्डिका 3 में प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतों में कराये जाने वाले सभी निर्माण कार्यों में व्यय की गई राशि का सत्यापन सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कराया जाकर दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अतएव पृथक से सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौदह"

उचित मूल्य की दुकानों में राशन

59. (क्र. 3510) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अनूपपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों में राशन कार्ड की संख्या के विरूद्ध चावल, गेहूं, मिट्टी तेल का भंडारण किया जाता है? (ख) यदि हाँ, तो किस-किस उचित मूल्य की दुकानों के क्षेत्र में कितने राशनकार्ड हैं एवं उन दुकानों में विगत एक वर्ष में प्रति माह कितना-कितना चावल, गेहूं, मिट्टी के तेल का भंडारण किया गया? माहवार जानकारी दें? (ग) राशन कार्ड की संख्या के आधार पर भण्डारण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। पात्र परिवारों को जारी पात्रता पर्ची के मान से गेहूं, चावल एवं मिट्टी तेल का आवंटन जारी किया जाकर उचित मूल्य की दुकानों पर भंडारण किया जाता है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति

60. (क्र. 3511) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले की जनपद पंचायतों में जनवरी 2012 से प्रश्न दिनाँक तक ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति ग्राम पंचायत के माध्यम से की गई है? वर्षवार जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतवार एवं मदवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रत्येक ऐसे कार्यों का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति कब-कब कितनी-कितनी लागत से किस अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा की गई है? उनके नाम पद सहित बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रत्येक कार्य जो ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये हैं ऐसे प्रत्येक कार्यों का मूल्यांकन किस उपयंत्री द्वारा कब-कब किया गया और सरपंच एवं सचिवों ने कितनी-कितनी राशि प्रत्येक कार्यों पर व्यय की? (घ) प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जिन कार्यों की गुणवत्ता ठीक न होने, मजदूरों से कार्य न कराकर जेबीसी मशीनों से कार्य कराने एवं अन्य शिकायतें उच्च कार्यालयों में प्राप्त हुई है? प्रश्न दिनाँक तक विभाग ने ऐसी शिकायतों के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की है? शिकायतकर्ता कौन थे? ऐसी शिकायतों पर कार्यवाही कर दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही एवं अपूर्ण कार्य कराने सहित जानकारी उपलब्ध करायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वाटरशेड परियोजनाओं की स्थिति

61. (क्र. 3523) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.शासन द्वारा वाटर शेड की कितनी परियोजनायें जिला सीधी में वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक स्वीकृत हुई हैं एवं कौन-कौन से कार्य प्रारंभ हुए एवं कौन-कौन से कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं? कब तक प्रारम्भ किये जायेंगे? (ख) विधान सभा सिहावल में वाटर शेड की नई परियोजनायें नहीं लागू की गई हैं और यदि हाँ, तो कब तक प्रारम्भ की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 03 परियोजनायें स्वीकृत हुई है, जिनमें डीपीआर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, तत्पश्चात स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन किया जावेगा। (ख) परियोजना स्वीकृति हेतु सर्वे की कार्यवाही प्रचलन में है।

राज्य कृषि नीति

62. (क्र. 3526) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य की अलग से कृषि नीति है? यदि हाँ, तो कब से लागू है? (ख) यदि नहीं तो कब तक बनाई जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्तमान में राज्य की अलग से कृषि नीति नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ख) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य निराश्रित निधि से निशुल्क उपकरण वितरण

63. (क्र. 3527) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्पर्श अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 31 मार्च 2015 तक जिला सीधी एवं सिंगरौली के कितने निशक्त व्यक्तियों को किन-किन दिनांकों में जिला निराश्रित/राज्य निराश्रित निधि से निशुल्क उपकरण वितरण की कार्यवाही की गई? (ख) वर्ष 2011-12 से मार्च 2015 तक सीधी एवं सिंगरौली जिले में फर्मो के द्वारा कुल कितनी राशि के उपकरण निशक्तों को वितरित किये गये?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वर्ष 2011-12 से 31 मार्च 2015 तक सीधी जिले में फर्मों द्वारा कुल राशि रू 14,15,600/- तथा सिंगरौली जिले में फर्मों द्वारा कुल राशि रू 2,58,000/- के उपकरण वितरित किये गये है।

परिशिष्ट - "पंद्रह"

मध्यान भोजन वितरण

64. (क्र. 3535) श्री कुंवर सिंह टेकाम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सीधी एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकास खण्ड कुसमी, मझौली एवं देवसर में कितने मध्यान्ह भोजन वितरण के लिये साझा चूल्हा/स्व-सहायता समूह कार्यरत हैं? संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कार्यरत स्व-सहायता समूहों को मध्यान्ह भोजन के लिये कितनी मात्रा में खाद्यान वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में आवंटित किया गया है? समूहवार आवंटन की मात्रा कितना-कितना जारी किया गया है? समूहवार एवं माहवार जानकारी देवें? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में आवंटित खाद्यान समस्त समूहों को उपलब्ध करा दिया गया है? (घ) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में मध्यान्ह भोजन हेतु आवंटित खाद्यान को यदि उपलब्ध नहीं कराया गया है तो कारण सहित जानकारी देवें? खाद्यान कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सीधी जिले के अंतर्गत मध्यान्ह भोजन वितरण के लिये विकास खण्ड कुसमी में 145, मझौली में 242 एवं सिंगरौली जिले के अंतर्गत विकासखण्ड देवसर में 913 साझा चूल्हा/स्व सहायता समूह कार्यरत् हैं। (ख) जिलों से खाद्यान्न का आवंटन समूहवार जारी नहीं किया जाता है, बल्कि शालावार जारी किया जाता है। सीधी जिले के विकासखण्ड कुसमी अंतर्गत वर्ष 2013-14 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को कुल खाद्यान्न 3362.41 क्विंटल एवं वर्ष 2014-15 में 2913.30 क्विंटल खाद्यान्न जारी किया गया। इसी प्रकार विकासखण्ड मझौली अंतर्गत वर्ष 2013-14 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को कुल खाद्यान्न 5464.37 क्विंटल एवं वर्ष 2014-15 में 5179.89 क्विंटल खाद्यान्न जारी किया गया था। सिंगरौली जिले के जनपद पंचायत देवसर क्षेत्रान्तर्गत भी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 15300.11 क्विंटल एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1431.32 क्विंटल खाद्यान्न आवंटित किया गया है। उक्त तीनों विकासखण्ड की पृथक-पृथक शालावार एवं माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ", "ब" एवं "स" अनुसार** है। (ग) जिला सीधी के विकास खण्ड मझौली एवं जिला सिंगरौली के विकासखण्ड देवसर में समस्त शालाओं को आवंटित खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। जिला सीधी के विकासखण्ड कुसमी अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 5533.84 क्विंटल खाद्यान्न स्कूलों को उपलब्ध कराया गया है तथा 741.87 क्विंटल खाद्यान्न वितरण हेतु शेष है। (घ) सिंगरौली जिले में समस्त शालाओं को आवंटित खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया गया है। सीधी जिले के विकास खण्ड कुसमी अंतर्गत संबंधित लीड प्रभारी की लापरवाही के कारण कुल आवंटित खाद्यान्न में से 741.87 क्विंटल खाद्यान्न कम वितरित किया गया है। जिसके नियमानुसार वितरण करने की कार्यवाही प्रचलन में है। जिसे शीघ्र वितरित करा दिया जावेगा।

जिंक सल्फेट व बेन्टोनाईट का किसानों को प्रदाय

65. (क्र. 3553) श्री प्रहलाद भारती : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एक हेक्टेयर चना फसल में जिंक सल्फेट 21 प्रतिशत एवं बेन्टोनाईट सल्फर 90 प्रतिशत की मात्रा वैज्ञानिक अनुशंसा अनुसार कितनी देना चाहिये? (ख) क्या शिवपुरी जिलें में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत रबी 2014-15 में चना प्रदर्शन में 25 किलो जिंक सल्फेट 21 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत बेन्टोनाईट सल्फर 90 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर के मान से कृषकों को प्रदाय की गयी? (ग) क्या विभाग द्वारा किसानों को प्रति हेक्टेयर चना प्रदर्शन में जिंक सल्फेट एवं बेन्टोनाईट सल्फर का उपयोग वैज्ञानिक अनुशंसा से अधिक मात्रा में करने से एक और जहाँ फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हैं? वहीं प्रदर्शन हेतु दी गई अनुदान राशि का दुरूपयोग किया गया है? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि हाँ, तो अनुशंसित मात्रा से अधिक जिंक सल्फेट एवं बेन्टोनाईट सल्फर का प्रदर्शन हेतु आदेश देने वाले अधिकारी के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा एवं अनुदान की राशि संबंधित अधिकारी से वसूली की कार्यवाही करेगा व कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मिशन संचालक रा.खा.सु.मि. एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों की अनुशंसा अनुसार चना फसल में 25 किलो ग्राम जिंक सल्फेट 21 प्रतिशत तथा 40 किलो ग्राम वेन्टोनाईट सल्फर 90 प्रतिशत एक हेक्टेयर में प्रयोग करने की अनुशंसा की गयी है। (ख) जी हाँ। (ग) जी नहीं। (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिला विकलांग पुर्नवास केंद्र शिवपुरी की स्वीकृति

66. (क्र. 3558) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शिवपुरी जिले में जिला विकलांग पुर्नवास केंद्र, (डी.डी.आर.सी.) स्वीकृत है, यदि हाँ, तो उक्त केंद्र कब से संचालित हैं व संचालन हेतु राशि कहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है, पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें? (ख) जिला विकलांग पुर्नवास केंद्र, (डी.डी.आर.सी.) शिवपुरी में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं व स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद भरे हैं व उन पर कौन-कौन कर्मचारी कब से पदस्थ होकर कार्यरत है? (ग) क्या सामाजिक न्याय विभाग, म.प्र. शासन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-3-61/2009/26-2, भोपाल दिनाँक 21.05.2010 द्वारा जिला विकलांग पुर्नवास केंद्र, (डी.डी.आर.सी.) में कार्यरत कर्मचारियों को जिला निराश्रित निधि से मानदेय वृद्धि एवं वेतन भुगतान के आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उक्त आदेश के पालन में संबंधित कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि व वेतन भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? (घ) क्या सामाजिक न्याय विभाग, म.प्र. शासन के आदेश क्रं./एफ-3-7/12/26-2 भोपाल दिनाँक 01 अप्रैल 2014 द्वारा जिला निराश्रित निधि से पुन: मानदेय में वृद्धि कर भुगतान के आदेश दिये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या संबंधित कर्मचारियों को मानदेय वृद्धि का लाभ दिया जाकर नवीन मानदेय अनुसार भुगतान किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें व इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी व नवीन मानदेय अनुसार मानदेय का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र शिवपुरी दिनाँक 2.11.2006 से संचालित है। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा केन्द्र संचालन हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। जी हाँ। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जी हाँ। जी नहीं। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - ''सोलह''

कृषकों को अनुदान

67. (क्र. 3663) श्री अशोक रोहाणी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में किसानों के कल्याण एवं कृषि विकास संबंधी प्रदेश एवं केन्द्र प्रवर्तित किन योजनाओं में कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई? वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) में हितग्राही मूलक संचालित किन-किन योजनाओं में अनुदान की कितनी-कितनी राशि देने का क्या प्रावधान है एवं किन-किन योजनाओं में अनुदान की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (ग) प्रश्नांकित किन-किन योजनांतर्गत कितने-कितने प्रकरण पंजीकृत किये गये एवं स्वीकृत कितने प्रकरणों में कृषकों को सिंचाई के साधन का प्रदाय किया गया है? कितने प्रकरणों में किन-किन संस्थाओं/ऐजेन्सी के द्वारा निर्धारित समयावधि में सिंचाई के साधनों का प्रदाय नहीं किया गया? (घ) प्रश्नांश (क) में किन-किन योजनांतर्गत स्वीकृत कितने प्रकरणों में अनुदान एवं टापअप अनुदान की कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया कितने प्रकरण लंबित है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र –एक अनुसार** है। (ख) हितग्राही मूलक संचालित विभिन्न योजनाओं में दिया जाने वाला अनुदान प्रावधान की योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। योजनाओं में अनुदान राशि के भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन**

अनुसार है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश- ख अनुसार है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत किये गये प्रकरणों से 159 देयक लंबित हैं। भुगतान की कार्यवाही जारी है।

लोक सेवा गांरटी के प्रकरण

68. (क्र. 3681) कुंवर सौरभ सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत, कटनी जिले के विभिन्न विभागों के जनवरी 2013 से, कितने आवेदनों का निराकरण समय सीमा पश्चात किया गया, सेवा विभागवार, पदनिहित अधिकारीवार बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार कितने प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय अपील स्तर पर समय सीमा में निराकृत किये गये, एवं कितनी अपील समय सीमा पश्चात निराकृत की गई, प्रथम अपील में पारित आदेशों के पालन प्रतिवेदन की जानकारी देवे? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के अनुसार आवेदनों के समय सीमा में निराकरण ना होने, अपील में पारित आदेशों का पालन ना करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सहकारी संस्थाओं/लीड संस्थाओं द्वारा अनियमितता

69. (क्र. 3682) कुंवर सौरभ सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं एवं लीड संस्थाओं ने मिट्टी तेल के थोक डीलर्स को फुटकर विक्रेता की दर से केरोसिन का परिवहन व्यय भुगतान किया है? यदि हाँ, तो यह अनियमितता कब से है और इसके लिये सहकारी संस्थाओं एवं खाद्य विभाग के कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं? (ख) कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन सी राशन दुकानें संचालित हैं? इन राशन दुकानों के विक्रेता कौन-कौन, कब-कब रहे? इन दुकानों की सहकारी समितियों के प्रबंधक कौन-कौन, कब-कब रहे? जनवरी 2012 से बतायें? (ग) क्या कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से लीड संस्थाओं को केरोसिन का कमीशन भुगतान किया गया और उसका भार आम उपभोक्ताओं पर डाला गया? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है? (घ) कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन-कौन लीड संस्थाएं कार्यरत रही है? उनमें कौन-कौन प्रबंधक एवं लीड सहायक विक्रेता कब-कब रहे? 2012 से बतायें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा योजना अन्तर्गत आवंटन

70. (क्र. 3704) श्री जितू पटवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2012-13, 2013-14, एवं 2014-15 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कितनी राशि आवंटित किये जाने के प्रस्ताव भेजे गये थे? एवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कितनी राशि आवंटित की गई है? वर्षवार जानकारी देवें? (ख) क्या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग पूर्णत: इसी योजना में किया गया है? यदि हाँ, तो इन्दौर संभाग अन्तर्गत कितनी राशि कौनसी योजना अथवा कार्य में एवं कहाँ-कहाँ व्यय की गई है? जिलेवार जानकारी देवें नहीं तो राशि का उपयोग कहाँ किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) क्या वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्र सरकार द्वारा राशि का आवंटन कम प्रदान किया गया है? यदि हाँ, तो राशि कम प्राप्त होने

का क्या कारण है? (घ) राशि के अभाव में इंदौर संभाग में कितनी योजना अथवा कार्य अधूरे पड़े हुये हैं? तथा अधूरे कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है? जिलेवार जानकारी देवें? (ड.) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन्दौर संभाग अन्तर्गत मजदूरों की कितनी राशि एवं कितने दिनों की भुगतान की जाना शेष है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में स्वीकृत श्रम बजट राशि रू. 4570.72, 4697.42 एवं 4031.39 करोड़ था, जिसे प्राप्त किये जाने हेतु भारत शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे गये। जिसके परिपालन में केन्द्र सरकार द्वारा राशि रू. 1610.15, 1839.82 एवं 2451.63 करोड़ आवंटित की गई है। (ख) जी हाँ। जानकारी भारत सरकार की वेबसाईट nrega.nic.in पर उपलब्ध् है। (ग) वर्ष 2014-15 में रू. 2451.63 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। (घ) जानकारी भारत सरकार की वेबसाईट nrega.nic.in पर उपलब्ध है। (ड.) जानकारी भारत सरकार की वेबसाईट nrega.nic.in पर उपलब्ध है।

ई-टेण्डर द्वारा टेण्डर कार्य शुरू करने के पश्चात टेण्डर प्रपत्र की राशि

71. (क्र. 3715) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई-टेण्डर का कार्य करने वाली कंपनियों को जिन शर्तों पर यह कार्य दिया गया था, उन शर्तों में टेण्डर प्रपत्र की राशि विभाग को वापस भेजने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है? (ख) टेण्डर प्रपत्र की राशि विभाग को किस मोड से अर्थात ड्राफ्ट द्वारा, चैक द्वारा, नेफ्ट या RTGS द्वारा प्राप्त हुई है? 2011-12 से प्रत्येक टेण्डर अनुसार अलग-अलग जानकारी दें, तथा राशि जिस मोड से भेजी गयी है उसकी भी विस्तृत जानकारी दें? (ग) क्या CAG द्वारा पत्र लिखकर टेण्डर प्रपत्र के संबंध में विभाग से जानकारी ली गयी है? यदि हाँ, तो कब ली गयी है? क्या विभाग द्वारा CAG की जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं करायी गयी है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) विभाग द्वारा जिनका बैंक एकाउन्ट mpeproc portal के साथ MAP किया हुआ है उनके टेण्डर प्रपत्र की राशि टेण्डर खुलने के दो कार्यदिवस पश्चात, बैंक उकाउंट में Automatic ट्रांसफर कर दी जाती है। जिन विभागों के ट्रेजरी मद हैं, उन विभागों के टेण्डर प्रपत्र की राशि हर 15 दिन में Cyber Treasury के द्वारा ट्रॉसफर कर दी जाती है। जो विभाग Cyber Treasury से नहीं जूड़ें हैं, उनकी राशि चालान द्वारा जमा की जाती है। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

कृषि बीमा योजना के लंबित दावे

72. (क्र. 3725) श्री मुकेश नायक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में कृषि बीमा योजना लागू करने के आधार क्या है और क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मापदंड क्या है? (ख) वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 और 2014-15 में जनवरी 2015 तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत कितने किसानों को कुल कितनी क्षतिपूर्ति दावा राशि का वितरण किया गया? (ग) कृषि बीमा की राशि प्राप्त करने हेतु कितने दावे लंबित है, और उसके क्या-क्या कारण है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जाती है। क्षतिपूर्ति के निर्धारण के मानदंड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ख) राष्ट्रीय

कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2012, रबी 2012-2013, खरीफ वर्ष 2013 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो, तीन, चार अनुसार** है। रबी 2013-14 एवं खरीफ 2014 का क्षतिपूर्ति का गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। रबी वर्ष 2014-15 फसलों का बीमांकन कार्य जारी है। (ग) रबी 2013-14 एवं खरीफ 2014 का क्षतिपूर्ति का गणना कार्य प्रक्रियाधीन है। दावों का आंकलन/अनुमोदन के उपरांत ही राज्य/केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त होने पर दावों का भुगतान का कार्य किया जावेगा।

विधानसभा प्रश्न 265 की दी गई जानकारी

73. (क्र. 3726) श्री मुकेश नायक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 08.12.2014 को परि.अतां. प्रश्न क्रं. 265 का दिया गया उत्तर, क्या, परीक्षण उपरांत दिया गया था? यदि हाँ, तो किस-किस प्राधिकारी ने परीक्षण किया था? उसका पद तथा नाम बताएं? (ख) क्या वाहनों के जो रजिस्ट्रेशन नम्बर दिये गये हैं, उसमें अधिकांश टैक्सी परमिट के नहीं है? श्री रमेश चौरसिया को लगभग 80000 रूपये का भुगतान किया गया है जबकि श्री चौरसिया ने कोई बिल ही प्रस्तुत नहीं किया था? (1) श्री राधा कृष्णन शुक्ला को ईंट पत्थर निवासी शाहनगर को लगभग 7.00 लाख का भुगतान किया गया है जबकि इसमें बिल पर टिन नम्बर सेलटैक्स नम्बर नहीं है एवं न ही उक्त नाम का कोई व्यक्त है, न ही इस नाम की शाहनगर में कोई फर्म है? (2) पार्थ कंस्ट्रक्शन, जय बजरंग ट्रेडर्स के बिल पर दिनाँक दर्ज नहीं है? (3) मोहन प्रजापति को एक लाख का भुगतान किया गया है परन्तु बिल, टिन नम्बर सेल टैक्स नम्बर नहीं है? (4) वीरेन्द्र ट्रेडर्स द्वारा प्रस्तुत बिल क्रमांक 2848 दिनाँक 25.08.14 तथा 2255 दिनाँक 25.05.2014 आगे पीछे दिये जाने का क्या कारण है? क्या उपरोक्त के संबंध में अनियमितता की जाँच कराई जावेगी? (ग) क्या उक्त अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 387 दिनाँक 14.1.2015 श्रम अधिकारी जिला पन्ना/कटनी, पत्र क्रमांक 365 दिनाँक 19/12/2014 पत्र क्रमांक 406 दिनाँक 24.1.2015 कलेक्टर पन्ना पत्र क्रमांक 389 दिनाँक 14.01.2015 कलेक्टर पन्ना को प्राप्त हुए थे? यदि हाँ, तो उन पर दोषी के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? तिथि के क्रम में बताएं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

यूरिया का आवंटन

74. (क्र. 3759) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में कितने टन यूरिया का आवंटन प्राप्त हुआ? इसमें से कितना यूरिया सहकारी संस्थाओं को प्राप्त हुआ, कितना यूरिया निजी व्यापारियों को प्राप्त हुआ, वर्षवार बतावें? (ख) बैतूल जिले में वर्ष 2014-15 में यूरिया के किस कंपनी के कितने नमूने प्रयोगशाला जाँच में अमानक पाये गये, कंपनीवार बतावें? अमानक यूरिया की कितनी बोरी किसानों से वापस ली गई एवं अमानक यूरिया के बदले में किसानों को कितना भुगतान करवाया गया? (ग) बैतूल जिले में प्राप्त यूरिया में सहकारी समितियों एवं निजी व्यापारियों को यूरिया किस आधार पर किसके आदेश से विक्रय हेतु आवंटित किया जाता है? इस आवंटन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दिए जाने की बजाय निजी व्यापारियों को प्राथमिकता दिए जाने का क्या कारण है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) बैतूल जिले में गत तीन वर्षों में 131268 मेट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ है। सहकारी संस्थाओं एवं निजी विक्रेताओं को प्राप्त यूरिया की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) बैतूल जिले में वर्ष 2014-15 में इफको कंपनी के यूरिया का एक नमूना प्रयोगशाला में परीक्षण में अमानक पाया गया है। विश्लेषण परिणाम प्राप्त होने के पूर्व ही, अमानक पाये गये नमूने से संबंधित स्कंध की 60 बोरी किसानों को विक्रय की जा चुकी थी। किसानों द्वारा फसल में उपयोग कर लिये जाने के कारण बोरी किसानों से वापिस नहीं ली गई है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अनुसार अमानक उर्वरक का उपयोग करने के उपरांत किसानों को राशि वापिस भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/बी-9/14/14-1 दिनाँक 14.12.2014 अनुसार प्रदेश में प्राप्त यूरिया में से सहकारी समितियों को 70 प्रतिशत एवं निजी विक्रेताओं को 30 प्रतिशत यूरिया उपलब्ध कराया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "सत्रह"</u>

<u>जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन</u>

75. (क्र. 3777) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गत तीन वर्षों में जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन बैतूल के योजना प्रभारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ ने किस दिनाँक को किस कार्य का निरीक्षण किया, किस कार्य का मूल्यांकन किया, किस शिकायत की जाँच की गई, निरीक्षण, मूल्यांकन एवं जाँच के प्रतिवेदन की प्रति सहित बतावें? (ख) उपरोक्त अवधि में तकनीकी विशेषज्ञ के द्वारा किस दिनाँक को किस वाहन से भ्रमण किया? उस वाहन की डीजल एवं किराये की कितनी राशि किस दिनाँक को किस मद की राशि से किसके द्वारा भुगतान की गई? (ग) उपरोक्त अवधि में एक्सपोजर एवं प्रशिक्षण के किस-किस स्थान पर शिविर लगाए गए उनमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया? कितनी-कितनी राशि किस कार्य पर खर्च की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कार्यों के निरीक्षण एवं शिकायत संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। योजना के प्रभारी एवं तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कार्यों को मूल्यांकन नहीं किया जाता है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।

<u>शौचालय निर्माण में अनियमितता</u>

76. (क्र. 3804) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि जारी की गयी एवं कितने शौचालय का निर्माण किया जाना था? विकासखण्डवार, पंचायतवार बतायें? (ख) उक्त प्राप्त राशि से ग्राम पंचायत द्वारा कितने शौचालय पूर्ण कर लिये गये, कितने अपूर्ण हैं, कितनी राशि व्यय हो गयी, कितनी शेष है? (ग) क्या संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा पूर्ण राशि का आहरण कर व्यय बता दिया गया जबकि वास्तव में शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा क्या प्रयास किये गये? संबंधित से वसूली कब तक की जायेगी बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्टि के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

किसानों को डीजल पम्प का प्रदाय

77. (क्र. 3808) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले में कृषि विभाग द्वारा जिले भर में विभिन्न योजनाओं से किसानों को 2013 से वर्तमान समय तक सी.आर.आई. इन्द्र मार्शल डीजल पम्प प्रदाय किये गये? यह कितने हार्सपावर का है, तथा प्रति घंटे डीजल की खपत क्या है? इस पम्प के साथ हितग्राही को क्या-क्या दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में योजनावार विकासखण्डवार एवं वर्षवार हितग्राही का नाम, पता एवं जिस खाते में अनुदान दिया, राशि दी गयी, खाता क्रं., बैंक का नाम सहित बतायें? (ग) उक्त पम्प का मूल्य कितना है, तथा शासन से अनुदान कितना है, प्रदायकर्ता फर्म का नाम, पता सहित बतायें? (घ) क्या सी.आर.आई. डीजल पम्प एक ही फर्म से खरीदे गये एवं अनुदान का भुगतान भी विभाग द्वारा सीधे ही कर दिया गया और किसानों को वही पम्प एवं उसी दुकान से लेने को बाध्य किया गया? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारी पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। मण्डला जिले में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से आज दिनाँक तक 86 हितग्राहियों को डीजल/विद्युत पंप प्रदाय किये गये। 43 सी.आर.आई. विद्युत पंप प्रदाय किये गये हैं। जिसमें डीजल उपयोग नहीं होता है। 43 इन्द्रामार्शल डीजल पंप प्रदाय किये गये। इन्द्रामार्शल डीजल पंप 4 एवं 5 एच.पी.के हैं। जिसकी डीजल खपत 1.20 लीटर प्रति घंटे है। इन्द्रामार्शल पंप के साथ सहायक सामग्री (1) 1 डीजल पंप, (2) 3 इंच सेक्शन पाईप, (3) 3 इंच फुटवॉल (4) 2.5 इंच जी.आई.बैन्ड (5) 3 इंच हार्स कालर (6) 3 इंच कलेम्प प्रदाय की गई है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ग) सहायक सामग्री सहित 5 एच.पी. डीजल पंप का मूल्य 21928 रूपये तथा 4 एच.पी. डीजल पंप का मूल्य 20804 रूपये है। आदिवासी उप योजना में 20000/- रूपये, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000/- रूपये जो भी कम हो अनुदान देय है। प्रदायकर्ता फर्म का नाम एवं पता **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (घ) आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा सीधे ही फर्म से सम्पर्क करके पंप खरीदे गये है। अनुदान राशि हितग्राहियों के खाते में जमा कर दी गई है। हितग्राहियों को बाध्य नहीं किया गया। सभी कम्पनियों का केम्प लगाया गया था, हितग्राहियों ने अपनी-अपनी पसंद के डीजल पंप क्रय कर स्वयं ही फर्म को भुगतान किया गया है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत यदि हितग्राही द्वारा पूरी कीमत पर किसी फर्म से डीजल पंप क्रय किये गये हैं, तो अनुदान की राशि हितग्राही के खाते में सीधे जमा की गई है, और यदि कृषक द्वारा कृषक अंश जमा कर डी. एम. ओ./एम.पी. एग्रो से क्रय किया गया है, तो अनुदान की राशि का संबंधित संस्था को ई-पेमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया गया है।

खाद्य वितरण में अनियमितता

78. (क्र. 3882) श्रीमती सरस्वती सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चितरंगी में कितनी खाद्यान्न वितरण समिति है? उन्हें कितना खाद्यान्न आवंटित किया जाता

है? उसमें कितने हितग्राही हैं? (ख) चितरंगी जिला सिंगरौली में कितनी खाद्यान्न वितरण समिति के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है एवं कितनी समिति के विरूद्ध कार्यवाही की गयी? (ग) सहकारी समिति चतरी में हितग्राहियों को क्या खाद्य कूपन पिछले एक वर्ष में कब-कब बांटा गया? उसके विरूद्ध कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं कितना वितरित किया गया? क्या उक्त समिति के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या शासन इस वितरण प्रणाली में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो कब तक?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>**क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने की शिकायत**</u>

79. (क्र. 3890) श्री संजय पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत पांच वर्षों में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कटनी द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन जनहित में किया गया? केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विकासखण्डवार योजनावार जानकारी दें? (ख) क्या यह समस्त योजनाएं जिले के छ: विकासखंडों में समदर्शी एवं पारदर्शी रूप से लागू की गईं, तो योजनावार एवं व्यय की गई राशि के अनुरूप जानकारी दें? यदि योजनाओं की राशि समर्पण की गई है तो विकासखण्डवार कितनी-कितनी राशि समर्पित की गई? (ग) विकासखंड रीठी एवं विजयराघगढ़ में उपरोक्त योजनाओं में से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार एवं ग्रामवार किसानवार मदवार तुलनात्मक सूची पते सहित उपलब्ध करावें? (घ) क्या प्रश्नांश (क) अधिकारी द्वारा जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र को जानबूझकर उपेक्षित किया जाकर योजनाओं का लाभ अन्य विकासखंडों की तुलना में कम दिया गया? क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -एक अनुसार** है। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में किसी भी योजना में राशि समर्पित नहीं की गई है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है। (घ) जी नहीं। विभागीय योजनाओं का लाभ जिले के सभी विकासखण्डों में दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र विकासखण्ड विजयराघवगढ को योजनाओं के लाभ से उपेक्षित नहीं रखा गया है।

<u>**सिवनी जिले के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों का निर्माण**</u>

80. (क्र. 3963) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षो में कितने मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है? (ख) मार्ग एवं लागत राशि का विवरण दें? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने मार्गो का निर्माण कार्य अभी तक किया गया है एवं कितने मार्गों का निर्माण प्रगति पर है? मार्ग की लागत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कितने मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है? कारण स्पष्ट करें एवं कब तक चालू किया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सिवनी जिले में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 254 एवं मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत 40 मार्गों की स्वीकृति विगत तीन वर्षो में प्रदान की गई। (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** है। अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ कराने की निश्चित समयसीमा बताना संभव नहीं है।

<u>समितियों से राशि वसूली</u>

81. (क्र. 3967) श्री रजनीश हरवंश सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में विगत वर्ष 2014 में गेहूँ खरीदी के लिये कितने केन्द्र बनाये गये थे? उक्त केन्द्रों पर कितनी मात्रा में गेहूँ का उपार्जन किया गया? (ख) उक्त उपार्जित की गई गेहूँ किस-किस परिवहन ठेकेदार के माध्यम से किस-किस गोदाम/वेयर हाउस में भेजी गई? (ग) क्या जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा परिवहनकर्ता ठेकेदारों के विरूद्ध जाँच संस्थापित की गई थी? (घ) जाँच में ठेकेदार को दोषी पाये जाने के उपरांत भी समितियों से राशि वसूल किये जाने का क्या कारण है स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

<u>क्रय की गई सामग्री</u>

82. (क्र. 3973) डॉ. कैलाश जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012 से वर्तमान तक जिला नरसिंहपुर में कृषि विभाग द्वारा म.प्र. एग्रो एवं म.प्र. सह. विपणन संघ से कौन-कौन सी सामग्री क्रय की गई है? क्रय एवं भुगतान राशि सहित संस्थावार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्रय की गई समस्त सामग्री का सत्यापन किसके द्वारा किया गया एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु कितने सेंपल लिये गये एवं जाँच रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या प्रश्नांश (क) अनुसार क्रय की गई समस्त सामग्री के सेन्ट्रल इसेम्टीसाइड बोर्ड का लेब टेस्टिंग प्रमाण पत्र लिया गया है? यदि हाँ, तो उपलब्ध करायें? (घ) प्रश्नांक (ख) एवं (ग) अनुसार अमानक पायी गई वस्तुओं के लिये कंपनी एवं दोषियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि विभाग जिला नरसिंहपुर में एम.पी.एग्रो. एवं म.प्र. सह. विपणन संघ से प्रदाय आदेश दिये गये। सामग्री एवं भुगतान की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 (अ),1 (ब),1 (स) अनुसार** है। (ख) संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त सामग्री का सत्यापन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया गया। गुणवत्ता की जाँच हेतु 09 नमूने लिये गये जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) संस्थाओं द्वारा प्रदायकर्ता से सी.आई.बी. में पंजीकृत एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के परीक्षण उपरांत प्रदाय किये जाने की शर्तों के तहत आदान भण्डारण किये जाते हैं। संस्थाओं द्वारा समय-समय पर प्रदायकर्ताओं से देय आदान के मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किये जाते हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। (घ) कोई भी सामग्री अमानक स्तर की नहीं पाई गई है। अत: कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

<u>निर्माण कार्य एवं भुगतान की जानकारी</u>

83. (क्र. 3976) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के परसवाडा विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, विस्तार कार्य तथा सामग्री क्रय की कार्यवाही की गई? दिनाँक 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसम्बर

2014 तक की अवधि का व्यौरा देवें? (ख) उपरोक्त निर्माण कार्यों का ठेका कौन-कौन सी एजेंसियों को दिया गया है उन्हें कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? सूची देवें? (ग) उपरोक्त निर्माण, विस्तार एवं मरम्मत कार्यों में क्या गुणवत्ता की चेकिंग की गई? यदि हाँ, तो गुणवत्ता रिपोर्ट की प्रति देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन अवधि हेतु ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ठेके पर कार्य किया जाना अनुमत नहीं है अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हाँ। परसवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा बालाघाट की 07, जनपद पंचायत परसवाड़ा की 21, जनपद पंचायत बालाघाट की 22 एवं जनपद पंचायत किरनापुर की 07 कार्यों की गुणवत्ता की रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

गरीबी रेखा के अंतर्गत नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया

84. (क्र. 3978) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरीबी रेखा के अंतर्गत नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया क्या है एवं पात्रता किसे है? इस संबंध में जो भी नियम निर्देश लागू हो उनकी प्रति बतायें? (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में किस ग्राम के कौन-कौन से व्यक्ति गरीबी रेखा में शामिल है और किस-किस के नाम विचाराधीन हैं एवं किसके आवेदन निरस्त कर दिये गये हैं? उनके नाम पते एवं निरस्तीकरण का कारण बतायें? (ग) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कितने आवेदन पत्र नाम जोड़े जाने हेतु प्राप्त हुये हैं? क्षेत्र तथा ग्रामवार संख्या बतायें तथा उनमें से ग्रामीण कितने नाम जोड़े गये तथा निरस्त होने का कारण बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के परिपत्र क्रमांक -95/22/वि-6/लो.से.प्रा भोपाल दिनाँक 09.07.2013 अनुसार आवेदकों द्वारा तहसीलदार कार्यालय को आवेदन किए जाने पर अथवा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 के तहत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किये जाने पर किये जाते हैं। गरीबी रेखा अंतर्गत नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया एवं पात्रता के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में गरीबी रेखा सर्वे सूची में शामिल नामों की सूची, विचाराधीन नामों की सूची, निरस्त आवेदनों की सूची एवं निरस्तीकरण के कारण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब, स, द अनुसार** है। (ग) जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कुल 2154 आवेदन पत्र नाम जोड़े जाने हेतु प्राप्त हुए। क्षेत्र तथा ग्रामवार संख्या एवं जोड़े गए नाम तथा निरस्त होने का कारण पृथक से कुल 133 आवेदकों की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है।

विधायक की अनुशंसा से स्वीकृत कार्य

85. (क्र. 4032) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत परफॉरमेंन्स ग्रान्ट मद से कार्य स्वीकृत करने हेतु पंचायत राज संचालनालय भोपाल से विधायकों की सहभागिता भी सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं? (ख) प्रश्न (क) के प्रकाश में यदि उत्तर जी हाँ, तो वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत रीवा को विधायक मऊगंज की अनुशंसा पंचायत राज संचालनालय भोपाल के माध्यम से क्या प्राप्त हुई

थी? यदि हाँ, तो इस अनुशंसा से कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं? स्वीकृत कार्यों की विवरण सहित जानकारी देवें? (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के प्रकाश में यदि कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं, तो इसके लिये कौन दोषी है? दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। मान. विधायक मउगंज की अनुशंसा अनुसार जनपद पंचायत हनुमना क्षेत्रान्तर्गत 19 एवं जनपद पंचायत मउगंज में 03 कुल 22 ग्राम पंचायतों में पी.सी.सी/नाली निर्माण कार्य हेतु पंचायतराज संचालनालय भोपाल से प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनाँक 23.09.2014 में रखा गया था। सामान्य प्रशासन समिति द्वारा मान. विधायक द्वारा उक्त अनुशंसित 22 पीसीसी/नाली निर्माण कार्य की स्थल का चयन, शासकीय भूमि की उपलब्धता तथा अनुमानित लागत राशि का उल्लेख न होने से समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में सामान्य प्रशासन समिति द्वारा माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित 22 पीसीसी/नाली निर्माण कार्यों का निर्णय समिति द्वारा नहीं लिया गया। निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु सामान्य प्रशासन समिति को अधिकार होने से कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

86. (क्र. 4033) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें वर्ष 2014-15 में चिन्हित/स्वीकृत की गई हैं? (ख) क्या विधायक मऊगंज द्वारा अपने पत्र क्रं. पीए/62/मऊगंज दिनाँक 28.02.2014 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क (बारहमासी) में जोड़े जाने बावत् पत्र दिया गया था? यदि हाँ, तो सड़कों का परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव तैयार करवाया गया है? यदि हाँ, तो, जानकारी देवें एवं यदि नहीं, तो क्यों? कारण स्पष्ट करें? (ग) प्रश्न (क) एवं (ख) के प्रकाश में यदि सड़कों के निर्माण की कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके लिये कौन दोषी है? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? दोषी अधिकारियों को कब तक हटाया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में छूटे हुए गाँवों को जोड़ने के लिए वर्ष 2014-15 में 5 सड़कें चिन्हित की जाकर स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। (ख) माननीय विधायक से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कराया जाकर योजना के मापदण्डों के अनुसार पाये जाने पर स्वीकृत की कार्यवाही की जावेगी। (ग) प्रस्ताव विचाराधीन होने से कोई दोषी नहीं हैं अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ऑन लाइन उपभोक्ताओं द्वारा भूलवश जमा राशि

87. (क्र. 4079) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में परिवहन विभाग में वाहनों का रोड टैक्स/रजिस्ट्रेशन फीस/फिटनेस फीस/ड्रायविंग लायसेंस फीस ऑन लाईन जमा होती है? ऑन लाईन उपभोक्ताओं द्वारा भूलवश जमा राशि कितनी है और किस मद में जमा हो रही है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फीस ऑन लाईन जमा

करने में त्रुटि के सुधार की सुविधा पहले थी तो कब तक थी? वर्तमान में ऑन लाईन जमा करने में सुधार करने की सुविधा क्यों बन्द कर दी गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फीस ऑन लाईन त्रुटिवश गलत जमा करने में सुधार की सुविधा स्मार्ट चिप कम्पनी को लाभ पहुँचाने के लिये बन्द की गई है? यदि नहीं तो क्या फिर से त्रुटि सुधार की सुविधा ऑन लाईन उपभोगकर्ताओं को प्रदान की जावेगी? (घ) क्या परिवहन विभाग में ऑन लाईन सुविधा के नाम पर शुल्क लिया जाता है? यदि लिया जाता है तो सुविधा शुल्क कितना निर्धारित है? अभी तक सुविधा शुल्क के नाम पर कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं किस मद में जमा हो रही है? जिलेवार जानकारी देवें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ, परिवहन विभाग म.प्र. में वाहनों का रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, फिटनेस फीस व ड्रायविंग लायसेंस फीस ऑन लाईन जमा की जा सकती है। चूकि ऑन लाईन राशि उपभोक्ताओं द्वारा ही मद निर्धारित कर जमा कराई जाती है, अतः कौन सी, कितनी राशि व किस मद में भूलवश जमा की गई है, यह निर्धारित करना संभव ना होने से यह जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकती। (ख) जी हाँ, ऑन लाईन फीस जमा करने में त्रुटि के सुधार की सुविधा पहले थी, जो अभी भी लागू है। (ग) प्रश्नांश-ख के उत्तर के अनुसार ऑन लाईन फीस जमा त्रुटि सुधार की प्रक्रिया बंद नहीं की गई है अतः शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं। (घ) जी नहीं। ऑन लाईन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग तथा मेसर्स स्मार्ट चिप लिमिटेड के मध्य निष्पादित हुए अनुबंध के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मेसर्स स्मार्ट चिप लि. को उपभोक्ता प्रभार वसूल करने, संग्रहित करने और विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है जिसकी दरे दिनाँक 5 दिसम्बर 2013 को प्रकाशित असाधारण राजपत्र में उल्लेखित है, राजपत्र प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। उपभोक्ता प्रभार के रूप में सेवा प्रदाता के मद में ऑन लाईन सुविधा प्रारंभ होने के दिनाँक 08.09.2014 से 28.02.2015 तक रूपये 1,37,45,340/- की राशि संग्रहित हुई है, जिलेवार राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

परिशिष्ट – "अठारह"

राज्य मंडी बोर्ड के सचिवों की पदोन्नति

88. (क्र. 4080) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 01.02.2015 की स्थिति में प्रदेश की मंडियों में राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सचिव अ-ब-स वर्ग के कितने पद पदोन्नति से पूर्ति करने हेतु कब से रिक्त हैं? वर्षवार एवं वर्गवार रिक्त पदों की जानकारी देवें? (ख) राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनिमय 1998 के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु निर्धारित 6 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी दिनाँक 01.02.15 की स्थिति में मंडियों में पदस्थ उक्त सचिव अ-ब-स वर्ग की पदोन्नति मंडी बोर्ड भोपाल द्वारा किन कारणों से नहीं की जा रही है? (ग) क्या मंडी बोर्ड मुख्यालय/आंचलिक कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं मंडियों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा नियम एक समान है? अगर हाँ तो मंडियों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति क्यों नहीं की गई? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? (घ) क्या मंडी बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु शासकीय नियमानुसार वर्ष में दो बार पदोन्नति समिति की बैठक की जा रही है? प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित वर्ग की पदोन्नति किस दिनाँक तक कर दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अंतर्गत सचिव 'अ' सचिव 'ब' एवं सचिव 'स' संवर्ग में दिनाँक 01.02.2015 एवं दिनाँक 01.01.2014 की स्थिति में पदोन्नति के रिक्त पदों की वर्गवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अंतर्गत कार्यरत सेवकों की पदोन्नतियों की कार्यवाही चरणबद्ध क्रम में (उच्च पद से निचले पद तक के लिये) प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2014 फरवरी 2015 तक लोकसभा चुनाव-2014, नगर निगम चुनाव एवं पंचायत चुनाव की आचार संहिता प्रभावशील रहने के कारण विलम्ब की स्थिति बनी है। (ग) जी नहीं। मुख्यालय, आचंलिक कार्यालय, एवं प्रदेश की मण्डी समितियों में सचिव, मण्डी निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, सहायक लेखाधिकारी, लेखापाल संवर्ग (राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अंतर्गत कार्यरत सेवकों के लिये) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम-1998 लागू है। मंडियां स्वतंत्र निकाय हैं। मंडी समिति सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के लिये उपविधि लागू है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक चरणबद्ध क्रम में संवर्ग/वर्ग का पद की उपलब्धता के आधार पर प्रक्रियाधीन है। पदोन्नति की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''उन्नीस''

कृषि उपज मंडी समितियों की बैठकों के मापदण्ड

89. (क्र. 4102) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि उपज मंडी समितियों की कितनी बैठकें कब-कब बुलाने के मापदण्ड निर्धारित हैं? (ख) क्या कृषि उपज मंडी समिति मुरैना एवं अम्बाह जिला मुरैना द्वारा जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक कितनी बैठकों का आयोजन किया गया? (ग) क्या यह भी सच है कि कृषि उपज मंडी समिति की बैठकों में स्थानीय विधायक को बुलाने का प्रावधान भी है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (ख) में वर्णित कृषि उपज मंडी समितियों में प्रश्नकर्ता को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? कारण बतावें व इस अनुशासनहीनता के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) यदि प्रश्नकर्ता को बैठकों में बुलाने हेतु बुलाया गया है, तो बैठक में बुलाने की भेजी गई सूचना की प्राप्त प्रतियां भी उपलब्ध करावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये लागू उपविधि सन 2000 के अध्याय दो की कंडिका (3) के अन्तर्गत माह में कम से कम एक बार मण्डी समिति को अपना सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। (ख) जनवरी 2014 से जनवरी 2015 तक कृषि उपज मण्डी समिति मुरैना द्वारा कुल 06 बैठक एवं कृषि उपज मण्डी समिति अम्बाह द्वारा 08 बैठकों का आयोजन किया गया। (ग) जी हाँ। म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा- 11 (1) (घ) के अनुसार प्रश्नकर्ता माननीय विधायक को कृषि उपज मण्डी समिति, मुरैना तथा अम्बाह के सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किये जाने हेतु उत्तरदायी सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति मुरैना एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति अम्बाह के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कारण बताओ सूचना पत्र दिनाँक 08-03-2014 जारी किये गये हैं। (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषकों को रासायनिक खाद उपलब्ध हेतु विभाग का दायित्व

90. (क्र. 4103) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषकों को रासायनिक खाद डी.ए.पी. यूरिया आदि की मांग अनुसार उपलब्ध कराने हेतु सहकारिता विभाग के क्या-क्या दायित्व/नीति हैं? (ख) वर्ष 2014-15 में विकास खण्ड मुरैना एवं अम्बाह जिला मुरैना में किस-किस प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को कितना-कितना खाद उपलब्ध कराया गया? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश (ख) के अनुसार सहकारी संस्थाओं द्वारा कितने कृषकों को खाद विक्रय किया गया खादवार जानकारी दी जावे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सहकारी क्षेत्र में उर्वरक वितरण हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल को नोडल एजेंसी नियुक्त किया है. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा उर्वरकों के जिलेवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, विपणन संघ द्वारा कृषि विभाग से जिलेवार सहकारी क्षेत्र हेतु लक्ष्य तथा उर्वरक आवंटन प्राप्त होने पर उर्वरक उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है. (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है.

<u>वाहनों का पंजीयन व जुर्माना</u>

91. (क्र. 4119) श्री दुर्गालाल विजय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले में जिला परिवहन अधिकारी/विभागीय कर्मचारियों व वाहन मालिकों की मिलीभगत के कारण बिना पंजीयन वाले दर्जनों ट्रक, डम्पर, बसों का संचालन बेधड़क हो रहा है इस कारण शासन को लाखों रूपये की आर्थिक क्षति हो रही हैं? (ख) उक्त स्थिति के बावजूद जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जिले में प्रतिदिन क्षेत्रीय कृषकों के ट्रेक्टर ट्रालियों, केवल ट्रेक्टरों/ट्रोलियों के पंजीयन न होने के कारण उन्हें पकड़कर प्रश्न दिनाँक तक भेदभाव बरतते हुए सैकड़ों कृषकों पर लाखों रूपये का जुर्माना कर दिया गया और निरंतर किया भी जा रहा हैं? (ग) यदि हाँ, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) में वर्णित वाहनों का पंजीयन वर्तमान तक न करने व पंजीयन के अभाव में उनके मालिकों पर जुर्माना न करने के क्या कारण हैं इसके लिये कौन दोषी हैं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या शासन अब जिले में वर्तमान तक चल रहे उक्त समस्त वाहनों के पंजीयन हेतु एक समय सीमा तय करवायेगा अथवा कैम्प लगवाकर उक्त वाहनों के पंजीयन करने के निर्देश विभाग को जारी करेगा व कब तक यदि नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी नहीं, श्योपुर परिवहन कार्यालय के विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सभी प्रकार के वाहनों की बिना किसी भेदभाव के जाँच की जाती है तथा बिना पंजीयन के संचालित होते पाये जाने वाले समस्त वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही कर शमन शुल्क के रूप में शासकीय राशि वसूल की जाती है। शासन को आर्थिक हानि होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) केवल ट्रेक्टरों/ट्रॉलियों के ही नहीं अपितु प्रश्नांश-क के उत्तर के अनुसार सभी प्रकार के वाहनों की बिना किसी भेदभाव के जाँच की जाती है तथा बिना पंजीयन के संचालित होते पाये जाने वाले समस्त वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही कर शमन शुल्क के रूप में शासकीय राशि वसूल की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न सभी प्रकार की वाहनों में जाँच कर अनियमितता पाये जाने पर रूपये 2616450/-का राजस्व वसूल कर शासकीय कोष में जमा कराया गया है। (ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47 के अनुसार यान के रजिस्ट्रेशन के लिये 07 दिन की समय अवधि में आवेदन देना अनिवार्य है, निर्धारित

अवधि में आवेदन प्राप्त ना होने की दशा में नियमानुसार पेनाल्टी की राशि व बिना पंजीयन के संचालन की स्थिति में वाहनों पर चालानी कार्यवाही किये जाने के प्रावधान है। प्रश्नांश-ख के उत्तर अनुसार सभी प्रकार की वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई है। इस प्रकार कोई दोषी ना होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। (घ) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47 के अनुसार यान के रजिस्ट्रेशन के लिये 07 दिन की समय अवधि निर्धारित है, जिसके उपरांत पेनाल्टी के प्रावधान है। बिना पंजीयन के संचालन की स्थिति में चालानी कार्यवाही किये जाने के प्रावधान धारा 200 में उल्लेखित होकर शमन शुल्क की दरें निर्धारित हैं। जिसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

वाहनों के पंजीयन आवेदनों का निराकरण

92. (क्र. 4120) श्री दुर्गालाल विजय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में दिनाँक 01.04.2013 से वर्तमान तक की अवधि में मोटर साईकिल, फोरव्हीलर गाड़ी, ट्रक, डम्पर व ट्रेक्टरों के पंजीयन हेतु प्रतिमाह कितने आवेदन किस-किस दिनाँक को जिला परिवहन कार्यालय में प्राप्त हुए? (ख) उक्त में से कौन-कैन से वाहनों के पंजीयन समय-सीमा में किये गये कौन-कौन से वाहनों के नहीं, इसके क्या कारण हैं? इस हेतु कौन उत्तरदायी हैं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) क्या जिला परिवहन अधिकारी अक्सर ग्वालियर रहते हैं यदाकदा आते हैं एवं जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थ एक मात्र लिपिक व भृत्य भी अक्सर गायब रहते हैं? (घ) क्या कार्यालयीन अमले को दलालों के जरिये जिन आवेदकों से अनियमित लाभ मिल जाता हैं, उनके वाहनों के पंजीयन शीघ्र कर दिये जाते हैं शेष आवेदक पंजीयन हेतु महीनों तक चक्कर लगाते रहते हैं? (ड.) यदि नहीं तो क्या शासन प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में प्राप्त समस्त आवेदनों के निराकरण में विलम्ब के कारणों की जाँच करवायेगा व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा, यदि नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर में दिनाँक 01.04.2013 से वर्तमान तक की अवधि में क्रमशः मोटर सायकल, फोरव्हीलर गाड़ी, ट्रक डम्पर व ट्रेक्टरों के पंजीयन हेतु प्रतिमाह प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या की दिनाँकवार **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** हैं। (ख) जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर में उक्त अवधि में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों के वाहनों का समय पर पंजीयन किया गया है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं, जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर में जिला परिवहन अधिकारी, लिपिक एवं भृत्य सभी कार्यालय में उपस्थित रहते है। (घ) जिला परिवहन कार्यालय श्योपुर में आवेदक के द्वारा वाहन का पंजीयन हेतु पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर समय पर ही पंजीयन किया जाता है तथा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पंजीयन स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्री लिफाफे द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है। (ड.) उत्तरांश (क) एवं (ख) के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

बीज भण्डारण

93. (क्र. 4196) श्री नीलेश अवस्थी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर द्वारा वर्ष 2013-14 में किन-किन बीज उत्पादन समितियों से कितना-कितना बीज कितनी-कितनी मात्रा में नगद वितरण हेतु मंगाया समितिवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के मंगाये गये बीजों से लिये गये नमूने, वितरण के पूर्व परीक्षण हेतु, कब-कब भेजे गये, तथा परीक्षण रिपोर्ट कब-कब प्राप्त हुई, परीक्षण रिपोर्ट में कितने,

नमूने, अमानक पाये गये, बतायें? सूची देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में बिना परीक्षण रिपोर्ट के प्राप्त हुये बीजों का समितियों को कितनी-कितनी राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट/नगद भुगतान किया गया, तथा कृषक अनुदान राशि क्या समितियों को भुगतान की गई? भुगतान संबंधी शासन के निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांक (क) (ख) (ग) के परिप्रेक्ष्य में नियम विरूद्ध भुगतान बीज उत्पादन समितियां को किया गया है? यदि हाँ, तो क्या शासन जाँच कराकर, दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जबलपुर जिले में वर्ष 2013-14 में उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा नगद वितरण घटक में बीज उत्पादक समितियों द्वारा बीज प्रदाय नहीं किया गया है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिवहन चौकीयों को निजी कंपनी को देने के संबंध में

94. (क्र. 4279) श्री बाला बच्चन : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. बार्डर चेकपोस्ट कंपनी द्वारा 01.04.2014 से प्रश्न दिनाँक तक कितना राजस्व कितनी परिवहन चौकियों पर वसूला गया? विवरण देवें? इसके पूर्व का राजस्व रिकार्ड भी 6 माह का इन स्थानों का माहवार उपलब्ध करावें? (ख) इन्हें किस मोटरयान कानून के तहत राजस्व वसूली की पात्रता दी गई? प्रति देवें। परिवहन कर्मचारियों को 5% निरीक्षण वसूली संबंधी नियम की प्रति भी देवें। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार कंपनी द्वारा राजस्व वसूली के दौरान राजस्व गिरावट की वसूली संबंधित अधिकारियों से कब तक कर ली जावेगी? (घ) ऐसे गैर कानूनी निर्णय लेने एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) कंपनी को राजस्व वसूली के कोई अधिकार नहीं दिये गये है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (ख) मध्यप्रदेश बार्डर चेकपोस्ट कंपनी को राजस्व वसूली के कोई अधिकार नहीं दिये गये। शासनादेश क्रमांक 5777/5710/ 14/आठ, भोपाल दिनाँक 18 दिसम्बर 2014 से इन्टीग्रेटेड चेकपोस्ट पर की जाने वाली जाँच में जो वाहन ठीक पाये जाये उनमें से मात्र 05 प्रतिशत वाहनों को रेन्डम आधार पर चयन कर पूरी जाँच करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये थे। शासन द्वारा जारी प्रशासकीय आदेश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्न 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्न ''क'', ''ख'' व ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - ''बीस''

पंचायती राज संस्थाओं को लघु वनोपज के अधिकार

95. (क्र. 4288) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत कौन-कौन सी वनोपज पर पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिए गए हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं? इस संबंध में शासन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या उपरोक्त आदेश के तहत बैतूल जिले की ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों को अधिकार सौंप दिए

गए हैं? यदि हाँ, तो क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं? इस संबंध में जारी पत्र की प्रति उपलब्ध करावें? (ग) यदि लघु वनोपज के संबंध में अधिकार नहीं सौंपे गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक अधिकार सौंपे जाएगें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मंदसौर का नवीन परिवहन कार्यालय भवन

96. (क्र. 4346) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला परिवहन कार्यालय का नवीन भवन मंदसौर शहर में स्वीकृत हो गया है? (ख) क्या उक्त भवन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित कर ली गई है? क्या ठेकेदार को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है? यदि हाँ, तो आर्डर की तिथि से अवगत करायें? (ग) क्या योजनान्तर्गत भवन हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है? यदि हाँ, तो भूमि का सर्वे क्र. एवं रकबे से अवगत कराये? (घ) क्या नवीन भवन निर्माण की संपूर्ण कार्यवाही करने तक भूमि चयन नहीं करना नीतिगत है? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ, ठेकेदार को निर्माण ऐजेसी लोक निर्माण विभाग (पीआईयू) द्वारा आदेश क्रमांक 829-30 दिनाँक 13.10.14 को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। (ग) नवीन परिवहन कार्यालय हेतु पहले ग्राम भूनियाखेडी में सर्वे नंबर 348 में 0.90 हेक्टर भूमि कलेक्टर मंदसौर द्वारा आवंटित की गई थी जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर से विवादित हो गई। इसके पश्चात मुल्तानपुर बायपास रोड पर दिनाँक 25.07.2014 को भूमि चिन्हाकित की गई जिसका रकबा 0.60 हेक्टर पाया गया, जो कार्यालय निर्माण हेतु अपर्याप्त पाये जाने से अन्य स्थान ग्राम दौलतपुरा में सर्वे क्रमांक 217 एवं 244 की लगभग 1.50 हेक्टर भूमि दिनाँक 28.11.14 को चिन्हांकित की गई जिसके आवंटन संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) खण्ड-ग में दर्शाई आरटीओ कार्यालय भवन हेतु आवश्यक भूमि के चयन की कार्यवाही प्रचलन में है। जिसमें 03 स्थान चिन्हांकित किये गये थे, जिनमें से ग्राम दौलतपुरा एवं जग्गाखेडी के निकट भूमि का चयन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

बंधक भूमि का क्रय विक्रय

97. (क्र. 4351) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भोपाल के वर्ष 2000 से 2007 तक 159 नीलामी प्रकरणों की जाँच में लगभग 48 कृषकों द्वारा बैंक का ऋण चुकाये बगैर बंधक भूमि बेच दिया जाना प्रतिवेदित हुआ था? क्या म.प्र. सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1999 की धारा 20 तथा 41 अनुसार बंधक रहते भूमि का अन्तरण किया जाना अवैधानिक नहीं है? (ख) जाँच में प्रश्नांश (क) अनुसार स्थिति ज्ञात होने पर विभाग द्वारा ऐसे कृषकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? प्रकरणवार जानकारी देवें? (ग) क्या ऐसे कृषकों की बंधक भूमि की नीलामी की कार्यवाही बैंक की कालातीत ऋण वसूली हेतु सदभाविक कार्यवाही नहीं है? यदि नहीं तो कारण बताएं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

बलराम तालाब योजना का क्रियान्वयन

98. (क्र. 4373) श्री निशंक कुमार जैन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलराम तालाब योजना विदिशा एवं बैतूल जिले में किस दिनाँक से प्रारंभ की गई बलराम तालाब योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में कितनी लागत के कितने तालाबों की स्वीकृति प्रदान की, कितना अनुदान वितरित किया गया? (ख) तालाब स्वीकृति/निर्माण/अनुदान वितरण आदि विषयों पर प्रश्नांकित दिनाँक तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, उनमें से कितनी शिकायतों की जाँच किस अधिकारी से करवाई गई, कितनी शिकायतों को जाँच के दौरान सही पाया, कितनी शिकायतों को जाँच के दौरान निरस्त कर दिया, कितनी शिकायतों की जाँच लंबित हैं? (ग) तालाब योजना के तहत कागजों एवं फाईलों पर तालाब निर्माण बता दिए जाने के लिए किस-किस की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर कौन-कौन सी कार्यवाही के प्रावधान हैं? उसके अनुसार विदिशा एवं बैतूल जिले में किस-किस के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनाँक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) गायब हो चुके तालाबों की खोज हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? कब तक गायब तालाबों की खोज कर ली जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क**)** विदिशा एवं बैतूल जिले में बलराम ताल योजना 25 मई 2007 से प्रारंभ की गई। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विदिशा एवं बैतूल जिले में प्रश्नांकित अवधि में एक-एक शिकायत प्राप्त हुई। बैतूल जिले की शिकायत की जाँच सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी भैंसदेही द्वारा की गई, शिकायत निराधार पाई गई। विदिशा जिले की जाँच अनुविभागीय अधिकारी विदिशा द्वारा की जा रही है, जाँच प्रक्रियाधीन है। (ग) जाँच उपरांत अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रावधान है। बैतूल जिले में शिकायत निराधार पाई गई एवं विदिशा जिले में शिकायत की जाँच प्रक्रियाधीन है। (घ) प्रश्नांकित अवधि में बैतूल जिले में तालावों के गायब होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विदिशा जिले में दोषी कर्मचारी/ अधिकारियों की विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट - ''इक्कीस''

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पन्ना की ऋण गारंटी

99. (क्र. 4399) श्री विजयपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पन्ना जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पन्ना के ऊपर वर्तमान में केन्द्र या राज्य शासन की कोई अंश पूँजी शेष है? (ख) यदि है, तो किन-किन मद में व कितनी? (ग) क्या शासन द्वारा पन्ना जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की कोई वित्तीय सहायता या ऋण गारंटी दी गयी है? यदि हाँ, तो कितनी व किस दिनाँक से एवं क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं. (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है. (ग) अल्पावधि सहकारी साख संरचना के पुनर्वास पैकेज के तहत राज्य शासन द्वारा दिनाँक 31.03.2010 को रूपये 967204.00 अंशदान की राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना को प्रदाय की गई है. इस संदर्भ में कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

पंचायत सचिवों को अंशदान पेंशन योजना का लाभ

100. (क्र. 4414) श्री जतन उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत के सचिवों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जावेगा? (ख) वर्तमान में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायत सचिवों

से अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत उनके वेतन से 10 प्रतिशत की जो राशि काटी जा रही है, उसका हिसाब एवं फण्ड मेनेजमेंट की क्या व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो उक्त राशि कहाँ जमा की जा रही है? (ग) क्या प्रदेश के ग्राम पंचायत सचिवों की भारत सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि योजना से नहीं जोड़ा जा सकता, जिसके माध्यम से असंगठित क्षेत्र के सेवा द्वारा न्यूनतम पेंशन का लाभ दिया जाता है? इस योजना में इन कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन लाभ देने पर सरकार विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक या फिर अंशदायी पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन प्रदान करने हेतु प्रावधान करेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत हिसाब एवं फंड मेनेजमेंट की व्यवस्था हेतु एन.एस.डी.एल.को अधिकृत किया गया है, किंतु एन.एस.डी.एल.द्वारा पंचायतराज संचालनालय तथा जिला/जनपद पंचायतों को योजनांतर्गत पंजीयन की कार्यवाही अभी तक नहीं किये जाने के कारण कर्मचारियों के अंशदान से कटौत्रा की गई राशि संबंधित संस्था को अंतरित नहीं की जा सकी है। वर्तमान में राशि इस प्रयोजन हेतु जिला पंचायतों द्वारा खोले गये खाते में जमा की जा रही है। पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण होने पर एन.एस.डी.एल. को राशि अंतरण की कार्यवाही की जावेगी। जिलेवार काटी गई राशि का विवरण संकलित किया जा रहा है। (ग) वर्तमान में शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत सेवा निवृत्त होने पर अभिदाता द्वारा कुल जमा अंशदान के 40 प्रतिशत राशि से एन्यूटी सर्विस प्रोवाईडर से एन्यूटी क्रय किया जावेगा जिससे अभिदाता को एन्यूटी सर्विस प्रोवाईडर द्वारा प्रतिमाह पेंशन दी जावेगी। इस पेंशन सिस्टम का संचालन पेंशन फंड रेग्यूलेटरी डब्ल्पमेंट, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस सिस्टम में न्यूनतम पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।

<u>रिक्त पदों पर पदोन्नति</u>

101. (क्र. 4415) श्री जतन उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? (ख) विगत एक वर्ष में कितने पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई है एवं कितने पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही होना शेष है? यदि पदोन्नति नहीं की गई तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? (ग) क्या रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू है? यदि हाँ, तो कितने जिलों में भर्ती की प्रक्रिया की गई है? कितने जिलों में भर्ती की प्रक्रिया नहीं की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला पंचायत छिंदवाडा में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** एवं जनपद पंचायतों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार।** (ख) विगत एक वर्ष में जिले की जनपद पंचायत अमरवाड़ा में सहायक लेखाधिकारी, लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-2 के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की गई एवं 09 पदों पर जनपद पंचायतों में पदोन्नति की कार्यवाही होना शेष है। शेष पदोन्नति पंचायत निर्वाचन 2014-15 की आदर्श आचरण संहिता के कारण नहीं हो सकी है, जो आचरण संहिता समाप्त होते ही कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) जी नहीं। जिले में भर्ती की प्रक्रिया पंचायत निर्वाचन 2014-15 की आदर्श आचरण संहिता उपरांत की जा सकेगी।

<u>मनरेगा में डबल पेमेंट भुगतान की जाँच</u>

102. (क्र. 4433) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 2 वर्षों में जिला रायसेन में मनरेगा में डबल पेमेंट भुगतान की क्या जाँच हुई है? यदि हाँ, तो विकासखण्डवार भुगतान की जानकारी तथा दोषी कर्मचारियों का नाम बतावें? (ख) जिन विकासखण्डों की जाँच नहीं की गई, तो इसका क्या कारण है? स्पष्ट करें? (ग) दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी दी जावे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।

कार्यपालिक अलिपिकीय वर्ग 3 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में लिखे गये पद

103. (क्र. 4457) श्री गिरीश गौतम : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक 23 दिनाँक 2 जुलाई 2014 के उत्तर के परि. के अनुक्रमांक 12 में दोनों पद प्रेस सहायक एवं चैनमैन वर्ष 1987 से कार्यपालिक अलिपिकीय वर्ग 3 (तृतीय श्रेणी) में है? स्वीकार किया गया है? (ख) क्या दोनों पदों से संबंधित कर्मचारियों के सेवा पुस्तिका में कृषि विभाग पद कोड निर्देशिका वर्ष 1987 के अनुसार (कार्यपालिक अलिपिकीय) वर्ग 3 (तृतीय श्रेणी) इन्द्राज वर्ष 1987 से कर दिया गया है? (ग) क्या उपरोक्त पदों में नियुक्त कर्मचारियों को उनके पद जाबचार्ट (कार्यपालिक अलिपिकीय) वर्ग-3 अनुसार कार्य लिया जा रहा है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं। (ख) विभाग के पत्र क्रमांक बी-16/ 9/81/14-2 दिनाँक 25, 29 जनवरी 1982 द्वारा संभागीय पेस यूनिट के तहत सहायक पद स्वीक़ृत है जिसका वेतनमान चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग के ज्ञाप क्रमांक ए-1 (बी) /272/77/14-1 दिनाँक 30.09.1978 द्वारा चैनमेन/भृत्य/चौकीदार/स्वीपर अन्य को विभागीय सेवा भर्ती नियम चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में रखा गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) जी नहीं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत ऋण प्रदाय

104. (क्र. 4458) श्री गिरीश गौतम : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विधानसभा क्षेत्र देवतालाब अंतर्गत वर्ष 2014-15 में कितने हितग्राहियों द्वारा भवन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है? विकासखण्डवार बताएं? (ख) उक्त प्रस्तुत विधानसभा क्षेत्र देवतालाब के आवेदनों को किन-किन बैको में आवास योजना के तहत ऋण प्रदाय करने हेतु सभी कार्यवाही पूर्ण कर भेजा गया? बैकवार संख्या बतायें।? (ग) विकासखण्डों द्वारा भेजे गये प्रकरणों में बैंको द्वारा कितने प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किया गया, बैंकवार संख्या बतायें, तथा जिन हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत नहीं किये गये उनकी संख्या क्या है? उनकी स्वीकृति हेतु अब क्या कार्यवाही की जा रही है, उन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र देवतालाब के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 में अभी तक हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत आवासीय ऋण आवेदन पत्रों की विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(**ख) उपरोक्त आवेदनों के आवासीय ऋण प्रकरणों के, बैंकों को प्रेषण की, बैंकवार संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(**ग) उक्त प्रकरणों में से, बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों की एवं स्वीकृति हेतु शेष प्रकरणों

की बैंकवार संख्या की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। स्वीकृति हेतु शेष प्रकरण बैंक शाखाओं में परीक्षण में प्रक्रियाधीन हैं। स्वीकृति की निश्चित तिथि बताना अभी सम्भव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - ''बाईस''</u>

<u>फसल बीमा मुआवजा राशि का भुगतान</u>

105. (क्र. 4469) डॉ. रामकिशोर दोगने : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरदा जिले में खरीफ फसल 2013 का कुल कितनी राशि का फसल बीमा का भुगतान किया जा चुका है, व कितना शेष हैं? (ख) शेष रहे आपदा पीड़ित किसानों को फसल बीमा का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? (ग) यदि नहीं तो उसका क्या कारण हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत हरदा जिले में खरीफ मौसम 2013 के अन्तर्गत दावा राशि रू. 208,21,73,650.00 का 52613 कृषकों को भुगतान किया गया है, व दावा राशि मे से कोई शेष राशि लंबित नहीं है। (ख) फसल बीमा दावा राशि का भुगतान शेष न होने से भुगतान कब तक किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। (ग) उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

<u>समग्र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत शौचालय निर्माण</u>

106. (क्र. 4481) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत किन-किन हितग्राहियों के यहाँ कितनी-कितनी राशि का शौचालय निर्माण कब-कब कराया गया? ग्राम पंचायत वार हितग्राहियों के नाम पते सहित पूर्ण जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किस-किस ग्राम पंचायतों को उपरोक्त योजनांतर्गत कितने-कितने शौचालय निर्माण के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे? क्या निर्धारित लक्ष्य अनुसार ग्राम पंचायतों के द्वारा शौचालय का निर्माण करा लिया गया हैं? यदि हाँ, तो किन-किन ग्राम पंचायतों के द्वारा लक्ष्य अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये गये तथा लक्ष्य अनुसार कितने ग्राम पंचायतों के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये गये? अपूर्ण कार्य रहने के क्या कारण हैं? पूर्ण जानकारी सहित विवरण देवें। (ग) क्या जनपद क्षेत्र के अधिकांश ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिवों एवं परियोजना समन्वयक के द्वारा जानबूझ कर शौचालय निर्माण कार्यों में रूचि नहीं लेने के कारण अधिकांश कार्य ग्राम पंचायतों में अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा करा लिया जायेगा? (घ) क्या शौचालय निर्माण कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच कर विभाग दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) जी नहीं। अधिकांश ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्य पूर्ण किया गया है। शौचालय निर्माण एक सतत प्रक्रिया है समयावधि बताना संभव नहीं है। (घ) शौचालय निर्माण कार्य में लापरवाही तथा अनियमितता पाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वारासिवनी में श्री नरेश मेश्राम, ग्राम पंचायत कोस्ते, तत्कालीन सचिव (निलंबित) तथा ग्राम पंचायत देवगांव के सचिव श्री सुरेश कुम्भलवार के प्रकरण प्रचलन में है।

परिवहन किराये में कमी

107. (क्र. 4483) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार द्वारा छः महीनों में डीजल एवं पेट्रोल की कीमत 15रू. प्रतिलिटर की दर से कम किये गये हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्तानुसार प्रदेश सरकार के द्वारा भी उसी अनुपात में पेट्रोल डीजल के दाम कम किये गये या नहीं बतावें? (ख) क्या वाहनों के किराये में कटौती किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, आयुक्त व मंत्री परिवहन विभाग को कब-कब पत्र प्रेषित किया गया था? उक्त पत्रानुसार शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) प्रश्नांक (क) अनुसार पेट्रोल, डीजल के दाम कम किये जाने के बावजूद भी यात्री बसों, टैक्सी एवं मालवाहक वाहनों के किरायों में कटौती क्यों नहीं की गई? कारण सहित बतावें। (घ) क्या पेट्रोल, डीजल के दामें में कटौती लगातार होने के बावजूद भी आम जनता से यात्री बसों, टैक्सी एवं मालवाहक वाहन मालिकों के द्वारा अधिक किराया वसूल किया जा रहा हैं, जिसके कारण आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है? यदि हाँ, तो यात्री बसों, टेक्सियों एवं मालवाहकों के किराये में कटौती के निर्देश जारी किये जावेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

नगर छतरपुर में शा. उचित मूल्य दुकानों का संलग्नीकरण

108. (क्र. 4525) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न क्र. 408 दि. 8 दिसम्बर, 2014 के प्रश्नांक (ख) भाग के उत्तर में 04 दुकानें (परिशिष्ट अनुसार) नगर छतरपुर में पंजीयन क्षेत्र के बाहर आवंटित की जाना तथा उपायुक्त, सहकारिता की अनुशंसा के आधार पर बघराजन प्राथ. उप. सं. भं. को उनके कार्य क्षेत्र के बाहर की दुकानें आवंटित किया लेख किया गया है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। (ख) क्या उपायुक्त, सहकारिता, छतरपुर की उक्त अनुशंसा प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होती है? यदि हाँ, तो अनुचित अनुशंसा करने वाले उक्त अधिकारी का नाम/पदनाम लेख करें। (ग) क्या अनुचित अनुशंसा का जिला आपूर्ति अधिकारी, छतरपुर द्वारा निष्ठापूर्वक गहन अध्ययन/परीक्षण न किए जाने से अपात्र बघराजन प्रा.उ.स.भं. छतरपुर को उनके कार्य के बाहर दुकानें आवंटित करना परोक्ष लाभ पहुंचाने की परिधि में आता है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है, दोषी अधिकारी का नाम/पदनाम उल्लेखित करें। (घ) शासन, छतरपुर जिले में उपभोक्ताओं की सुविधा के नाम/आड़ में अपात्र शा.उ.मू. दुकानों की संलग्नीकरण की प्रचलित प्रथा को समाप्त करने एवं पात्र भण्डारों/संस्थाओं को दुकानें आवंटित करने के ओदश/निर्देश जारी करेगा तथा अनुचित अनुशंसा करने वाले/अनुचित अनुशंसा का गहन परीक्षण न कर उक्त भण्डार को परोक्ष लाभ पहुंचाने वाले उक्त अधिकारियों के विरूद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छतरपुर के अधि./कर्म. के विरूद्ध लम्बित प्रकरण

109. (क्र. 4526) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माह जुलाई, 2014 से प्रश्न दिनाँक तक जिला सह. केन्द्रीय बैंक मर्या., छतरपुर में पदस्थ

अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अमानत में ख्यानत से संबंधित प्रकरण पुलिस विभाग में लम्बित हैं? हाँ, तो उक्त अधि./कर्म. के नाम, प्रकरण किस थाना क्षेत्र में लम्बित, प्रकरण क्र./दि., ख्यानत प्रकरणों का सूक्ष्म विवरण, प्रकरणवार गबन राशि, तत्कालीन पदस्थापना स्थल की सूची देवे? (ख) क्या उक्त प्रकरणों के प्रकाश में आने पर उक्त अधि./कर्म. को निलम्बित किया गया था? हाँ, तो निलम्बन ओदशें की प्रतियां देवे? (ग) क्या उक्त प्रकरणों की बैंक प्रबंधन द्वारा जाँच कराई गई है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन में उक्त अधि./कर्म. को दोषी पाया गया है, तो उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत कर स्पष्ट करें। क्या उक्त अधि./कर्म. को निलम्बन से बहाल कर फील्ड में पदस्थ किया गया है? यदि हाँ, तो बहाली/पदस्थी आदेशों की प्रति देवें? (घ) क्या उक्त बहाली आदेश उचित हैं? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें, यदि नहीं तो अनुचित बहाली आदेश पारित करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है, दोषी अधिकारी का नाम/पदनाम उल्लेखित करें? (ड.) शासन, उक्त अनुचित बहाली आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर ख्यानत जैसे प्रकरणों में संलिप्त उक्त अधि./कर्म. की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही करेगा तथा उक्त अनुचित बहाली आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (ग) जी नहीं. उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (ड.) उत्तरांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

<u>परिशिष्ट - "तेईस</u>"

<u>ग्राम सभाओं का आयोजन</u>

110. (क्र. 4554) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं का आयोजन कब से आरंभ किया गया है? (ख) वर्तमान में ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा होना अनिवार्य है या नहीं? (ग) ग्राम सभा में ग्रामीण जनों की उपस्थिति कितने प्रतिशत होना चाहिये तथा ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिए किन-किन माध्यमों से सूचना दी जाती है? (घ) विगत 2 वर्षों में सुवासरा विधानसभा में किन-किन ग्रामों में ग्राम सभा हुई तथा कब-कब आयोजित की गई? ग्रामवार तथा दिनाँकवार जानकारी दें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनाँक 25 जनवरी 1994 को प्रथम बार प्रकाशित होने के उपरांत ग्राम सभाओं का आयोजन आरंभ किया गया। (ख) जी हाँ। (ग) ग्राम सभा की बैठक के लिये कुल सदस्यो का 10 प्रतिशत या पांच सौ सदस्य जो भी कम हो से कोरम की पूर्ति का प्रावधान है। ग्राम सभा में उपस्थित होने के लिये एजेंडा जारी कर सूचना पत्र सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करके एवं ग्राम में डोडी पिटवाकर घोषणा के माध्यम से सूचना दी जाती है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

<u>नियमित नियुक्ति हेतु व्यापम के माध्यम से चयन प्रक्रिया</u>

111. (क्र. 4565) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण विकास विभाग में उपयंत्री (सिविल) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु व्यापम के

माध्यम से चयन प्रक्रिया चल रही है? (ख) क्या विज्ञापन में आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2014 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये? (ग) क्या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर वर्ष 2005-2006 के पश्चात लगभग 700 संविदा उपयंत्रियों (सिविल) की नियुक्ति की गई थी? इनमें से कितने संविदा उपयंत्री (सिविल) 01 जनवरी 2014 को 40 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुके थे सूची उपलब्ध करावें? (घ) प्रश्नांश (क), (ख), व (ग) सही है तो आवेदन दिनाँक तक 40 वर्ष आयु सीमा पार कर चुके संविदा उपयंत्री (सिविल) जो कि इस परीक्षा में नहीं बैठ पाये उनका भविष्य क्या होगा? उन्हें कब तक नियमित किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत उपयंत्री (सिविल) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गो, विभागों/निगमों/मण्डलों/आयोगों/स्वायत्तशासी निकायों/होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45वर्ष रखी गई है। (ग) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 के पश्चात 1840 संविदा उपयंत्रियों (सिविल) की नियुक्ति की है। इनमें से 439 उपयंत्री 1.01.2014 को 40 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) जी हाँ, आवेदन दिनाँक तक 40 वर्ष आयु सीमा पार चुके संविदा उपयंत्री जो कि परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं के भविष्य पर संविदा कर्मी स्वयं स्वतंत्र है। संविदा पर कार्यरत उपयंत्रियों का नियमितीकरण शासन के विचाराधीन नहीं है।

खेत सड़क एवं हाट बाजार योजना का क्रियान्वयन

112. (क्र. 4576) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क नरेगा की उपयोजना है, व योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु इसका पूरा नाम शासन की क्या गाइड लाईन निर्धारित हैं? गाइड लाईन की प्रति उपलब्ध करावें? (ख) क्या उज्जैन जिला अंतर्गत गाइड लाईनों के तहत उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया? (ग) यदि हाँ, तो उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में खेत, सड़क एवं सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क योजना हेतु कितनी-कितनी लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई? यह जानकारी वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक पूर्ण विवरण सहित दी जावें? (घ) विधानसभा क्षेत्र-उज्जैन दक्षिण में प्रश्नांश (ग) के अनुसार कितनी योजनाओं को शामिल किया गया हैं? क्या सभी योजनाएं समयावधि में पूर्ण हो चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें व कब तक पूर्ण कर दी जावेंगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। महात्मा गांधी नरेगा की उपयोजना सुदूर ग्राम सम्पर्क व खेत सड़क के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। (ग) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (घ) विधानसभा क्षेत्र उज्जैन दक्षिण में उत्तरांश (ग) अनुसार 62 कार्य शामिल किये गये। जिनमें 29 कार्य प्रारंभ हुए। जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जाना जॉबकार्डधारी श्रमिकों द्वारा रोजगार की मांग व केन्द्र सरकार से समुचित राशि की उपलब्धता पर निर्भर होने से कार्य पूर्ण कराये जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री सड़क योजना अन्तर्गत आवंटित राशि

113. (क्र. 4577) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले के उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में अब तक स्वीकृत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का ब्यौरा दें? (ख) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक स्वीकृत मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत आवंटित राशि, का व्यय का ब्यौरा क्या हैं? (ग) उपरोक्त योजनांतर्गत उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कितनी सड़कों के कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित हैं व किस कारण एवं कब से? कब तक उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत होंगे? (घ) प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत पूर्ण सड़कों के मैंटेनेंस पर कितनी राशि व्यय की गई है सड़कवार विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कोई सड़क स्वीकृत नहीं हुई है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उपरोक्त योजनान्तर्गत उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "चौबीस"

कटनी जिले में राशन कार्ड से अधिक आवंटन की जाँच

114. (क्र. 4607) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधानसभा परि.अता. प्रश्न संख्या 51 (क्र.-2315) दिनाँक 13.12.2012 के आश्वासन क्र. 292 के संदर्भ में अपर कलेक्टर, कटनी का प्रतिवेदन दिनाँक 24.04.2014 में बहोरीबंद जनपद क्षेत्र में 1,67,88,004 रूपये की सामग्री का एवं अन्य जाँचकर्ताओं के जाँच प्रतिवेदन दिनाँक 22.05.2010 में विजयराघवगढ़ क्षेत्र की राशन दुकानों को 1,94,97,773 रूपये की अधिक सामग्री का आवंटन होना पाया गया है? यदि हाँ, तो बताये कि इन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या जिला अपूर्ति नियंत्रक जबलपुर ने कटनी जिले में प्रचलित राशन कार्ड से अधिक आवंटन की पूरे जिले में जाँच की है अगर हाँ तो जाँच में क्या निष्कर्ष पाया गया है एवं जाँच प्रतिवेदन संचालनालय खाद्य विभाग भोपाल को दिये गये है उन का क्या निराकरण किया गया है? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) के जाँच दल में सहायक जाँचकर्ता अधिकारी श्री सज्जन सिंह परिहार एवं श्री संजय खरे बहोरीबंद क्षेत्र में आरोपित प्रकरण की अवधि के दौरान ही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर कार्यरत थे एवं वर्तमान जिला आपूर्ति अधिकारी श्री वी.वी.एस.सेंगर भी उक्त अवधि में सहायक आपूर्ति अधिकारी के पद पर बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा क्षेत्र में कार्यरत थे? यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारियों के स्वयं हित में जाँच को प्रभावित करने के कारण माननीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य शासन स्तर पर उच्च स्तरीय जाँच दल गठित किया जाकर पुन: जाँच कराई जायेगी।

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

लोकसेवा के केन्द्रों से प्रदत्त सेवाएं

115. (क्र. 4610) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम अंतर्गत कटनी जिले में अधिसूचित एवं जिला स्तरीय कौन-कौन सी सेवायें लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से कितना शुल्क निर्धारित कर प्रदाय की जा रही हैं? क्या आवेदनों की पावती में समय सीमा का निर्धारण किया जाना आवश्यक है? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में आर.एफ.पी. दस्तावेज एवं शासन के नियमानुसार, आवेदनों पर,

लोकसेवा केन्द्र संचालक को निविदा अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि से अधिक राशि लेने का अधिकार है? यदि हाँ, तो शासन के नियम बतावें। (ग) प्रश्नांश (क) के तहत सेवाओं के आवेदनों से प्राप्त राशि किन-किन को कितनी-कितनी प्राप्त होती है? शासन के अंशदान को किन खातों में रखा जाता है? इन खातों के व्यय एवं लेखा संधारण किस अधिकारी एवं विभाग द्वारा किये जाते हैं?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम अंतर्गत कटनी जिले में अधिसूचित एवं जिला स्तरीय सेवाओं का विस्तृत विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। जी हाँ। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों में आवेदकों से प्राप्त होने वाली राशि लोक सेवा केन्द्र संचालक तथा ई-गवर्नेंस सोसायटी को **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** प्राप्त होती है। शासन के अंशदान को जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खातों में रखा जाता है तथा इन खातों का व्यय एवं लेखा संधारण जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट – "पच्चीस"

श्रवण वाधितार्थ शिक्षकों की पदोन्नति

116. (क्र. 4622) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा कार्यपालिक कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में तीन पदोन्नतियां देने का प्रावधान है जबकि सामाजिक न्याय विभाग के शिक्षक (श्रवण वाधितार्थ) 30-35 वर्षों से शिक्षक के पद पर ही कार्यरत हैं उनको आज दिनाँक तक कोई पदोन्नतियां नहीं प्राप्त हुईं, ऐसा क्यों? कब तक पदोन्नतियां होंगी? (ख) म.प्र. में विशेष विद्यालय में कार्यरत शिक्षक (श्रवण वाधितार्थ) वर्तमान में कुल कितने हैं, कितने शिक्षकों को पदोन्नति कर किस-किस स्थान में पदस्थ किया गया है? सूची देवें? (ग) शिक्षक (श्रवण वाधितार्थ) के पदोन्नति करने हेतु भर्ती नियम क्या हैं? अगर भर्ती नियम नहीं हैं, तो कब तक बनेगा? (घ) सामाजिक न्याय विभाग में सहायक संचालक के कुल कितने पद हैं, कितने भरे हैं और कितने रिक्त हैं? भरे एवं रिक्त पदों की सूची उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। नियमानुसार पदोन्नतियां दी गई है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) 43 कार्यरत। पदोन्नत शिक्षक की सूची **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ग) भर्ती नियम है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है।

परिशिष्ट - ''छब्बीस''

मध्यप्रदेश नंदन फलोधान की मानीटरिंग में अनियमितता

117. (क्र. 4623) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्माण कार्यों की मानीटरिंग हेतु शासन द्वारा दिनाँक 01.05.2010 को 65 एस.क्यू.एम. लगाये गये उनमें कितने 70 वर्ष से 77 वर्ष आयु के थे? (ख) दिनाँक 27.05.08 को 14 राज्य स्तरीय उद्यानिकी विशेषज्ञ के नंदन फलोद्यान की मानीटरिंग हेतु नामांकित किया गया इसकी विज्ञप्ति, सेवा शर्तो की प्रति दी जाये? (ग) क्या एस.क्यू.एम. के नामांकन हेतु कोई आयु सीमा नियत नहीं थी? आयु सीमा 65 वर्ष संविदा नियुक्ति हेतु नियत है फिर राज्य स्तरीय उदयानिकी विशेषज्ञों से मानीटरिंग प्रारम्भ नहीं कराई जा रही हैं, क्यों? (घ) क्या माह अप्रैल,2010 के बाद नंदन फलोदयान

उपयोजना के कार्यों का किन-किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया?? (ड.) चीफ इंजीनियर व एस.ई. ने जानते हुये भी नंदन फलोद्यान की मानीटरिंग क्यों नहीं प्रारंभ करायी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। उनमें 70 से 77 वर्ष की आयु के 9 एस.क्यू.एम. थे। (ख) नंदनफलोद्यान की मानीटरिंग हेतु दिनाँक 29/05/2009 को 13 राज्य स्तरीय उद्यानिकी विशेषज्ञों को नामांकित किया गया। इसकी विज्ञप्ति, सेवा शर्तो की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग) जी नहीं। एस.क्यू.एम. के नामांकन हेतु आयु सीमा नियत है। मनरेगा फलोद्यान के कार्य सीमित होने तथा जिला पंचायतों में उद्यानिकी सहायक/सहायक संचालक उद्यानिकी, पदस्थ होने से राज्य स्तरीय उद्यानिकी विशेषज्ञों से मानीटरिंग की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं हुई। (घ) प्रश्नाधीन अवधि में संबंधित उपयंत्री/सहायक यंत्री/उद्यानिकी सहायक/सहायक संचालक उद्यानिकी द्वारा नंदन फलोद्यान कार्यों का निरीक्षण किया गया। (ड.) उत्तरांश (ग) एवं (घ) अनुसार।

वाहनों का पंजीयन

118. (क्र. 4641) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग दतिया द्वारा वर्ष-2013-14 एवं 2014-15 में कितने वाहनों का कमर्शियल के रूप में पंजीयन किया गया? गाड़ी का प्रकार/पंजीयन धारी का नाम/पता/पंजीयन क्र./पंजीयन का उद्देश्य सहित जानकारी उपलब्ध कराये, जिले में बसों के कितने स्थायी, कितने अस्थायी तथा उपरोक्त वर्षो में कितने नवीन परमिट प्रदाय किये गये गाड़ी मालिक का नाम/रजिस्ट्रेशन नंबर/रूट का नाम/समय विवरण/परमिट की वैधता दिनाँक की जानकारी उपलब्ध करायी जावें? (ख) जिले में ऐसी कितनी बसें चल रही है जो परमिट पर 52 सीटर या अधिक अंकित है, किंतु रूट पर कम सीटर (छोटी बसें) चल रही है, यदि चल रही हैं तो परिवहन विभाग द्वारा इसे रोकने के क्या प्रयास किये गये? (ग) जिले में ऐसे कितने कृषि वाहन हैं जो कमर्शियल रूप में पंजीकृत हैं इनके गाड़ी मालिक का नाम/पता/गाड़ी का प्रकार/पजींयक क्र./भार क्षमता तथा ऐसे कितने वाहन है जो कमर्शियल में पंजीकृत न होने के बाद भी कमर्शियल कार्यों में लिप्त हैं? विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) क्या ओवर लोड वाहन अपनी क्षमता से तीन गुना से ज्यादा वजन ले जाते हैं, यदि हाँ, तो इस प्रकार के वाहनों को रोकने अथवा चालान का अधिकार थाना प्रभारियों को है? यदि हाँ, तो फिर क्यों इस प्रकार के वाहन सड़को पर चलते है? यदि सड़के ओवर लोडिंग वाहनों से नहीं उखड़ी है तो फिर स्थानीय अधिकारियों और ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और उखड़ने के क्या कारण रहे?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) परिवहन कार्यालय दतिया द्वारा वर्ष 2013-14 में 372 कमर्शियल वाहनों का एवं वर्ष 2014-15 में 230 कमर्शियल वाहनों का पंजीयन किया गया है। गाड़ी का प्रकार/पंजीयन धारी का नाम/पता/पंजीयन क्रमांक सहित वांछित वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार** है। जिले में बसों के 93 स्थाई परमिट तथा 02 अस्थाई परमिट जारी है। गाड़ी मालिक का नाम/रजिस्ट्रेशन नंबर/रूट का नाम/परमिट की वैधता सहित वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स एवं द अनुसार** है। (ख) नियम विरूद्ध संचालित होने वाली यात्री बसों पर रोक लगाने हेतु समय समय पर विभागीय अमले द्वारा जाँच की जाती है तथा ऐसी संचालित पाई जाने वाली बसों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर शासकीय शमन शुल्क की राशि वसूल की जाती है। विशेष चैकिग अभियान में परमिट पर आच्छादित वाहन के

स्थान पर अन्य प्रकार की वाहन संचालित होते नहीं पाई गई। अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं। (ग) दतिया जिले में कमर्शियल ट्रैक्टर के रूप में 66 वाहन पंजीकृत हैं। वांछित जानकारी सहित सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार** है। विशेष चैकिग अभियान में कमर्शियल में पंजीकृत न होने के बाद भी कमर्शियल कार्यों में वाहनें संचालित होते नहीं पाई गई। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं। (घ) जी नहीं, विशेष चैकिंग अभियान के दौरान ओवर लोडिंग के ऐसे प्रकरण नहीं पाये गये, पुलिस विभाग की यातायात शाखा में पदस्थ समस्त निरीक्षक/उप निरीक्षक को ओवर लोडिग वाहनों के चालान करने के अधिकार म.प्र. शासन परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-3-2000-आठ भोपाल दिनाँक 23 अगस्त 2005 द्वारा प्रदत्त हैं। चेकिंग के दौरान ओवर लोड पाये जाने वाले सभी वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही कर शमन शुल्क की राशि वसूल की जाती है। क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधारने का कार्य लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, इस संबंध में कार्यवाही करने के अधिकार परिवहन विभाग को नहीं है।

निराश्रित, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का भुगतान

119. (क्र. 4644) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के कितने हितग्राहियों को निराश्रित, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन वर्तमान समय में कितनी-कितनी प्रदान की जा रही है? जनपद पंचायतवार संख्या बतावें। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियों को वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक कितने माह का भुगतान किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियों की कब से कितने पेंशन का भुगतान शेष है? उक्त पेंशन के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं, तथा शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? (घ) क्या शासन इन गरीब हितग्राहियों को प्रतिमाह निश्चित समय में पेंशन भुगतान की कोई योजना बनावेगा? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 54886 हितग्राहियों को निराश्रित, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन प्रदाय की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् है।

क्र.	योजना का नाम एवं आयु	पेंशन दर
1	निराश्रित सामाजिक सुरक्षा पेंशन	150/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	
	60 से 64 वर्ष आयु के हितग्राही	200/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह
	65 से 79 वर्ष आयु के हितग्राही	275/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह
	80 वर्ष अथवा अधिक आयु के हितग्राही	500/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	300/-प्रति हितग्राही प्रतिमाह

जनपद पंचायत संख्यात्मक **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) माह जनवरी 2015 से हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। कोई हितग्राही शेष नहीं है। (घ) समग्र पोर्टल के माध्यम से पेंशन का भुगतान नियमित रुप से किया जा रहा है।

परिशिष्ट - "सत्ताईस"

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता

120. (क्र. 4645) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में पिछले 3 वर्षो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं खासतौर से गरीबों को नियमित खाद्यान्न वितरण नहीं होने, कैरोसिन, शक्कर ए.पी.एल. के गेहूं का वितरण न होकर कालाबाजारी होने, हितग्राहियों के कागजात अपने आप रखकर कई कई माह का राशन न देकर मनमानी प्रविष्टि करना व उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें शासन को मिली हैं, शिकायतकर्ताओं के नाम, की गई शिकायत की तिथि व जिनकी शिकायते की गई हैं उनके नाम व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में खाद्यान राशन वितरण का कार्य कितने व्यक्ति या संस्था को दिया गया? (ग) ऐसे कितने व्यक्ति या संस्थायें हैं जिनको एक से अधिक राशन की दुकानें दी गई उनके नाम व उनके विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें शासन को मिली व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

फर्जी अंकसूची की एफ.आई.आर. दर्ज की जाना

121. (क्र. 4691) श्रीमती रेखा यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले की राजनगर जनपद पंचायत द्वारा दिनाँक 05.06.2013 को दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा दिनाँक 07.06.2013 को दिए गए निर्देश के बाद भी सचिव गणेश तिवारी के विरूद्ध अंकसूची में फेरबदल किए जाने से संबंधित एफ.आई.आर. प्रश्नांकित दिनाँक तक भी दर्ज नहीं करवाई गई? (ख) सचिव गणेश तिवारी के द्वारा बोर्ड की अंकसूची में अपनी जन्म तिथी 08.10.1950 की जगह 08.10.1960 बताई जाकर की गई सेवा के बाद एफ.आई.आर. दर्ज करवाए जाने की बजाये उन्हें किस दिनाँक को सेवा निवृत्त किया जाकर कौन-कौन से लाभ विभाग के द्वारा दिए गए हैं? (ग) सचिव गणेश तिवारी के विरूद्ध अंकसूची में फेरबदल किए जाने की एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाकर उन्हें सेवानिवृत्ति पर दिए गए लाभों की वसूली हेतु विभाग क्या कार्यवाही कर रहा हैं? यदि नहीं, तो कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनगर के पत्र क्र. 1285 दिनाँक 27.06.13 एवं 1291 दिनाँक 28.06.13 द्वारा थाना प्रभारी राजनगर को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लेख किया गया था। मूल अभिलेख न होने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनगर के पत्र क्र. 249 दिनाँक 08.08.11 द्वारा श्री गणेश तिवारी पंचायतकर्मी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त करने का लेख किया गया। जून 2010 से श्री गणेश तिवारी को वेतन/मानदेय बंद किये जाने के बाद किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया गया। (ग) सचिव/पंचायतकर्मी श्री गणेश तिवारी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी राजनगर को लेख किया गया था परंतु मूल अभिलेख न होने से थाने द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। श्री गणेश तिवारी जून 2010 से लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। सेवानिवृत्ति हेतु जनपद पंचायत द्वारा लेख किया गया था। श्री गणेश तिवारी को वेतन बंद किये जाने के बाद किसी प्रकार का कोई अन्य लाभ का भुगतान नहीं किया गया।

छतरपुर केन्द्रीय बैंक में चुनाव

122. (क्र. 4692) श्रीमती रेखा यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधि के चुनाव में गत दौ वर्षो में किस-किस वर्ग एवं किस-किस विकासखण्ड से किस-किस को केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि घोषित किया गया इसमें से किस-किस को किन-किन कारणों से किस दिनाँक को किसके आदेश से अपात्र घोषित कर दिया गया? किस-किस प्रतिनिधि को किस दिनाँक को बैंक का संचालक घोषित किया? (ख) केन्द्रीय सहकारी बैंक का प्रतिनिधि घोषित किए जाने या संचालक घोषित किए जाने के कितने दिनों बाद प्रतिनिधि या संचालक को अपात्र घोषित किये जाने का प्रावधान किस धारा में दिया जाकर किसको क्या-क्या अधिकार दिए गय हैं? (ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव पूरा होने के पूर्व ही चुनाव अधिकारी को किस दिनाँक को किसके आदेश से किन-किन कारणों से निलंबित किया गया उन्हें निलंबन से किस दिनाँक को बहाल किया उनके विरूद्ध चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित विभागीय जाँच के लिए किसे जाँचकर्ता अधिकारी बनाया गया निर्वाचन की शेष प्रक्रिया के लिए किसे निर्वाचन अधिकारी बनाया गया? (घ) प्रारंभ की गई चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही गड़बड़ी करने वाले निलंबित चुनाव अधिकारी द्वारा की गई चुनाव प्रक्रिया को प्रश्नांकित दिनाँक तक भी निरस्त न किए जाने का क्या कारण हैं उसे निरस्त किए जाने हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा हैं कब तक करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

शासकीय राशन दुकानों में अनियमितता

123. (क्र. 4739) श्री अंचल सोनकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के अंतर्गत संचालित शासकीय सहकारी दुकानों की जाँच समय-समय पर खाद्य अधिकारी द्वारा की जाती है यदि हाँ, तो वर्ष-2013-14 से 2014-15 तक कुल कितनी दुकानों की जाँच की गई? जाँच के दौरान क्या-क्या अनियमितायें पाई? दुकानवार विवरण दें? (ख) क्या प्रश्नकर्ता की विधानसभा क्षेत्र में संचालित शासकीय सहकारी दुकान क्र. 3316223, 3316307, 3316225, 3316228, 3316226 एवं 3316220 की जाँच विगत 3 वर्षो से खाद्य अधिकारी द्वारा नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों, यदि की गई है तो क्या इन दुकानों में क्या-क्या अनियमितायें पाई गई? (ग) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांश (ख) में संचालित दुकानों में फर्जी कार्ड दुकान रजिस्ट्रर में चढ़े है जिनकी जाँच प्रश्न दिनाँक तक नहीं की गई है क्यों यह भी बताया जावें कि माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणानुसार गरीब उपभोक्ता को गेहूँ, चावल एवं अन्य सामग्री निर्धारित दर पर प्रदान नहीं की जा रही है क्या यह भी सत्य है कि मिट्टी का तेल उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है सीधें बाजार में कालाबाजारी की जा रही है? (घ) प्रश्नांश (ख) में संचालित दुकानों में फर्जी हस्ताक्षर कर राशन की ब्लेक मार्केटिंग की जा रही है क्या इस संबंध में शासन कोई ठोस कार्यवाही करेगा तो कब तक, दुकानों में हो रहे फर्जीवाड़ा का दोषी कौन है क्या दोषियों पर शासन कार्यवाही करेगा तो कब तक? उक्त संचालित दुकानों की समिति के सदस्यों के नाम पते सहित देवें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

मनरेगा के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा सामग्री क्रय

124. (क्र. 4753) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा योजना में विभिन्न कार्यों में सामग्री एवं मजदूरी व्यय का क्या अनुपात निर्धारित है? क्रियान्वयन एजेन्सियों को सामग्री किन नियमों का पालन करते हुए क्रय करने के अधिकार हैं? क्या क्रियानवयन एजेन्सियों द्वारा सीमेन्ट, लोहा गिट्टी, मुरम तथा अन्य निर्माण सामग्रियों को शासन में पंजीकृत बेण्डरों से क्रय करने के नियम हैं? क्या निर्माण सामग्री क्रय करने के लिये क्रियान्वयन एजेन्सियों के द्वारा प्रदाय सामग्री के भुगतान पर वैट टैक्स एवं आयकर कटौती का प्रावधान है? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत वर्ष 2011 से अद्यतन वर्ष तक वर्षवार कितनी-कितनी निर्माण सामग्री किन-किन बेण्डरों से क्रय की गई, उनको कितना भुगतान किया गया तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों एवं बेण्डरों द्वारा कितनी राशि वैट एवं आयकर की कटौती कर शासन में जमा कराई गई? (ग) यदि क्रियान्वयन एजेंसी जनपद/ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री भुगतान की राशि पर वैट टैक्स/आयकर की कटौती न कर बेण्डरों को लाभ पहुँचाने एवं शासन को क्षति पहुँचाने के लिए कौन-कौन उत्तरदायी है? उपरोक्त बेण्डरों से वैट टैक्स/आयकर की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक? (घ) शासन को करोड़ो रूपयों की क्षति पहुँचाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी? समय सीमा बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मनरेगा योजना में क्रियान्वित होने वाले कार्यों के लिये मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय का अनुपात 60:40 से कम न रखे जाने के निर्देश हैं। यह अनुपात कार्यवार न होकर वित्तीय वर्ष में क्षेत्र में प्रचलित समग्र कार्यों के लिये है। क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सीमेन्ट, गिट्टी, लोहा, मुरम तथा अन्य निर्माण सामग्रियों को उनके विभाग में प्रचलित नियमों के अनुरूप क्रय करने के निर्देश हैं। तदानुसार प्रदाय सामग्री के भुगतान पर वेट टैक्स एवं आयकर कटौती का प्रावधान है। (ख) टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2011 से अब तक वर्षवार क्रय की गई सामग्री पर किये गये भुगतान का विवरण निम्नानुसार है - (रू. लाख में) वित्तीय वर्ष 2011-12 भुगतान की गई राशि 2981.62 वित्तीय वर्ष 2012-13 भुगतान की गई राशि 3767.11 वित्तीय वर्ष 2013-14 भुगतान की गई राशि 2532.79 वित्तीय वर्ष 2014-15 भुगतान की गई राशि 3200.18 विस्तृत जानकारी मनरेगा पोर्टल www.nrega.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद, भोपाल के पत्र क्र. 8146 दिनाँक 1.10.2013 के अनुसार जनपद/ग्राम पंचायतों को वेट-टेक्स की कटौती नहीं किये जाने के निर्देश हैं। अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। (घ) उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बसों के परमिट निरस्त किया जाना

125. (क्र. 4773) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिला परिवहन कार्यालयों में इस आशय के निर्देश जारी किये गये हैं कि बसों के संचालन में जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाये, यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें? (ख) क्या सतना जिले के विभिन्न मार्गों में चलने वाली बसों के संचालकों द्वारा शासन के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो ऐसे बस संचालकों के विरूद्ध विगत दो वर्षो में कब-कब क्या कार्यवाही की गई? (ग)

क्या सतना जिले के विभिन्न रूटों में चलने वाली बसों में शासन के निर्देशानुसार परमिट की तिथि, वैधता दिनाँक, व किराया सूची चस्पा की गई है तथा साथ ही चालक व परिचालक वर्दी पहनकर बस का संचालन करते हैं? यदि नहीं तो किन-किन बस मालिकों के परमिट वाली बसों में नियम का पालन न करने पर कब-कब क्या कार्यवाही की गई? (घ) सतना जिले के विभिन्न मार्गों में चलने वाली बसों के मालिक का नाम, बस क्रमांक, वैधता दिनाँक सहित पूर्ण जानकारी देवें तथा यह बतायें की कौन-कौन सी मार्ग में बिना परमिट के बस चलाई जा रही हैं तथा ऐसे बस मालिकों का नाम बताएँ जो स्वीकृत मार्ग की जगह अन्य मार्गों में बसों का परिचालन करते हैं? क्या इनके विरूद्ध परमिट निरस्तगी की कार्यवाही की जायेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ, आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) निर्धारित नियम एवं शासन आदेश पालन कराये जाने हेतु समय समय पर आकस्मिक जाँच की जाती है तथा वाहनों में अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही कर शमन शुल्क की राशि वसूल की जाती है। सतना जिला अंतर्गत विगत 02 वर्षो में की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) सतना जिले के विभिन्न मार्गो पर संचालित होने वाली यात्री बसों में विभिन्न अनियमितताओं की जाँच समय समय पर आकस्मिक चैकिंग के दौरान की जाती है। कार्यवाही विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** हैं। (घ) सतना कार्यालय द्वारा जारी किये गये वर्तमान में वैध अस्थाई परमिटों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है, तथा सतना क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रीवा द्वारा जारी स्थाई परमिटों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ई अनुसार** है। आकस्मिक चैकिंग के दौरान स्वीकृत मार्ग से भिन्न मार्ग पर बसों का संचालन नहीं पाया गया। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं।

ग्राम पंचायत खटखरी के सरपंच/सचिव के विरूद्ध जाँच

126. (क्र. 4774) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के जनपद पंचायत हनुमान के अंतर्गत ग्राम पंचायत खटखरी के सरपंच श्री पुषोत्तम नारायण मिश्रा एवं पूर्व सचिव गंगा प्रसाद गुप्ता के विरूद्ध करोड़ों रूपये के किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराने हेतु रामविलास पासवान तनय बबोली प्रसाद निवासी खटखरी द्वारा दिनाँक 11.09.2012 को कमिश्नर रीवा एवं दिनाँक 12.12.2013 को कलेक्टर रीवा तथा 07.08.2013 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा से की गई थी? (ख) यदि हाँ, तो उनके शिकायती पत्र कब-कब किस अधिकारी को सौंपकर जाँच कराई गई तथा बिन्दुवार की गई शिकायत पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई विवरण देवें? (ग) क्या शिकायत की जाँच नहीं होने पर इनके द्वारा मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से शिकायत करने पर माननीय पंचायत मंत्री, कार्यालय के पत्र क्रमांक/1407 दिनाँक 25.10.2014 द्वारा कलेक्टर रीवा को जाँच कर निराकरण से अवगत कराने हेतु लिखा गया है? (घ) यदि प्रश्नांश (ग) का उत्तर हाँ तो शिकायत की जाँच कलेक्टर रीवा द्वारा किस अधिकारी से कब कराई गई, जाँच प्रतिवेदन व की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा उनके पत्र दिनाँक 03.03.2015 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

हनुमना जिला रीवा को जाँच करने हेतु लिखा गया है। जाँच की कार्यवाही प्रचलन में है। (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। शिकायत की जाँच प्रचलन में है।

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों का संविलियन

127. (क्र. 4829) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में पदस्थ कर्मचारियों को बैंक के लगातार घाटे में जाने के कारण अन्य विभागों में संविलियन किये जाने का प्रस्ताव है? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के क्रम में हाँ तो उक्त कर्मचारियों का किन-किन विभागों में कब तक संविलियन किया जायेगा? (ग) क्या शासन जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारियों के हित में शीघ्र ही निर्णय लेगा? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

फसल बीमा राशि का भुगतान

128. (क्र. 4835) श्री सूर्यप्रकाश मीना : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विदिशा अंतर्गत वर्ष 2014 में अतिवर्षा में ओलों से हुई खरीफ की फसल की क्षति उपरांत ऐसे कितने कृषक हैं, जो फसल क्षति के मान से फसल बीमा राशि हेतु पात्र होने के बाद भी बीमा राशि का लाभ नहीं दिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के क्रम में फसल बीमा राशि से वंचित पात्र कृषकों को बीमा राशि नहीं दिये जाने के कारण सहित जानकारी दें, एवं इसके लिये दोषी कौन है? (ग) क्या शासन प्रश्नांश (क) के क्रम में बीमा राशि से वंचित सभी पात्र कृषकों को फसल बीमा राशि शीघ्र ही भुगतान किये जाने के निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2014 में आयुक्त भू-अभिलेख ग्वालियर से एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी को औसत उपज के आंकडें प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31.01.2015 थी। दावा गणना कार्य प्रक्रियाधीन है। दावा गणना का कार्य पूर्ण होने तथा अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य/केन्द्र शासन के हिस्से की राशि प्राप्त किये जाकर नोडल बैंकों के माध्यम से पात्र कृषकों को बीमा राशि का लाभ दिया जाता है। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दावा गणना का कार्य प्रक्रियाधीन है। (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में दावा गणना का कार्य पूर्ण होने पर एवं अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात राज्य/केन्द्र की राशि प्राप्त होने पर दावा राशि बैंकों के माध्यम से पात्र कृषकों के खातों में जमा की जाती है।

अनुदान योजनाओं में अनियमितता

129. (क्र. 4878) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग जिला खरगौन के द्‌वारा विगत 3 वर्षों में वि.ख. भगवानपुरा, भीकनगांव, गोगावा, सेगांवा के कितने कृषक को कौनसी अनुदान सामग्री समस्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांकित (क) के अतंर्गत लाभांवित किसानों को उपलब्ध करायी गई अनुदान सामग्री किसानों द्‌वारा जमा कराई गई कृषक अशं की राशि प्राप्त कर किस-किस ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्‌वारा किस एम.पीटीसी-6 से राशि जमा करायी गई? (ग) प्रश्नांकित (क) के अनुसार हितग्राही को अनुदान पर उपलब्ध कराई गई

सामग्री की प्राप्ति रसीद एवं फार्म नंबर 13 अनुदान राशि आहरण के लिये उपलब्ध करायी गई? यदि नहीं तो आहरण अधिकारी द्वारा बिना फार्म नंबर 13 के अनुदान राशि का आहरण किस आधार पर किया गया? क्या शासन से आवंटन प्राप्त होते ही आहरण अधिकारी द्वारा बिना फार्म नं. 13 के एवं बिना सत्यापित बिल के मात्र स्वीकृति आदेश पर ही अनुदान राशि का आहरण किया गया? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उच्चस्तरीय दल से जाँच करवाकर दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र परिशिष्ट-अ अनुसार** है। (ख) विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित कृषकों को उपलब्ध कराई गई अनुदान सामग्री की कृषक अंश की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किसानों से प्राप्त कर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा संबंधित प्रदाय संस्था में जमा कराई गई है। जिसकी प्राप्ति रसीद विकास खण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को आहरण- वितरण के अधिकार नहीं होने से एम.पी.टी.सी.-6 देने का प्रावधान नहीं है। **(ग)** विभाग द्वारा हितग्राही को अनुदान पर उपलब्ध कराई गई सामग्री का संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा प्रदाय सामग्री का भौतिक सत्यापन उपरान्त वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर ही अनुदान देयकों का आहरण शासन के निर्देशानुसार कोषालय से किया गया। देयकों के सत्यापन के उपरान्त ही देयकों का आहरण किया जाता है। अत: जाँच का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मनरेगा योजना में अनियमितता

130. (क्र. 4879) श्रीमती झूमा सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खरगोन द्वारा मनरेगा योजना अतंर्गत विभागीय कार्यों में ब्लास्टिंग कार्य विगत 3 वर्षो से बिना लायसेंस ठेकेदार से करवाया गया? जिले द्वारा निर्धारित निविदाओं की विधिवत कार्यवाही नहीं कर लाखों रूपयों का भुगतान किया गया? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में दर्शित ठेकेदारों को भुगतान में वेट टैक्स की कटौत्री भी नहीं की गई न ही शासन को ठेकेदार के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स का भुगतान किया गया? (ग) क्या विभागीय अधिकारियों ने वि.ख. भीकनगांव, भगवानपुरा झिरन्या, गौगावा, सेगावा में कम्प्यूटर से फर्जी बिल बनाकर ठेकेदारों के नकली हस्ताक्षर कर लाखों रूपयों का भुगतान कर अवित्तीय अनियमितताएं की गई है? (घ) क्या शासन द्वारा संबंधित ठेकेदारों, भुगतानकर्ता अधिकारियों द्वारा कार्यों को सत्यापित करने वाले फर्जी हस्ताक्षर करने वाले कर्मचारियों तथा किये गये कार्यों की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, खरगोन द्वारा मनरेगा योजनांतर्गत विगत 3 वर्षो में ब्लास्टिंग का कार्य 11 इकाईयों से कराया गया जिसमें 7 ब्लास्टिंग लायसेंस धारक एवं 4 बिना लायसेंस इकाईया पाई गई। बिना लायसेंस इकाईया संज्ञान में आने पर उनसे अगस्त 2013 से ब्लास्टिंग का कार्य नहीं कराया गया। सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी स्वयं कार्य के क्रियान्वयन एजेंसी हैं और उपयोजना कपिलधारा कूप के किए गए कार्य भी हितग्राही मूलक

हैं। अतः निविदाए आमंत्रित करने का प्रश्न नहीं उठता है। (ख) ब्लास्टिंग संबंधी कोई भी बिल वेट टैक्स भुगतान योग्य नहीं होने से कटौत्रा नहीं किया गया है। अतः शासन को टैक्स का भुगतान नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता है। (ग) जी नहीं। विकासखण्ड भीकनगांव, भगवानपुरा, झिरन्या, गोगांवा, सेगांव में नकली हस्ताक्षर कर लाखों रूपयों का भुगतान करने संबंधी कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। (घ) उत्तरांश (ग) के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि मण्डियों में श्रेणी स्तर के सचिवों की नियुक्ति

131. (क्र. 4892) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चम्बल सम्भाग की कृषि मण्डियों में श्रेणी स्तर के सचिवों की पदस्थापना न कर गैर श्रेणी के सचिवों को पदस्थ किया गया है, क्यों? मण्डियों की श्रेणी, सचिवों के स्तर सहित वर्तमान पद स्थापना की जानकारी पदांकन वर्ष सहित दी जावे? (ख) वर्तमान में उक्त मण्डियों में प्रतिनियुक्ति पर कितने सचिव हैं? उनमें आडिटर, लिपिकीय वर्ग के कितने सचिव कहाँ-कहाँ पदस्थ हैं? (ग) चम्बल सम्भाग की मण्डियों में श्रेणी स्तर के सचिवों की पद स्थापना नहीं करने के क्या कारण हैं? नीति विरूद्ध पदस्थापना करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सचिव संवर्ग में अधिकारियों की कमी पदस्थापना का प्रमुख कारण है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश "क" की प्रश्नाधीन मण्डियों में 04 सचिव प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। उनमें मंडी कैलारस से 01 वरिष्ठ अंकेक्षक पदस्थ है। लिपिक वर्ग से कोई, सचिव के पद पर पदस्थ नहीं है। (ग) प्रश्नांश "क" उत्तर में वर्णित स्थिति पदस्थापना का कारण है और यह प्रशासनिक व्यवस्था है। अत: शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है।

परिशिष्ट - "अट्ठाईस"

चम्बल संभाग में सरसों की फलस को नुकसान

132. (क्र. 4893) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चम्बल संभाग मुरैना में वर्ष 2014-15 में कितने हेक्टर में सरसों की बोनी की गई है? तहसीलवार जानकारी दी जावे? (ख) क्या सरसों की फसल में अतिवर्षा के कारण सफेद फफोला (श्वेत किटट) रोग व पाला से अधिक नुकसान हुआ है? क्या प्रशासन द्वारा इसकी जाँच, रोग नियंत्रण का कार्य किया गया था? यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दी जावे? (ग) उक्त रोग व पाले से उत्पादन पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? उत्पादन की हानि पर क्या शासन द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्ष 2014-15 में चम्बल संभाग मुरैना में, सरसों की बोनी 290149 हेक्टर में की गई। तहसीलवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। सरसों की फसल में अतिवर्षा के कारण सफेद फफोला (स्वेतकिटदयट) एवं पाला से नुकसान नहीं हुआ है। जाँच एवं रोग नियंत्रण का प्रश्न ही नहीं उठता है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "उनतीस"

मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्य

133. (क्र. 4906) श्री सूबेदार सिंह रजौधा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत कैलारस, जौरा, पहाड़गढ़ जिला मुरैना में म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 6830/MGNREGS-MP/NR-3/2014 भोपाल दिनाँक 24.09.2014 के आदेश के विरूद्ध निर्माण कार्य किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों और कितनी कितनी राशि का कितनी ग्राम पंचातयों में निर्माण कार्य किये गये हैं और कितना-कितना भुगतान कर दिया गया है? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित आदेश के उपरांत विशेष परिस्थिति में जिला कार्यक्रम समन्वयक की लिखित अनुमति से ही निर्माण कार्य कराये जा सकते थे? यदि हाँ, तो जनपद पंचायत कैलारस, जौरा, पहाड़गढ़ में पचांयत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश के विरूद्ध कराये गये निर्माण कार्य के पूर्व जिला कार्यक्रम समन्यक से अनुमति ली गई थी? (ग) यदि हाँ, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कराये गये नियम विरूद्ध निर्माण कार्यों में क्या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो संबंधित लोक सेवकों पर की गई कार्यवाहियों से अवगत कराया जावेगा? (घ) क्या संबंधित जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं पंचायत कर्मचारियों/पदाधिकारियों ने जानबूझकर म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 6830 का उल्लघंन सिर्फ बेजा लाभ कमाने के उददृश्य से किया गया है? पूर्व में लाखों के निर्माण कार्य शेष रहने के बावजूद भी आदेश का उल्लघंन कर अधिकारियों/कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार करने की नीयत से निर्माण कार्य कराये गये? सरेआम म.प्र. शासन के आदेशों के उल्लघंन के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अधिकार के विपरीत कार्यवाही</u>

134. (क्र. 4919) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहकारिता अधिनियम में उपायुक्त को गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि विक्रय करने की अनुमति देने का अधिकार है? यदि नहीं, तो भोपाल के तत्कालीन उपायुक्त श्री अशोक मिश्रा द्वारा किन-किन गृह निर्माण समिति को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई? (ख) यदि हाँ, तो प्रावधान के विपरीत सहकारी समितियों को भूमि विक्रय करने की अनुमति देने के आरोप में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित यह अवगत करावें कि विधान सभा की पूर्व सदस्य के ध्यानाकर्षण दिनाँक 12 मार्च 2013 को चर्चा के दौरान सदन के समक्ष विभागीय मंत्री ने दोषी अधिकारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिये जाने के पश्चात भी कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? (ग) क्या भूमि विकास बैंक में बंधक रखी गई भूमियों की नीलामी की अनुमति नियम विरूद्ध दिये जाने के मामले में श्री अशोक मिश्रा को लोकायुक्त द्वारा दोषी पाये जाने के उपरांत कितने प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर किन-किन प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गए प्रकरणों की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>एस.बी. पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा भूमि का विक्रय</u>

135. (क्र. 4920) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एस.बी. पुलिस कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल का पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 542 के वर्ष 1994-95 की अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि उनके द्वारा रूप सिंह

परमार से ग्राम बाग सेवनिया में 12.72 एकड़ आवासीय भूमि 10 लाख रूपये में क्रय की गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1997-98 की अंकेक्षण रिपोर्ट में 5 एकड़ भूमि क्रय की जाना दर्शाया गया? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में खरीदी गई जमीन के अनुसार 7.72 एकड़ जमीन का उपयोग किस रूप में किया गया अंकेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? क्या संचालक मण्डल के सदस्यों ने संस्था की जमीन बाला-बाला विक्रय कर दी या आने परिवार के लोगों के नाम पंजीयत कर दी गई? (ग) प्रश्नांश (क) - (ख) में उल्लेखित भ्रष्टाचार एवं संस्था के सदस्यों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए कौन-कौन दोषी हैं? उनके विरूद्ध विभागीय स्तर पर एवं शासन द्वारा क्या तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

<u>**लोक सेवा गारन्टी में प्राप्त आवेदनों का निराकरण**</u>

136. (क्र. 4936) श्री गोपाल परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा गारंटी योजना के तहत आगर जिला बनने के उपरांत कितने आवेदन प्राप्त हुए? क्या इन सभी आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, लंबित है तो क्यों? कब तक निराकरण कर दिये जायेंगे? (ख) प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदन निरस्त किये गये है? निरस्ती उपरांत कितने आवेदन प्राप्त हुए? संख्या देवें क्या सभी आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है? संख्या बतावे नहीं तो कब तक कर दिया जावेगा? (ग) क्या समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो कितने कर्मचारियों पर? यदि नहीं की क्यों कब तक कार्यवाही की जावेगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आगर जिला बनने के उपरांत माह फरवरी, 2015 तक 127815 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 115067 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। शेष 12748 लंबित हैं, जो समय-सीमा अंतर्गत हैं जिनका निरारकण समय-सीमा में किया जावेगा। (ख) कुल प्राप्त आवेदनों में से 7737 आवेदन निरस्त किये गये हैं। निरस्ती उपरांत 29 आवेदन प्राप्त हुए तथा सभी का निराकरण कर दिया गया है **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ग) आगर जिले में समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**परिशिष्ट – "तीस**</u>"

<u>**अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन कार्ड बनाए जाना**</u>

137. (क्र. 4958) श्री के.पी. सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-2/2013/29 दिनाँक 10.01.2013 के द्वारा समस्त कलेक्टरों को बी.पी.एल. परिवार जो अन्त्योदय अन्न योजना की पात्रता रखते हैं, ऐसे परिवारों का 15 दिवस में सर्वे कराकर सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं? (ख) यदि हाँ, तो ग्वालियर संभाग में उपरोक्त सर्वे कार्य पूर्ण कराया जाकर राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो अभी राशन कार्ड न बनाये जाने का कारण क्या है? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं। दिनाँक 01 मार्च, 2014 से प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन किए जाने से उक्त निर्देश अप्रासंगिक हो गए। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की जाँच</u>

138. (क्र. 5011) श्री दिनेश कुमार अहिरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जतारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2009 से 2013 तक कौन-कौन सी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण किया गया? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? (ख) क्या पलेरा से टोरिया खेरा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, लिधौरा से दिगौड़ा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, सिमरा खुर्द से टानगा ग्रामीण सड़क, उदयपुरा तिगैला से मड़ोरी तक ग्रामीण सड़कों की जाँच कराई जाएगी? (ग) इन सड़कों की हालत कब तक ठीक हो जाएगी? क्या संबंधित दोषियों पर कार्यवाही होगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (**ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्ग पलेरा से टोरियाखेरा खास (पलेरा से टोरियाखेरा), लिधौरा से दिगौडा एवं चंदेरा से खुर्रमपुरा मार्ग भारी वाहनों के आवागमन से प्रभावित होने के कारण उक्त मार्गों का क्रस्ट उन्नयन करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। उदयपुरा तिगैला से मडोरी नाम का मार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं है। योजनांतर्गत सिमरा खुर्द से टांनगा मार्ग के आगामी पॉच वर्ष की संधारण अवधि के लिये एजेन्सी का निर्धारण कर लिया गया है। संधारण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जावेगा। अतः जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है। (ग) उक्त सड़को के संधारण/क्रस्ट उन्नयन हेतु कार्यवाही की जा रही है, निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। उत्तरांश (ख) के प्रकाश में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "इकतीस</u>''

<u>जनपद पंचायत सबलगढ़ अतंर्गत पूर्ण / अपूर्ण कार्य</u>

139. (क्र. 5019) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की सवलगढ़ जनपद पंचायत में विगत तीन वर्षों में सभी मदों में स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण किए गए हैं एवं कितने अपूर्ण है? (ख) जनपद पंचायत सबलगढ़ के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायतवार मदवार, कार्यवार, वर्षवार स्वीकृत राशि के विरूद्ध कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी देवे? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा? क्या सरपंच/सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों की राशि आहरित कर ली गई है एवं कार्य पूर्ण नहीं कराये गए हैं? पंचायवार विवरण दें? (घ) क्या अपूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराये जाने एवं कार्य के विरूद्ध शासकीय राशि आहरित कर लेने के कारण शासन को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी एवं कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>पंचायत भवन / किचिन शेड के कार्यों की स्वीकृति</u>

140. (क्र. 5022) श्री मेहरबान सिंह रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वर्षों में सबलगढ़ विधानसभा अतंर्गत पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, किचिन शेड, वाटर शेड, जी.एस.बी. मार्ग, पुलिया निर्माण के कितने कार्य स्वीकृत किए गए? प्रतिवर्षानुसार कार्य स्थल स्वीकृति दिनाँक कार्य पूर्णता दिनाँक सहित बतावें? (ख) उपरोक्त में से कितने कार्य राशि

आहरित होने के बाद भी अपूर्ण हैं? आहरित राशि, कार्य का नाम, स्थल सहित प्रति वर्षानुसार देवें? (ग) प्रश्न (ख) अनुसार कार्य अपूर्ण होने के जिम्मेदार अधिकारियों, सचिव, सरपंच पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जायेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत स्वीकृत राशि

141. (क्र. 5080) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरोंज विधान सभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उनके द्वारा कितने कार्य पूर्ण किये गये? (ख) क्या सिरोंज विधान सभा क्षेत्र में कुछ ऐसी भी पंचायते हैं, जिनकों समग्र स्वच्छता अभियान में राशि प्रदान करने के बाद भी उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये गये? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई कृपया नामवार जानकारी दें? (ग) क्या कुछ पंचायतों द्वारा इस योजनान्तर्गत पिछले वर्ष की राशि खर्च न करने के बाद भी उनको आगामी वर्ष में राशि दी गयी एवं उनके द्वारा आगामी वर्ष में भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया? यदि हाँ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? कृपया नामवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। कार्य नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नोटिस दिये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) जी हाँ। शासन निर्देशानुसार ग्राम पंचायत देहरी जागीर तथा सुल्तानपुर को पुन: राशि दी गई किन्तु मनरेगा की राशि प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाये। वर्तमान में राशि वापसी की कार्यवाही की जा रही है। अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का संधारण

142. (क्र. 5087) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ होने की तिथि से प्रश्न दिनाँक तक कुल कितने कि.मी. बनाई गई है तथा कहाँ-कहाँ बनाई गई है? (ख) वर्तमान में इन सड़कों की स्थिति क्या है? क्या विभाग द्वारा खराब सड़कों की मरम्मत करवाई जा रही है? कुल ऐसी कितनी सड़के है जिनकी गांरटी अवधि पूर्ण हो गई है उनकी वर्तमान स्थिति क्या हैं? (ग) क्या बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित कई ऐसी ग्रामीण सड़कें हैं जो आवागमन योग्य नहीं है? उनकी मरम्मत हेतु विभाग के पास क्या प्रस्ताव है? (घ) विभाग कब तक इन सड़कों को आवागमन के योग्य बना देगा? वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ग्रामीण सड़कों के मरम्मतीकरण हेतु विभाग को कुल कितनी राशि बड़वानी जिले की सड़कों के सुधार हेतु स्वीकृत की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना प्रारम्भ दिनाँक से प्रश्न दिनाँक तक कुल 1078.87 कि.मी. लम्बाई की सडक निर्माण कार्यों को पूर्ण किया गया। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** जी हाँ, बडवानी जिले में कुल 133 सड़कों की गारंटी अवधि पूर्ण हो चुकी है।

विवरण/**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) बड़वानी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है, जो आवागमन योग्य नहीं हो, अपितु संधारण नहीं हो पाने से 32 मार्गो की स्थिति संतोष जनक नहीं है। उक्त मार्गो के संधारण हेतु 16 मार्गो के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे है, 7 मार्गो के संधारण/सुधार कार्य हेतु ठेकेदारों को नोटिस जारी किये गये है। 3 मार्गो की नवीन ऐजेन्सी निर्धारित कर कार्यादेश जारी किये गये है एवं शेष 6 मार्गो के संधारण कार्य हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश (ग) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। बडवानी जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत संधारण एवं रिन्यूवल हेतु विभाग द्वारा रूपये2723.31 लाख की राशी स्वीकृत की है।

<u>कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति</u>

143. (क्र. 5088) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरगोन एवं बड़वानी जिले में कोई कृषि महाविद्यालय संचालित है? यदि नहीं तो फिर इस कृषि बाहुल्य क्षेत्र के कृषि विषय में रूचि रखने वाले विद्यार्थी कहाँ अध्ययन करने जाते है? (ख) क्या इस कृषि प्रधान क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय नहीं होने से विद्यार्थी अनिच्छा से दूसरे विषयों की शिक्षा लेते है? यदि हाँ, तो क्या शासन खरगोन एवं बड़वानी जिलों के मध्य कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति करेगा? यदि हाँ, तो कब तक एवं नहीं तो कारण बतावें? (ग) इन जिलों में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग पूर्व में भी की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब किन-किन जनप्रतिनिधियों ने मांग की है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं। प्रदेश में कृषि विषय में रूचि रखने वाले विद्यार्थी व्यापम द्वारा संचालित पी.ए.टी. परीक्षा के परिणाम के आधार पर काउंसलिंग के द्वारा प्रदेश के विभिन्न कृषि महाविद्यालयों एवं उद्यानिकी महाविद्यालय तथा अन्य संबंधित संस्थानों में अध्ययन करने जाते हैं। (ख) प्रदेश के खण्डवा एवं इंदौर में स्थापित कृषि महाविद्यालयों से इन क्षेत्रों की कृषि शिक्षा की पूर्ति हो रही है बडवानी एवं खरगोन में कृषि महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) जी हाँ। (1) खरगोन जिले में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग श्री बालकृष्ण पाटीदार, विधायक-विधानसभा क्षेत्र-185, खरगोन के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखे गये पत्र क्र एमएलए/185/495 दिनाँक 07/07/2012 में की गई थी। (2) बडवानी जिले में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग श्री मकन सिंह सोलंकी बाबूजी सांसद, लोकसभा क्षेत्र-27, खरगोन/बडवानी के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखे गये पत्र क्र 1570 दिनाँक 05/08/2012 में की गई थी। (3) निमाड अंचल में कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करने की मांग श्री आत्माराम पटेल, सदस्य विधानसभा की ध्यानाकर्षण सूचना क्र 124 दिनाँक 16/07/2012 में की गई थी।

<u>दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाना</u>

144. (क्र. 5113) श्री संजय पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनाँक 19.02.2015 के ता. प्रश्न संख्या 311 के प्रश्नांश (क) (ख) जी हाँ (ग) जी हाँ अभिलेख उपलब्ध कराये जाने से मना किया गया जाँच अधिकारियों का पक्ष की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) का उत्तर जी हाँ संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिनाँक 11.02.2015 को प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्यवाही की

जायेगी (ड.) का उत्तर जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है दिया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि हाँ, तो प्रश्नांश (घ) के उत्तर में जी हाँ संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव दिनाँक 11.02.2015 को शासन को प्राप्त हुआ है परीक्षण क्या कर लिया गया? यदि परीक्षण कर लिया गया तो क्या संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाकर विभागीय जाँच संस्थापित की जायेगी? (ग) परि. अतां. प्रश्न क्र. 308 दिनाँक 10.12.2014 में यह स्वीकार किया गया है कि बरमी कम्पोस्ट खाद कम मात्रा प्रदाय की गई थी जिसे प्रश्न क्रमांक-311 दिनाँक 19.02.2015 में भी स्वीकार किया गया है, किंतु दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई बतायें? और अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण है? (घ) जाँच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ऐसा प्रश्नांश (ड.) का उत्तर दिया गया है?जाँच में प्रश्न दिनाँक तक क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? (ड.) प्रश्नांश (क) (ख) (ग) के परिप्रेक्ष्य में मूल रूप से दोषियों को निलंबित कर अमानत में खयानत करने वाले दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) से (ड.) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आमला विकासखण्ड अंतर्गत सड़क निर्माण

145. (क्र. 5117) श्री चैतराम मानेकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आमला विकास खण्ड में प्रधान मंत्री सड़क योजना अंतर्गत ग्राम जम्बाड़ा से कोढ़रखापा तक सड़क निर्माण कार्य कब स्वीकृत हुआ था? उसकी लागत क्या थी? (ख) सड़क निर्माण पर आज तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है क्या सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं? (ग) यदि नहीं तो कारण बतायें? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) आमला विकास खंड में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत ग्राम जम्बाडा से कोढरखापा तक सडक निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी लागत रूपये 201.40 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ था। (ख) सडक निर्माण पर आज तक राशि रूपये 45.42 लाख खर्च की जा चुकी है। जी नहीं, वर्तमान में उक्त कार्य अपूर्ण है। (ग) उक्त कार्य अपूर्ण रहने के लिये ठेकेदार उत्तरदायी हैं, क्योंकि ठेकेदार की उदासीनता के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका। विभाग द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर उसका ठेका निरस्त कर उसके चलित देयकों से विभिन्न मदों से काटी गई राशि रूपये 6,69,849/- तथा ठेकेदार द्वारा जमा निष्पादन सुरक्षा निधि रूपये 6,10,535/- को शासन के पक्ष में जमा किया गया है, शेष अन्य वांछित कार्यवाही भी अनुबंधानुसार की जा रही है। (घ) वर्तमान में सड़क के शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्य पूर्ण कराने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत व्यय की गई राशि

146. (क्र. 5146) श्री मेव राजकुमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक इंदौर संभाग के जिलेवार एवं जनपद पंचायतवार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई, कितनी व्यय की गई, कितनी शेष है? मदवार एवं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में योजनांतर्गत प्रचार-प्रसार मद में जिलेवार एवं जनपद पंचायतवार, वर्षवार कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई एवं इसका

दायित्व किस एजेन्सी को दिया गया था? क्या इस कार्य हेतु निविदा आंमत्रित की गई थी? यदि हाँ, तो किसकी निविदा स्वीकृत की गई? (ग) इंदौर संभाग के जिलेवार एवं जनपद पंचायतवार योजना वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनाँक तक कितने व्यक्तिगत तथा कितने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया, इनमें से कितने शौचालय वर्तमान तक सही स्थिति में है व हितग्राहियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे है? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में ऐसी कौन-कौन सी एजेन्सी है जिनके द्वारा योजना की राशि आहरित कर ली गई, परन्तु शौचालय निर्माण का कार्य नहीं कराया गया? ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

एकीकृत जल गृहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन

147. (क्र. 5147) श्री मेव राजकुमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एकीकृत जल गृहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) योजना क्या है एवं कब से प्रारंभ की गई है एवं खरगौन जिले की किस-किस जनपद पंचायत में संचालित की जा रही है? योजनांतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की कितनी-कितनी राशि सम्मिलित होती है? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में खरगौन जिले को कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय की गई? मदवार विवरण देवें? (ग) आई.डब्ल्यू.एम.पी. एवं वाटरशेड/मिनी वाटरशेड के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से वर्तमान तक खरगोन जिले की जनपद पंचायतवार, परियोजनावार कितनी राशि आवंटित की गई एवं आवंटित राशि से किस-किस क्षेत्र में, कितनी राशि के वाटरशेड विकास कार्य किये गये है, विवरण देवें? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में उक्त कार्यों की निर्माण एजेन्सी कौन-कौन है एवं महेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत योजना में कितनी राशि आवंटित होकर किस क्षेत्र में कौन-कौन से वाटरशेड विकास कार्य कितनी-कितनी लागत के किस एजेन्सी द्वारा किये गये हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) वाटरशेड विकास की योजना है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण व संवर्धन, आजीविका उन्नयन तथा उत्पादन प्रणाली के कार्य किये जाते हैं। योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गई है। खरगोन जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। योजनांतर्गत केन्द्रांश की राशि 90 प्रतिशत एवं राज्यांश की राशि 10 प्रतिशत सम्मिलित होती है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कार्यों की निर्माण एजेंसी का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3** में ही दिया गया है। महेश्वर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत परियोजना में जिलें से रू. 39.23 लाख की राशि आवंटित हुई है। वाटरशेड विकास कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खाद्यान्न पर्चियों का वितरण

148. (क्र. 5168) श्री गिरीश भंडारी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अतंर्गत क्या सभी अन्त्योदय व प्राथमिकता परिवारों को पात्रतानुसार खाद्यान्न पर्ची का वितरण किया जा चुका है? नहीं तो क्यों नहीं? (ख) उक्त क्षेत्र में किस निकाय/ग्राम पंचायत के कितने पात्र परिवारों को प्रश्न दिनाँक तक खाद्यान्न पर्ची उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है? कारण बताये? निकाय/ग्रामपंचायत वार

जानकारी देवें? कब तक पर्ची उपलब्ध करा दी जावेगी? (ग) खाद्यन्न पर्ची के अभाव में पात्र हितग्राही परिवारों को क्या खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है? नहीं तो क्यों नहीं काण बतावें? (घ) नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र हितग्राहियों को किस समयसीमा में खाद्यन्न पर्चिया उपलब्ध करा दी जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सभी सत्यापित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को पात्रता पर्ची वितरित की जा चुकी है। आवेदन प्राप्त होने पर पात्रता का सत्यापन एवं निर्धारित समय-सीमा में पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'क' अनुसार।

नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समय पर पेंशन का भुगतान

149. (क्र. 5169) श्री गिरीश भंडारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अतंर्गत कितने ग्राम पंचायतों में कितने हितग्राहियों को निराश्रित /वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्रश्न दिनाँक तक उपलब्ध कराई जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर में उपलब्ध जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रश्न तिथि तक किस-किस माह का भुगतान नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र मे किया गया है? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियो को कब से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है? कारण बतायें? कब तक किया जावेगा। (घ) प्रश्नांश (क) में वर्णित हितग्राहियों को निश्चित समय में पेंशन का भुगतान नहीं करने के किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? उस पर कब व क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति

150. (क्र. 5175) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला अंतर्गत शासन/विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से विगत पांच वर्षो में किन-किन विकासखंडो में किन-किन सड़क मार्गों को जोड़ा जाकर कितनी सड़कें बनाई जाकर कितना कार्य पूर्ण हुआ? (ख) क्या योजना अंतर्गत पात्रता अनुसार समस्त विकासखण्डों के अंतर्गत आने वाले समस्त राजस्व ग्राम की मुख्य सड़कों को योजना में सम्मिलित कर कार्य चल रहा है, पूर्ण हुआ? (ग) साथ ही रतलाम जिला अंतर्गत विकासखण्डों के राजस्व ग्रामों में ऐसे कितने राजस्व ग्राम की सड़कों का कार्य किया जाना शेष है, योजना में सम्मिलित होकर डी.पी.आर. बनाई गई है? (घ) साथ ही क्या विगत पांच वर्षों में बनाई गई सड़कों की मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं रख-रखाब की कार्यवाही अनुबंधित गांरटी/वारंटी अनुसार की जा रही है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं, योजनान्तर्गत कोरनेटवर्क के अनुसार 03 पात्र राजस्व ग्रामों को छोडकर अन्य सभी पात्र राजस्व ग्रामों को योजना में सम्मिलित कर कार्य चल रहा है पूर्ण हुआ है। (ग) रतलाम जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्वीकृत कोर नेटवर्क के अनुसार 3पात्र राजस्व ग्रामों को जोड़ना शेष है जिनके डीपीआर बनाये जा चुके हैं। (घ) जी हाँ।

अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति

151. (क्र. 5176) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 8-9 फरवरी 2015 सायंकाल से लेकर अर्धरात्रि तक जावरा विकासखण्ड अतंर्गत ग्राम कुमारी, मरम्या, असावती एवं बोखनी में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि होने से फसले पूरी तरह से चौपट होकर बर्बाद हुई? यदि हाँ, तो उपरोक्त ग्रामों में फसलों के चौपट होने का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है? साथ ही कौन-कौन सी फसलें नष्ट होकर कितना सिंचित रकबे का नुकसान पाया गया? (ख) क्या अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की क्षतिपूर्ति राज्य शासन के द्वारा की जाकर पूरी तरह से नष्ट होकर बर्वाद हुई सौ प्रतिशत हानि की भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा भी की जाएगी? यदि हाँ, तो उपरोक्त ग्रामों में हुई फसलों की सौ प्रतिशत बर्बादी की क्षतिपूर्ति भरपाई हेतु क्या-क्या कार्यवाही की जाकर कितना सिंचित रकबा एवं किसानों को चिन्हित किया गया है कृपया संपूर्ण कार्यवाही से अवगत कराए?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राजस्व विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) वर्तमान मौसम रबी 2014-15 का बीमांकन कार्य प्रगित पर है। बीमांकन कार्य की अंतिम तिथि 30-04-2015 है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत फसल उपज के आंकड़े आयुक्त, भू-अभिलेख ग्वालियर से एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी को औसत उपज के आंकड़े प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31.07.2015 है तत्पश्चात दावा गणना के उपरांत राज्य/केन्द्र सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त होने पर पात्र कृषकों को नियमानुसार वितरित की जावेगी।

<u>**नशामुक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार**</u>

152. (क्र. 5183) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में नशामुक्ति अभियान का संचालन सामाजिक न्याय संचालनालय के द्वारा प्रचार-प्रसार एवं संस्थाओं को अनुदान देकर किया जाता है? वर्ष 2011-12 से 20 फरवरी 2015 तक कुल कितनी राशि का बजट प्राप्त हुआ एवं मदवार कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की गई? वर्षवार विवरण दें? (ख) क्या उक्त अवधि में नशामुक्ति अभियान के पोस्टर-फ्लेक्स का निर्माण लघु उद्योग निगम की मृगनयनी एम्पोरियम इकाई के माध्यम से मुद्रित कराकर जिलेवार बिल प्राप्त कर एकजाई राशि का भुगतान आयुक्त सामाजिक न्याय संचालनालय के द्वारा नियमों के विपरीत किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में किस फर्म के द्वारा यह कार्य किया गया? मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के निर्देशों का उल्लंघन कर शासकीय मुद्रणालय अथवा मध्यप्रदेश माध्यम के द्वारा उक्त कार्य नहीं कराया जाकर अपात्र संस्था मृगनयनी से कराये जाने के अनियमित कार्य एवं अनियमित भुगतान के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उक्त अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या इस योजना के उक्त पोस्टर वास्तविक रूप से संबंधित जिलों में पहुंचे ही नहीं एवं भुगतान कर दिया गया? उक्त पोस्टरों की वास्तविक नाप और वास्तविक लागत कितनी थी तथा वर्षवार उक्त पोस्टर के भुगतान पर कितनी राशि व्यय की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** हैं। (ख) भुगतान नियमों का पालन करते हुये किया गया हैं। (ग) कार्य नियमानुसार लघु उद्योग निगम से कराया गया हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) लघु उद्योग निगम द्वारा

सामाजिक न्याय विभाग के जिला कार्यालयों से प्राप्ति अभिस्वीकृति उपरांत भुगतान किया गया हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** हैं।

इंदिरा आवास के द्वितीय किश्त का भुगतान

153. (क्र. 5184) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले की जनपद पंचायत विजयपुर एवं कराहल में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि अधिकार पत्र धारियों को इंदिरा आवास स्वीकृत किए गए हैं? यदि हाँ, तो कितने-कितने हितग्राहियों को? ग्राम पंचायतवार संख्या बतावें? उपरोक्तानुसार स्वीकृत आवासों में कितने हितग्राहियों को कितनी राशि प्रदाय की जा चुकी है? कितनी शेष है? कितने आवास पूर्ण हैं? कितने अपूर्ण हैं एवं क्यों? कृपया हितग्राही के नाम पते सहित जानकारी ग्राम पंचायतवार बतावें? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार स्वीकृत आवासों में हितग्राहियों द्वारा प्रथम अंशिका से निर्माण कार्य पूर्ण कराकर मूल्यांकन प्रस्तुत करने के बावजूद भी द्वितीय अंशिका की राशि अभी तक राशि प्रदाय क्यों नहीं की गई है? कब तक हितग्राहियों को शेष राशि का भुगतान कर दिया जावेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार आवास निर्माण की द्वितीय अंशिका प्रदाय करने के लिए अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन को दि. 10.12.14 को प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गए पत्र पर क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) श्योपुर जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि अधिकार पत्र धारियों को जनपद पंचायत विजयपुर में 103 एवं जनपद पंचायत कराहल में 535 कुल 638 इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये हैं। ग्राम पंचायतवार संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। उपरोक्तानुसार स्वीकृत आवासों में से 636 हितग्राहियों को प्रथम अंशिका राशि 22500/-प्रति हितग्राही के मान से रूपये 143.10 लाख राशि प्रदाय की जा चुकी है एवं शेष 02 हितग्राहियों को जारी किया जाना शेष है। हितग्राहियों के नाम, पते एवं आवास पूर्ण/अपूर्ण की ग्राम पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश क अनुसार स्वीकृत आवासों में से जिन हितग्राहियों द्वारा प्रथम किश्त अंशिका राशि का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, उन्हें द्वितीय किश्त हेतु राशि भारत सरकार से अप्राप्त है। मांग पत्र भारत सरकार में लंबित है। (ग) द्वितीय किश्त का प्रस्ताव भारत सरकार को पत्र क्रमांक 4090/22/डी-7/15 भोपाल, दिनाँक 03.03.2015 द्वारा भेजा गया है।

पेट्रोल पंप में मिलावट की जाँच

154. (क्र. 5210) श्री रामकिशन पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायसेन जिले में किन-किन कंपनियों के कितने-कितने पेट्रोल पंप कहाँ-कहाँ संचालित हैं? फर्म के नाम सहित जानकारी दें? (ख) क्या उक्त जिले में अधिकांश पेट्रोल पंपों पर मिलावटी पेट्रोल, डीजल का उपयोग किया जाता है, इस संबंध में विभाग द्वारा जाँच के नाम पर महज खाना-पूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा पेट्रोल पंप की कब-कब, किस-किस दिनाँक को, किस-किस सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच की गई? गत 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक तक जानकारी देवें तथा जाँच के दौरान इन पेट्रोल पंपों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? (ग) क्या उक्त जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नियमानुसार पीने का पानी, हवा पंप, शेड, शिकायत पेटी, शिकायत रजिस्टर आदि की सुविधा होना

अनिवार्य है? यदि हाँ, तो इस संबंध में किन-किन पेट्रोल पंपों पर यह सुविधा है और किन-किन पर नहीं, सम्पूर्ण जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) जी नहीं। विभाग द्वारा प्रश्नांकित अवधि में पेट्रोल पंपों की गई जाँच करने वाले अधिकारियों एवं जाँच की दिनाँक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** पर एवं जाँच में पाई गई अनियमितता के संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। (ग) ऑयल कंपनी की मार्केटिंग गाईड लाईन एवं विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार पेट्रोल पम्प पर पीने का पानी, हवा पंप, शिकायत पेटी, शिकायत रजिस्टर की सुविधा उपलब्ध होना अनिवार्य है। पेट्रोल/डीजल पम्पों पर ऑयल कंपनी के मार्केटिंग डिसिप्लीन गाईड लाईन के आधार पर शेड की व्यवस्था की जाती है। रायसेन जिले में पेट्रोल/डीजल पम्पों पर उक्त सुविधाओं की उपलब्धता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है।

<u>सवच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन</u>

155. (क्र. 5219) श्री जितू पटवारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खुले में शौच नहीं करने के उद्देश्य से क्या नीतिगत निर्णय लिया जाकर इसके क्रियान्वयन हेतु क्या किया गया है? (ख) प्रदेश में ऐसे कितने जिले है जहाँ पर स्लम एरिया में निवास करने वाले निर्धन नागरिकों को शौचालय नहीं होने के कारण मजबूरीवश खुले में शौच करने जाना पड़ता है? (ग) क्या बैतूल जिले में पंचायतों द्वारा गरीब समुदाय के महिला एवं पुरूषों को खुले में शौच करने पर माईक से अनाउन्स कर अपमानित किया गया है? क्या हरदा जिले में जिला प्रशासन द्वारा खुले में शौच करने वालो की तुलना कुत्ते से किये जाने वाले पोस्टर लगाये गये हैं? क्या म.प्र. शासन द्वारा ग्राम सभाओं को खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश दिये गये है? (घ) पोस्टर लगाने वाले अधिकारियों या अपमानित करने वाली पंचायतों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिले की वार्षिक कार्ययोजना 2015-16 में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में पात्रता धारक परिवारों के लिये शतप्रतिशत शौचालय निर्माण का लक्ष्य निर्धारित कर क्रियान्वयन हेतु अभियान चलाया जा रहा है। (ख) राज्य स्तर पर उक्त संबंध में सर्वेक्षण नहीं कराया गया है अपितु जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के जिलों में स्लम एरिया में निवास करने वाले निर्धन नागरिकों को शौचालय नहीं होने के कारण खुले में शौच में जाना पड़ता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) जी नहीं। बैतूल एवं हरदा जिले से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। जी नहीं। (घ) प्रश्नांश ग के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की स्थापना</u>

156. (क्र. 5240) पं. रमेश दुबे : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में भू-संरक्षण अधिकारी का कार्यालय कहाँ-कहाँ पर संचालित है? इन कार्यालयों के अधीन कौन-कौन से अधिकारी कर्मचारी कहाँ-कहाँ पर पदस्थ है? इनका मुख्यालय कहाँ पर है तथा इनका कार्यक्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? (ख) भू-संरक्षण अधिकारी, सौंसर एवं अमरवाड़ा को वित्तीय

वर्ष 2009-10 से वर्तमान तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई? प्राप्त राशि से कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से कार्य किये गये? भू-संरक्षण अधिकारी कार्यालय का मूल कार्य क्या है उक्त वर्षों में किये गये कार्यों का प्रगति रिपोर्ट से अवगत करावें? (ग) क्या विधानसभा क्षेत्र चौरई के अंतर्गत विकास खण्ड चौरई एवं विछुवा आता है, किंतु अनुविभागीय अधिकारी कृषि एवं भू-संरक्षण अधिकारी का कार्यालय चौरई में नहीं है? जिसके कारण इन कार्यालयों की चौरई विधान सभा में गतिविधियां नगण्य हैं? (घ) क्या शासन, विकासखण्ड चौरई एवं विछुवा को मिलाकर चौरई मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी कृषि एवं भू-संरक्षण अधिकारी का कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर पर्याप्त संख्या में अधिकारियों/ कर्मचारियों की पदस्थापना करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र- एक अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ग) जी हाँ। सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी अमरवाड़ा एवं सौंसर द्वारा चौरई विधानसभा क्षेत्र में भी कार्य कराये गये हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (घ) जी हाँ।

<u>हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना</u>

157. (क्र. 5241) पं. रमेश दुबे : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में सस्ते राशन व केरोसिन प्राप्त करने हेतु किस योजनान्तर्गत किसे पात्र माना गया है? इस योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को किस दर पर कितना अनाज व केरोसिन उपलब्ध कराने के किन नियमों में क्या प्रावधान है? (ख) छिन्दवाड़ा जिले में सस्ते राशन व केरोसिन प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों की कुल कितनी संख्या है? इनमें से कितने परिवारों को राशन कार्ड के कूपन जारी कर दिये गये है? पात्र परिवारों की एवं कूपन जारी किये गये परिवारों की संख्या की जानकारी ग्रामवार, पंचायतवार एवं विकासखण्डवार दें? (ग) विधानसभा क्षेत्र चौरई के जनपद पंचायत चौरई एवं बिछुआ के ऐसे कितने पात्र परिवार है जिन्हें सस्ते अनाज का कूपन प्रदाय नहीं किया गया है? (घ) क्या प्रश्नकर्ता के क्षेत्र भ्रमण के दौरान पात्र परिवारों को सस्ते अनाज का कूपन सहज सुलभ प्राप्त नहीं होने की शिकायत प्रश्नकर्ता को प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चौरई एवं बिछुवा को जनवरी 2014 से प्रश्न दिनाँक के मध्य समय-समय पर पत्र प्रेषित किये गये यदि हाँ, तो अभी तक सभी पात्र परिवारों को कूपन उपलब्ध नहीं हो पाने के क्या कारण है? जिम्मेदारी नियत करते हुए स्पष्ट कारण दर्शित करें? कब तक सभी पात्र परिवारों को कूपन उपलब्ध करा दिया जावेगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>कर्मचारियों का संविलियन</u>

158. (क्र. 5256) श्री कल्याण सिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में वर्तमान में जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) में वर्तमान में कुल कितने कर्मचारी, अधिकारी पदस्थ है? (ख) क्या यह सच है कि प्रश्नांश (क) के क्रम में पदस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों को कई-कई माह से प्रतिमाह वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा? यदि हाँ, तो वेतन नहीं दिये जाने के कारण सहित जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) क्या शासन प्रश्नांश

(क) के क्रम में पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को सहकारिता विभाग, पंचायत विभाग अथवा कृषि उपज मंडी विभाग में संविलियन करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? (घ) क्या शासन उक्त कर्मचारी, अधिकारियों के हित में संविलियन की कार्यवाही होने तक प्रतिमाह वेतन दिये जाने के संबंध में निर्देश देगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

इंदिरा आवास आवंटन में भ्रष्टाचार

159. (क्र. 5260) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 में निसरपुर विकासखण्ड में किस-किस हितग्राही को इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये? इंदिरा आवास की प्रतिक्षा सूची सहित, वर्षवार, ग्रामवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इंदिरा आवास आवंटन में भारी भ्रष्टाचार हुआ है एवं प्रतीक्षा सूची में वरीयता क्रम को नजर अंदाज कर अनुचित माध्यमों का प्रयोग कर इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये है? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि उत्तर हाँ तो, इसके लिए दोषियों पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत जनपद पंचायत निसरपुर अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना तहत प्रश्नावधि में वर्ष 2012-13 में 127, वर्ष 2013-14 में 587 एवं वर्ष 2014-15 243 आवास स्वीकृत किये गये। स्वीकृत आवासों की सूची एवं वर्षवार ग्रामवार की **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में इंदिरा आवास के आवंटन में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रतीक्षा सूची के आधार पर हितग्राहियों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त किये जाकर स्वीकृत किये गये हैं। (ग) प्रश्नांश अवधि में इंदिरा आवास आवंटन भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही निरंक है।

मनरेगा के भुगतान में अनियमितता

160. (क्र. 5261) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-2013, 2013-2014 एवं 2014-2015 में कुक्षी विधानसभा के निसरपुर विकासखण्ड में मनरेगा के अंतर्गत कौन-कौन से कार्य करवाये गये? कार्यों की वर्तमान में भौतिक एवं वित्तीय स्थिति क्या है? कार्यवार जानकारी प्रदान करें। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्माणाधीन एवं पूर्ण कार्यों में इस्तेमाल की गयी सामग्री एवं मानव श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कर दिया गया? कार्यवार, पृथक-पृथक भुगतान राशि सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में, कौन-कौन से कार्यों में भुगतान नहीं किया गया और क्यों? भुगतान में विलंब के लिए कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है व प्रश्न दिनाँक तक दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों, कारण स्पष्ट करें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। प्रश्नांश की वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) कार्यवार लंबित भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के कॉलम 14 एवं 15 के अनुसार** है।

भारत सरकार से योजना के तहत स्वीकृत लेबर बजट अनुसार राशि प्राप्त नहीं होना लंबित भुगतान का प्रमुख कारण रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मृदा परीक्षण प्रयोग शाला में आवश्यक संसाधनों / अमले की पूर्ति

161. (क्र. 5274) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की कृषि उपज मण्ड़ी समिति ब्यावरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का भवन निर्माण कार्य कब और कितनी लागत से कराया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या वर्तमान में उक्त भवन में मृदा परीक्षण का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? (ग) क्या शासन उक्त मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में यथाशीघ्र तकनीकी अमला एवं मृदा परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरण एवं संसाधन उपलब्ध कराकर प्रयोगशाला प्रारंभ करेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) राजगढ जिले की कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 में राशि रू. 15.08 लाख की लागत से कराया गया है। (ख) जी नहीं। मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण कार्य हेतु कृषि विषय के तकनीकी अमले की आवश्यकता होती है। तकनीकी अमले की कमी होने से मिटटी परीक्षण कार्य नहीं हो पा रहा है। अमले की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियों का गठन

162. (क्र. 5275) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनके अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम आते हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में उक्त वर्णित सहकारी समितियों का गठन अर्से पूर्व हुआ था, लेकिन तब लोगों में न तो सहकारिता के प्रति कोई जानकारी थी और न ही लोग उससे सुविधाओं का लाभ उठा पाते थे? (ग) उपरोक्तानुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन द्वारा विशेष प्रोत्साहन देकर कृषकों के कल्याण हेतु खाद, बीज, नकदी साख, किसान क्रेडिट कार्ड एवं शासन के अनेक प्रकार के अनुदान किसानों के खातों में सीधे जमा होने से लगभग हर एक किसान का सहकारी क्षेत्र से सीधा सम्पर्क रहता है? किन्तु समितियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत होने के कारण कृषकों को असुविधा का सामना करना पड़ता हैं? (घ) ऐसी स्थिति में क्या शासन कृषि साख सहकारी समितियों का परिसीमन करते हुये ग्राम पंचायत स्तर पर उक्त समितियों का गठन किया जावेगा? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** (ख) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन किसानों को कृषि कार्य हेतु ऋण एवं कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु हुआ था. इनके गठन के समय से ही किसानों द्वारा समितियों से प्राप्त उपरोक्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर रहें हैं. (ग) जी हाँ. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कार्य क्षेत्र समितियों की आर्थिक सक्षमता एवं किसानों की सुविधा अनुसार ही रखा गया है. (घ) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का परिसीमन करते हुये इन समितियों का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुर्नगठन में

समितियों की आर्थिक सक्षमता महत्वपूर्ण होती है. समितियों के पुर्नगठन के पश्चात नवीन इकाई का आर्थिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है.

<u>परिशिष्ट - "बत्तीस"</u>

<u>**ई-पंचायतों के लिए सस्ते कम्प्यूटर और उपकरण का क्रय**</u>

163. (क्र. 5294) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ई-पंचायतों के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 जनवरी 2013 से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि के कितने कम्प्यूटर और किस ब्राण्ड व किस कॉन्फीग्रेशन के खरीदे गए हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत एक कम्प्यूटर के साथ किस ब्रांड के किस कीमत के सहायक उपकरण खरीदे गए? कम्प्यूटर की कीमतवार, सहायक उपकरण के नाम वार, ब्रांडवार व उनकी कीमत वार जानकारी दें? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जिस हाई कॉन्फीग्रेशन सिस्टम के कम्प्यूटर और उपकरण खरीदे गए हैं क्या उनका उपयोग पंचायतों में होता है? यदि नहीं तो फिर क्यों खरीदे गए? कारण दें? नियम बतायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों द्वारा ई-पंचायत के अंतर्गत 23006 ग्राम पंचायतों हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा खरीदे गये है। कम्प्यूटर का ब्रांड एवं कम्प्यूटर कॉन्फीग्रेशन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में कम्प्यूटर के साथ सहायक उपकरण का ब्रांड एवं कॉन्फीग्रेशन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा कम्प्यूटर व सहायक उपकरणों की एकजुट कीमत राशि रूपये 1,04,931/- के मान से रेट कॉन्ट्रेक्ट प्रदाय की गई थी। पृथक-पृथक से दर नहीं देने के कारण पृथक-पृथक कीमत उपलब्ध कराये जाना संभव नहीं है। (ग) जिलों द्वारा ई-पंचायत हेतु क्रय किये गये कम्प्यूटर और अन्य उपकरण ग्राम पंचायतों में उपयोग हो रहे है। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "तैंतीस"</u>

<u>**दुकानों व लीड संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही**</u>

164. (क्र. 5314) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) अशोकनगर ने जिला आपूर्ति अधिकारी के आदेश क्र. 2024/खाद्य/2014 दि. 29.11.2014 को उचित मूल्य दुकान केनवारा (सिलवाराखुर्द) सेहराई (अचलगढ़) गुन्हेर, बीडसरकार एवं केरोसिन से भी होलसेलन मुंगावली (लीड संबंध मुंगावली) में अनियमितताएं पाये जाने से दुकानों व लीड संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आइ.आर. दर्ज करने व निलंबित करने का आदेश कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित कर किया गया? (ख) अभी तक उपरोक्त आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ व निलम्बन व एफ.आई.आर. की कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या उन्हें भी खाद्य अधिकारी सुकृति सिंह के आदेश के विरूद्ध जगदीश कुशवाह व जगदीश कोरकू की तरफ न्यायालय से स्टे प्राप्त करने का मौका दिया गया? (ग) ग्राम भ्याना पंचायत के नरखेडा संस्था की उप दुकान घाटबमुरिया से नरखेड़ा करने का आदेश कब हुआ तथा उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है व ग्राम भ्याना पंचायत के नागरिकों को गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर पिछले 2 माह से क्यों नहीं मिलती हैं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

शिकायतों पर कार्यवाही

165. (क्र. 5315) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक गुना (म.प्र.) ने क्या दि. 16 जनवरी 2014 के आदेश क्र.स्था.केडर/2013-14/3321 के अनुसार जगदीश कोरकू संविदा समिति प्रबंधक शाखा मुंगावली संस्था डोंगरा का अतिरिक्त प्रभार हटाकर उनकी पदस्थी प्रधान कार्यालय विपणन कक्ष गुना में की गई थी, तथा आदेश को तत्काल पालन का महाप्रबंधक ने लिखा था। इस आदेश के बाद क्या श्री जगदीश कोरकू ने विपणन शाखा गुना में कार्यभार ग्रहण किया तथा उसके बाद 15 फरवरी 2015 तक कब-कब, कहाँ-कहाँ, किस-किस पद पर पदस्थ रहें? (ख) क्या खाद्य विभाग की अधिकारी सुकृति सिंह ने जाँच में जगदीश कोरकू को दोषी पाया तथा सहकारिता कर्मचारी व जगदीश कुशवाह के विरूद्ध आरोप प्रमाणित हुये व कार्यवाही की अनुशंसा की। विवरण देते हुए बतावें कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं हुई? (ग) पिछले 2 वर्ष में श्री जगदीश कोरकू के विरूद्ध किस-किस ने कब-कब शिकायत की तथा क्या कार्यवाही की गई? (घ) अरविंद शर्मा ओडेर सेवा सहकारी संस्था के सहायक सेक्रेटरी के विरूद्ध 2 वर्ष में शिकायते कितनी स्थानीय विधायक व अन्य से मिली उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है तथा वहाँ प्रबंधक क्यों नहीं भेज रहे है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. जी नहीं, 15 फरवरी, 2015 तक श्री जगदीश कोरकू, संविदा समिति प्रबंधक के पद पर संस्था गुन्हेरू एवं डोंगरा में कार्यरत हैं. (ख) जी नहीं, जाँच में श्री जगदीश कुशवाह के विरूद्ध आरोप पाये गये एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही भी प्रस्तावित की गई. माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा डब्ल्यू.पी. नं. 4747/10 में आदेश दिनाँक 20.08.2010 से स्थगन प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है. (ग) श्री जगदीश कोरकू के विरूद्ध माननीय श्री महेन्द्र सिंह, विधायक, मुगांवली से पत्र दिनाँक 10.02.2014 से दो शिकायतें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना को प्राप्त हुई थीं. यह शिकायतें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना द्वारा पत्र दिनाँक 20.02.2014 से जाँच हेतु उप आयुक्त,सहकारिता, जिला अशोकनगर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला अशोकनगर को प्रेषित की गई हैं, जाँच प्रक्रियाधीन है. (घ) श्री अरविन्द शर्मा, सहायक समिति प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित,ओडेर के विरूद्ध दो वर्षों में स्थानीय विधायक व अन्य से कोई शिकायत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,गुना को प्राप्त नहीं हुई है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

शौचालयों का निर्माण

166. (क्र. 5332) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा मिसिंग एवं टूट-फूट के कारण बंद पड़े शौचालय हेतु नीतिगत एवं क्रियान्वयन स्तर पर निर्णय लिये गए है? यदि हाँ, तो क्या? (ख) क्या जिला बैतूल में पंचायत द्वारा गरीब समुदाय एवं खासकर महिलाओं को खुले में शौच करने पर माईक के द्वारा अपमानित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? शौचालय विहिन परिवारों में शौचालय क्यों नहीं बनाये जा रहें? (ग) जिला हरदा में जिला प्रशासन नागरिकों की कुत्ते से तुलना करते हुए होर्डिंग लगाकर क्यों अपमानित किया जा रहा है? क्या स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन का यह नैतिक तरीका है? प्रशासन शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण के कार्य से क्यों बच रहा है? क्या म.प्र. सरकार ग्राम सभाओं को खुले में शौच करने वाले परिवारों के ऊपर जुर्माना लगाने के लिये आदेशित कर रही है? क्या यह सच है कि शासन

द्वारा प्रकाशित मर्यादा अभियान की मार्गदर्शिका के पेज क्रं. 25 में महिलाओं की गरिमा को अपमानित करके शौचालय बनाने का सुझाव दिया गया है? मार्गदर्शिका की माह जनवरी 2015 तक की कितनी प्रतियां जिलों में वितरित की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। बैतूल जिले से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। शौचालय विहीन परिवारों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाईडलाईन अनुसार पात्रता धारक परिवारों की मॉग अनुसार शौचालय निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है। (ग) जी नहीं। हरदा जिले से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिलों की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में शतप्रतिशत शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जी नहीं। जी नहीं। मार्गदर्शिका की माह जनवरी 2015 तक लगभग 24000 प्रतियाँ जिलों में वितरित की गई है।

परिशिष्ट - "चौंतीस"

निर्धन वर्ग परिवारों को सस्ते राशन का प्रदाय

167. (क्र. 5333) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीहोर जिले में विभाग ने वर्ष 2014 में निर्धन वर्ग परिवारो का सस्ता राशन पाने हेतु पात्रता पर्ची जारी की थी? यदि हाँ, तो कितनी? विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या इन हितग्राहियों को निरंतर सस्ता राशन प्राप्त हो रहा है? क्या हर माह हितग्राही को राशन प्राप्त हो रहा है? यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या विभाग के निर्णय अनुसार हर पंचायत में राशन की दुकान खोल दी गई हैं? अगर नहीं तो किन-किन पंचातयों में राशन की दुकाने खोलना शेष है? देरी के कारण स्पष्ट करें? (घ) क्या राशन की दुकान खोलने हेतु पर्याप्त सेल्समेन है? यदि नहीं तो राशन बटवाने की क्या व्यवस्था हैं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों की श्रेणी में से माह दिसम्बर, 2014 की स्थिति में सीहोर जिले के विधानसभा क्षेत्र सीहोर में 35,809, आष्टा विधानसभा क्षेत्र में 51,440, इछावर विधानसभा क्षेत्र 39,335 तथा बुदनी विधानसभा क्षेत्र में 54,177 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। (ख) जी हाँ। पात्रता पर्ची धारी समस्त परिवारों हेतु प्रतिमाह सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। (ग) हर पंचायत में राशन दुकान खोलने का विभाग का कोई निर्णय नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) जी नहीं। नियंत्रण आदेश अनुसार सेल्समैन की व्यवस्था की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

किसानों को गुणवत्ताहीन बीज का प्रदाय

168. (क्र. 5347) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में किसानों को प्राप्त होने वाले बीज एवं उर्वरक (खाद्) की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितना अमला पदस्थ है एवं कब से? विगत 2 वर्षों में गुणवत्ताहीन बीज एवं खाद् (उर्वरक) विक्रय के कितने प्रकरण जिले में पाये गये? किन-किन संस्थानों के उपरोक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी? (ख) बीज गुण नियंत्रण अधिकारी जबलपुर के द्वारा जिले में विगत् 2 वर्षों में बीजों की जाँच हेतु कितने नमूने किन-किन संस्थाओं से लिए गये? उनमें से कितने नमूने अमानक पाये गये? अमानक नमूने पाये जाने पर संस्थावार क्या कार्यवाही की गयी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जबलपुर जिले में बीज एवं उर्वरक की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु पदस्थ अमले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-1 **अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में अमानक बीज एवं उर्वरक के प्रकरणों एवं उन पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ख) बीज गुण नियंत्रण अधिकारी द्वारा नमूने लिये जाने का प्रावधान नहीं है अत: शेष कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में नियम विरूद्ध प्रतिनियुक्ति

169. (क्र. 5348) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये अधि./कर्म. की प्रतिनियुक्ति की नियमानुसार अवधि कितनी है? (ख) प्रदेश ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये कितने एवं कौन-कौन से अधि./कर्म. 5 वर्षों से अधिक से पदस्थ हैं? कर्म./अधि. की प्रतिनियुक्ति अवधि का विवरण दें? (ग) क्या शासन निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधि./कर्म. को उनके मूल विभागों को वापस करेगा, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लेने की अवधि 4 वर्ष है एवं यदि आवश्यक है तो सेवाएँ देने एवं सेवाएँ लेने वाले विभागों की आपसी सहमति से अवधि बढ़ाई जा सकती है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** (ग) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में वर्ष 1995 में निर्मित पदों पर जल संसाधन एवं लोक निर्माण विभाग के अमले से प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने का प्रावधान किया गया था। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति से 06 माह पूर्व सेवा वापिस किए जाने के निर्देश प्रसारित हैं। मूल विभाग से मांग (डिमाण्ड) प्राप्त होने पर या अन्य विशेष कारणों से ही इन कर्मचारियों की सेवाएं मूल विभाग को वापिस की जाती है।

मंडी बोर्ड निधि से सड़क निर्माण

170. (क्र. 5372) श्री लखन पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पथरिया विधानसभा क्षेत्र में मंडी बोर्ड निधि से कुल कितने ग्रामों को जोड़ने हेतु सड़क निर्माण स्वीकृत किए गए हैं? ग्रामवार सड़कों की जानकारी दें। (ख) किस-किस मार्ग को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ग) कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है एवं कितने निर्माण कार्यों के टेंडर अभी तक पास (स्वीकृत) नहीं किए गए हैं? (घ) सड़क निर्माण कार्यों के विलंब होने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? दोषी अधिकारी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) पथरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये मण्डी बोर्ड निधि से 52 सडकों के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिनसे 62 ग्राम जुड रहे थे, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। स्वीकृत 52 सडकों में से 10 सडकों की स्वीकृति को मण्डी बोर्ड संचालक मण्डल की बैठक क्रमांक-123 दिनाँक 30.9.14 के प्रस्ताव क्रमांक-28 के निर्णय अनुसार निरस्त किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ख) सडक मार्गों की स्वीकृत लागत राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ग) कुल 52 सडकों में से 10 सडकों के

प्रस्ताव निरस्त किये गये। इस प्रकार 42 स्वीकृत सडकों में से 4 के कार्य प्रगति पर हैं। शेष सभी 38 सडकों के कार्य पूर्ण हैं। (घ) 02 सडक निर्माण कार्य अनुबंधित ठेकेदार के कारण विलंब से चल रहे हैं, जिसके लिए अनुबंध की दाण्डिक धारा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने के लिए उनके चल देयकों से क्षतिपूर्ति की राशि काटी गई है। अत: शेष अन्य कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़क निर्माण</u>

171. (क्र. 5373) श्री लखन पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत पथरिया विधानसभा क्षेत्र में कितनी व कौन-कौन सी सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? प्रस्तावित कितने सड़क मार्ग स्वीकृति हेतु लंबित हैं? (ख) प्रत्येक सड़क की अलग-अलग लागत क्या है एवं उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जावेगा व अपूर्ण निर्माणों (सड़क) की समय सीमा क्या थी? (ग) निर्धारित समय कितना व कब तक था? समय पर निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है? (घ) जिन ग्रामों को सड़क मार्ग निर्माण कार्य में सम्मिलित नहीं किया गया है उन्हें निर्माण कार्यक्रम में कब तक शामिल कर लिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पथरिया विधानसभा क्षेत्र में 43 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। छूटे हुये गॉवों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 24 सड़क मार्गों की स्वीकृति शासन के विचाराधीन है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। समय पर निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर अनुबंधानुसार ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। कार्य अपूर्ण रहने में अधिकारियों का दोष न होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई। अतः दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिन ग्रामों को सड़क निर्माण कार्य में सम्मिलित नहीं किया गया ऐसे छूटे हुए चिन्हांकित ग्रामों को सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति की कार्यवाही विचाराधीन है, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "पैंतीस</u>''

<u>दवाना सोसायटी में पदस्थ कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही</u>

172. (क्र. 5384) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आ.जा. सेवा. सहकारी संस्था मर्या. दवाना तह. ठीकरी जिला बड़वानी में पदस्थ रहे (1) मनोज पाटीदार (2) बबन चौहान (3) परमानंद गीते गबन के आरोप में जेल मे रहे हैं? अपराध क्र., दिनॉंक, कारावास की अवधि की विस्तृत जानकारी देवें? (ख) यदि हाँ, तो जिन मामलों में ये आरोपी बने क्या इनसे रिकवरी कर ली गई है यदि नहीं तो कब तक कर ली जावेगी? संचालक मंडल में इनको पुर्ननियुक्ति देने के लिए जो बैठक की उसके एजेण्डे की प्रतिलिपि, निर्णय की प्रतिलिपि सहित उपलब्ध करावें? (ग) रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं बड़वानी द्वारा पत्र क्र./विधि/2013/520 दि. 21-12-13 के माध्यम से इस पुर्ननियुक्ति की असहमति बताये जाने के उपरांत भी किस आधार पर दवाना सोसायटी द्वारा यह निर्णय लिया गया? (घ) इसके लिए दोषी संचालक मंडल को कब तक भंग कर

उपरोक्त पुर्ननियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी? इस ओर ध्यान न देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. अपराध क्रमांक 154/12, धारा 409 भा.द.वि. के अंतर्गत श्री मनोज पाटीदार दिनाँक 24.09.2012 से दिनाँक 22.12.2012 तक, बबन चौहान दिनाँक 24.09.2012 से दिनाँक 02.12.2012 तक एवं श्री परमानंद गीते दिनाँक 24.09.2012 से दिनाँक 06.12.2013 तक कारावास में रहे हैं. (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन से प्राप्त जानकारी अनुसार जिन मामलों में ये आरोपी बने है, उनमें संस्था दवाना को गबन संबंधी कोई राशि लेना नहीं था, अतः रिकवरी का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है. श्री बबन चौहान एवं परमानंद गीते को संस्था दवाना में 89 दिनों के लिये पुर्ननियुक्ति देने हेतु आयोजित संचालक मंडल की बैठक दिनाँक 10.02.2015 के एजेण्डें एवं निर्णय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 एवं 2 अनुसार** है. श्री मनोज पाटीदार को संस्था तलबाड़ा डेब के संचालक मंडल द्वारा 89 दिनों के लिये नियुक्ति देने संबंधी संचालक मंडल के निर्णय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है. (ग) कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार,सहकारी संस्थायें, बड़वानी के पत्र क्रमांक/विधि/ 2013/820, दिनाँक 21.12.2013 के द्वारा उत्तरांश (क) में वर्णित 03 कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने के निर्णय पर पुर्नविचार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद भी संस्था दवाना एवं संस्था तलवाड़ा डेब द्वारा इन कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने पर कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थायें, बड़वानी के पत्र क्रमांक 147, दिनाँक 04.03.2015 एवं पत्रक्रमांक 148, दिनाँक 04.03.2015 द्वारा संस्था दवाना एवं संस्था तलवाड़ा डेब के संचालक मंडल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. (घ) उत्तरांश (ग) के अनुसार जारी कारण बताओ सूचना पत्र में संबंधित संस्थाओं के संचालक मंडल द्वारा पक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

परिशिष्ट – "छत्तीस"

सिंहस्थ 2016 के लिए जारी परमिट

173. (क्र. 5395) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 के लिए वर्ष 2014 से दि. 15.02.2015 तक किन-किन को किस-किस दिनाँक से कितनी वैधता एवं फेरों के परमिट किस दिनाँक तक के लिए जारी किए, की सूची वाहन मालिक, वाहन प्रकार, नं. सहित उपलब्ध करावें? (ख) क्या कारण है कि सिंहस्थ 2016 के आयोजन में 1 वर्ष से अधिक समय शेष रहने के बाद भी अभी से परमिट जारी कर दिए गए? (ग) इसके मापदंडों की जानकारी देवें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) सिंहस्थ 2016 के लिए वर्ष 2014 से दिनाँक 15.02.2015 तक किसी भी वाहन को कोई परमिट जारी नहीं किये गये है अतः जानकारी निरंक है। (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के उत्तर के प्रकाश में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुज्ञा पत्रों से टैक्स चोरी

174. (क्र. 5396) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिलीप ट्रेडिंग कं. महिदपुर जिला-उज्जैन द्वारा जिन अनुज्ञा पत्रों के द्वारा सोयाबीन का विक्रय जिन फर्मों/कंपनियों को किया गया उनकी छायाप्रतियां फर्मों/कंपनियों को विक्रय क्विंटल

दर की सूची सहित दि. 01.01.10 से 31.12.14 तक देवें? (ख) इन अनुज्ञा पत्रों की जाँच कर यह भी बतावें कि इनके द्वारा कितनी टैक्स चोरी की गई है? वर्षवार बतावें? (ग) इनसे पेनल्टी लगाकर उपरोक्त टैक्स चोरी की राशि कब तक वसूल कर ली जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कृषि उपज मण्डी समिति महिदपुर की अनुज्ञप्तिधारी फर्म दिलीप ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा जिन फर्मो/कम्पनियों को प्रश्नांश अवधि में सोयाबीन का विक्रय किया गया है उनके अनुज्ञापत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। इस विक्रय समव्यवहार से संबंधित वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ख) जाँच की जा रही है। (ग) उत्तरांश "ख" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायतों में किये गये कार्यों पर व्यय राशि

175. (क्र. 5454) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले की तहसील मेंहगांव के ग्राम पंचायत सायपुरा, कुपावली एवं अजीता में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014 से प्रश्नतिथि तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय करने राज्य व केन्द्रीय मद से प्राप्त हुई? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्थानों में एव वर्णित समयानुसार उक्त ग्रामपंचायतों में किस-किस स्थान पर, किस-किस प्रकार के क्या-क्या कार्य कराने पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? व्यय की गई राशि का भुगतान किस-किस को किया गया? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित समयानुसार एवं स्थानों पर कराये गये कार्यों का स्थल पर भौतिक सत्यापन किस नाम/पदनाम के अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा करते हुये गुणवत्ता प्रमाणपत्र जारी किया? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन-कौन सी थी? नाम दें? वर्तमान में उक्त कराये गये कार्यों की स्थल पर भौतिक स्थिति क्या है? कार्यवार /स्थलवार / ग्रामवार जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम 07 एवं 11 अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम 15 एवं 16 अनुसार**। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम 14 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम 02, 05 एवं 13 अनुसार।**

अतारांकित प्रश्नोत्तर

<u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अपूर्ण कार्यों का निर्माण</u>

1. (क्र. 154) श्री मोती कश्यप : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स.क्षे. बड़वारा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किन वर्षों में घटते क्रम की संख्या के किन जनसंख्या के ग्रामों के कितनी दूरी के मार्गों को कब किनके द्वारा स्वीकृतियां प्रदान की गई है और उनकी निविदाओं, निविदाकारों तथा निर्माणों की स्थिति क्या है? (ख) प्रश्नागत क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना की जनसंख्या के पचास प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले पात्र ग्राम कौन है और उनमें से किन्हें मुख्यमार्ग से जोड़ने हेतु प्रशासकीय स्वीकृतियां प्राप्त हो गई है? (ग) क्या प्रश्नांश (क) (ख) मार्गों के निर्माण की निर्धारित समय सीमा क्या है और किन मार्गों के जर्जर होने पर उनका पुर्ननिर्माण और मरम्मत कार्य पूर्ण किया गया है? (घ) प्रश्नांश (क) से (ग) के ऐसे कौन से मार्ग हैं, जो अन्य विभागीय मार्गों से मिश्रित हैं और किन्हें लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है? (ड.) क्या ढीमरखेड़ा से दशरमन के सघन यातायात वाले किसी कि.मी. के मार्ग के उन्नयन और उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण के प्राक्कलन बनाये जाकर कब किन्हें प्रस्तुत किये गये हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशो की कण्डिका 2-1 के अनुसार जनजातीय (अनुसूची-**V**) क्षेत्रों में 250 (वर्ष 2001 की जनगणना) और इससे अधिक आबादी वाली बसाहटो को सड़को से जोडने का प्रावधान है ना कि वर्ष 2001 की जनगणना की जनसंख्या के पचास प्रतिशत से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले ग्रामों को जोडने का। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में दर्शाये गये निर्माण कार्यों को अनुबंधानुसार कार्य प्रारंभ कराने की दिनाँक से एक वर्ष में कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित होती है। एक मार्ग परसवारा से भदौरा भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त होने से क्रस्ट रिवीजन कर पुर्ननिर्माण कराया जा रहा है। (घ) उत्तरांश (क) एवं (ग) अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एक मार्ग बड़वारा से बसाडी मार्ग लोक निर्माण विभाग से मिश्रित है। योजना में स्वीकृत होने से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। (ड.) जी नहीं।

<u>म.प्र. में यूरिया रासायनिक खाद्य नीति</u>

2. (क्र. 639) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. में रासायनिक उर्वरक डीएपी,एन.पी.के. एवं यूरिया के वितरण हेतु म.प्र. शासन की कोई नीति निर्धारित हैं? यदि हाँ, तो बतलावें? (ख) रबी 2014-15 में मध्यप्रदेश में सहकारी संस्थाओं एवं निजी विक्रेताओं को कितना-कितना यूरिया उपलब्ध कराया गया बतलावें? (ग) क्या यह सच है कि म.प्र. में यूरिया वितरण की व्यवस्था विभाग द्वारा निजी विक्रेताओं को फायदा पहुचाने हेतु निर्धारित की गई है? यदि नहीं तो यूरिया का सम्पूर्ण वितरण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से क्यों नहीं हो रहा है बतलावे? क्या विभाग निजी विक्रेताओं से यूरिया का वितरण बंद करायगा या यथावत रखेगा बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) रबी 2014-15 में दिनाँक 01.10.2014 से 02.03.2015 तक सहकारी संस्थाओं में 8.37 लाख मैंट्रिक टन एवं निजी विक्रेताओं को 4.27 लाख मैंट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। (ग) जी नहीं। दिनाँक 14.12.2014 से सहकारी संस्थाओं को 70 प्रतिशत एवं निजी विक्रेताओं को 30 प्रतिशत यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है। निजी विक्रेता भी उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड-8 के अनुसार उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र प्राप्त करते है। अत: निजी विक्रेताओं द्वारा उर्वरक विक्रय यथावत रहेगा।

परिशिष्ट – "सैंतीस"

ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला पंचायतों के द्वारा कराये गये निर्माण

3. (क्र. 640) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से 2014 तक ऐसे कितनी ग्राम पंचायते जनपद एवं जिला पंचायतों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता धांधली एवं वित्तीय अनियमितताएं मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन कराने के बाद हुई? कारण सहित विवरण दें? (ख) गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी ग्राम पंचायते जनपद पंचायते है जिनका निर्माण कार्यों का अभी तक मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन नहीं किया है? कब तक कर दिया जायेगा एवं जिन पंचायतों में वित्तीय अनियमितताएं हुई है उनके विरूद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की है? (ग) गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र में जिन पंचायतों में धांधली एवं वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, क्या उनके पदाधिकारियों के विरूद्ध विभाग ने कोई कार्यवाही की है कि नहीं? क्या ऐसे लोगों पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुये हैं कि नहीं? कारण सहित उत्तर दें? (घ) गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र में जिन पंचायत पदाधिकारियों एवं तकनीकी पदाधिकारियों के विरूद्ध अनियमितता के आरोप हैं, उनके विरूद्ध कब तक आपराधिक प्रकरण दर्ज होंगे एवं जिनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण यदि दर्ज हो गये हों, तो उनके विरूद्ध कब तक चालानी एवं वसूली की कार्यवाही कब और किस रीति से होगी? व्यक्तिवार, पंचायतवार कारण सहित विवरण दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बमोरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायतों, में जनपद एवं जिला पंचायत के वर्ष 2012 से 2014 तक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता धांधली एवं वित्तीय अनियमितताओं मूल्यांकन एवं भौतिक सत्यापन कराने के बाद कोई अनियमितता नहीं पाई गई। जनपद पंचायत बमोरी अंतर्गत मात्र एक ग्राम पंचायत कावरबमोरी में बिना बजट स्वीकृति उपरांत व्यय एवं रोकड़वही संधारित नहीं करने संबंधी अनियमितता पाई गई। (ख) उतरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) बमोरी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कावरबमोरी में रोकड़वही संधारित नहीं करने एवं बिना बजट स्वीकृति उपरांत विज्ञापनों पर व्यय करने की अनियमितता पायें जाने से सचिव, ग्राम पंचायत को निलंबित किया गया। प्रकरण भ्रष्टाचार से संबंधित नहीं होने से एफआईआर दर्ज नहीं की गई। (घ) उतरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

गुना जिले में सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये जीरो प्रतिशत ऋण

4. (क्र. 905) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले के सहकारी बैंक द्वारा गत दो वर्षों में जीरो प्रतिशत ब्याज वाले कितने किसान क्रेडिट

कार्ड वाले कितने किसान जिले में लाभान्वित हुए हैं? कितने किसानों को ऋण दिया था? (ख) सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये किसान क्रेडिट कार्ड, खाद बीज का ऋण जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ नहीं मिले तो उनको कितने प्रतिशत ब्याज सहित ऋण जमा करना होगा? (ग) गुना जिले के ओला पीड़ित किसानों के सहकारी बैंकों के ऋण या क्रेडिट कार्य क्या माफ होंगे? ऋण वसूली स्थगित होगी या उन्हें ऋण जमा करना होगा? (घ) गुना जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गुना के अंतर्गत आने वाली सहकारी समितियों द्वारा कितने किसानों को खाद बीज एवं किसान क्रेडिट कार्ड दिये हैं उनमें से गत दो वर्षों में कितने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ हुआ है? क्या गुना जिले में ओला पीड़ित किसानों के ऋण माफ होंगे या जमा करना पड़ेगे तथा क्या गुना बैंक में पदेन अध्यक्ष को सहकारी समितियों को नवीन सदस्यता देने का अधिकार है? यदि नहीं तो गुना में कैसे दी गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

गुना जिले में मनरेगा (रोजगार गारंटी योजना) के तहत मजदूरों को रोजगार

5. (क्र. 906) श्रीमती ममता मीना : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक वर्षवार कितने-कितने कार्य पूर्ण किये गये? गुना जिले की जानकारी विकासखण्डवार दें? (ख) गुना जिले में उक्त योजना में कितने जॉबकार्डधारी परिवार पंजीकृत हैं? उनमें से कितने जॉबकार्डधारियों को रोजगार दिया गया एवं ऐसे कितने जॉबकार्डधारी मजदूर परिवार हैं, जिन्हें रोजगार नहीं दे पाने से उन्हें रोजगार भत्ता दिया गया? यदि नहीं, तो कारण बतायें? (ग) चाचौड़ा राघौगढ़ और आरोन विकासखण्ड में कितने जॉबकार्डधारी पंजीकृत हैं? मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल कितने निर्माण कार्य कराये गये? इस अवधि में कितने मजदूर परिवारों को रोजगार दिया गया तथा कितने मजदूरों को रोजगार भत्ता दिया गया? (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में गुना जिले के समस्त विकासखण्डों में मनरेगा से सड़कों, तालाबों एवं अन्य मदों से अभिसरण से विगत तीन वर्षों में किये गये कार्यों की संख्या, उनकी वर्तमान भौतिक स्थिति तथा इनमें से ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों की कुल संख्या उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गुना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक 10482 कार्य पूर्ण हो चुके है। गुना जिले की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) गुना जिले में उक्त योजना में 223289 जॉबकार्डधारी परिवार पंजीकृत हैं, उनमें से 126490 जॉबकार्डधारी पंजीकृत परिवारों को रोजगार दिया गया। योजना माँग आधारित होने से काम की माँग करने वाले सभी जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार दिया गया है। अतएव जिले में किसी भी परिवार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। (ग) चाचैड़ा, राघौगढ़ और आरोन विकासखण्ड में 126780 जॉबकार्डधारी परिवार पंजीकृत हैं। मनरेगा योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक कुल 7890 निर्माण कार्य कराये गये। इस अवधि में काम की माँग करने वाले सभी जॉबकार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। अतएव किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया। रोजगार की वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (घ) प्रश्नांश (क) की अवधि में गुना जिले के समस्त विकासखण्डों में मनरेगा से सड़क,तालाबों एवं अन्य मदों से अभिसरण से 14747 कार्य कराये गये। जिनकी भौतिक स्थिति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

परिशिष्ट – "अड़तीस"

वाटर शेड योजना की जानकारी

6. (क्र. 1618) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिला आई.डब्ल्यू.एम.पी. अंतर्गत कितने वाटर शेड हैं, उनके टीम लीडर के नाम कार्यालय एवं पतावार सूची सहित जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) उक्त वाटर शेड योजना अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष, 2011-2012 से 2013-14 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन समितियों को किस-किस कार्य हेतु प्रदाय की गई एवं किन-किन उपयंत्रियों ने कार्यों का मूल्यांकन किया? (ग) क्या उक्त कार्यों के गुणवत्ताहीन व राशि में हेरा-फेरी की शिकायत क्षेत्रीय भ्रमण उपरांत जनता द्वारा बार-बार की जाती है? यदि हाँ, तो जाँच समिति, बनाकर जाँच कराकर व दोषी कार्य ऐजेंसियों व अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कटनी शहर में ट्रिपल एस.एम.आई.डी. बनाने में त्रुटि

7. (क्र. 1631) श्री कुंवर सौरभ सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि कटनी शहर में ट्रिपल एस.एम.आई.डी. न बनने एवं एंट्री में गलतियों के चलते अनेक पात्र परिवारों को खाद्यान्न पर्चियां छात्रवृत्तियां एवं अन्य सुविधाएं आज दिनाँक तक प्राप्त नहीं हैं? (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में कटनी नगर की ट्रिपल एस.एम.आई.डी. बनाने एवं सुधार का कार्य लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है, तथा लोक सेवा केन्द्र का संचालक एवं पूर्व में ट्रिपल एस.एम.आई.डी. की डाटा एंट्री का कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति है? यदि हाँ, तो गलत एवं अधूरी एंट्री करने वाले ऑपरेटर को पुन: उसी कार्य को किस आधार पर दिया गया है एवं जिस कार्य का भुगतान किया जा चुका है, तो उसी कार्य का शुल्क किस नियम/आदेश के तहत लिया जा रहा है, बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार की गई अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी और की जावेगी, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कटनी जिले में समस्त पात्र परिवारों को समग्र पोर्टल के माध्यम से खाद्यान का लाभ दिया जा रहा है। छूटे हुये परिवारों का पंजीयन एवं डाटा अपडेशन का कार्य सतत प्रक्रिया है जिससे की समस्त छूटे हुये विद्यार्थियों का पंजीयन करते हुये छात्रवृत्ति एवं अन्य पात्र हितग्राहियों को संबंधित योजना का लाभ शासन की मंशानुसार दिया जा रहा है। (ख) जी हाँ। पंजीयन/डाटा अपडेशन की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। तद्नुसार उनके द्वारा कार्य किया गया। नियमानुसार भुगतान किया गया है। (ग) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त आवेदन

8. (क्र. 1632) कुंवर सौरभ सिंह : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. लोक सेवा के प्रदाय की गांरटी अधिनियम के तहत ऊर्जा विभाग एवं राजस्व विभाग की

सेवाओं के कटनी जिले में कितने आवेदन लोक सेवा केन्द्रों तथा विभाग को सीधे तौर पर अक्टूबर, 2012 से प्रश्न दिनाँक तक प्राप्त हुये हैं? (ख) क्या सभी आवेदनों का लोकसेवा प्रबंधन विभाग की वेबसाइट में पंजीयन कर पावती दी जाकर, अधिनियम के तहत सेवा प्रदाय करने की नियमावली का पालन करते हुये आवेदनों का निराकरण किया गया है? (ग) अधिनियम के तहत ऊर्जा विभाग एवं राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.4, 4.5 एवं 4.7 के अक्टूबर, 2012 से प्रश्न दिनाँक तक कितने आवेदनों को किन कारणों से निरस्त/अमान्य किया गया है? इन आवेदनों की मूल नस्तियों में पदानिहित अधिकारियों द्वारा क्या आदेश जारी किये गये? क्या वह आदेश, अधिनियम के परिपत्रों के अनुरूप थे एवं क्या इस संबंध में कलेक्टर, कटनी द्वारा कार्यवाही सही होने का सत्यापन किया जावेगा? (घ) आवेदनों के निराकरण में अधिनियम के परिपत्रों/आदेशों का उल्लंघन करने का कौन जिम्मेदार है? उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही, कब तक की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर ठाकुर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>प्रधानमंत्री सड़क योजना</u>

9. (क्र. 1701) श्री सचिन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2008 से प्रश्न दिनाँक तक खरगौन जिले में सड़क निर्माण के कुल कितनी एवं किस-किस दिनाँक को निविदाए जारी की गई? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार कसरावद विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितनी-कितनी सड़क निर्माण के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है, लंबित हैं एवं प्रस्तावित है, की जानकारी देते हुए इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी, समयसीमा बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार ऐसी कितनी सड़कें हैं, जिन्हें इस योजनांतर्गत चिन्हित किया गया है या की जाना है के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब? नहीं, तो क्यों, कारणों का उल्लेख करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) म.प्र. ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत खरगौन जिले की सड़कों के निर्माण हेतु 52 निविदा सूचनाएं जारी की गई। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) कसरावद विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से प्रश्न दिनाँक तक 58 सड़कों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 सड़कों के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है, जिनकी स्वीकृति वर्तमान में लंबित है। स्वीकृति की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) योजनान्तर्गत 2 सड़कें चिन्हित की गई है। उत्तरांश (ख) अनुसार उक्त सड़कों के डीपीआर तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "उनतालीस"</u>

<u>शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आवंटन</u>

10. (क्र. 1790) कुँवर विक्रम सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छतरपुर जिले में नगर पालिका क्षेत्र, छतरपुर में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो समस्त भण्डारों के नाम, पंजीयन क्रमांक, कार्यक्षेत्र एवं उनको आवंटित वार्ड की सूची सहित प्रस्तुत करें? (ख) क्या यह सही है कि कुछ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों को उनके कार्य क्षेत्र के बाहर नगर पालिका क्षेत्र, छतरपुर के वार्डों की

शासकीय उचित मूल्य की दुकान आवंटित या संलग्न कर दी गई है? यदि हाँ, तो वार्डों की सूची दें? (ग) क्या यह सही है कि नियमानुसार प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उनके कार्यक्षेत्र में ही दुकान आवंटित या संलग्न की जा सकती है? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो नगर पालिका क्षेत्र छतरपुर के वार्डों की शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उनके कार्यक्षेत्र के बाहर किस नियम के तहत आवंटित या संलग्न की गई? नियम विरूद्ध आदेश करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राशन वितरण में कालाबाजारी एवं अनियमितता

11. (क्र. 1813) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गांवों में राशन वितरण में अनियमितता तथा कालाबाजारी आदि के बारे में तत्कालीन सहायक संचालक खाद्य की जाँच रिपोर्ट का विवरण देकर बतावें, कि श्री जगदीश कुशवाह तथा श्री जगदीश कोरकू के विरूद्ध कितनी शिकायतें अभी तक मिली हैं, तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई? (ख) क्या यह सही है कि श्री जगदीश कुशवाह के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही, पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य कार्यवाहियां की गई थीं, लेकिन न्यायालय से स्थगन लाया गया? उसका स्थगन रिक्त करने के लिये विभाग ने क्या कार्यवाही की? (ग) क्या खाद्य विभाग ने विभिन्न शिकायतों की जाँच की थी, उनका विवरण देते हुये बतावें कि कितनी अनियमितताएं पाई गईं, तथा शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की तथा क्या श्री जगदीश कोरकू व श्री जगदीश कुशवाह का निलम्बन या उनको राशन वितरण के कार्य से पृथक नहीं किया जा सकता है?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

खाद्यान्न पर्ची वितरण

12. (क्र. 1986) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्यान्न पर्ची बनाने एवं वितरण करने के क्या नियम है? नियम की प्रति उपलब्ध करायें? यह भी बतायें कि जारी करने एवं वितरण करने के लिये कौन सक्षम अधिकारी/कर्मचारी हैं? (ख) सिहोरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत एक वर्ष में विकासखण्ड सिहोरा एवं कुण्डम में खाद्यान्न पर्ची प्रश्नांश (क) अनुरूप कब बनाई एवं कब वितरित की गई? पंचायतवार एवं ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करायें? (ग) प्रश्नांश (ख) परिवारों को नियमानुसार नियमित रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, या नहीं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की जानकारी

13. (क्र. 1988) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग के सिहोरा एवं कुण्डम विकास खण्ड अंतर्गत 1 अप्रैल 2012 से प्रश्नांश दिनाँक तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कार्यों के आरंभ करने की एवं पूर्ण होने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

कितने निर्माण कार्य पूर्ण हैं, एवं कितने अपूर्ण हैं, सूची उपलब्ध करावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेगें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के सिहोरा एवं कुण्डम विकास खण्ड अंतर्गत 1 अप्रैल 2012 से स्वीकृत निर्माण कार्यों की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

पी.सी.ओ./बी.पी.ओ. की पदक्रम सूची का प्रकाशन

14. (क्र. 1995) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनाँक 2.2.95 के अनुसार पदक्रम सूची प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को प्रकाशित किये जाने के निर्देश हैं? (ख) कंडिका (क) अनुसार पंचायत राज संचालनालय के अधीन कार्यरत खण्ड पंचायत अधिकारी/पंचायत समन्वय अधिकारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन क्या समय अवधि में प्राप्त अभ्यावेदन के निराकरण के पश्चात किया जाता है? वर्ष 2013-14 की सूची कब प्रकाशित की गई तथा आगामी सूची कब प्रकाशित की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। वर्ष 2013-14 की सूची **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार** तथा आगामी पदक्रम सूची नियमानुसार यथा समय प्रकाशित की जावेगी।

सहायक विकास विस्तार अधिकारियों का स्थानांतरण

15. (क्र. 1996) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर स्थानांतरित नीति में 3 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर कार्यरत कार्यपालिक कर्मचारियों को स्थानांतरित किये जाने के निर्देश हैं? (ख) विभाग अंतर्गत जनपद पंचायत सिहोरा जिला जबलपुर में ऐसे कितने सहायक विकास विस्तार अधिकारी हैं, जो 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ है, सूची उपलब्ध करावें? (ग) कंडिका (ख) कर्मचारियों को कंडिका (क) प्रावधान अनुसार क्यों नहीं हटाया गया? कब तक हटाया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) **संलग्न परिशिष्ट-"अ"** पर है। (ग) स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। शिथिल होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "चालीस"

विकलांग लोगों को बैशाखी का प्रदाय

16. (क्र. 2037) श्री पन्नालाल शाक्य : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सामाजिक कल्याण एवं जिला पंचायत एवं न.पा. के माध्यम से जो बैशाखी विकलांग लोगों को प्रदान की जाती है, वह बैशाखी आई.एस.आई. मार्का की न होने के कारण एक तो बैशाखी की उम्र कम होती है, जिससे बैशाखी टूटने के कारण हमेंशा दुर्घटना का भय बना रहता है? (ख) प्रश्नांश (क) के सिलसिले में शासन, प्रदेश में होने वाले विकलांग मेंलों में आई.एस.आई. मार्का की बैशाखी खरीदने की क्या योजना है? पूर्व में खरीदी गयी बैशाखी की जाँच शासन कब तक करा रहा है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

मुख्यमंत्री आवास योजना में स्वीकृत प्रकरण

17. (क्र. 2188) श्री रामपाल सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहडोल जिले के जनपद पंचायत ब्यौहारी के विभिन्न ग्रामों में वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री आवास योजना के कितने हितग्राहियों का प्रकरण स्वीकृत किया गया है? (ख) वर्ष 2013-14 में कितने हितग्राहियों के आवास का कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने हितग्राहियों का आवास अपूर्ण है? यदि आवास अपूर्ण है, तो उसका कारण क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास के प्रकरण वर्ष 2013-14 में कुल 15 प्रकरण स्वीकृत किए गये हैं। (ख) स्वीकृत आवासों में से 07 आवास पूर्ण हैं तथा 08 आवास अपूर्ण हैं। आवास निर्माण पूर्ण करने हेतु हितग्राहियों को प्रेरित किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभांवित हितग्राही

18. (क्र. 2189) श्री रामपाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किन-किन वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है? (ख) क्या ब्यौहारी विधानसभा अंतर्गत प्रावधानित हितग्राहियों को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से लाभान्वित किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों और ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत अन्त्योदय अन्न योजना एवं राज्य शासन द्वारा चिन्हित अन्य श्रेणी के प्राथमिकता परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभांवित किए जाने का प्रावधान है। प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों की सूची संबंधी **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ, ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सत्यापित समस्त पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लाभांवित किया जा रहा है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "इकतालीस"

राजगढ़ जिले के पचोर (गंगाहोनी) सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. के संबंध में

19. (क्र. 2203) श्री गिरीश भंडारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनाँक 27/03/2012 को राजगढ़ जिले के स्वीकृत पंजीकृत सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या. पचोर (गंगाहोनी) जिला-राजगढ़ में कितनी सदस्य संख्या थी? सदस्य सूची उपलब्ध करावें? (ख) क्या दिनाँक 27/03/2012 के बाद संस्था के कितने सदस्यों को संस्था से निकाला गया है? सूची उपलब्ध करायें? क्या निकाले गये सदस्यों को विधि अनुरूप निकाला गया? कारण स्पष्ट करें? (ग) क्या वर्तमान संचालक मण्डल सदस्यों के अपने निजी मकान नहीं हैं? अगर नहीं है तो उनके घोषणा फार्म उपलब्ध करावे? संचालक मण्डल द्वारा कब-कब कितनी बैठकें की गई? एवं वार्षिक साधारण सभा, एजेण्डा की सदस्यों को सूचना की गई है या नहीं? कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध करावें? (घ) पूर्व में विधानसभा के तारांकित प्रश्न क्रं.1559 दिनाँक 10/2/2011 को कहा गया था कि शेष 13 सदस्यों को शीघ्र ही प्लॉट आवंटन किये जावेगें? की गई कार्यवाही से अवगत करायें? वर्तमान में संचालक मण्डल द्वारा क्या संस्था के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को संस्था का पदाधिकारी तथा संरक्षक, कोषाध्यक्ष आदि किस नियम के तहत नियुक्त किये गये?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

<u>जिला सहकारी संघ द्वारा चंदा वसूल करने बाबत्</u>

20. (क्र. 2204) श्री गिरीश भंडारी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 में जिला सहकारी संघ जिला राजगढ़ द्वारा किन-किन संस्थाओं से सहकारी संघ का चंदा किस अवधि का वसूल किया गया? (ख) क्या वसूल किया गया चन्दा नियत दर से वसूल किया गया है? वसूल की गई राशि का आंकलन किस आधार पर किया गया है? किस नियम के तहत जमा कराया? (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2007 के उपरांत कृषक साख सहकारी संस्थाओं से जिला सहकारी संघ का चन्दा वसूल करना आवश्यक था? यदि नहीं, तो संबंधित संस्थाओं से वसूल राशि वापस कर दी गई? यदि नहीं, तो कब तक वापसी की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है. (ख) जी हाँ, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को छोड़कर शेष संस्थाओं से अभिदाय मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 43 एवं 47 तथा सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 30 के अनुरूप आंकलित व वसूल किया गया है. (ग) जी, नहीं. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं से वसूल की गई अभिदाय की राशि एक माह के भीतर वापसी हेतु उपायुक्त सहकारिता जिला राजगढ़ को निर्देश दिए गए है.

<u>लोक सेवा प्रबन्धन में महिलाओं की सहभागिता</u>

21. (क्र. 2235) सुश्री उषा ठाकुर : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत प्रदेश में शासन की कौन-कौन सी योजनाएं प्रचलित हैं? (ख) विगत 5 वर्षों में लोक सेवा प्रबंधन योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु क्या प्रयास किए गए? (ग) लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत जन जागृति हेतु महिलाओं के एन.जी.ओ. की सेवाएं लिये जाने का प्रावधान रखा गया है? (घ) महिलाओं की सहभागिता लोक सेवा प्रबंधन में हो सके, ऐसी कोई योजना शासन की है, अथवा बनाई जाना है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत प्रदेश में आम नागरिकों को शासन की विभिन्न विभागों की योजनओं को अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित कर लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाईन प्रदाय किया जा रहा है (**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है)। (ख) विगत 05 वर्षों से प्रतिवर्ष जिला स्तर पर 25 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक लोक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, ग्राम सभा में प्रचार प्रसार, विद्यालयों में अधिनियम पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर, जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर एवं अंत्योदय मेंले में पेम्पलेट, होर्डिंग एवं दीवाल लेखन, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अन्य सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग अधिनियम के प्रचार प्रसार हेतु किया जा रहा है। (ग) लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं आम नागरिकों के लिए जिनमें महिलाएं/पुरूष दोनों सम्मिलित है। अधिनियम के तहत जन जागृति हेतु महिलाओं के एन.जी.ओ. की सेवाएं लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। (घ) जी नहीं।

<u>विधान सभा क्षेत्र क्र. 19 डबरा के क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकाने</u>

22. (क्र. 2265) श्रीमती इमरती देवी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत विकास खंड डबरा में ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में किस-किस स्थान पर शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित है? इन दुकानों पर कौन-कौन कर्मचारी कब से पदस्थ है तथा प्रत्येक दुकान के खुलने का समय, संचालित स्थान का पूर्ण पता सहित सूची उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वि.ख.डबरा कि प्रति दुकान पर कितने-कितने बी.पी.एल., ए.पी.एल., अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार तथा अन्य कार्डधारी है दुकानवार संख्या बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार विकास खण्ड डबरा क्षेत्र में संचालित प्रत्येक दुकान पर माह जनवरी 2015 की स्थिति में कितनी मात्रा में कैरोसीन, शक्कर, गेहूँ, चावल अन्य सामग्री प्रदाय की गई, प्रत्येक दुकानवार सूची उपलब्ध करावें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण

23. (क्र. 2451) श्री कुँवरजी कोठार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जनपद पंचायत सारंगपुर अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत 1 अप्रैल,2014 से प्रश्न दिनाँक तक त्रुटिपूर्ण खाद्य पर्ची जारी करने के कारण कितने बी.पी.एल.परिवारों की माह वृद्धावस्था,विधवा एवं विकलांग पेंशन रोक दी गयी है? संख्या बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त रोकी गयी पेंशन का पुन: भुगतान किस माह से दिया जाना प्रारंभ किया गया है? (ग) शेष माह की रोकी गयी वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के एरियर राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) त्रुटिपूर्ण खाद्य पर्ची जारी करने के कारण किसी भी हितग्राही की पेंशन रोकी नहीं गई है। कतिपय हितग्राहियों का समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल पर सत्यापन न होने के कारण 1735 हितग्राहियों की पेंशन रोकी गई थी। सत्यापन उपरांत पुनः पेंशन चालू कर दी गई है। (ख) सितम्बर 14 से दिया जाना प्रारंभ किया गया है। (ग) माह अप्रैल 15 तक मैंन्युअल आधार पर भुगतान कर दिया जावेगा।

अतिरिक्त खाद्यान वितरण की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

24. (क्र. 2452) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ की विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अन्तर्गत दिनाँक 01.04.2013 से दिनाँक 31.03.2014 तक बी.पी.एल. राशनकार्ड धारी एवं अन्त्योदय कार्डधारियों को खाद्यान वितरण हेतु कितना-कितना राशन आवंटित किया जाकर वितरण किया जा रहा था? कृपया बी.पी.एल. कार्डधारी एवं अन्तोदय कार्डधारियों को वितरण किये जा रहे खाद्यान की मात्रा माहवार बतावें एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू होने के पश्चात् 23 श्रेणी के परिवारों को सम्मिलित करते हुए दिनाँक 01.04.2014 से 31.01.2015 तक कितना-कितना अतिरिक्त खाद्यान अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवारों के लिये आवंटित करना पड़ा? माहवार जानकारी बतावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार क्या यह सही कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनाँक 01.04.2014 से लागू होने के पश्चात् सभी 23 श्रेणी के पात्र परिवारों का सम्मिलित करते हुए राशन हेतु पर्ची वितरित की गई है? यदि राशन हेतु पर्ची वितरित नहीं की गई है तो कब तक सत्यापन किया जाकर खाद्यान पर्ची वितरित की

जावेगी? समय सीमा बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना 2013 लागू होने के पश्चात सभी 23 श्रेणियों के परिवारों को भी सम्मिलित करने के पश्चात भी बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों का खाद्यान का आवंटन कम हो गया है? यदि हाँ, तो 01.04.2014 के पूर्व बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय कार्डधारियों के खाद्यान का आवंटन विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से अधिक आवंटन प्राप्त किया जाकर बाजार दर पर बेंचने वाले के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति की आय बढ़ाने बाबत

25. (क्र. 2453) श्री कुँवरजी कोठार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत कार्यरत कृषि उपज मण्डी समिति सारंगपुर, पचौर, उपमण्डी सण्डावता एवं सब्जी मण्डी सारंगपुर में वर्तमान में कितने व्यापारियों को लायसेन्स प्रदाय किया गया है? कृपया पृथक-पृथक लायसेन्सधारियों के नाम एवं लाइसेंस प्रदाय करने की दिनाँक से अवगत करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार मण्डी समिति में लाईसेंसधारी व्यापारियों के द्वारा कितने-कितने व्यापारियों के द्वारा खरीददारी का कार्य किया जा रहा है? नाम सहित विस्तृत विवरण देवें एवं वर्ष 13-14, 14-15 में किन-किन व्यापारियों के द्वारा मण्डी टैक्स जमा कराया गया है माहवार जानकारी देवें? क्या यह सही है कि लाईसेंसधारी व्यापारियों के द्वारा पृथक से मण्डी के माध्यम से अनाज खरीद कर किसानों को कच्ची पर्ची प्रदाय की जाकर मण्डी में बिना टैक्स जमा किये, अनाज का परिवहन किया जाता है? शासन ऐसे दोषी लाईसेंस धारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शायी गयी अवधि में कृषि उपज मण्डी समितियों को शासन स्तर से कितना वित्तीय लक्ष्य दिया गया था एवं उसके विरूद्ध कितनी राशि जमा की गयी है, माहवार तथा वर्षवार जानकारी देवें? शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य पूर्ण न करने पर संबंधित जवाबदार अधिकारियों के विरूद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति सारंगपुर एवं उसकी उपमण्डी सण्डवता में 106 तथा कृषि उपज मण्डी समिति पचौर में 124 व्यापारियों को अनुज्ञप्ति दी गई है। प्रश्नागत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) कृषि उपज मण्डी सारंगपुर में 106 में से वर्ष 2013-14 में 27 व्यापारियों वर्ष 2014-15 में 28 व्यापारियों तथा कृषि उपज मण्डी समिति पचौर में 124 में से वर्ष 2013-14 में व्यापारियों वर्ष 2014-15 में 67 व्यापारियों द्वारा घोष-नीलामी में कृषि उपज क्रय की जाकर मण्डी फीस का भुगतान किया गया जिसकी वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। पृथक से व्यापारियों द्वारा कच्ची पर्ची देना बिना मण्डी फीस जमा किये परिवहन का प्रकरण प्रकाश में नहीं है। अत: इस संबंध में परिवहन किये जाने से कार्यवाही करने का प्रश्न उदभुत नहीं होता है। (ग) प्रश्नागत मण्डीयों का रोलिंग वित्तीय लक्ष्य 30 प्रतिशत वृद्धि का निर्धारण किया गया है। दर्शायी गयी अवधि में लक्ष्य एवं आय का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स पर** है। इन कृषि उपज मण्डी समितियों की लक्ष्य के अनुरूप आय नहीं पायी जाने से मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय भोपाल की मासिक बैठक में प्रतिवेदन दिनाँक 28.02.2015 को जारी कर

तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहे गये हैं। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षा उपरान्त गुण-दोषों के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

कृषि क्रांति रथ पर व्यय

26. (क्र. 2496) श्री सतीश मालवीय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले में शासन की योजना के अनुसार कृषि क्रांति रथ 25 सितम्बर 2014 से 20 अक्टूबर 2014 तक जिले की किन-किन तहसीलों के कितने ग्रामों में कृषि विभाग के द्वारा ले जाया गया तथा रथ के साथ विभाग के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी गए नाम सूची सहित उपलब्ध करावें? (ख) कृषि विभाग के स्थानीय जिला उज्जैन के किस अधिकारी द्वारा क्रांतिरथ तथा ग्रामों में कृषि गोष्ठी में शामिल होने वाले कृषकों को भोजन, नाश्ता, पेन, पेड आदि किस नीति-रीति से उपलब्ध कराये गये? क्या टेण्डर से भाव मंगाये गये अथवा खुले मार्केट से क्रय किये गये? (ग) क्या कृषि गोष्ठी में आने वाले कृषकों की उपस्थिति दर्ज की गई अथवा नहीं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) उज्जैन जिले में शासन की योजना के अनुसार कृषि क्रांति रथ पर 25 सितंबर-2014 से 20 अक्टूबर-2014 तक जिले के छः विकासखण्ड- उज्जैन-87, घट्टिया-75, तराना-104,बडनगर-100, खाचरौद-133 व महिदपुर-120 कुल 609 ग्रामों में कृषि क्रान्ति रथ लेजाया गया। रथ के साथ कृषि, उद्यानिकी, मत्स्यपालन, राजस्व, पशुपालन एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक द्वारा जिले के निर्धारित ग्रामों में रात्रि विश्राम किया गया है। अधिकारियों के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) कृषि विभाग के स्थानीय जिला उज्जैन के छः विकासखण्ड के छः नोडल अधिकारियों द्वारा क्रांति रथ के भ्रमण के दौरान कृषि गोष्ठी में शामिल होने वाले कृषकों को नाश्ता, पेन, पेड आदि का क्रय रथ के नोडल अधिकारियों द्वारा भण्डार क्रय नियमों के अनुसार किया गया है। नोडल अधिकारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) हाँ, कृषि गोष्ठी में आने वाले कृषकों की उपस्थिति दर्ज की गई है।

उज्जैन जिले में आर.टी.ओ कार्यालय में वाहनों का आनलाईन पंजीयन

27. (क्र. 2497) श्री सतीश मालवीय : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग उज्जैन में वाहनों का आनलाईन रजिस्ट्रेशन किस वर्ष से किस-किस श्रेणी के वाहनों का किया जा रहा है? (ख) क्या पुराने सभी प्रकार के वाहन (निर्धारित अवधि से पूर्व के) का आनलाईन रजिस्ट्रेशन भी पूर्ण हो गया है? यदि नहीं किया गया है तो उसका कारण क्या है? (ग) यदि नहीं तो क्या भविष्य में उक्त पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन करने की योजना है? यदि है तो कब तक उक्त प्रक्रिया प्रारंभ की जावेंगी?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) उज्जैन परिवहन कार्यालय में नई पंजीकृत होने वाली वाहनो का ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन माह फरवरी 2013 से डीलर पाईंट इन्रोलमेंट सिस्टम द्वारा किया जा रहा है। (ख) जी नहीं, पुरानी वाहनों के लिये ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू नहीं है। नवीन पंजीकृत वाहनो का ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ऐसी सभी प्रकार की वाहन जिनके पंजीयन प्रमाणपत्र वैध है उनका कम्प्युटराईजेशन का कार्य उज्जैन परिवहन कार्यालय में पूर्ण हो गया है। (ग) ऑन लाईन पंजीयन की व्यवस्था नवीन वाहनों के रजिस्ट्रेशन हेतु लागू है। ऐसी पुरानी

वाहनें जिनके पंजीयन प्रमाणपत्र वैध नहीं है ऐसी आफ रोड वाहनो के आन लाईन (कम्प्युटराईजेशन) किये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जलग्रहण मिशन में कार्यरत समन्वयकों की आई.डब्ल्यू.एम.पी. में पदस्थापना

28. (क्र. 2554) कुमारी निर्मला भूरिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जलग्रहण मिशन अंतर्गत जिला झाबुआ में मनरेगा तथा डीपीएपी में पूर्व से कार्यरत परियोजना समन्वयक कुल कितने हैं? नामों की सूची उपलब्ध करावें जिसमें प्रथम नियुक्ति दिनाँक, कार्यस्थल कार्यानुभव का ब्यौरा हो? (ख) क्या इनकी नियुक्ति आईडब्ल्यूएमपी में परियोजना समन्वयक के पद पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव विभाग के पास विचारार्थ है यदि नहीं तो क्या विभाग प्रश्नांश (क) के समन्वयकों को आईडब्ल्यूएमपी में परियोजना समन्वयक के पद पर कार्यानुभव के आधार पर नियुक्ति करने का विचार करेगा? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि हाँ, तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही प्रचलन में है तथा नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? यदि नहीं तो क्यों नहीं तथा इनके भविष्य के संबंध में शासन की क्या योजना है? (घ) अनुभव वाले समन्वयक उपलब्ध होने के बाद भी गैर अनुभवी नवीन समन्वयकों की पदस्थापना की जाने के पीछे विभाग की क्या मंशा है स्पष्ट करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वर्तमान में कोई नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) एवं (ग) प्रश्नांश क के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) आई.डब्ल्यू.एम.पी. में परियोजना समन्वयक के नाम से कोई पद नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरगोन जिले में बी.आर.जी.एफ. कार्य

29. (क्र. 2655) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत खरगोन को B.R.G.F. कार्य हेतु प्राप्त प्रस्ताव की सूची (सन् 2014-15) उनकी अनुशंसित व्यक्तियों एवं पद सहित देवें? (ख) स्वीकृत प्रस्ताव एवं अस्वीकृत प्रस्ताव की कारण सहित सूची देवें? (ग) जिला पंचायत द्वारा प्रश्नांश (क) अवधि में विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु दिये गये पत्रों की प्रति देवें? पत्र भेजने का माध्यम क्या रहा यह भी बतायें? (घ) स्वीकृत प्रस्तावित कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार**। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' एवं 'द' अनुसार**। (ग) जिला पंचायत खरगोन में उत्तरांश 'क' अवधि में विधायको के प्रस्ताव प्राप्त हुये है। जिला स्तर से पत्राचार नहीं किया गया है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार।**

परफारमेंस ग्रांट के कार्य

30. (क्र. 2656) श्री विजय सिंह सोलंकी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जनपद पंचायत भगवानपुरा, जिला खरगोन द्वारा 13वॉ वित्त परफारमेंस ग्रांट अंतर्गत स्वीकृत 10-10 लाख के भवन एवं 50 लाख का खेल मैदान का कार्य स्थल चयन कर लिया है? (ख) क्या उक्त भवन में से एक भवन का भूमिपूजन होकर कार्य प्रारम्भ हो चुका है? (ग) क्या उपरोक्त कार्यों की अनुशंसा स्थानीय विधायक द्वारा की गई है? क्या इन कार्यों के लिए विधायक की सहमति आवश्यक है? (घ) इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जनपद पंचायत भगवानपुरा जिला खरगोन द्वारा 13 वा ॅ वित्त परफारमेंस ग्रांट अंतर्गत स्वीकृत रू. **10-10** लाख के भवन हेतु कार्य स्थल चयन कर लिया है। रू. **50.00** लाेख के खेल मैदान हेतु कार्य स्थल का चयन किया जाना शेष है। (ख) उक्त भवन में से एक भवन ग्राम पंचायत सरवरदेवला का भूमिपूजन होकर कार्य अप्रारंभ है। (ग) जी नहीं। उपरोक्त कार्यों की अनुशंसा स्थानीय विधायक द्वारा नहीं की गई है। जी हाँ। इन कार्यों के लिए विधायक की सहमति आवश्यक है। (घ) जनपद पंचायत भगवानपुरा अंतर्गत रू. **10-10** लाख के तीन सामुदायिक भवन स्वीकृत होकर अप्रारंभ है तथा रू. **50.00** लाख की राशि से निर्मित होने वाले खेल मैदान के स्थल चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

<u>**मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़कों का निर्माण**</u>

31. (क्र. 2851) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र लहार एवं रौन विकासखण्ड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत योजना के प्रारंभ से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन ग्रामों की कितने-कितने कि.मी. सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? (ख) उपरोक्त स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क का निर्माण किन-किन कारणों से शेष है? नियमानुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से शेष ग्रामों को कब तक जोड़ दिया जाएगा? (ग) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लारौल के ग्राम घुरावर तक सड़क बनाने के दो माह बाद ही सी.सी. रोड पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मरम्मत कार्य न करने वाले संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों तथा सड़क का सुधार कार्य कब तक कराया जाएगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से शेष ग्रामों को जोड़ने हेतु सड़कों की स्वीकृत विचाराधीन होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) ग्राम पंचायत लारोल के ग्राम घुरावर तक सड़क बनाने के बाद सी.सी.रोड़ क्षतिग्रस्त है। मार्ग निर्माण के दौरान एकल मार्ग होने से निर्माणाधीन सी.सी.मार्ग पर तत्काल यातायात चलने से सीमेंट कांक्रीट की सतह खुरदरी हो गई एवं कहीं कहीं सेटलमेंट होने से मार्ग क्षतिग्रस्त भी हुआ है। मार्ग सुधार हेतु ठेकेदार को नोटिस दिया गया हैं। अनुबंधानुसार ठेकेदार से सुधार कराया जायेगा तथा ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

<u>**परिशिष्ट – "बयालीस"**</u>

<u>**रायल्टी चोरी के संबंध में**</u>

32. (क्र. 2852) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग के आयसीडीपी प्रोजेक्ट गुना, रतलाम, रीवा, रायसेन, सीधी, खण्डवा, में खनिज की रायल्टी की चोरी कर शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने के संबंध में कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई और उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है? (ख) क्या उपरोक्त शिकायतों में किसी शिकायत की जाँच हुई थी और कमिश्नर ग्वालियर द्वारा आयुक्त सहकारिता को प्रतिवेदन भेजा जाकर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त के संबंध में कार्यवाही में विलंब के लिए कौन-कौन दोषी हैं और उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (ख) हाँ तो क्या राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी और सचिव के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण आर्थिक

अपराध अनुसंधान ब्यूरों में और किसी न्यायालय में दर्ज होकर विवेचनाधीन/विचाराधीन है यदि हाँ, तो प्रकरण/अपराध क्रं. अपराध की विषय वस्तु, आरोपी का नाम बताते हुए सम्पूर्ण विवरण दिया जावें? (घ) क्या यह सही है कि आरोपी को निर्वाचन प्राधिकारी बनाया गया और दूसरे आरोपी को सचिव बनाया गया है और इनको पदों से कब तक हटाया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्राम को जोड़ना

33. (क्र. 2931) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 500 से 1000 आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ने वाली कार्ययोजना में शामिल कर लिया गया है? (ख) क्या यह सही है कि धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत नालछा के लगभग 2000 तक की आबादी वाले ग्राम यथा मालीपुरा, रातितलाई, आमखो, नागझीरी, कालीकिराय, देवझीरी, कालीबेल तथा जनपद पंचायत धरमपुरी क्षेत्र के ग्राम बैंकपुरा, गवलियावाडी, लसनगांव, मोरगढ़ी, बिखरोन, उमरिया, आदि ग्रामों में अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? (ग) उपरोक्त ग्राम को कब तक सड़कों से जोड़ दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य विकासखण्डों में 500 तक की जनसंख्या एवं आदिवासी विकासखण्डों में 250 तक की जनसंख्या के, पक्के मार्गों से 500 मीटर की अधिक दूरी पर स्थित, बसाहटों को पक्के मार्गों से जोडने हेतु योजनांतर्गत सम्मिलित किया गया है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(**ग) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - "तैंतालीस"

मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़के

34. (क्र. 2980) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विगत पांच वर्ष से प्रश्न दिनाँक तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़के, पुल व पुलिया कार्य कितनी-कितनी लागत के कहाँ-कहाँ स्वीकृत किये गये हैं वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कौन-कौन से कार्य अपूर्ण है? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे? ऐसे कौन से कार्य है जो आज दिनाँक तक अप्रारंभ है व इसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जानकारी कार्यवार, वर्षवार उपलब्ध करावें? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में बतावें कि कौन-कौन सी सड़कों के नवीन प्रस्ताव वर्तमान में प्रचलन में है व उनकी अद्यतन स्थिति क्या है? उक्त नवीन प्रस्ताव कब तक स्वीकृत होंगे व उक्त कार्यों हेतु कब तक निविदा जारी कर दी जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। सभी कार्य प्रारंभ होने से अप्रारंभ कार्य के लिए किसी के जिम्मेदार होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) वर्तमान में प्रस्तावित सड़कों

की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। सड़कों की स्वीकृति विचाराधीन होने के कारण निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "चौवालीस"

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

35. (क्र. 2981) श्री प्रहलाद भारती : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पोहरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 01 अप्रैल 2008 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन सी सड़कें स्वीकृत हुई है और कौन-कौन सी निर्मित हो चुकी है एवं कौन-कौन सी सड़कें निर्माणाधीन है? कार्यवार, सड़कवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अपूर्ण एवं शेष सड़कें कब तक पूर्ण हो जावेगी? समय अवधि बतावें? (ग) पोहरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन सी नवीन सड़कें प्रस्तावित है व उनकी अद्यतन स्थिति क्या है व उक्त सड़कें कब तक स्वीकृत होकर निर्माण प्रारंभ कर दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है।

परिशिष्ट – "पैंतालीस"

जनपद पंचायत सांवेर (इंदौर) को मनरेगा का आवंटन

36. (क्र. 3061) श्री राजेश सोनकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत को वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक वित्त वर्षवार मनरेगा से आवंटित राशि पंचायतवार बतावें? इसमें से कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? कितने पंचों द्वारा राशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, कारण बतावें? (ख) सांवेर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के द्वारा निर्माण कार्यों में कहाँ-कहाँ की शिकायतें 2011-12 से 2014-15 वित्त वर्ष की प्राप्त हुई? इनकी कब-कब किसके द्वारा जाँच की गई, जाँच रिपोर्ट में क्या पाया? उन पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्डधारी 31.01.15 की स्थिति में है? इन्हें किस दर से मजदूरी दी जाती है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र सांवेर अंतर्गत जनपद पंचायत सांवेर की कुल 78 पंचायतें एवं जनपद पंचायत इन्दौर की 32 पंचायतें है, जिनका वर्षवार आवंटन एवं व्यय निम्नानुसार है – राशि रू. लाख में (ज.पं./वर्ष 2011-12 इंदौर आवंटन 219.18 व्यय 173.20 सांवेर आवंटन 605.64 व्यय 605.64, वर्ष 2012-13 इंदौर आवंटन 460.96 व्यय 429.53 सांवेर आवंटन 742.35 व्यय 742.35, वर्ष 2013-14 इंदौर आवंटन 265.80 व्यय 265.80 सांवेर आवंटन 460.11 व्यय 460.11, वर्ष 2014-15 इंदौर आवंटन 320.33 व्यय 320.33 सांवेर आवंटन 577.59 व्यय 577.59 योग इंदौर आवंटन 1266.27 व्यय 1188.86 सांवेर आवंटन 2385.69 व्यय 2385.69) राशि का उपयोग मजदूरों की मांग के आधार पर होता है। (ख) सांवेर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 24216 जॉबकार्डधारी है। मनरेगा योजना में भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक की मजदूरी दर राशि रू. 157/-प्रतिदिवस निर्धारित है।

परिशिष्ट – "छियालीस"

इन्दौर जिले की मंडी निधि से सड़क निर्माण

37. (क्र. 3066) श्री राजेश सोनकर : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले की मंडीवार वित्त वर्षवार 2011 से 2014-15 तक सड़क निधि में मंडियों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और वित्त वर्ष 2011-12 के पहले 31.3.11 को कितनी-कितनी राशि इस मद में जमा थी? (ख) मंडी निधि से वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक किस-किस सड़क का निर्माण किया गया अथवा सड़क जिर्णोद्धार पर व्यय किया गया? (ग) 31.1.15 तक की स्थिति में मंडिवार बतावें सड़क निधि में कितनी-कितनी राशि जमा है और 2015-16 में क्या प्रस्ताव है? (घ) क्या वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की सभी प्रस्तावित और स्वीकृत सड़को का निर्माण 31.1.15 तक हो चुका है अगर निर्माणधीन है तो कौन-कौन सी और वे कब तक पूरी हो जावेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) इंदौर जिले की चार मण्डी समितियों इन्दौर, गौतमपुरा, सांवेर एवं महू में वित्त वर्ष 2011 से 2014-15 तक प्राप्त राशि एवं 31.3.11 को जमा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) मण्डी निधि से वित्त वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक किस-किस सडक का निर्माण किया गया अथवा जिर्णोद्वार पर व्यय किया गया, उसका **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) 31.1.15 तक की स्थिति में मंडीवार सडक निधि की जमा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। 2015-16 में सडक निधि से कोई प्रस्ताव नहीं है। (घ) चाही गई **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है।

म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल एवं अध्यक्षों का निर्वाचन

38. (क्र. 3148) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के संचालक मंडल एवं अध्यक्ष का प्रथम निर्वाचन किस दिनाँक को हुआ था, तथा इसका कार्यकाल कितने वर्षों का है? (ख) यदि नियमित संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो संचालक मंडल अभी तक किस आदेश, नियम के तहत कार्यरत है? यदि संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो निर्वाचन क्यों नहीं कराए गए? इसके लिए कौन दोषी है? क्या संघ के संचालक मंडल का निर्वाचन कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो, क्यों? (ग) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ मुख्यालय में किस स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संघ वाहन आवंटित है? नामवार वाहन आवंटन की विगत पांच वर्षों की जानकारी प्रस्तुत करें? (घ) क्या यह सही है कि कुछ अपात्र कर्मचारियों को भी संघ के वाहन आवंटित किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्यों? क्या इन वाहनों पर हुए व्ययों को संबंधितों से वसूली की कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर विभाग द्वारा शास.कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही

39. (क्र. 3226) श्री शंकर लाल तिवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की स्थापना शाखा में कार्यरत एवं अन्य के विरूद्ध महिला थाना जहाँगीराबाद भोपाल में अपराध क्रमांक 195/14 जिसमें क्र.498 ए 506, 341 बी, 3/4 दण्ड अपराध कायम किया गया तथा जिसका पुलिस द्वारा उक्त

अपराध का अन्वेषण/प्राथमिक जाँच के उपरांत अपराध घटित करना पाया गया है? (ख) प्रश्नांश (क) की जानकारी सत्य है तो गंभीर प्रवृत्ति का अपराध घटित करने के पश्चात भी किन नियमों के तहत अभी तक निलंबित नहीं किया गया जबकि कृषि विभाग को पुलिस अधीक्षक, दक्षिण एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा पूर्व में उक्त अपराध से संबंधित जानकारी दी गई? क्या विभाग तत्काल कार्यवाही करेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम**- 9** (1) के तहत संबंधित को अडतालीस घंटे से अधिक कालावधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं किया है। अत: नियमानुसार निलंबन का प्रकरण नहीं बनता है।

सी.एम. हेल्पलाईन 181 पर शिवपुरी जिले से प्राप्त शिकायतों की जानकारी

40. (क्र. 3267) श्री रामसिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले से सी.एम. हेल्पलाईन 181 पर अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 तक 06 माह में कितनी शिकायतें कब-कब किस विभाग से संबंधित दर्ज की गई, एवं शिकायतों का क्या-क्या निराकरण किया गया? (ख) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में प्राप्त कुछ शिकायतों का निराकरण 28 फरवरी 2015 तक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो इन शिकायतों का निराकरण कब तक किया जाएगा? (ग) क्या यह सही है कि सी.एम. हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों का असत्य एवं भ्रामक निराकरण जानकारी दी जाती है? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? किस विभाग के किन अधिकारियों द्वारा शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया गया? (घ) उक्त अविध में प्राप्त कौन-कौन सी शिकायतें सही पायी गयी? अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रति की गई लापरवाही के प्रति किन-किन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) शिवपुरी जिले से सी.एम. हेल्पलाईन 181 पर अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 तक 06 माह में 24295 शिकायतें **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** विभाग से संबंधित दर्ज की गई है एवं 22830 शिकायतों का निराकरण किया गया। (ख) जी हाँ। जिनका यथाशीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। (ग) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) जिन शिकायतों में अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही प्रमाणित हुई हैं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। (पूरक **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र**-2 **अनुसार**)

परिशिष्ट - "सैंतालीस"

कोलारस विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत सड़के

41. (क्र. 3268) श्री रामसिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी अन्तर्गत बदरवास विकासखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत धामनटूक,सेसई एवं देहरदागणेश में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014 तक कितने कार्य किस योजनाओं/मदों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के कितने कार्य कराए गए? वर्षवार जानकारी दें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों का मूल्यांकन किया गया है? यदि हाँ, तो कितने कार्यों का मूल्यांकन किया गया? एवं भौतिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया और पूर्णत: प्रमाण पत्र (सीसी) किसके द्वारा जारी की गई? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित कार्यों में कितना भुगतान किया गया? (घ) प्रश्नाधीन वर्णित

ऐसे कितने कार्य है जो स्थल/मौके पर नहीं हुए और उनका भुगतान प्राप्त कर लिया हैं? क्या बगैर कार्य किए अथवा एक ही कार्य को दो बार स्वीकृत कराकर कार्य एक ही बार करके राशि निकाली गई है? यदि हाँ, तो ऐसे कार्यों की विवरण सहित जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग शिवपुरी अन्तर्गत बदरवास विकासखण्ड की ग्राम पंचायत धामनटूक, सेसई एवं देहरदागणेश में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014 तक किसी भी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उक्त पंचायतों में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014 तक ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में स्वीकृत कार्यों की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2014 तक कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। अतः जानकारी निरंक है। उक्त पंचायतों में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2014 तक ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में स्वीकृत कार्यों की प्रश्नांश अनुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अवैध यात्री बसों का संचालन</u>

42. (क्र. 3308) श्री रणजीतसिंह गुणवान : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल-इंदौर रोड पर अवैध यात्री बसे संचालित हो रही है जिससे शासन को राजस्व हानि हो रही है? (ख) यदि नहीं तो इंदौर भोपाल रोड पर कितनी यात्री बसों को किस अवधि के लिये परमिट दिये गये हैं? वाहन नम्बर सहित जानकारी दें? (ग) जो बसे चल रही है क्या वह अपने निर्धारित स्टाप से सवारी ले रही है या यात्रियों को बाइ-पास पर ही उतार रही है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी नहीं। (ख) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल द्वारा इन्दौर भोपाल मार्ग पर वर्तमान में 38 अस्थाई परमिट जारी किये गये है तथा जारी दिनाँक से 05 वर्ष की अवधि के लिये 40 स्थाई परमिट जारी किये गये है। जिसकी **सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी हाँ। बाई पास पर सवारी उतारने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "अड़तालीस"</u>

<u>मुख्यमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत सड़के</u>

43. (क्र. 3329) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडवराड़ा विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी सड़के स्वीकृत हुई है? (ख) क्या स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य प्रश्न दिनाँक तक किया जा चुका है एवं कितनी सड़के शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण किया जा सकेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 13 सड़कें स्वीकृत हुये है। (ख) सभी स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>सागर जिले में गेहूँ कलस्टर प्रर्दशन में प्रदाय सामग्री</u>

44. (क्र. 3397) श्री हर्ष यादव : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रबी वर्ष 2014-15 में सागर जिले में गेहूँ कलस्टर प्रदर्शन में कौन-कौन सामग्री कितनी मात्रा में प्रति किसान दी गई सामग्री की कीमत तथा उस पर अनुदान कितना था? किसानों से कितनी राशि ली गई बतायें? (ख) किसानों को दी गई सामग्री का बीज एवं फसल में कब-कब प्रयोग करना था, सामग्री

का क्या कार्य था? (ग) सामग्री का चयन शासन ने/संचालनालय ने किया था या उपसंचालक ने किया था? सामग्री में फफूंदनासी सामग्री कौन-कौन थी? फफूंदनासी ज्यादा क्यों दिया गया क्या शासन ने इसकी जाँच की है? (घ) किन अनुसंधानों की सिफारिशों पर फफूंदनासी दिया गया? शासन का धन फफूंदनास पर व्यर्थ व्यय कर एवं पर्यावरण को लाभदायक जीव मार करके हानि पहुंचाने के लिये शासन ने क्या कार्यवाही की है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) रबी 2014-15 में सागर जिले में गेहूँ कलस्टर फसल प्रदर्शन में प्रति हेक्टेयर/प्रति कृषक को प्रदाय सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) किसानों को दी गयी सामग्री-बीज, बीजोपचार दवा, कल्चर, जिंक सलफेट, बोरान, स्यूडोमोनास एवं डब्ल्यू.डी. जी सल्फर बुवाई के समय तथा माईक्रोन्यूट्रियेन्ट फोलियर स्प्रे, नीदानाशी दवा एवं नीम तेल बोनी के 35-40 दिन बाद प्रयोग कराया गया। बीजोपचार दवा - फफूंदनाशक, कल्चर-जैव, उर्वरक, जिंक, बोरान, सल्फर, स्यूडोमोनास माइक्रौन्यूट्रियेन्ट, नींदा नियंत्रण -2-4 डी.नीम तेल-पौध संरक्षण का कार्य करते हैं। (ग) सामग्री का चयन संचालनालय स्तरीय समिति द्वारा किया गया। फफूंदनाशी दवा-कार्बनडाजिम 250 ग्राम प्रति प्रदर्शन प्रावधान अनुसार दी गई। जो अधिक नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) अनुमोदित मॉडल पत्रक जो कृषि वैज्ञानिकों से अनुमोदित है, जिसके प्रावधान अनुसार किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जन श्री बीमा योजना में लाभ

45. (क्र. 3424) श्री चम्पालाल देवड़ा : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले में जन श्री बीमा योजना में अप्रैल 2014 से प्रश्न दिनाँक तक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत कितने हितग्राहियों को लाभांवित किया गया संख्या बतायें? (ख) प्रश्नांश (क) के अतंर्गत देवास जिले में लाभ प्राप्त करने वालों में से कितने व्यक्तियों के प्रकरण जन श्री बीमा योजना के अतंर्गत तैयार करवाकर उनका लाभ दिलवाया गया संख्या बतायें? (ग) प्रश्नांश (क) के अतंर्गत देवास जिले में लाभ प्राप्त करने वालों में से कितने प्रकरण जन श्री बीमा योजना में क्यो नहीं तैयार करवाये गये इसके लिए कौन जवाबदार हैं? (घ) शेष रहे व्यक्तियों के प्रकरण कब तक तैयार करवाकर जन श्री बीमा योजना में उनको लाभ दिलवाया जायेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत 366 हितग्राहियों को लाभावित किया गया जिसमें से 164 प्रकरण को जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है। (ख) 164 (ग) 173 व्यक्तियों के प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने की कार्यवाही प्रचलित है। जवाबदारी तय किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) 173 व्यक्तियों के प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने की कार्यवाही प्रचलित है।

परिवहन द्वारा भुगतान

46. (क्र. 3471) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रबंध संचालक, सड़क परिवहन निगम को कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनाँक 12.1.2015 का पत्र क्रं. 1095 द्वारा म.प्र. सड़क परिवहन निगम के एक अधिकारी जो मंडी बोर्ड में अपर संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे, उनके सेवानिवृत्त होने के उपरांत अंकेक्षण आपत्तियों की राशि भुगतान बाबत् पत्र लिखा? (ख) यदि हाँ, तो इस पत्र को प्राप्त होने पर इस प्रकरण में

भुगतान की क्या कार्यवाही हुई? (ग) क्या यह सही है कि म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दि. 17.5.2004 के पत्र क्रं. 2548 का भी संदर्भ दिया गया था, उसके विवरण देते हुए बताएं? अभी तक सेवानि्त्त अधिकारी को भुगतान क्यों नहीं किया गया है, तथा कब तक भुगतान हो जायेगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ। (ख) संबंधित अधिकारी के सेवानिवृत्त देयकों का परीक्षण किया जा रहा है। (ग) जी हाँ। पत्र क्रमांक 2548 दिनाँक 17.05.2004 का संदर्भ दिया गया था। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त पत्र के माध्यम से सेवानिवृत्त देयकों में से पांचवे वेतनमान के लाभ राशि रूपये 390193/-एवं ऑडिट अंकेक्षण में ली गई आपत्ति की राशि रूपये 59291/-की वसूली कर कृषि विपणन के नाम से धनादेश/ड्राप्ट भेजने हेतु लिखा गया था। उक्त पत्र द्वारा सेवानिवृत्त स्वत्वों में से राशि वसूल करने के आदेश थे, इस कारण सेवानिवृत्त अधिकारी को भुगतान नहीं किया गया था। कृषि विपणन बोर्ड के पत्र दिनाँक 12.01.2015 से कहा गया है कि उक्त राशि पर रोक शिथिल की गई है, अतः भुगतान किया जावें। तदनुसार प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। समयसीमा बताना संभव नहीं है।

तत्का. कलेक्टर उमरिया के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन

47. (क्र. 3488) श्री आर.डी. प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्टर महोदय द्वारा श्री अनिल इनवाति उपयंत्री एवं संतोष सिंह उपयंत्री के विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन में कलेक्टर महोदय द्वारा क्या एफ.आई.आर. हेतु, सी.ई.ओ. जिला पंचायत उमरिया को लेख किया गया है यदि हाँ, तो सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा कब तक F.I.R. दर्ज कराई जावेगी बतावें? (ख) वर्ष 2013-14 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा मनरेगा एवं स्थायी RES उपयंत्रियों के स्थानांतरण पूरे वर्ष किन नियमों के तहत किये गये है क्या प्रभारी मंत्री जी से अनुमोदन कराया गया? (ग) यदि प्रभारी मंत्री जी से अनुमोदन नहीं कराया गया तथा स्थानांतरण की कोई नीति नहीं है तो ऐसे कलेक्टर के द्वारा किये गये स्थानांतरणों को शासन निरस्त करेगा? (घ) यदि हाँ, तो समय सीमा बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) कलेक्टर उमरिया के आदेशानुसार दिनाँक 14.10.14 को श्री अनिल इनवाति, उपयंत्री ग्राम पंचायत बेल्दी जनपद पंचायत मानपुर के विरूद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर द्वारा एफ.आई.आर;कराई गई है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) वर्ष 2013-14 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा मनरेगा उपयंत्रियों को अपने ही जिले में जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला उमरिया को प्रदत्त अधिकारिता से योजना के कार्य में प्रगति लाने हेतु ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया है, आर.ई.एस. के स्थायी उपयंत्रियों को आवश्यकता अनुसार पंचायतें आवंटित है। (ग) एवं (घ) मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य व्यवस्था की गयी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों को अनुदान योजनाओं का लाभ

48. (क्र. 3520) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में विगत तीन वित्तीय वर्षों में विभाग की अनुदान योजनाओं के माध्यम से कुल कितने किसानों को किस-किस प्रकार के अनुदानों से लाभान्वित किया गया है? (ख) विभाग की बीज उत्पादन योजना के तहत कितने कृषकों को चयनित कर लाभान्वित किया गया? (ग) अनूपपुर जिले में विगत तीन वित्तीय वर्षों में कितने मिनी किट्स एवं पौध संरक्षण हेतु औषधि

का कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ, तथा इसका वितरण किस प्रकार किया गया? (घ) क्या इस वर्ष में प्राकृतिक आपदा पीड़ित किसानों को मदद देने के लिये विभाग की कोई कार्य योजना है? यदि हाँ, तो क्या योजना है, बतायें? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। (ख) बीज उत्पादन योजना क्रियान्वित नहीं है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो (अ), (ब) अनुसार** है। (घ) राजस्व विभाग से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

खाद्यान्न वितरण

49. (क्र. 3574) कुँवर विक्रम सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कितना-कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ? (ख) हितग्राहियों को कब-कब कितना-कितना वितरण किया गया? जो हितग्राही ग्राम के बाहर हैं उनका खाद्यान्न कहाँ गया, समिति के पास कितना शेष है? यदि शेष नहीं है तो क्या बेचा गया? (ग) विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कब-कब निरीक्षण किया? निरीक्षण में क्या परिणाम प्राप्त हुए?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

सड़क विहीन गांव

50. (क्र. 3602) श्री यशपालसिंह सिसौदिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मन्दसौर, नीमच जिले में ऐसे कितने 700 से अधिक आबादी के गांव है जहाँ डब्ल्यू.बीएम, डामरीकृत या किसी प्रकार की सड़क नहीं है? गांव के नाम, जनसंख्या सहित जानकारी देवें? (ख) 2014-15 में किन-किन ग्रामों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य चल रहा है और कहाँ प्रस्तावित है? सम्पूर्ण जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांश (ख) अन्तर्गत कौन सा कार्य समय सीमा में पूर्ण हो गया है, कौन सा नहीं? कार्य प्रांरभ, खत्म करने की दिनाँक देवें तथा समय सीमा में कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार के नाम सहित जानकारी देवें? (घ) उक्त ठेकेदारों के खिलाफ कब-कब, किस-किस व्यक्ति द्वारा कौन-कौन सी अनियमितता को लेकर शिकायत की गई? जाँच अधिकारी का नाम सहित प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नीमच जिले का वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 700 से अधिक जनसंख्या का ऐसा कोई पात्र ग्राम नहीं है जिसे पक्के मार्ग से नहीं जोडा गया हो। मंदसौर जिले का 1ग्राम कचनारा जिसकी जनसंख्या 725 है जो कि इनोवेटिव टेक्नॉलोजी के अंतर्गत प्रस्तावित है जिसे वर्तमान में जोड़ा नहीं गया है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। प्रस्तावित मार्गो की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 एवं 4 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 एवं 2 अनुसार** है। (घ) उक्त मार्गों में से एक मार्ग पावटी से नलखेडा के निर्माण कार्य में कच्ची गिट्टी डालकर उपर बिना दबाये डामर बिछाया जा रहा हैं एवं गिट्टी के स्थान पर बोल्डर डालने की शिकायत दिनाँक 29.03.2014 को श्री चैनसिंह सरपंच ग्राम पंचायत नलखेडा एवं अन्य ग्राम वासियों द्वारा की गई थी। जिसकी जाँच कलेक्टर मंदसौर द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई मंदसौर के सहायक प्रबंधक श्री आर.एस. तंवर एवं श्री

विनय कुमारसिंह कुशवाह से कराई गई उनके द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कार्य निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाया गया।

बकायादार कृषक

51. (क्र. 3611) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न सहकारी समितियों से कितने कृषक ऋणी हैं? इनमें से कितने कृषक रेगुलर एवं कितने डिफालटर की श्रेणी में है अलग-अलग जानकारी दें? (ख) क्या बकायादार कृषकों की संख्या अधिक होने के कारण कर्ज का लाभ नहीं ले पा रहे हैं? (ग) क्या शासन ऐसी कोई योजना बना रहा है कि सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण बकायादार कृषकों का ऋण माफ किया जा सकें तथा शासन द्वारा जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ कृषक ले सकें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, नरसिंहपुर से संबद्ध 104 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 66164 कृषक ऋणी सदस्य हैं. इनमें से 43670 कृषक रेगुलर एवं 22494 कृषक डिफाल्टर की श्रेणी में हैं. (ख) डिफाल्टर कृषकों द्वारा कालातीत ऋण चुकता न करने के कारण ये कृषक शून्य प्रतिशत ब्याज दर परअल्पकालीन फसल ऋण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. (ग) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन फसल ऋण का मध्यकालीन ऋण में पात्रतानुसार परिवर्तन किया जाता है, जिससे कृषक शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

हितग्राहियों को पेंशन

52. (क्र. 3613) श्री गोविन्द सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गाडरवारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड साईखेड़ा, बाइई-चीचली तथा नगरपालिका गाडरवारा में कितने लोगों को वृद्धावस्था/निशक्तजन/गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को पेंशन दी जा रही है? (ख) क्या हितग्राहियों को प्रतिमाह नियमित पेंशन दी जा रही है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? (ग) ऐसे कितने पात्र व्यक्ति है जिन्हें विगत कई माह से पेंशन नहीं मिल रही है? क्या इनको पेंशन नहीं मिलने के कारणों की जाँच कराई जाएगी तथा कब तक उनको पेंशन नियमित रूप से मिलने लगेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) नियमित पेंशन भुगतान होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) 102 हितग्राहियों के समग्र पोर्टल पर खाता/ जानकारी त्रुटिपूर्ण अंकित होने से पेंशन प्रदाय नहीं की जा सकी। जाँच उपरांत खाता सुधार कर डाटा अपडेशन कराया गया। अब उन्हें नियिमत पेंशन प्राप्त हो रही है।

परिशिष्ट - "उन्चास"

इंदौर भोपाल बस किराया निर्धारण

53. (क्र. 3710) श्री जितू पटवारी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर भोपाल नगरीय बस सेवा हेतु बस किराया निर्धारण समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ, तो इस समिति में कौन-कौन सदस्य है? नाम, पते एवं सम्पर्क क्रं. सहित जानकारी देवें? (ख) विगत 3 वर्षों में इंदौर भोपाल नगरीय बसों के किराये में कितनी बार कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है तथा अंतिम बार किराया वृद्धि कब की गई है? (ग) जब यह सत्य है कि विगत 6 माह में डीजल

के रेट लगातार कम हुए हैं तो बसों के किराये में कमी क्यों नहीं की गई है? कारण बतावें? (घ) क्या शासन द्वारा बसों के किराये में कमी की जावेगी? यदि हाँ, तो कब?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ, इन्दौर एवं भोपाल नगरीय बस सेवा का किराया निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण में निम्नाकित सदस्य है, जिनकी वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विगत 03 वर्षों में इन्दौर में संचालित नगरीय सेवाओं के किराये में 02 बार वृद्धि की गई। प्रथम दिनाँक 20.11.2012 को तथा इसके पश्चात अंतिमबार दिनाँक 01.10.2013 को वृद्धि की गई। भोपाल में संचालित नगरीय सेवाओं के किराये में 04 बार वृद्धि की गई। प्रथम दिनाँक 28.07.2012, द्वितीय दिनाँक 28.02.2013, तृतीय दिनाँक 10.09.2013 को तथा इसके पश्चात अंतिमबार दिनाँक 22.05.2014 को वृद्धि की गई। (ग) जी हाँ, विगत 06 माह में डीजल के भाव में कमी हुई है किन्तु दिनाँक 01.03.2015 को डीजल के भाव में पुनः वृद्धि हो गई। किराया निर्धारण करते समय डीजल के अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, टायर्स की कीमत एवं कर्मचारी का वेतन आदि परिचालन व्यय में सम्मिलित होते है। जिन्हे विचारण में लिया जाता है इन्ही समस्त बिन्दुओं पर विचार कर किराया निर्धारण किया जाता है। इस कारण नगरीय सेवाओं के किराये में कमी नहीं की गई है। (घ) वर्तमान में नगरीय सेवाओं का किराया कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष लंबित/विचाराधीन नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "पचास"</u>

ग्रामीण परिवहन सेवा

54. (क्र. 3735) श्री मुकेश नायक : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम और सुलभ परिवहन सेवा देने के उद्देश्य से ग्रामीण परिवहन सेवा कब से और किन-किन जिलों में शुरू हो गई है? (ख) यदि यह सेवा शुरू नहीं हुई है तो कब से शुरू होगी और किन-किन जिलों में इसे शुरू किया जाना है? (ग) ग्रामीण परिवहन सेवा संचालित करने के लिये शासन ने क्या नीति तय की है?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम और सुलभ परिवहन सेवा देने के उद्देश्य से 24 नवम्बर, 2010 को मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में संशोधन करके ग्रामीण मार्ग तथा ऐसे ग्रामीण मार्गो पर चलाए जाने वाले वाहनों की क्षमता को अनुज्ञात किया गया। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की प्रथम अनुसूची के मद चार में ग्रामीण सेवा यानों के लिए मोटरयान कर में रियायत दी गई। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। यह दोनो संशोधन मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लागू किए गए। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 09.10.14 से मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में लागू की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। (ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना पूरे मध्यप्रदेश में लागू हो चुकी है। (ग) मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना की नीति शासन के पत्र क्रमांक 22-09-2014-आठ भोपाल दिनाँक 09 अक्टूबर 2014 द्वारा जारी की गई है। जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

जल ग्रहण मिशन के संविदा कर्मी

55. (क्र. 3775) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में जल ग्रहण क्षेत्र प्रबन्धन एवं उसके अन्तर्गत संचालित किस-किस परियोजना या योजना में गत तीन वर्षों में किस-किस संविदाकर्मी की सेवा वृद्धि किए जाने का आदेश किस दिनाँक को जारी कर सेवा अवधि किस दिनाँक को निर्धारित की गई? (ख) उपरोक्त अवधि में किस संविदाकर्मी को बिना सेवावृद्धि के कितने माह के मानदेय का भुगतान किसके आदेश से किया गया इनमें से किस संविदाकर्मी की सेवाएं किस दिनाँक को समाप्त कर दी गई? (ग) संविदाकर्मियों की सेवा वृद्धि का आदेश किए बिना ही मानदेय का भुगतान किस नियम की किस कंडिका में दिए गए प्रावधानों के तहत किया गया नियम की प्रति सहित बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सेवा वृद्धि किये जाने के आदेश का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) प्रश्नाधीन अवधि में किसी संविदाकर्मी को बिना सेवा वृद्धि किये मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। संविदाकर्मियों की सेवाएं समाप्त किये जाने की दिनाँक का विवरण भी **संलग्न परिशिष्ट में** उल्लेखित है। (ग) प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "इक्यावन"

प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र

56. (क्र. 3776) श्री सज्जन सिंह उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए जाने का अधिकार किस नियम की किस कंडिका में प्रदान किया गया है? (ख) बैतूल जिला पंचायत में गत चार माह में किस मुख्य कार्यपालन अधिकारी, किस प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, किस अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने किस-किस द्वितीय श्रेणी एवं किस-किस प्रथम श्रेणी अधिकारी को किस दिनाँक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए प्रति सहित बतावें? (ग) द्वितीय श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारियों को कारण बताओं सूचना पत्र किस नियम की किस कंडिका में दिए गए अधिकारों के तहत जारी किए गए कंडिका का उल्लेख कर बतावें? (घ) द्वितीय श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए जाने के पूर्व आयुक्त नर्मदापुरम संभाग से किस दिनाँक को अनुमति प्राप्त की गई यदि अनुमति प्राप्त नहीं की हो तो कारण बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। (ख) बैतूल जिला पंचायत में गत चार माह में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने किसी द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी नहीं किया हैं। (ग) एवं (घ) उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खाद एवं उन्नत बीज के प्रदर्शन के संबंध में

57. (क्र. 3895) श्री संजय पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन द्वारा कृषकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है? यदि हाँ, तो कटनी जिले में कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्र एवं राज्य सरकार की संचालित हैं?क्या उक्त योजनाओं का लाभ लघु एवं सीमांत कृषक को दिया गया हैं? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार डीमॉनसटेशन (प्रदर्शन) कितनी खाद एवं उन्नत बीज कृषि विभाग को कितनी राशि का, कटनी जिले में उपलब्ध कराया गया? तथा इसमें से कृषकों को कितना आवंटित किया गया विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध कराई जाए? (ग) यदि विभाग द्वारा आवंटित खाद एवं उन्नत बीज का डीमॉनसटेशन (प्रदर्शन) नहीं किया गया तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या शासन कार्यवाही करेंगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। उक्त योजनाओं का लाभ लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिया गया है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। (ग) विभाग द्वारा आवंटित खाद एवं उन्नत बीज का डिमौन्सट्रेशन प्रदर्शन लक्ष्यों के अनुरूप किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "बावन"

सुलभ शौचालयों का निर्माण

58. (क्र. 3896) श्री संजय पाठक : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. में ग्राम स्वच्छता अभियान जोरों से चल रहा है? यदि हाँ, तो कटनी जिले में कितने सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया या निर्माण ग्राम, ग्रामपंचायत, नगर पालिक निगम, नगर पंचायत जहाँ-जहाँ भी कराया गया उसकी संख्या बताई जाये व उसकी सूची उपलब्ध कराई जाये? (ख) क्या समग्र स्वच्छता अभियान के अधिकारी शासन द्वारा निर्धारित टारगेट के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है? तो कटनी जिले में अभी भी कितने ग्राम एवं नगरीय निकाय ऐसे हैं जहाँ पर सुलभ शौचालय का निर्माण टारगेट से कम है? कृपया सूची उनकी टारगेट एवं संख्या सहित उपलब्ध करायें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं कराया जाता है। (ख) जी नहीं। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य अनुसार ही कार्य कर रहे है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के संदर्भ में

59. (क्र. 3931) श्री प्रताप सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि विभाग में चार प्रथम श्रेणी अधिकारी श्री जे. आर. हेड़ाऊ, श्री नामदेव हेड़ाऊ, श्री के. एल. कोष्टा एवं श्री आलोक कुमार मीणा जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेवारत् हैं? (ख) यदि हाँ, तो इनके विरूद्ध विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हुई हो तो उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों? (ग) इस संबंध में जाँच की स्थिति क्या है? विलम्ब के लिये कौन दोषी हैं? दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त उपरोक्त चारों कर्मचारियों को कब तक सेवा से बर्खास्त किया जाएगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी नहीं। (ख) श्री जे.आर.हेडाउ, श्री नामदेव हेडाउ एवं श्री आलोक मीणा की शिकायत प्राप्त हुई है, जो कार्यवाही प्रचलित है तथा श्री के.एल.कोष्टा, तत्कालीन उप संचालक कृषि जबलपुर के पद पर पदस्थ अवधि में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है। (ग) जाँच प्रक्रियाधीन है, जाँच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

<u>सहकारिता विभाग के मुख्यालय में न्यायिक अधिकारियों के पद</u>

60. (क्र. 3993) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सहकारिता विभाग के मुख्यालय में न्यायिक अधिकारियों के कितने पद हैं एवं उक्त पदों के विरूद्ध वर्तमान में नियुक्त अधिकारियों के नाम पद व वर्तमान में उनके पास सुनवाई में चल रहे प्रकरणों की संख्या व पदवार विवरण दें? (ख) उक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा विगत दो वर्षों में कितने नये प्रकरण पंजीयक सहकारिता के माध्यम से एवं कितने प्रकरण सीधे ग्रहित किये गये हैं तथा विगत दो वर्षों में उनके द्वारा कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया? पदवार व माहवार विवरण देवें? (ग) क्या सहकारिता विभाग द्वारा त्वरित न्याय देने के लिये न्यायिक पद सृजित किये गये थे किंतु उनके द्वारा अब भी मात्र सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को दोपहर तीन बजे के बाद ही सुनवाई की जाती है जिसकी वजह से न्याय प्रदान करने में अनावश्यक विलंब होता है? (घ) क्या ज्यादातर न्यायिक अधिकारी दोपहर तीन बजे आते हैं एवं पांच बजे चलते जाते हैं? न्यायिक अधिकारियों का कार्यालयीन समय क्या है, क्या विभाग द्वारा उनके कार्य करने के दिन निर्धारित किये गये हैं? क्या विभाग द्वारा न्यायिक अधिकारी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा की जाती है? क्या विभाग उनके द्वारा प्रतिमाह निराकरण प्ररकणों का लेखा-जोखा रखता है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 06, शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है.** (ख) उक्त न्यायिक अधिकारियों में से विगत दो वर्षों में पंजीयक, सहकारिता के माध्यम से श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर पंजीयक द्वारा 209, श्री एस.एन. गुप्ता, संयुक्त पंजीयक द्वारा 333, डॉ. शिवेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक द्वारा 585 तथा श्री संजय मोहन भटनागर, उप पंजीयक द्वारा 09 प्रकरण ग्राह्य किये गये हैं, उक्त न्यायिक अधिकारियों में से श्री शैलेन्द्र सिंह, अपर पंजीयक द्वारा 101 प्रकरण सीधे ग्राह्य किये गये है, शेष अधिकारियों द्वारा सीधे प्रकरण ग्राह्य नहीं किये गये हैं. पदवार एवं माहवार निराकृत प्रकरणों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है.** (ग) जी हाँ, प्रकरणों की सुनवाई प्रतिदिन अभिभाषकों की सुविधानुसार दोपहर 03:00 बजे के बाद की जाती है, न्याय प्रदान करने में विलम्ब नहीं होता. (घ) जी नहीं. कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं05:30 बजे तक है, विभाग द्वारा उनके कार्य करने के दिन निर्धारित नहीं किये गये हैं, पक्षकारों एवं अभिभाषकों की सुविधानुसार न्यायिक अधिकारी स्वयं निर्धारित करते हैं. जी हाँ. जी हाँ.

<u>परिशिष्ट – "तिरेपन"</u>

<u>जानकारी विषयक</u>

61. (क्र. 3994) श्री मधु भगत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सहकारिता विभाग द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु पृथक से न्यायालयीन अधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं? यदि हाँ, तो पद एवं जगह समेंत उक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त अधिकारियों के नाम पद एवं वर्तमान में उनके पास सुनवाई में चल रहे प्रकरणों की संख्या

का विवरण देवें? (ख) भोपाल जिले के न्यायिक अधिकारियों के पास कितने प्रकरण विचाराधीन एवं पिछले दो वर्षों में उनके द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया गया है? निराकृत प्रकरणों की जानकारी माहवार एवं प्रकरणवार देवें? (ग) क्या भोपाल जिले के न्यायालयीन अधिकारियों का प्रभार उपायुक्त सहकारिता के पास है जिनके द्वारा न्यायिक प्रकरणों में मात्र खानापूति की जाती है, उनके द्वारा प्रकरणों को सुनने के दिन व समय निर्धारित नहीं है जिसकी वजह से प्रकरणों में विलंब होता है, तथा पीड़ित पक्ष न्याय से वंचित रह रहे हैं? (घ) लंबित न्यायिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये जब न्यायिक पदों का सृजन किया गया है तब आज दिनाँक तक उपपंजीयक न्यायिक जिला भोपाल के पद पर न्यायिक अधिकारी की पदस्थी क्यों नहीं की गई है? इसके लिये कौन उत्तरदायित्व है? उक्त पद पर न्यायिक अधिकारी की पदस्थी कब तक की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है.** (ख) 271 प्रकरण विचाराधीन एवं गतदो वर्षों में 165 प्रकरणों का निराकरण किया गया है. शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है.** (ग) जी हाँ, किन्तु उप आयुक्त सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा नियमानुसार न्यायिक प्रकरणों की सुनवाई अभिभाषकों की सुविधानुसार सप्ताह में 03 दिन की जाती है इस कारण से न तो प्रकरणों में विलम्ब हो रहा और न ही पीड़ित पक्ष न्याय से वंचित हो रहे हैं. (घ) नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

<u>परिशिष्ट – "चउवन"</u>

सामुदायिक भवन निर्माण

62. (क्र. 4042) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 13 वें वित्त आयोग परफॉरमेंन्स ग्रान्ट मद योजना में कार्यों की स्वीकृति हेतु विधायक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु पंचायत राज संचालनालय से निर्देश है? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हाँ, तो रीवा जिले के जनपद पंचायत मऊगंज को ग्राम पंचायत मुदरिया चौबान में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु वर्ष 2014-15 में विधायक मऊगंज द्वारा अनुशंसा प्राप्त हुई थी? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट बतावें? उक्त प्रस्ताव में कब तक कार्यवाही होगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। 13वॉ वित्त आयोग परफॉरमेंस ग्रांट मद से रू. **10.00** लाख की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन निर्माण हेतु विधायक की अनुशंसा के आाधर पर स्वीकृति के निर्देश प्राप्त हुए है। (ख) जी हाँ। पंचायत निर्वाचन 2015 की आचार संहिता के कारण स्वीकृति की कार्यवाही नहीं हुई है। जनपद पंचायत के गठन उपरांत नियमानुसार स्वीकृति की कार्यवाही की जा सकेगी

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवंटन

63. (क्र. 4063) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सीधी एवं सिंगरौली जिले को वर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ? जिले में कितने समूहों का गठन किया गया तथा कितने समूहों को लाभान्वित किया गया? (ख) प्रश्नांश (क) प्रत्येक वर्ष प्राप्त

आवंटन को किस-किस कार्य में व्यय किया गया कार्यवार जानकारी बतावें? (ग) प्रश्नांश (क) जिले से कितने समूहों को लाभान्वित किया गया साथ ही क्या-क्या कार्य किये गये है? वर्षवार एवं कार्यवार जानकारी उपलब्ध कराई जाये?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

<u>हरियाली महोत्सव अंतर्गत वृक्षारोपण</u>

64. (क्र. 4067) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2011 में हरियाली महोत्सव अंतर्गत जिला पंचायत सीधी द्वारा जिले की जनपद पंचायतों को वृक्षारोपण के निर्देश जारी किये थे? (ख) यदि हाँ, तो जिले के किन जनपद पंचायतों द्वारा वनमण्डल सीधी से बांस व महुआ के पौधे प्राप्त किये? वनमण्डल को राशि भुगतान करने हेतु जिला पंचायत से कितनी राशि जनपदों को आवंटित की गई ब्यौरा दें? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिपेक्ष में क्या जनपद पंचायतों द्वारा राशि वनमण्डल सीधी को भुगतान की गई? यदि नहीं तो कब तक करा दी जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) जनपद पंचायतों द्वारा वनमण्डल सीधी से बांस एवं महुआ के पौधे प्राप्त नहीं किये गए। जिला पंचायत सीधी द्वारा जनपद पंचायत मझौली को राशि रू. 4,31,085/- एवं जनपद पंचायत सिहावल को राशि रू. 7,62,800**/-** हरियाली महोत्सव अंतर्गत व्यय करने हेतु प्रदान किये गये थे। (ग) जी नहीं। प्रकरण में जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

<u>परियोजना की स्वीकृति</u>

65. (क्र. 4076) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सीधी जिले के सिहावल विकास खण्ड में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना लागू करने का डी.पी.आर. जिला पंचायत सीधी से शासन को भेजा गया है? यदि हाँ, तो परियोजना कब तक स्वीकृत होगी? (ख) सीधी जिले के अन्य विकास खण्डों में परियोजना संचालित है? सीधी जिले की सिहावल ब्लॉक में अभी तक क्यों स्वीकृत नहीं की गई कारण बतायें? कब तक स्वीकृत होगी यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या वाटर शेड की परियोजना पूर्व में संचालित थी? अधूरे कार्य पड़े हुए है? उनके लिये कब तक आवंटन दिया जाकर कार्य पूर्ण कराये जायेंगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड सिहावल के लिए वर्ष 2015-16 में परियोजना क्षेत्र चयन हेतु सर्वे किया जा रहा है। यदि विकासखण्ड में सम्मिलित माईक्रो वाटरशेड योजना स्वीकृति के मापदण्डों की पूर्ती करते है तो पीपीआर तैयार कर भारत सरकार की ओर स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। (ग) जी हाँ। आईडब्ल्यूडीपी एवं डीपीएपी के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है। माईक्रो प्लान (नरेगा) से संबंधित कार्य बजट के अभाव के कारण अधूरे है, जिन्हें बजट प्राप्त होते ही पूर्ण कर लिया जावेगा।

<u>मुख्यमंत्री सड़क योजना से सम्बन्धित</u>

66. (क्र. 4114) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 34 में

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की परिधि में न आने वाली ग्राम सड़कों के लिये प्रदेश सरकार की पहल से प्रारंभ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालित है? यदि हाँ, तो इस हेतु जिला मुरैना को कितनी राशि आवंटित की गई? (ख) उपरोक्त उल्लेखित प्राप्त राशि में से जिला मुरैना को कितनी-कितनी राशि विधानसभा वाइज दी गई, की जानकारी अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक दी जावे? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में राशि द्वारा विधानसभा क्षेत्र दिमनी जिला मुरैना में मुख्यमंत्री सड़क योजना से कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी लागत की किस-किस क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य कराये गये व कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। मुरैना जिले को प्रश्नाधीन अवधि में रू. 2355.00 लाख की राशि आवंटित की गई (ख) राशि का निर्गमन जिले के समस्त स्वीकृत कार्यों के लिए एक साथ होता है विधान सभावार नहीं। अतः अप्रैल2014 से जनवरी 2015 तक विधानसभावार प्रदाय की गई राशि की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। जिले को प्रश्नाधीन अवधि में रू. 430.86 लाख की राशि दी गई है। (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "पचपन"</u>

<u>कृषकों को किराये पर प्रदाय उपकरण</u>

67. (क्र. 4115) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय के जुलाई 2014 के बजट भाषण के दौरान बिन्दु क्रमांक 10 में कृषकों को किराये पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य में कष्टम हायरिंग सेंटर सफलतापूर्वक संचालित है, यदि हाँ, तो कियान्वयन हेतु कृषि विभाग की नीति एवं नियमों से अवगत कराते हुए इसकी प्रति उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की जानकारी देने हेतु क्या-क्या जन जागरण ग्रामों में किये गये, जन जागरण से संबंधित कार्यवाही दिनाँक आदि प्रमाण सहित दी जावें? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित उपकरणों को किराये से देने हेतु क्या-क्या दरें निर्धारित हैं? एवं क्या नियमों में अ.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग लघु एवं सीमांत कृषक आदि के लोगों को विशेष प्राथमिकता प्राप्त है? यदि हाँ, तो क्या उसका पालन किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। राज्य में निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग स्थापित करने संबंधी योजना के दिशा-निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) (1) ग्रामों में संगोष्ठी मेंले तथा कृषि महोत्सव के दौरान कृषकों को जानकारी दी गई। आयोजित संगोष्ठि मेंले तथा कृषि महोत्सव की दिनाँकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** पर है। (2) योजनान्तर्गत केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु इच्छुक आवेदकों से जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों एवं सप्ताहित प्रकाशित समाचार पत्र रोजगार एवं निर्माण्" के दिनाँक 26-05-2014 के अंक में विज्ञापन प्रकाशित किये जाकर जानकारी दी गई। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। (3) संचालनालय कृषि की वेवसाईट "डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्यलू.एमपीडाटआर्गं" पर भी विज्ञापन प्रकाशित किये गये। (ग) उल्लेखित उपकरणों को किराये से देने हेतु उध्मी स्थानीय क्षेत्र में प्रचलित दर पर ट्रेक्टर व उपकरण किराये पर देते है। योजनान्तर्गत अजा. अन्य पिछडा वर्ग लघु एवं सीमान्त कृषक आदि के लोगों को

विशेष प्राथमिकता प्राप्त नहीं है। योजनान्तर्गत "प्रथम आये प्रथम पाये" आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

खेतों की मिट्टी के नमूनों की जाँच

68. (क्र. 4141) श्री दुर्गालाल विजय : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषकों के खेती की मिट्टी में मुख्य पोषक/सूक्ष्म तत्वों की जाँच हेतु वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक की अवधि में मिट्टी के कितने नमूने एकत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया, के विरूद्ध कितने एकत्र कर उन्हें जाँच हेतु लेब में भिजवाया वर्षवार बतावें? (ख) उक्त अवधि में उक्त में से कितने नमूनों की जाँच परिणाम प्राप्त हुए के अनुसार कितने कृषकों को फसलों को बोने के संबंध में उचित सलाह देकर लाभान्वित किया? कितने नमूने वर्तमान में लंबित पड़े हैं व क्यों? कब तक इनकी जाँच कराई जावेगी? (ग) क्या यह सच हैं, कि श्योपुर जिले में मिट्टी परीक्षण की एक मात्र लेब की दोनों मशीनें अप्रैल 2013 से खराब पड़ी हैं इस कारण वर्तमान में लेब में 15000 नमूने लंबित पड़े हैं? मशीनों का न सुधरवाने/न बदलवाने के लिये कौन उत्तरदायी हैं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी यदि नहीं तो क्यों? (घ) नमूनों की जाँच के अभाव में किसानों को उचित सलाह नहीं मिल पा रही हैं? यदि हाँ, तो कब तक उक्त मशीनों को ठीक/बदलवाकर शेष नमूनों की जाँच कराकर कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा समय-सीमा बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) श्योपुर जिले में मुख्य पोषक तत्व/सूक्ष्म पोषक तत्वों की वर्ष 2013-14 से वर्तमान तक मिटटी के नमूने एकत्रित करने के लक्ष्य एवं जाँच हेतु प्रयोगशाला को भेजे गये नमूनों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वर्ष 2013-14 में सूक्ष्म पोषक तत्व के 47 एवं वर्ष 2014-15 में मुख्य पोषक तत्व के 5613 नमूनों के परीक्षण परिणाम प्राप्त हुए हैं। परिणामों के आधार पर 5613 कृषकों को स्वाइल हैल्थ कार्ड जारी कर लाभांवित किया गया है। मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला कृषि उपज मंडी समिति के अनुसार वर्तमान में 2356 मिटटी नमूने परीक्षण हेतु लंबित हैं और जिन्हें दिनाँक 30.06.2015 तक पूर्ण करा लिया जावेगा। (ग) श्योपुर जिले के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समिति श्योपुर में स्थापित मिटटी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। मण्डी में अप्रैल 2013 से नवम्बर 2013 तक उपकरण खराब रहने एवं उपरांत विलम्ब से उपकरण क्रय करने पर मण्डी सचिव को मण्डी बोर्ड द्वारा दिनाँक 02.03.2015 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उपकरण दिनाँक 29.05.2014 को क्रय किया जाकर 31 मई 2014 से परीक्षण कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 26.02.2015 तक 5613 नमूनों का परीक्षण किया गया है। (घ) मशीन ठीक होकर मिटटी परीक्षण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, तथा मिटटी का परीक्षण नियमित रूप से किया जा रहा है। कृषकों को उचित सलाह दी जा रही है। शेष नमूनों को दिनाँक 30.06.2015 तक परीक्षण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा।

परिशिष्ट – "छप्पन"

ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण

69. (क्र. 4142) श्री दुर्गालाल विजय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं में से कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की स्वीकृति व निर्माण वर्तमान तक नहीं हो पाया हैं?इसके क्या कारण हैं? (ख)

उक्त भवन विहीन ग्राम पंचायतों में कब तक पंचायत भवनों को स्वीकृति प्रदान कर उनका निर्माण करा दिया जावेगा यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या क्षेत्र की भवन विहीन ग्राम पंचायतों में भवनों के अभाव में ग्राम पंचायत से संबंधित शासकीय कार्य निपटाने अभिलेखों को सुरक्षित रखने व ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने में कठिनाईयां आती हैं? (घ) क्या पंचायत भवनों के अभाव में ग्राम पंचायत के निवासियों को सरपंच/सचिव को खोजने में भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है? (ड.) यदि हाँ, तो क्या शासन/विभाग उक्त कठिनाईयों के मद्देनजर वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/मद में उपलब्ध राशि से भवन विहीन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र करवाया जावेगा यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में जनपद श्योपुर की **95** एवं जनपद कराहल की **06**, कुल**101** ग्राम पंचायतें है। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार**। कोई भी पंचायत भवनविहीन नहीं है। परंतु भवन अपर्याप्त है। (ग) कोई भी ग्राम पंचायत भवनविहीन नहीं है। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (घ) जी नहीं। (ड.) भवनविहीन होने पर नियमानुसार उपलब्ध योजना/मद से भवन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

परिशिष्ट - "सत्तावन"

मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

70. (क्र. 4179) श्री रामलाल रौतेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिला में मुख्यमंत्री सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य कराने हेतु सड़कवार प्राप्त आवंटन व्यय एवं बचत की राशि क्या-क्या है? (ख) प्रश्नाधीन सड़कों में से किन-किन सड़कों का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है? और अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं2014-15 की अवधि में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ। बीआरजीएफ एवं राज्य मद में पिछले वर्षों में प्राप्त आवंटन की शेष राशि से किए गए व्यय की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। सड़कवार बचत की राशि का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

परिशिष्ट - "अट्ठावन"

निर्माण कार्यों हेतु प्राप्त आवंटन

71. (क्र. 4180) श्री रामलाल रौतेल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला अनूपपुर अन्तर्गत निर्माण एजेंसी भूमि संरक्षण विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक प्राप्त आवंटन, मद, व्यय एवं बचत राशि की जानकारी वर्षवार बतायें? (ख) प्रश्नाधीन कार्यों में से कितने कार्य अभी अपूर्ण हैं? तथा अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्षवार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में सभी कार्य पूर्ण हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 41 कार्य पूर्ण तथा 5 कार्य प्रगति पर है।

<u>परिशिष्ट - "उनसठ"</u>

<u>समग्र स्वच्छता अभियान</u>

72. (क्र. 4199) श्री नीलेश अवस्थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनाँक तक पाटन विधान-सभा अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई, वर्षवार, मदवार, जनपद पंचायत वार विवरण उपलब्ध करावें? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार मद में कितनी राशि व्यय की गई? प्रचार-प्रसार का दायित्व किस-किस एजेंसी को सौंपा गया है? क्या इस हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? प्रचार प्रसार में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनाँक तक कितनी राशि व्यय की गई? (ग) पाटन विधान सभा अन्तर्गत योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनाँक तक कितने व्यक्तिगत तथा कितने सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया, तथा इनमें से कितने शौचालय वर्तमान में सही स्थिति में हैं, व हितग्राहियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं? (घ) पाटन विधान सभा अन्तर्गत ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जिनके द्वारा योजना की संपूर्ण राशि का आहरण कर अपूर्ण शौचालय का निर्माण कराया है? अथवा नहीं कराया? ऐसी पंचायतों के सचिव एवं सरपंचों तथा संबंधित सब इन्जीनियरों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र द अनुसार** है।

<u>गरीबी रेखा के राशन कार्ड</u>

73. (क्र. 4200) श्री नीलेश अवस्थी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा अन्तर्गत प्रश्न दिनाँक तक कितने हितग्राहियों के नाम गरीबी रेखा में दर्ज थे? नाम, ग्रामवार सूची देवें? वित्त वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनाँक तक उन्हें शासन की किस-किस योजनाओं का लाभ मिला? योजनाओं का नाम, राशि सहित सूची देवें? (ख) वित्त वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक पाटन विधान-सभा अन्तर्गत कहाँ-कहाँ के कितने लोगों ने गरीबी रेखा में नाम जोड़ने हेतु आवेदन किये? उनमें से कितनों का निराकरण, कौन-कौन से नाम जोड़े गये, तथा कौन-कौन से कितने आवेदन-पत्र किन कारणों से निरस्त किये गये? ग्रामवार सूची देवें? (ग) प्रश्नांक (ख) में जोड़े गये पात्र हितग्राहियों को किस-किस दिनाँक को राशन कार्ड जारी किये गये एवं उन्हें किस दिनाँक से कितनी-कितनी खाद्य सामग्री प्रदान की जा रही है? सूची देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पाटन विधानसभा अंतर्गत प्रश्न दिनाँक तक जनपद पंचायत पाटन में 21757 हितग्राही एवं जनपद पंचायत मझौली में 21351 हितग्राही के नाम गरीबी रेखा में दर्ज थे एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में उन्हें शासन की विभिन्न योजना अंतर्गत लाभ दिया गया। नाम, ग्रामवार सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख)

कार्यालय तहसील पाटन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक गरीबी रेखा में नाम जोड़ने हेतु कुल 5263 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें 948 आवेदन पात्र पाये गये तथा 4315 आवेदन पात्रता की श्रेणी से अधिक अंक होने के कारण अपात्र पाये गये। इसी प्रकार तहसीलदार मझौली से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद पंचायत मझौली अंतर्गत 1142 आवेदन प्राप्त हुये जिनमें 136 व्यक्ति जाँच उपरांत पात्र पाये गये एवं 14 अंक से अधिक अंक प्राप्त होने से शेष अपात्र पाये गये। सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) जनपद पंचायत पाटन कार्यालय में उपलब्ध जानकारी अनुसार वित वर्ष 2013-14 से गरीबी रेखा में जोड़े गये पात्र हितग्राहियों की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है। ग्राम पंचायतों से प्राप्त जानकारी अनुसार 510 पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड जारी किये जाकर खाद्य सामग्री प्रदाय की जा रही है, शेष 438 हितग्राहियों के राशन कार्ड एवं खाद्यान्न पर्ची जारी करने की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों द्वारा की जा रही है। जनपद पंचायत मझौली में 136 की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र द अनुसार** है।

ग्रामीण विकास कार्यों के लिए गौण खनिज संबंधी प्रावधान

74. (क्र. 4294) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायती राज व्यवस्था एवं अन्य विभागों के द्वारा किए जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 3 में क्या प्रावधान है? म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 284 के तहत बनाए जाने वाले निस्तार पत्रक में गौण खनिज बाबत् क्या प्रावधान हैं? (ख) बैतूल जिले की पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा निस्तार पत्रक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार गौण खनिज की खदानों को निस्तार पत्रक में दर्ज करवाया जाकर ग्रामीण विकास कार्यों के लिए खदानों का आरक्षण किए जाने के संबंध में प्रश्नांकित तिथि तक क्या-क्या कार्यवाही की है? (ग) बैतूल जिले की पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा नियम 3 में दी गई छूट के अनुसार ग्रामीण विकास कार्यों के लिए गौण खनिज से संबंधित क्या-क्या कार्यवाही प्रश्नांकित तिथि तक है? (घ) धारा 234 एवं नियम 3 में बताए गए उपरोक्त प्रावधानों के तहत ग्रामीण विकास कार्यों में लगने वाले गौण खनिज के संबंध में जिला पंचायत बैतूल क्या कार्यवाही कर रही है, कब तक करेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

योजनाओं का क्रियान्वयन एन.जी.ओ. से करवाया जाना

75. (क्र. 4297) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग की कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन अथवा निष्पादन गैर शासकीय संगठन/एन.जी.ओ. से कराए जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो बैतूल जिले में किन-किन योजनाओं का क्रियान्वयन अथवा निष्पादन गैर शासकीय संगठन/एन.जी.ओ. से कराया जा रहा है? (ग) वर्ष 2012-13 से 2014-15 (31.01.15) की अवधि में इन योजनाओं के क्रियान्वयन/निष्पादन के संबंध में योजनावार, वर्षवार एवं संस्था/एन.जी.ओ. की नामवार जानकारी देवें? (घ) क्या संगठन/एन.जी.ओ. को कार्य के एवज में विभाग द्वारा कोई भुगतान किया जाता है? यदि हाँ, तो कार्य/योजना नाम, संस्था/एन.जी.ओ. नाम सहित प्रश्नांश (ग) अनुसार जानकारी दें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। भारत सरकार सहायतित विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वंयन अथवा निष्पादन गैर सरकारी संगठन/एन.जी.ओ. से कराये जाने का प्रावधान है। (ख) बैतूल जिले में भारत सरकार सहायतित विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वियन जननिजी भागीदारी अंतर्गत गैर शासकीय संगठन से कराया गया है। (ग) योजनावार वर्षवार क्रियान्वित गतिविधियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट – "साठ"

शहीद स्मृति सहकारी आवास गृह निर्माण संस्था, ग्वालियर में अनियमितता

76. (क्र. 4314) श्री हर्ष यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शहीद स्मृति सहकारी आवास गृह निर्माण संस्था, ग्वालियर पंजीयन क्रमांक डी/आर/जी-डब्ल्यू.आर. 55 में अनियमितताओं, आवास आवंटन में गडबड़ी, संचालक मण्डल की स्वेच्छाचारिता, संचालक मण्डल के कार्यकाल, संस्था के अधिग्रहण आदि के संबंध में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनाँक तक किन-किन के द्वारा विभाग, कलेक्टर, राज्य शासन, मा. विभागीय मंत्री आदि को शिकायते की है? बिन्दुवार, शिकायतवार अब तक की गई कार्यवाही का विवरण दें? समुचित कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है? (ख) संस्था की अनियमितताओं में उपपंजीयक आर.के.वाजपेयी की संलिप्तता को लेकर शिकायतों के बावजूद उन पर कार्यवाही न होने के लिए कौन उत्तरदायी है? (ग) उप पंजीयक व समिति प्रशासक श्री आर. के.वाजपेयी द्वारा संस्था के संबंध में की गई अनियमितताओं व सहकारिता नियमों के उल्लंघन को लेकर क्या कोई जाँच कराई गई? यदि हाँ, तो कब? कब तक विभाग द्वारा दोषी उप पंजीयक व उत्तरदायी संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

गन्दे पानी की निकासी

77. (क्र. 4387) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के द्वारा कलेक्टर विदिशा को दिनाँक 6.11.2014 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को 15.09.2014 जनपद पंचायत बासौदा को दिनाँक 26.11.2014 को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत बेहलोट में देहात थाने के सामने कटियार भवन के बगल वाली गली में गन्दे पानी की निकासी न होने के कारण बीमारियों के फैलने की आशंका सहित कार्यवाही हेतु पत्र लिखे जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं की जा रही है? (ख) स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मिशन आदि के नाम से जिले में कितने स्वच्छता अभियान एवं मिशन कार्य कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका कार्य क्या-क्या है? (ग) गन्दे पानी के जमाव का क्या-क्या कारण है? प्रश्नकर्ता द्वारा बार-बार पत्र लिखे जाने के बाद गन्दे पानी की निकासी के संबंध में पत्राचार के अलावा अन्य कौन सी कार्यवाही जिला पंचायत, जनपद पंचायत के स्तर पर कब-कब की गई ग्राम पंचायत के स्तर पर कब-कब की गई? (घ) गन्दे पानी की निकासी की कब तक व्यवस्था कर ली जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा पंच परमेंश्वर योजना से नाली निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) नाम से एकमात्र मिशन कार्य कर रहा है।

शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) नाली न होने के कारण गंदे पानी का जमाव है। प्रश्नांश क अनुसार कार्यवाही की गई है। (घ) प्रश्नांश "क" अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

500 की जनसंख्या से कम जनसंख्या के ग्राम

78. (क्र. 4388) श्री निशंक कुमार जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 500 की जनसंख्या से कम जनसंख्या के ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की वर्तमान में कौन-कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? इसमें से किस योजना की कितनी राशि केन्द्र सरकार दे रही है? कितनी राशि राज्य सरकार वहन कर रही है? (ख) विदिशा जिले एवं बैतूल जिले में कौन-कौन सा 500 जनसंख्या से कम जनसंख्या का ग्राम है, जो प्रश्नांकित तिथि तक भी किसी सड़क से नहीं जुड़ा है, इनमें से किस ग्राम को किस सड़क से किस योजना से जोड़े जाने का प्रस्ताव है? (ग) 500 जनसंख्या से कम जनसंख्या के ग्रामों को सड़कों से जोड़े जाने का अंतिम लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, उसके तहत विदिशा एवं बैतूल जिले के किस ग्राम को जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है, किस ग्राम को किस सड़क से जोड़े जाने हेतु निर्माण कार्य का कार्य आदेश जारी कर दिया है, किसका कार्य आदेश जारी किया जाना लंबित है? (घ) विदिशा एवं बैतूल जिले के 500 जनसंख्या से कम जनसंख्या के समस्त ग्रामों को कब तक सड़कों से जोड़ दिया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 500 से कम आबादी के ग्रामों को बारहमासी सिंगल कनेक्टीविटी से जोड़ने की दो योजनाएं प्रचलित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 250 से 500 तक की आबादी के आदिवासी विकासखण्डों की डामरीकृत सड़कें बनाई जाती हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामान्य क्षेत्र में 500 से कम और आदिवासी क्षेत्र में 250से कम आबादी के ग्रामों में बारहमासी ग्रेवल सड़क बनाई जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माण की शत प्रतिशत राशि (निविदा प्रतिशत छोड़कर) केन्द्र सरकार द्वारा तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मनरेगा,बीआरजीएफ एवं राज्य मद के अभिसरण से राशि दी जाती है। बीआरजीएफ जिलों में बीआरजीएफ राशि से योजनान्तर्गत 6 मी. स्पान तक की पुलियों का निर्माण एवं मनरेगा से सड़कों पर मिट्टी कार्य केन्द्र सरकार की राशि से संपन्न किया जाता है। प्रदेश के कुछ जिलों में योजनान्तर्गत सड़कों का सम्पूर्ण कार्य राज्य मद से भी संपन्न किया जा रहा है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ग) 500 जनसंख्या से कम जनसंख्या के ग्रामों को जोडने वाली प्रगतिरत सड़कों की जानकारी एवं पूर्णता लक्ष्य **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। (घ) विदिशा एवं बैतूल जिले के 500 जनसंख्या से कम जनसंख्या के प्रस्तावित ग्रामों को जोड़ने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं। प्रस्तावित मार्गों की स्वीकृति आवंटन की उपलब्धता पर आधारित होने से निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

मनरेगा के संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

79. (क्र. 4418) श्री जतन उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है या नहीं? यदि की जा रही है, तो कब तक इन्हें नियमित किया जावेगा? (ख) क्या जैसे संविदा शिक्षक द्वारा 3 वर्ष की अवधि पूर्ण किये जाने पर उन्हें नियमित किया गया हैं, वैसे ही मनरेगा के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित किया जावेगा? यदि हाँ, तो उन्हें नियमित किये जाने का आदेश क्यों

नहीं जारी किया गया? अब कब तक किया जाएगा? (ग) क्या संविदा कर्मचारियों के लिये शासन द्वारा नियमित किये जाने की अलग-अलग विभाग के संविदा कर्मचारियों की अलग नीति बनाई है, यदि हाँ, तो अभी तक किस-किस विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने हेतु नीति क्यों नहीं बनाई गई? (घ) यदि मनरेगा के कर्मचारियों को नियमित किया जाता है, तो शासन इसका बजट किस मद से करेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। उत्तरांश (क) के प्रकाश में (ख) से (घ) उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा पंचायत राशि का दुरूपयोग

80. (क्र. 4423) श्री जतन उईके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायतों के सरपंच सचिवों द्वारा शासकीय धन राशि की वित्तीय अनयिमितता किये जाने पर उनके विषय में किस प्रकार की कार्यवाही की जा जाती है? (ख) विगत तीन वर्ष में जिला छिंदवाड़ा के कितने सरपंच/सचिवों द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का दुरूपयोग किया गया है? सरपंच सचिव की सूची सहित जानकारी दी जायें? (ग) इनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? कितनी राशि की वसूली की गई? कितनी राशि शेष है, कितने प्रकरण न्यायालय में दायर किये गये हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सरपंच एवं सचिवों द्वारा शासकीय धनराशि में अनियमितता किये जाने पर म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अधीन सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के तहत एवं सचिवों के विरुद्ध धारा 92 के तहत कार्यवाही की जाती है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' के कॉलम नंबर 7 अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'ब' अनुसार। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -'अ' के कॉलम नंबर 7 के अनुसार।**

मंडियों में कार्यरत प्रभारी सचिव

81. (क्र. 4434) श्री बाला बच्चन : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की मंडियों में सचिव पद पर कितने स्थानों पर प्रभारी सचिव कार्यरत हैं? जिलावार बतावें? प्रभारी सचिवों का वर्तमान पद क्या है? नाम सहित जिलावार बतावें? (ख) विभाग में मंडी इंस्पेक्टर कितने हैं, जो प्रभारी सचिव का कार्य भार संभाल रहे हैं? इन्हें कब तक पदोन्नत कर सचिव बना दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) वर्तमान में प्रदेश की 80 कृषि उपज मंडी समितियों में प्रभारी सचिव कार्यरत है। जिनके संबंध में वांछित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) वर्तमान में 79 मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस संवर्ग में वरिष्ठता क्रम और पदों की उपलब्धता आदि के आधार पर नियमानुसार पदोन्नति एक सतत प्रक्रिया है। अत: समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "इकसठ"

समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

82. (क्र. 4455) श्री वीरसिंह पंवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विदिशा जिले में कितनी पंचायतों को कितने शौचालय

निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है? (ख) क्या एक शौचालय के लिये शासन द्‌वारा कितनी राशि स्वीकृत है जो राशि दी जा रही है वह निर्धारित राशि के अनुसार ही दी जा रही है या पंचायत अपने मनमर्जी से खर्च कर रही है? (ग) शासन द्‌वारा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को जो राशि शौचालय निर्माण हेतु दी गई है वह कितनी है तथा इसमें कितने शौचालय निर्माण हो चुके है, कितने निर्माणाधीन है? पंचायतवार ब्यौरा देवें। (घ) जिन ग्राम पंचायतों ने शौचालय निर्माण हेतु राशि ले ली है लेकिन निर्माण नहीं किया है, ऐसी पंचायतें कितनी है? उनसे शौचालय निर्माण हेतु शासन द्‌वारा क्या कार्यवाही की जा रही है या अब सरपंच बदल जाने पर उस राशि का क्या होगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत विदिशा जिले में 491 ग्राम पंचायतों को 76633 शौचालय निर्माण हेतु राशि रूपये 2026.55 लाख प्रदाय की गई। (ख) वर्तमान में शौचालय निर्माण हेतु रूपये 12000 की राशि निर्धारित की गई है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (घ) 07 ग्राम पंचायतों द्‌वारा शौचालय निर्माण राशि लेने के उपरांत कोई कार्य नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों से राशि वापसी की कार्यवाही सम्पादित की गई है। सरपंच बदलने की प्रक्रिया के पूर्व की राशि वापसी की कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रदेश के बाहर से आयात शुल्क भुगतान की जाँच

83. (क्र. 4463) श्री तरूण भनोत : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उपसंचालक मंडी बोर्ड जबलपुर द्‌वारा सहायक संचालक (नियमन) मंडी बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक 9093 दिनाँक 19.4.14 एवं पत्र क्र. 2018 दिनाँक 29.09.2014 के परिपालन में जाँच दल गठित कर कृषि उपज मण्डी समिति कटनी की 12 व्यापारिक फर्मों के प्रदेश के बाहर से आयात दलहन पर मण्डी शुल्क भुगतान की जाँच दिनाँक 11.10.09 से 25 दिसम्बर, 2009 की अवधि की कराई जाकर उपसंचालक मण्डी बोर्ड जबलपुर द्‌वारा अपने पत्र क्र. 9026 दिनाँक 04.10.14 के प्रतिवेदन उपसंचालक (नियमन) मंडी बोर्ड भोपाल को भेजा गया है? यदि हाँ, तो किस-किस फर्म पर कितना मण्डी शुल्क बकाया निकाला गया है? फर्मवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित फर्मों से अभी तक कितना-कितना मंडी शुल्क वसूल किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों? (ग) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उपसंचालक मंडी बोर्ड जबलपुर द्‌वारा गठित जाँच दल द्‌वारा उक्त 12 फर्मों के विरूद्‌ध दिनाँक 11.10.09 से 25.12.09 तक भुगतान प्रदेश से बाहर दलहन पर मंडी शुल्क की जाँच करने से पूर्व क्या उक्त फर्मों के उक्त अवधि के लेखा सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों एवं संबंधित फर्मों के प्रोपराइटर से कोई जानकारी ली गई थी अथवा नहीं? नहीं तो क्यों? क्या यह कार्यवाही जाँच में एक पक्षीय नियम विरूद्‌ध नहीं है? (घ) उक्त 12 फर्मों की जाँच के संबंध में श्री राजकुमार उरमलिया मानवीय विधायक सिरमौर किसान कल्याण मंत्री द्‌वारा प्रस्तुत उत्तर एवं उपसंचालक मंडी बोर्ड जबलपुर के जाँच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 9026 दिनाँक 4.10.14 समरूप है अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्या इसके लिये उपसंचालक मंडी बोर्ड जबलपुर द्‌वारा गठित जांचे दल द्‌वारा गलत जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दोषी नहीं है? यदि दोषी है तो जाँच दल के विरूद्‌ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? करेगा तो कब तक नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। प्रश्नागत **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी द्वारा 12 फर्मों की **जानकारी परिशिष्ट अनुसार** बकाया मण्डी फीस वसूली हेतु दिनाँक 20-12-14 को सूचना पत्र जारी किया गया, संबंधित फर्मों के उत्तर अप्राप्त होने से दिनाँक 31-1-15 को स्मरण पत्र जारी किया गया। पंचायत निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मण्डी समिति कटनी की बैठक नहीं हो सकी, जिससे संबंधित फर्मों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने, अनुज्ञप्ति के निलंबन एवं देय मण्डी फीस की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी कराने की कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान में संबधित फर्मों के विरूद्व जाँच प्रतिवेदन अनुसार बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (ग) उप संचालक मण्डी बोर्ड जबलपुर द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में कृषि उपज मण्डी समिति कटनी के अभिलेखों, जिसमें व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत पाक्षिक विवरणीयॉ शामिल है, का परीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन दिया गया। कृषि उपज मण्डी समिति कटनी द्वारा लेखा सत्यापन के समय संबंधित व्यापारियों को अभिलेख तथा पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। अत: उप संचालक मण्डी बोर्ड जबलपुर की जाँच कार्यवाही नियम संगत है। (घ) प्रश्नांश "घ" में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि श्री राजकुमार उरमलिया माननीय विधायक को माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कब किस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर प्रस्तुत किया गया है। जानकारी के अभाव में उत्तर देने में असमर्थता है। उपसंचालक, मण्डी जबलपुर के जाँच प्रतिवेदन क्रमांक 9026 दिनाँक 04-10-14 के संदर्भ में वस्तुस्थिति उत्तरांश "ग" में उल्लेखित है, जिसके परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की स्थिति उदभुत नहीं होती है।

परिशिष्ट - "बासठ"

बारदानों के साथ उपयोग में आने वाली बंडल पट्टी का विक्रय

84. (क्र. 4486) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन सहकारी कृषि साख समितियों के माध्यम से कितना-कितना धान क्रय किया गया? धान क्रय करने हेतु प्रतिवर्ष कितना-कितना बारदाना उक्त समितियों को उपलब्ध कराये गये? उपलब्ध बारदानों में से कितने बारदानों का उपयोग किया गया? समितिवार विवरण देवें। (ख) क्या उपरोक्त वर्ष में उपलब्ध बारदानों की गठानों पर आने वाली बण्डल पट्टी कितने क्विंटल जमा की गई और उसका उपयोग समितियों द्वारा किस रूप में किया गया हैं? क्या उक्त बण्डल पट्टी को संस्था द्वारा कितने-कितने क्विंटल किस-किस दर से बेच दी गयी हैं और संस्था को कितनी-कितनी राशि का लाभ प्रतिवर्ष हुआ या संस्था के स्टॉक में सुरक्षित रखी गयी हैं? (ग) क्या धान खरीदी प्रभारी द्वारा उक्त बंडल पट्टी का उपयोग अपने निजी कार्यों में तो नहीं लिया गया हैं? अगर लिया गया हैं तो इसकी जाँच कराकर वर्णित वर्षानुसार उपलब्ध बारदानों के बंडलो के अनुसार बंडल पट्टी के प्रति क्विंटल वजन के हिसाब से राशि वसूल की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है**. (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है**. (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत बैंक

85. (क्र. 4492) श्री प्रदीप अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर संभाग सहकारिता विभाग में कौन-कौन सी बैंक कार्य कर रही हैं उनके नाम/ पंजी क्र./ दि. के साथ-साथ जानकारी उपलब्ध कराई जावे कि कौन सी बैंक कितने घाटे में तथा कौन सी बैंक कितने फायदें में चल रही है? (ख) घाटे में चल रही बैंको के कर्मचारियों को कितने वेतन भत्ते प्रदाय किये जा रहें हैं उनमें एक रूपता है अथवा नहीं? यदि नहीं तो कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है, उनके नाम/ पद एवं क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है यदि नहीं तो क्यों? (ग) ग्वालियर संभाग के दतिया जिले में वर्गवार पंजीकृत सहकारी समितियों की जानकारी देवें? इन समितियों में से कितनी समितियॉ परिसमापन में है तथा उनके ऑडिट कब से नहीं हुए हैं? यदि नहीं हुए हैं तो इसके लिए कौन-कौन से जिम्मेदार है एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? (घ) क्या जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको के कर्मचारियों का शासन द्वारा संविलियन करने का निर्णय लिया गया है? यदि हाँ, तो इन्हें कौन से विभाग में कब तक मर्ज किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है.** (ख) बैंकों के कर्मचारियों को प्रदाय वेतनभत्तों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है.** उनमें एकरूपता नहीं है. इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है क्योंकि सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनभत्ते संस्थाओं की आर्थिक सक्षमता के आधार पर दिये जाते है. शेष प्रश्नांश उद्‌भूत नहीं होता. (ग) वर्गवार पंजीकृत सहकारी समितियों की**जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है.** 168 समितियां परिसमापन में है तथा उनमें से01 समिति का वर्ष 2008-09 से, 03 समितियों का वर्ष 2009-10 से, 03 समितियों का वर्ष 2010-11 से, 10समितियों का वर्ष 2011-12 से, 24 समितियों का वर्ष 2012-13 से तथा 57 समितियों का वर्ष 2013-14 का आडिट नहीं हुआ है. परिसमापित संस्थाओं के अभिलेख परिसमापकों को नहीं मिलने से आडिट नहीं किया जा सका है. इस हेतु संबंधित संस्था का संचालक मण्डल/प्रबंधक/सचिव जिम्मेदार है, जिनके विरूद्ध अधिनियम की सक्षम धारा में कार्यवाही की जा रही है. अभिलेख प्राप्त कर आडिट कराने की कार्यवाही की जा रही है. (घ) जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता.

<u>कार्यशील सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध परिसमापन की कार्यवाही</u>

86. (क्र. 4532) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनाँक तक उपायुक्त, सहकारिता, छतरपुर द्वारा क्रियाशील सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध परिसमापन की कार्यवाही प्रचलित की गयीं हैं? यदि हाँ, तो परिसमापन कार्यवाही से प्रभावित संस्थाओं का नाम, परिसमापन में लेने की तिथि, प्रश्न दिनाँक तक की गई कार्यवाही के सूक्ष्म विवरण सहित सूची देवें? (ख) क्या उक्त सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध उक्त प्रचलित कार्यवाही उपरान्त प्रश्न दिनाँक तक संस्थाओं को निष्क्रिय किया गया है? यदि हाँ, तो प्रश्नांश (क) भाग के उत्तर में प्रस्तुत सूची में से कितनी क्रियाशील है, कितनी निष्क्रिय, संस्थावार पृथक-पृथक सूची देवें? (ग) क्या सहकारिता विधान में ऐसा कोई नियम/प्रावधान है कि क्रियाशील सह.सं. को परिसमापन में लिया जा सकता है? यदि हाँ, तो नियम/प्रावधान की प्रति देवें? यदि नहीं, तो उक्त प्रतिकूल कार्यवाही करने के लिए कौन अधि. दोषी है, दोषी अधिकारी का नाम/पदनाम लेख करें। (घ) शासन आदेशों/निर्देशें के प्रतिकूल परिसमापन की, की गई कार्यवाही को तत्काल निरस्त कर

निष्क्रिय की गयीं संस्थाओं को पुन: क्रियाशील किए जाने के आदेश/निर्देश प्रसारित करेगा, तथा उक्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करेगा? हाँ, तो कब तक।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है.** (ख) जी नहीं. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है. (ग)** जी हाँ. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम1960 की धारा 69 (2) (सी/ग) के अनुसार - जहाँ किसी सोसायटी ने सहकारी अधिनियम, नियमों या उप विधियों के अधीन की किन्ही ऐसी शर्तो का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हो, अनुपालन करना बंद कर दिया हो तो संस्था को परिसमापन में लाया जा सकता है. नियम/प्रावधान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र तीन अनुसार है.** शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (घ) उत्तरांश **'ग'** के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर एकत्रित की जाना

87. (क्र. 4533) श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) माह अगस्त, 2014 में कलेक्टर (खाद्य) छतरपुर द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार, सह.संस्थाएं, छतरपुर से सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पीडीएस संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर एकत्रित कर भेजने हेतु लिखा गया था? यदि हाँ, तो उक्त पत्र/सहपत्र की प्रति देवें? (ख) क्या उक्त पत्र के साथ संलग्न सहपत्र से हटकर डिप्टी रजिस्ट्रार, सं.सं., छतरपुर ने अपने पत्र दिनाँक 05.08.2014 से भिन्न प्रपत्र/सहपत्र निर्धारित कर संबंधित सहकारी संस्थाओं को जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था? हाँ तो उक्त पत्र दि./भिन्न प्रपत्र की प्रति प्रस्तुत कर स्पष्ट करें कि प्रश्न दिनाँक तक भिन्न प्रपत्र पर किन-किन सह.सं. से जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तथा किन-किन सह.सं. से जानकारी अप्राप्त है, पृथक-पृथक सूची देवें? (ग) क्या कलेक्टर (खाद्य) छतरपुर द्वारा जानकारी न देने वाली सह.सं. के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु डिप्टी रजिस्ट्रार, सं.सं. छतरपुर को लिखा गया है? हाँ तो कितनी संस्थाओं के विरूद्ध, सूची प्रस्तुत कर स्पष्ट करें कि डिप्टी रजिस्ट्रार, स.सं., छतरपुर द्वारा भिन्न प्रपत्र पर जानकारी न देने पर किन-किन सह.सं. के विरूद्ध क्या-क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई, क्यों की गई? संस्थावार विवरण दें। इस अनुचित कार्यवाही के लिए कौन अधिकारी दोषी है? (घ) शासन, सार्व.वितरण प्रणाली संचालित करने वाली उक्त संस्थाओं को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने वाले उक्त अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ। उप पंजीयक, सहकारी संस्था, छतरपुर द्वारा जारी पत्र दिनाँक 05.08.2014 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। प्रश्न दिनाँक तक 118 संस्थाओं की जानकारी प्राप्त हो चुकी है जिनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स** पर तथा जिन संस्थाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। (ग) जी नहीं। संस्थाओं द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने/विलम्ब से जानकारी देने/अपूर्ण जानकारी देने/ कूटरचित जानकारी देने के कारण उप पंजीयक, सहकारी संस्था, छतरपुर द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 56 के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है। जिन संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की गई उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है। संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही

नियमानुसार की गई है अत: अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मुख्यमंत्री सड़क योजना के कार्य

88. (क्र. 4541) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत विकासखण्ड लांजी तथा विकासखण्ड किरनापुर में मुख्यमंत्री सड़क योजना के कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये है? कार्य का नाम, लागत राशि, कार्य एजेंसी, सप्लायर तथा ठेकेदार का नाम तथा वर्तमान में कार्य की स्थिति सहित जानकारी दें? (ख) उक्त विकासखण्डों में मुख्यमंत्री सड़क योजना के कितने कार्य स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किये गये हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बालाघाट जिले के अंतर्गत विकासखण्ड लांजी तथा किरनापुर में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल 16 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) उक्त विकासखण्डों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 23 सड़कें स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई हैं।

परिशिष्ट – "तिरेसठ"

आर.ई.एस. विभाग द्वारा कराये गये कार्य

89. (क्र. 4542) सुश्री हिना लिखीराम कावरे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र लांजी में विगत तीन वित्तीय वर्षो में कुल कितने कार्य कराये गये जिसमें आर.ई.एस. को कार्य एजेंसी बनाया गया है? कार्य का नाम, जिस योजना से कार्य हुआ उसका नाम, लागत राशि, स्वीकृति दिनाँक तथा ठेकेदार अथवा सप्लायर के नाम सहित विस्तृत जानकारी दें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : विधान सभा क्षेत्र लांजी में विगत 03 वर्षों में आर.ई.एस. को 46 कार्यों में कार्य एजेंसी बनाया गया। विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

गरीबों के लिये कृषि विभाग की योजनाएं

90. (क्र. 4559) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग में अजा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये क्या-क्या योजनाएं हैं? (ख) क्या सुवासरा विधानसभा में विगत 5 वर्षों में इन योजनाओं के तहत इन वर्गों के व्यक्तियों को लाभ मिला है? नाम एवं योजना सहित जानकारी दें? (ग) कृषि विभाग में अजा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये तकनीकी कृषि एवं सिंचाई हेतु साधन उपलब्ध करवाने के लिए किन-किन विभागों का सहयोग लिया जाता है? (घ) अजा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कृषि विभाग द्वारा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल खनन की राशि पर कितनी छूट का प्रावधान हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के लघु/सीमान्त/अन्य कृषकों हेतु योजनाओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ख) जी हाँ। सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में इन योजनाओं में लाभांवित अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2**

अनुसार है। **(ग)** विभाग में तकनीकी कृषि हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र एवं उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर से सहयोग लिया जाता है। सिंचाई हेतु साधन उपलब्ध करवाने में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत म.प्र. कृषि उद्योग विकास निगम से सहयोग लिया जाता है। सिंचाई हेतु साधन उपलब्ध करवाने में कृषि के अतिरिक्त उद्यानिकी विभाग, द्वारा भी उनकी योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। **(घ)** विभाग में अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग हेतु नलकूप खनन के लिये लागत का 75 प्रतिशत या रूपये 25000/- जो भी कम हो अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। नलकूप सफल होने पर पंप की लागत का 75 प्रतिशत या रूपये 15000/- जो भी कम हो अनुदान प्राया किया जाने का प्रावधान है।

कृषि उपज मण्डी अनाज खरीदी हेतु लायसेंसधारी व्यापारियों की संख्या

91. (क्र. 4560) श्री हरदीप सिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा में कितनी कृषि उपज मण्डीयां है तथा अनाज की खरीदी विभाग द्वारा किन-किन स्थानों पर की जाती है? (ख) विधानसभा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी में किसानों से अनाज खरीदी हेतु कितने व्यापारी लायसेंसधारी हैं?नाम बतावें। (ग) किन-किन व्यापारियों द्वारा विगत दो वर्षों में कृषि उपज मण्डी में किसानों से अनाज खरीदी कितनी बार की गई हैं? (घ) ऐसे कितने व्यापारी हैं जिनके पास लायसेंस हैं किंतु कृषि उपज मण्डी में किसानों से अनाज नहीं खरीदते हैं? नाम बतावें।

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क**)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति सुवासरा, कृषि उपज मण्डी समिति सीतामउ एवं कृषि उपज मण्डी समिति शामगढ है। कृषकों द्वारा लाई गई कृषि उपज का क्रय-विक्रय मण्डी प्रांगण में घोष-नीलामी के माध्यम से किया जाता है। (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति सुवासरा में 51 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, कृषि उपज मण्डी समिति सीतामउ में 72 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी तथा कृषि उपज मण्डी समिति शामगढ में 80 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है। वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है।

विभाग को प्राप्त आवंटन अनुदान

92. (क्र. 4588) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनाँक तक म.प्र.न्याय एवं नि:शक्त जन कल्याण विभाग को कुल कितना आवंटन/अनुदान प्राप्त हुआ? उसमें से कितने आवंटन/अनुदान का व्यय किया गया एवं कितना आवंटन/अनुदान लेप्स हुआ मदवार जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन/अनुदान में से उज्जैन संभाग में किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन/अनुदान प्राप्त हुआ मदवार जानकारी प्रदान करें। प्राप्त आवंटन/अनुदान का किस-किस मद में व्यय किया गया व कितना आवंटन/अनुदान व्यय नहीं किये जाने के कारण लेप्स हुआ? मदवार व्यय एवं लेप्स हुए आवंटन/अनुदान की जानकारी प्रदान करें। (ग) क्या कि प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त आवंटन/अनुदान की योजनाओं को विभाग के संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जन-जन तक नहीं पहुँचा पाने के कारण प्राप्त आवंटन/अनुदान लेप्स हुआ है जिसके कारण शासन की महती योजनाओं का लाभ

हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है? यदि हाँ, तो कौन दोषी है, उन दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कर्यावाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

93. (क्र. 4589) डॉ. मोहन यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कें हैं, जिनका निर्माण पूर्ण हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया हैं एवं निकट भविष्य में कितनी सड़कें स्वीकृत होना हैं? (ख) उक्त सड़कों की गारंटी/मैंटेनेंस अवधि पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा उक्त सड़कों के मैंटेनेंस की क्या व्यवस्था की गई हैं? विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन सी सड़कें रखरखाव की श्रेणी में हैं? (ग) उक्त सड़कों के मैंटनेंस हेतु विभाग के पास कुल कितनी राशि हैं अथवा प्राप्त की गई हैं? (घ) विभाग द्वारा विगत पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद की सड़कों के मेंटेनेंस पर कितनी राशि व्यय की गई हैं? सड़कवार विस्तृत विवरण दें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में 9 सडकें ऐसी है, जिनका निर्माण पूर्ण हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है एवं 8 सडकें स्वीकृत होना शेष है। (ख) उक्त सड़कों की गारंटी/मेंन्टेनेंस अवधि पूर्ण होने के बाद आगामी 5 वर्षों तक संधारण कार्य कराये जाने का प्रावधान है। विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत रखरखाव की श्रेणी में आने वाली सड़कों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(**ग) उक्त सड़कों के मेंन्टेनेंस हेतु कुल रूपये 588.37 लाख की प्रशासकीय स्वीकृती प्रदान की गई है। (घ) विभाग द्वारा उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विगत पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद सड़कों के मेंन्टेनेंस पर राशी रूपये 151.21 लाख व्यय की गई है। **शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है।

परिशिष्ट – "चौंसठ"

मध्यान्ह भोजन में प्रशिक्षण एवं सेमिनार आयोजन

94. (क्र. 4599) श्री सतीश मालवीय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला पंचायत उज्जैन में एस.जी.एस.वाय., एन.आर.एल.एम. एवं मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत वर्ष 2010-11 में प्रश्न दिनाँक तक कब-कब प्रशिक्षण एवं सेमिनार का अयोजन किया गया? उक्त प्रशिक्षण का दायित्व किस एजेन्सी को सौंपा गया? योजनावार विवरण देवें। (ख) प्रशिक्षण एवं सेमिनार के आयोजन हेतु एजेन्सी चयन के लिए शासन द्वारा क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? जिले में एजेन्सी चयन में उक्त प्रक्रिया के पालन में की गई समस्त कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) उक्त प्रशिक्षण एवं सेमिनार के आयोजन से कौन-कौन लाभान्वित हुआ है? प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति/समूह द्वारा प्रशिक्षण उपरान्त कितने रोजगार के अवसरों को सृजित किया गया? प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति/समूहवार की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि हुई? हितग्राहीवार जानकारी उपलब्ध करावें। (घ) उक्त प्रशिक्षण एवं सेमिनार के आयोजन के लिए किस-किस एजेन्सी को कब-कब और कितना भुगतान किया गया? उनके देयक एवं भुगतान की गई राशि की योजनावार एवं हितग्राहीवार जानकारी उपलब्ध करावें? किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया गया? एजेन्सी चयन में अनियमितता

तथा प्रशिक्षण उपरान्त मॉनीटरिंग नहीं किए जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी कौन हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। (घ) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 एवं 5 अनुसार** है।

शासकीय उचित मूल्य दुकान

95. (क्र. 4614) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले में वर्ष 2014 से प्रश्न दिनाँक तक कौन-कौन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालित हैं एवं इनकी समितियों/भंडारों का प्रबंधक, दुकानों का सेल्समेंन कौन-कौन था? (ख) प्रश्नांश (क) दुकानों को किस लीड समिति ने कितना गेहूँ, चावल, शक्कर एवं कैरोसीन, किस योजना का वितरण हेतु, किस माह दिया? लीड समिति के अभिलेख के आधार पर वर्ष 2014 से प्रश्न दिनाँक तक माहवार, दुकानवार वितरित सामग्री की जानकारी बतायें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

पी.डी.एस. एक्ट 2009 के पालन बाबत्

96. (क्र. 4616) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के बिंदु क्रमांक 8 (1) एवं 8 (4) के अनुसार वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनाँक तक कटनी जिले के निरीक्षण रोस्टरों (प्रत्येक वर्षानुसार) एवं प्रारूप ज में दुकान स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों, प्रारूप छः में दिये गये तिमाही प्रपत्रों तथा बिंदु क्रमांक 9 (2) के अनुसार उचित मूल्य दुकान स्तरीय निगरानी समितियों के बैठकों का विवरण प्रदान करें? (ख) क्या तारांकित प्रश्न क्रमांक 20 (क्रमांक 1211) दिनाँक 24/2/2012 में चर्चा के दौरान निगरानी समितियों के सदस्यों के कार्यकाल के संबंध में एक्ट में बदलाव की जानकारी दी गयी थी? यदि हाँ, तो एक्ट में क्या बदलाव किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक किया जायेगा?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी योजना (परिषद) में प्रतिकूल भर्तियां

97. (क्र. 4626) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन की प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक-9317/स्था./08 दिनाँक 06.10.08 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मुख्यालय) भोपाल के लिये पेज क्र. 4 के सीरियल न. 16 में उप संचालक कृषि/उद्यानकी के 01 पद हेतु संविदा पर मध्य प्रदेश या केन्द्र शासन के कृषि उद्यानकी विभाग के उप संचालक कृषि/उद्यानकी अथवा समकक्ष पद से सेवा निवृत्त अधिकारी/अधिकतम आयु 65 वर्ष की शर्त का प्रकाशन किया गया, किंतु दिनाँक 20.05.09 को श्री वी.एस.पाण्डेय पंजाब नेशनल बैंक में 1975 से 1984 तक 9 वर्ष तक एग्रीकल्चर आफीसर रहे व्यक्ति को उप संचालक कृषि उद्यानकी के पद पर श्री ए.के. चौधरी चीफ इंजीनियर (तकनीकी

सदस्य) ने चयनित कराया? (ख) क्या श्री चौधरी सी.ई.ने चयन समिति में लिखित आपत्ति की कि ऐसे व्यक्ति को चयन न किया जाये जो कभी उप संचालक था ही नहीं? क्या श्री चौधरी द्वारा सी.ई.ओ. मनरेगा के समक्ष उक्त अवैधानिकता की लिखित जानकारी दी गई? (ग) उक्त अवैधानिक नियुक्ति प्राप्त उप संचालक को करीब रूपये 10.00 (दस लाख) का भुगतान दिया गया? यह राशि श्री चौधरी से वसूल होगी या नहीं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) श्री बी.एस. पाण्डेय की उपसंचालक, कृषि/उद्यानिकी के पद पर संविदा नियुक्ति चयन समिति द्वारा विज्ञप्ति अनुसार की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नंदन फलोद्यान प्रभारियों द्वारा निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं मानीटरिंग

98. (क्र. 4627) श्री केदारनाथ शुक्ल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि मनरेगा परिषद भोपाल के आदेश क्रमांक 10429/03/एन.आर.16-17/2010 दिनाँक 12.10.2010 से सबसे कम निरीक्षण करने वाले तीन राज्य स्तरीय उद्यानिकी विशेषज्ञों को 11 जिलों की मानीटरिंग करने का आदेश दिया गया? इन तीनों से अक्टूबर 2010 से 31.01.15 तक कितने बगीचों का निरीक्षण प्रशिक्षण,मानीटरिंग का कार्य कराया? (ख) क्या मनरेगा एक्ट 2005 एवं मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी स्कीम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नंदन फलोद्यान की गुणवत्ता मानीटरिंग दिनाँक 26.4.10 को बंद कराने की कार्यवाही की गई व दिनाँक 31.1.15 तक प्रारंम्भ नहीं करायी गई क्यों? (ग) क्या शासन द्वारा दिनाँक 01.05.2010 को 65 एस.क्यू.एम.को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानीटरिंग हेतु नामांकित किया गया था? परिषद द्वारा नंदन फलोद्यान के कुछ उद्यानिकी विशेषज्ञों से दिनाँक 26.4.10 के पश्चात मानीटरिंग का कार्य क्यों नहीं लिया गया? क्या इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। प्रश्न में उल्लेखित पत्र, तेरह उद्यानिकी विशेषज्ञों में से शेष रहे तीन उद्यानिकी विशेषज्ञों को भविष्य में जिलों में भ्रमण, परिषद मुख्यालय के निर्देश उपरांत किये जाने हेतु जारी किया गया। इन तीनों से प्रश्नाधीन अवधि में कोई निरीक्षण, प्रशिक्षण, मानिटरिंग का कार्य नहीं कराया गया है। (ख) जी नहीं, नंदन फलोद्यान सहित मनरेगा कार्यों की गुणवत्ता मॉनीटरिंग संबंधित जिला पंचायत में पदस्थ उद्यानिकी सहायकों/सहायक संचालक उद्यानिकी, उपयंत्री, सहायक यंत्री के साथ समय-समय परस्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था प्रचलित है। (ग) जी हाँ, उत्तरांश ख अनुसार। जी हाँ शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति के नियम

99. (क्र. 4658) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्तियों एवं नियुक्यों के लिये क्या-क्या नियम शासन द्वारा निर्धारित हैं? (ख) क्या यह सही है कि सिवनी जिले में श्री बैजनाथ प्रजापति विभाग के अलावा सूबेदार इंस्पेक्टर के पद पर होते हुए ट्रॉफिक पुलिस लाईन का अतिरिक्त कार्य भी संभाल रहे हैं जबकि उनसे वरिष्ठ अधिकारी जिले के विभागों में पदस्थ हैं? यदि हाँ, तो कारण बतावें। (ग) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित कर्मचारी के कार्यकाल में जिले में धड़ल्ले से अवैध रूप से बसों का संचालन हो रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? कारण बतावें। (घ) क्या यह सही है कि सिवनी जिले

में अवैध वसूली बस संचालकों द्वारा की जा रही है? यदि नहीं, तो कि.मी. के आधार पर किराया क्यों नहीं लिया जाता?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) परिवहन विभाग में नियुक्तियों एवं प्रतिनियुक्तियों के लिये प्रावधान म.प्र. परिवहन विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2011, म.प्र. परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2011 एवं म.प्र. परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2011 में प्रावधानित है। (ख) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है (घ) विभाग द्वारा समय समय पर आकस्मिक जाँच कर बस मालिको द्वारा निर्धारित दर से किराया लिया जाना सुनिश्चित किया जाता है, विगत 1 वर्ष में अभी तक जाँच के दौरान बस संचालकों द्वारा अवैध वसूली के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है। कि.मी. के आधार पर किराया ना लिये जाने के प्रकरण भी प्रकाश में नहीं है, शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

सिवनी जिले में निर्मित शौचालय

100. (क्र. 4659) श्री दिनेश राय (मुनमुन) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रश्न दिनाँक तक निर्मल भारत/मर्यादा अभियान के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध करायी गई? तथा उक्त राशि किस बैंक खाते में जमा करायी गई। वर्षवार जानकारी दें? (ख) उक्त प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि कब-कब, किन-किन के कौन-कौन से बैंक खातों में जमा कराई गई है? (ग) निर्मल भारत/मर्यादा अभियान योजना के अंतर्गत कितने शौचालय निर्माण हेतु प्रश्नांश (क) अवधि में कितनी-कितनी राशि कब-कब भुगतान की गई एवं इनमें से कितने शौचालय पूर्ण हो चुके है? सिवनी जिले की जनपद पंचायतवार जानकारी देवे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार** है।

उचित मूल्य दुकानों के प्राप्त जाँच प्रतिवेदन

101. (क्र. 4707) श्रीमती रेखा यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले में गत दो वर्षों में किस-किस के द्वारा किस उचित मूल्य दुकान के किए गए निरीक्षण के प्रतिवेदन विभाग को किस दिनाँक को प्राप्त हुए? उसमें से किस प्रतिवेदन में किस विभाग के अधिकारी द्वारा किस-किस दुकान में कौन-कौन सी गड़बड़ी, अनियमितता या हेराफेरी होना प्रतिवेदित किया? (ख) उपरोक्त अवधि में विभाग को प्राप्त जाँच या निरीक्षण प्रतिवेदनों में से किस प्रतिवेदन के आधार पर एफ.आई.आर. किस दिनाँक को दर्ज करवाई गई? किस प्रतिवेदन में उल्लेखित दोषी कर्मचारी के नाम को हटाकर या नया नाम जोड़कर किस दिनाँक को किस-किस के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई? किस प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नांकित दिनाँक तक भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई? (ग) किस जाँच या निरीक्षण प्रतिवेदन या कलेक्टर के निर्देश के बाद भी किस-किस कर्मचारी एंव किस-किस पदाधिकारी के विरूद्ध किसके निर्देश से एफ.आई.आर.

दर्ज नहीं करवाई गई? नाम पृथक किए जाने के क्या-क्या कारण रहे हैं? (घ) जाँच एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित सभी के विरूद्ध कब तक एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी जावेगी?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा

102. (क्र. 4708) श्रीमती रेखा यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के अंतर्गत विगत दो वर्षों में सेवा सहकारी समिति ललपुर ने कितने किसानों को कितनी राशि की के्.सी.सी. जारी किए कितनी ऋण राशि दी गई किस किसान की के.सी.सी. में स्वीकृत राशि से अधिक राशि का ऋण दिया जाना समिति ने बताया? (ख) ललपुर समिति के द्वारा किसानों को स्वीकृत के.सी.सी; उन्हें भुगतान बताया ऋण एवं इससे संबंधित किस-किस के द्वारा किस दिनाँक को की गई शिकायत समिति को, शाखा को या केन्द्रीय सहकारी बैंक को किस दिनाँक को प्राप्त हुई, उसकी जाँच किस अधिकारी से करावाई गई? (ग) छतरपुर जिले में सेवा सहकारी समितियों के द्वारा बनाई गई के.सी.सी; स्वीकृत ऋण भुगतान बताए गए ऋण में की गई गड़बड़ियों की प्राप्त शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक के द्वारा क्या व्यवस्था की गई गत दौ वर्ष में बैंक को किस दिनाँक को किस-किस की शिकायत प्राप्त हुई हैं। (घ) प्राप्त शिकायतों की जाँच कब तक करवा ली जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में गेहू उपार्जन

103. (क्र. 4759) श्री अनिल जैन : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूँ का उपार्जन किया जाना है यदि हाँ, तो टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में किन किन खरीदी केन्द्रों के माध्यम से प्रश्न दिनाँक तक कितने कितने किसानों के ऑनलाइन पंजीयन हो चुके हैं, तथा मौसम में कितना कितना उपार्जन लक्ष्य रखा गया है? केन्द्रवार जानकारी दी जावे? (ख) क्या इस वर्ष भी किसानों को गेहूँ उपार्जन पर बोनस दिया जायेगा यदि नहीं तो उसका कारण बताया जाये? (ग) क्या ऑनलाईन पंजीयन की कोई अंतिम तिथि है यदि हाँ, तो बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जहाँ अति विलम्ब से बुवाई हुई है? क्या वहाँ के लिये पंजीयन की यह अंतिम तिथि बढाये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है या नहीं यदि नहीं तो क्यों? (घ) क्या ऑनलार्इन पंजीयन अथवा नवीनीकरण के लिये किसानों की समग्र आई डी होना आवश्यक है? यदि हाँ, तो ऐसे किसान जिनको समग्र आईडी अभी आवंटित नहीं हुई है उन्हें गेहूँ उपार्जन योजना का लाभ दिलाने के लिये शासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हाँ। टीकमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के उपार्जन केन्द्रवार पंजीकृत किसानों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। गेहूँ उपार्जन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से अधिक उपार्जन होने और बोनस दिये जाने की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरप्लस स्कंध को स्वीकृत नहीं करने की स्थिति में सरप्लस भण्डार के निराकरण में होने वाली भौतिक एवं वित्तीय कठिनाईयों के प्रकाश में बोनस नहीं दिया

जा रहा है। (ग) जी हाँ। गेहूँ उपार्जन हेतु नवीन पंजीयन की तिथि दिनाँक 15 जनवरी से 15 फरवरी, 2015 तक निर्धारित थी। किसानों द्वारा विगत वर्ष कराए गए पंजीयन को इस वर्ष के पंजीयन में सम्मिलित किए जाने तथा ऐसे नवीन किसान जिनके द्वारा इस वर्ष गेहूँ की फसल बोई गई है और उनके द्वारा विगत वर्ष पंजीयन नहीं कराया गया था ऐसे किसानों के पंजीयन हेतु एक माह की समयावधि दिए जाने के कारण पंजीयन की तिथि बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "पैंसठ"

टीकमगढ़ जिले में बन्द पड़े निर्माण कार्य

104. (क्र. 4760) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि टीकमगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में विगत 03 वित्तीय वर्षों में स्वीकृत और निर्माणाधीन कई विकास कार्य आज तक पूर्ण नहीं किये जा सके हैं? यदि हाँ, तो विधान सभा बार, ग्रामवार एवं स्वीकृति वर्ष बार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश (क) में से विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के अपूर्ण कार्यों में से कितने में प्रश्न दिनाँक को निर्माण कार्य बन्द है और कितनों में कौन सा निर्माण कार्य किया जा रहा है यदि निर्माण कार्य बन्द है तो उसके कारण बताये जाये? निर्माण कार्य चालू है तो कार्य पूर्ण होने की समय सीमा बताई जाये? (ग) अब तक कार्य अपूर्ण रहने से शासन को हुई आर्थिक क्षति एवं जनसाधारण को हुई असुविधा के लिए किस स्तर के अधिकारी कर्मचारी अथवा ठेकेदार दोषी हैं उनके विरूद्ध क्या कर्यावाही की गई है? यदि नहीं की गई तो कब तक क्या क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी में विगत **03** वित्तीय वर्षों में 3702 कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से **1802** कार्य पूर्ण एवं **1900** कार्य निर्माणाधीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'अ'अनुसार**। (ख) 1900 कार्य निर्माणाधीन है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के कॉलम 07, 10, 11 एवं 12 अनुसार**। (ग) जिन प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने में विलंब किया गया है, उन कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' के कॉलम 12 अनुसार**।

निर्माण सामग्री एवं मजदूरी व्यय का अनुपात निर्धारण

105. (क्र. 4770) श्री अनिल जैन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मनरेगा योजना में विभिन्न कार्यों हेतु निर्माण सामग्री एवं मजदूरी व्यय का कोई अनुपात निर्धारित है तो बताया जाये कि टीकमगढ़ जिले में विगत वित्तीय वर्ष से अब तक कितने कार्यों में इस अनुपात का पालन किया गया है और कितनों में नहीं? जनपद पंचायतवार संख्या बतायी जावे? (ख) क्रियान्वयन एजेन्सियों को उक्त कार्यों में लगने वाली सामग्री क्या वाणिज्यकर में पंजीकृत फर्मों से क्रय करने की अनिवार्यता हैं तो बताया जाये कि प्रमुख फर्में जिन से सामग्री क्रय की गई है उनके पंजीयन वाणिज्यकर विभाग में हैं अथवा नहीं? यदि नहीं तो विभाग द्वारा इस बिन्दु की अनदेखी क्यों की जा रही है? (ग) क्या शासन द्वारा आगामी कार्यों में क्रियान्वयन एजेन्सियों के द्वारा सीमेंट, लोहा गिट्टी, मुरम तथा अन्य निर्माण सामग्री को क्रय करने के लिये शासन में पजीकृत फर्मों से क्रय करने हेतु उन्हें बाध्य किया जायेगा अथवा नहीं? (घ) क्या इन पंजीकृत फर्मों के द्वारा दिए

जाने योग्य कर की कोई राशि विभाग द्वारा सीधे तौर पर भुगतान में से काटकर जमा की जा सकती है यदि हाँ, तो क्या ऐसा किया गया अथवा नहीं यदि नहीं तो क्यों? टैक्स न काटे जाने से शासन को हुई इस क्षति की पूर्ति के लिए पंजीकृत फर्मों से टैक्स राशि जमा कराये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी या नहीं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। मजदूरी सामग्री अनुपात **60:40** का संधारण कार्यवार किये जाने की अनिवार्यता न होकर पूरे वित्तीय वर्ष में सम्पादित होने वाले कार्यों के लिए है। अतएव शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) क्रियान्वयन एजेन्सियों को उक्त कार्यों में लगने वाली स्थानीय सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री वाणिज्यकर में पंजीकृत फर्मों से क्रय करने की अनिवार्यता है। जिन फर्मों से सामग्री क्रय की गई है उनके पंजीयन वाणिज्यकर विभाग में हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल के पत्र क्रमांक **8146/MGNREGS-MP/**वित्त एवं लेखा/**2013** भोपाल दिनाँक **01.10.2013** के अनुसार मध्यप्रदेश वेट अधिनियम **2012** धारा **26 (1)** के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करों की कटौत्री नहीं की जानी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>लोकायुक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारियों को निलंबित कर अन्यत्र पदस्थी</u>

106. (क्र. 4788) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्री अनिल कुमार तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो कहाँ, किस ब्लॉक एवं जिले में कार्यरत है? क्या इनके विरूद्ध भी जनपद पंचायत सोहावल में वर्ष 1998 में पदस्थगी के दौरान शिक्षाकर्मी भर्ती में अनियमितता करने के आरोप में लोकायुक्त द्वारा इनके विरूद्ध कार्यवाही गई थी यदि हाँ, तो क्या लोकायुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो क्या इन्हे निलंबित किया गया, यदि नहीं तो कब तक निलंबित किया जा रहा है, यदि नहीं तो क्यों? क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पद पर बनाये रखा जा सकता है, यदि नहीं तो अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया गया बतायें? (ख) क्या शासन के कोई ऐसे आदेश हैं कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जिस स्थान में पदस्थगी के दौरान लोकायुक्त प्रकरण कायम हुआ उस अधिकारी/कर्मचारी को दौबारा दिनाँक 24.01.2012 से 18.09.2014 तक जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना में क्यो पदस्थ रखा गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। जनपद पंचायत मंझौली जिला सीधी में कार्यरत है। जी हाँ। लोकायुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में दिनाँक 28.10.06 को चालान पेश किया गया है। शासन नियमानुसार आदेश क्रमांक 18416 दिनाँक 20.11.06 से श्री तिवारी को निलंबित किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) जी नहीं। आदेश क्रमांक 2170 दिनाँक 04.03.14 से श्री तिवारी को जिला पंचायत सिंगरौली में सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है,किन्तु भारमुक्ति उपरांत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्थानांतरण पर स्थगन साथ ही प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से दिनाँक 24.01.12 से 18.09.14 तक जनपद पंचायत सोहावल जिला सतना में पदस्थ रखा गया था।

<u>लेखापाल/सहायक सांख्यिकी अधिकारी को मुक्त किया जाना</u>

107. (क्र. 4793) श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सतना जिले के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कार्यालय में लेखापाल के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने कार्यरत हैं? (ख) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय में स्वीकृत एक पद के विरूद्ध दो लेखापाल कार्यरत है, यदि हाँ, तो उनकी पदस्थापना पूर्व में कहाँ थी, किस अधिकारी द्वारा संलग्न किया गया था, अभी तक मुक्त न करने का क्या कारण है, उनको वेतन भत्ता कहाँ से भुगतान किया जा रहा है? (ग) क्या उक्त कार्यालय में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद स्वीकृत हैं यदि नहीं तो क्या वर्तमान में दो सहायक सांख्यिकी अधिकारी संलग्न है, यदि हाँ, तो क्यों? क्या एक अधिकारी को उनके मूल स्थान पर वापस किया जावेगा, यदि हाँ, तो कब तक?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सतना में लेखापाल का एक पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में एक लेखापाल कार्यरत है। (ख) जी नहीं। किन्तु कलेक्टर जिला सतना के आदेश क्रमांक 6141 दिनाँक 25.07.2012 द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, सहायक ग्रेड-3 जो कार्यालयीन लेखा शाखा का कार्य संपादित कर रहे थे, का स्थानांतरण कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मझगवां किये जाने के फलस्वरूप आदेश क्रमांक 6369 दिनाँक 27.07.2012 द्वारा शासकीय कार्य संचालन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए श्री आर.एन. श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, मैहर को उनके मूल स्थान के कार्य के साथ-साथ कार्यालय में लेखा शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाकर संपादन कराया जा रहा था। जिन्हें उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सतना के आदेश क्रमांक बी 1/स्था./का.वि./2014-15/836 सतना दिनाँक 4.3.2015 द्वारा उनके मूल पदस्थापना स्थल के लिये कार्यमुक्त कर वापस कर दिया गया है। (ग) जी नहीं। वर्तमान में दो सहायक सांख्यिकी अधिकारी अपने मूल स्थान के कार्य के साथ-साथ उक्त कार्यालय में कार्य संपादन कर रहे दोनो सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को क्रमश: कार्यालयीन आदेश क्रमांक 817-18, सतना दिनाँक 05.03.2015 द्वारा उनके मूल पदस्थापना के लिये कार्य मुक्त कर वापस कर दिया गया है।

अशोक नगर जिले में स्थानीय लोगों की पदस्थी

108. (क्र. 4812) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर जिले में विभिन्न पदों पर सहकारिता विभाग में स्थानीय कितने लोग कब से पदस्थ हैं? (ख) यहाँ पदस्थ सहकारी निरीक्षक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक यहाँ कब से पदस्थ है और क्या अविभाजित गुना जिले के समय भी पदस्थ थे क्या यह स्थानीय जिले के निवासी है? (ग) इनका स्थानांतरण कब कहाँ-कहाँ हुआ और कब तक ये लोग अन्य जगह रहे इनका स्थानांतरण क्या समय पूर्ण होने के बाद भी नहीं किया गया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) तीन, पदस्थी की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** प्रशासकीय आवश्यकतानुसार शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत स्थानान्तरण संबंधी कार्यवाही की जाती है.

परिशिष्ट – "छियासठ"

सेल्स मैनेजर की नियुक्ति

109. (क्र. 4813) श्री गोपालसिंह चौहान (डग्गी राजा) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सहकारी बैंक शाखा मुगांवली में कार्यरत सेवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में सेल्समैनों की नियुक्ति सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत की गई है या नहीं? (ख) सहकारी अधिनियम के तहत सेल्समैनों की नियुक्ति निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर सहकारी उपायुक्त में कमेटी बनाकर किये जाने का प्रावधान है क्या इसका पालन किया गया है या नहीं अधिकांश सहकारी समिति प्रबंधकों द्वारा फर्जी तरीके से नियुक्ति कर भारी अनियमिततायें की गई है क्या शासन इन फर्जी नियुक्तियों की जाँच करायेगा यदि हाँ, तो कब तक और इन समिति प्रबंधकों पर कब तक कार्यवाही करेगा? (ग) मुगांवली में कितने समिति प्रबंधक कितने समय से पदस्थ हैं पदस्थी दिनाँक से सूची उपलब्ध करावे इनके स्थानांतरण को क्या नियम हैं? वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ है समिति प्रबंधकों का स्थानांतरण कब तक होगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जाँच के आदेश दिये गये है. (ख) जाँच के आदेश दिये गये है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. जाँच निष्कर्षाधीन. (ग) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के सेवायुक्तों के लिये प्रत्येक 03 वर्ष में स्थानान्तरण नीति बनाये जाने का नियम है एवं स्थानान्तरण नीति के अनुसार बैंक के सेवायुक्तों के स्थानान्तरण रोटेशन की प्रक्रिया अनुसार उक्त नीति के आधार पर किये जाने का प्रावधान है. सामान्यतः बैंक के सेवायुक्तों की पदस्थापना 03 वर्षों के लिये होती है, परन्तु बैंक में समिति प्रबंधकों कीकमी के कारण 03 वर्षों में समिति प्रबंधकों के स्थानान्तरण नहीं किये जा सके हैं. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

<u>परिशिष्ट – "सड़सठ"</u>

<u>उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता</u>

110. (क्र. 4820) श्रीमती इमरती देवी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कार्यालय कलेक्टर अशोकनगर के पत्र क्र. 2024/खाद्य/2014 दिनाँक 29.11.2014 के अनुसार अनुविभाग मुगांवली में खाद्य संचालनालय भोपाल एवं अशोकनगर जिले की खाद्य अधिकारियों द्वारा उचित मूल्य दुकान केनवारा (सिलवारा) खुर्द, सेहराई (अचलगढ़) गन्हेक, बीडसरकार एवं सेमीहोलसेल मुगांवली (लीड़ संस्था गदुली) की जाँच में गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे, यदि हाँ, तो इन प्रकरणों में क्या एफ.आई.आर. दर्ज की गई नहीं तो किन कारणों से एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की कारण बतावें? (ख) लीड संस्था गदुली (मुगांवली) प्रबंधक एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर एफ.आई.आर. के आदेश होने के बाद भी आज तक कार्यरत है, क्या इनको प्रथक किया जावेगा नहीं किया तो क्यों? (ग) यदि एफ.आई.आर. की कार्यवाही नहीं गई तो इसके लिये किस अधिकारी की जिम्मेदारी है यदि अधिकारी दोषी है तो उसके विरूद्ध क्या किया जाना प्रस्तावित है?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

<u>ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण</u>

111. (क्र. 4828) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला भिण्ड में सितम्बर 2014 में श्री जे. एल.गांधी स्टेट क्वालिटी मॉनीटर पी.एम. जी.एस. बाई में कौन-कौन से मार्ग का बारीकी से निरीक्षण किया गया? निरीक्षण रिपोर्ट में क्या कमियाँ दर्शायी गई? (ख) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. के मानकों के अनुसार सड़क मार्गों पर शोल्डर खराब होने व सड़क किनारे गाजर घास बहुतायात पाई जाने पर प्रश्नांश दिनाँक तक कहाँ-कहाँ पर क्या कार्यवाही की गई? (ग) भिण्ड जिले में विगत पांच वर्षों में पी.एम. जी.वाई.मानकों के अनुसार सड़को की समय-समय पर स्टेट/नेशनल क्वालिटी मानीटर्स का निरीक्षण कब-कब किया गया? निरीक्षक में क्या कमियां पाई गई? क्या-क्या सुधार किए गए? विवरण सहित जानकारी दें? (घ) क्या यह सही है कि पी.एम. जी.एस.वाई. के अंतर्गत अभी तक निर्मित मार्ग शतप्रतिशत खराब है? मानकों के अनुसार निर्माण नहीं किया गया इसके लिये कौन दोषी है, क्या कार्यवाही की जावेगी? उच्च क्वालिटी के लिये क्या प्रयास किये जायेगें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला भिण्ड में सितम्बर 2014 में श्री जे.एल. गांधी स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 37 मार्गों का निरीक्षण किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है।** (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार** है। (घ) जी नहीं। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हाँ।

नैपरी-बृजगढ़ी रोड़ की मरम्मत

112. (क्र. 4896) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुरैना जिले की (प्रधानमंत्री सड़क योजना) नैपरी-बृजगढ़ी की हालत बहुत खराब एवं जर्जर हो चुकी है? इस मार्ग का निर्माण कब हुआ? कितनी राशि खर्च हुई? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग की स्थिति समय सीमा (गारन्टी) से पूर्व ही खराब हो गई थी लेकिन अधिकारियों द्वारा अनदेखी कर ठेकेदार से गारन्टी पीरियड़ में ठीक नहीं कराई? समय सीमा कब तक थी? (ग) क्या शासन उक्त मार्ग जो गड्डों में तब्दील हो गया है, सैकड़ों जगह डामर उखड़ गया है, की मरम्मत की कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक समय-सीमा बताई जावे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ, मुरैना जिले की प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत निर्मित मार्ग नैपरी- वृजगढी वर्तमान में संधारण न होने से क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग का निर्माण दिनाँक 30.06.2007 को पूर्ण करने में रूपये 203.07लाख की राशी व्यय की गयी थी। (ख) जी नहीं, उक्त मार्ग के निर्माण पश्चात् 5 वर्ष की गारंटी अवधि में मार्ग की स्थिति ठीक थी, उक्त मार्ग की गारंटी अवधि दिनाँक 29.06.2012 तक थी। (ग) जी हाँ, जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों की लाइनिंग का कार्य किये जाने से भारी वाहनों के परिवहन से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। पांच वर्ष की गारंटी अवधि पश्चात् आगामी पांच वर्ष के संधारण हेतु नियुक्त ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य नहीं कराया जा रहा है। विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार द्वारा मरम्मत कार्य नहीं करने के कारण उसका अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। नवीन ऐजेन्सी के निर्धारण उपरांत मार्ग का संधारण कार्य कराया जा सकेगा,निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

आदेश का पालन

113. (क्र. 4900) श्री रामलाल रौतेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विकास आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल क्रमांक 10360/261/22/वि-13/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/14 भोपाल दिनाँक 8.12.14 का पालन कब तक किया जाएगा? (ख) क्या उक्त जाँच विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में सम्पन्न होगा? यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र की विषयवस्तु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित होने से तत्संबंधी विभाग को अंतरित की गई है। अतः इस पत्र पर विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>अनूपपुर जिले में राजस्व प्राप्त की प्राप्ति</u>

114. (क्र. 4901) श्री रामलाल रौतेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में विभाग को वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? राजस्व प्राप्ति का माध्यम क्या है? पृथक-पृथक विवरण प्रदान करें? (ख) क्या प्रश्नांश (क) अवधि में जिले में क्षमता से अधिक परिवहन करने का प्रकरण भी प्रकाश में आया है? यदि हाँ, तो उन प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई है? तथा अर्थदण्ड आरोपित का विवरण प्रदान करें?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 8,35,20,141/- रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। राजस्व की प्राप्ति वाहनों से कर एवं शुल्क तथा शमन शुल्क आदि से होती है। पृथक-पृथक विवरण हेतु मदवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) जी हाँ, प्रश्नांश अवधि में क्षमता से अधिक परिवहन करते पाये गये 365 वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर उनसे शमन शुल्क के रूप में रूपये 6,48,500/- वसूल किया गया है। अर्थदण्ड आरोपित धारा 200 में निर्धारित दर से की जाती है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है।

<u>नियम विरूद्ध भूखण्डों का आवंटन</u>

115. (क्र. 4925) श्री आरिफ अकील : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि एस.बी. पुलिस गृह निर्माण सहकारी संस्था भोपाल का पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी. 542 का पंजीयन पुलिस की विशेष शाखा में कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों की आवास समस्या के निराकरण के लिए किया गया है? यदि हाँ, तो यह अवगत करावे कि क्या उक्त संस्था में गैर पुलिस कर्मी भी सदस्य हो सकता है और एक सदस्य को दो भू-खण्ड आवंटित करने का प्रावधान है? (ख) यदि नहीं तो संस्था में किन-किन गैर पुलिस कर्मियों को सदस्य बनाया गया तथा सदस्य श्री उल्लास जगताप को 1- भूखण्ड क्रमांक बी-56 पंजीयन दिनाँक 09.03.2001, 2-भूखण्ड क्रमांक बी-11 पंजीयन दिनाँक 22.09.2007 और श्रीमती विमला वर्मा को भूखण्ड क्रमांक 12 एवं 13 पंजीयन दिनाँक 06.06.2007 को आवंटन करने के नाम पर नियम विरूद्ध प्रक्रिया अपनाने के लिए कौन-कौन दोषी है और शासन द्वारा दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? (ग) प्रश्नांश (क) (ख) के परिप्रेक्ष्य में यह अवगत करावे कि शासन को प्राप्त शिकातयों के आधार पर धोखा-धड़ी के आरोप में किन-किन के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

नियम विरूद्ध कार्यवाही किया जाना

116. (क्र. 4926) श्री आरिफ अकील : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिविल सेवा अधिनियम में यह प्रावधान है कि निलबित अधिकारी व कर्मचारी को जीवन निर्वहन भत्ता दिये जाने का प्रावधान है? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सही है कि विभाग के आदेश क्रमांक अ-2-3यूडी/स्था. 383-12 (छठवा) 2933 भोपाल दिनाँक 03.07.2013 के द्वारा श्री श्याम बाबू मालवीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खण्ड विदिशा जिला विदिशा का प्रशासकीय आधार पर निलंबित किया गया और आदेश के अंतिम पैरे में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता का उल्लेख किया गया? यदि हाँ, तो श्री मालवीय द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु विभाग को आवेदन किए जाने के बाद भी जीवन निर्वाहन भत्ता प्रदान नहीं किए जाने के कौन-कौन दोषी है तथा उनके विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावे? (ग) क्या यह भी सही है कि विदिशा खेत तालाब/बलराम तालाब घोटाले में तत्कालीन सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी विदिशा, कृषि विकास अधिकारी बासौदा, सर्वेयर विदिशा आदि को वर्ष 2011-12 में निलंबित किए गए थे और उनकी जाँच पूर्ण होने से पूर्व ही बहाल कर दिया और नियमानुसार निलंबन अवधि में जीवन निर्वाहन भत्ता भी दिया गया है? यदि हाँ, तो श्री श्याम बाबू मालवीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विदिशा को जीवन निर्वहन भत्ता नहीं दिये जाने के क्या कारण है इसके लिए कौन दोषी है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। (ख) जी हाँ। श्री एस.बी.मालवीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को संचालक कृषि के आदेश क्रमांक अ-2-3/यू.डी./स्था./383-12 (छटवां) 2933 दिनाँक 03.07.2013 के द्वारा निलंबित किया गया था, एवं आदेश के अंतिम पैरा में जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का उल्लेख किया गया था। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला विदिशा के आदेश क्र; स्थापना पदो./14-15/4197-98/ विदिशा दिनाँक 25.07.2014 के पालन में अनुविभागीय कृषि अधिकारी उपसंभाग विदिशा के देयक क्रमांक 70, दिनाँक 25.07.2014 द्वारा जुलाई/जून 2014 तक राशि रूपये 228744/- का एकमुश्त ई भुगतान श्री एस.बी.मालवीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (निलंबित) के खाता क्रमांक 63034047678 में किया जा चुका है एवं जनवरी 2015 तक जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जा चुका है। (ग) जी हाँ। श्री श्याम बाबू मालवीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तत्कालीन को जीवन निर्वाह भत्ता निरन्तर भुगतान किया जा रहा है। दोषी होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

आगर जिले में संचालित मार्केटिंग सोसायटी

117. (क्र. 4940) श्री गोपाल परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मार्केटिंग सोसायटी में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 कुल कितने टेण्डर आमंत्रित किये है एवं किन-किन फर्मों द्वारा टेण्डर प्रस्तुत किये है? तुलनात्मक चार्ट उपलब्ध करावें? कितना-कितना बजट आवंटन आय-व्यय किया गया है? (ख) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 क्या-क्या सामग्री खरीदी गई है एवं क्रय सामग्री पर कितना-कितना भुगतान किस-किस फर्म को दिया गया है? (ग) विगत दो वर्षों में मार्केटिंग सोसायटी आगर में कितनी निजी/ शासकीय वाहनों को उपयोग किया गया है पृथक-पृथक जानकारी देवें? किस-किस वाहन पर, कितना-कितना व्यय किया गया है? यदि टेण्डर कार्यवाही की गई है तो जानकारी देवें? (घ) आगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत

मार्केटिंग सोसायटी में कितने कर्मचारी कार्यरत है, कितने स्थाई/ अस्थाई/ दैनिक मजदूरी दर पर है? सूची देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वर्ष 2013-14 में कुल 2 टेण्डर. वर्ष 2014-15 में टेण्डर आमंत्रित नहीं किए गए. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार है.** बजट आवंटन नहीं किया गया है। वर्ष 2013-14 में परिवहन एवं हम्माली पर रूपये 34,16,980.76 एवं वर्ष 2014-15 में परिवहन एवं हम्माली पर राशि रूपये 16,30,548.63का व्यय किया गया है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार है.** (ग) वर्ष 2012-13में 10 निजी वाहन तथा संस्था के 2 ट्रेक्टर एवं वर्ष 2013-14 में 11 निजी वाहन एवं संस्था के 2 ट्रेक्टरों का उपयोग परिवहन कार्य हेतु किया गया, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है.** वर्ष2012-13 में टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये, पूर्व से प्रचलित दर पर परिवहन करवाया गया। वर्ष 2013-14 में टेण्डर की कार्यवाही की गई है. (घ) आगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत मार्केटिंग सोसायटी आगर में स्थायी-24/अस्थायी-निरंक/दैनिक मजदूरी पर-22 कर्मचारी कार्यरत हैं, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है.**

संविदा पर कार्यरत महिलाओं के प्रसूति का अवकाश

118. (क्र. 4941) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा एवं नियमित महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का प्रसूतिका अवकाश दिए जाने का प्रावधान है और कब से? (ख) विगत 5 वर्षों में उज्जैन संभाग अंतर्गत कितनी महिलाओं ने कितने दिनों के प्रसूतिका अवकाश का उपयोग किया? उन्हें कितने दिनों का वेतन दिया गया और कितना अवैतनिक किया गया? (ग) क्या यह सही है कि कई जिलों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसूतिका अवकाश 180 दिन किये जाने के बाद भी महिला संविदा कर्मचारियों को 90 दिन का अवकाश दिया गया? यदि हाँ, तो क्या उन्हें उक्त 90 दिनों का एरियर्स दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) विभागीय संविदा नीति वर्ष २०१० में संविदा पर कार्यरत को 90 दिन एवं म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनाँक 7 जून २०१० के अनुसार नियमित महिला कर्मचारियों को १८० दिन का प्रसूति अवकाश दिये जाने का प्रावधान नीति/परिपत्र जारी तिथि से है। (ख) विगत ०५ वर्षों में उज्जैन संभाग अंतर्गत संविदा पर कार्यरत महिलाओं ने १८० दिनों के प्रसूति अवकाश का उपयोग किया में से ९० दिनों का वेतन दिया गया तथा ९० दिन का अवैतनिक किया गया। (ग) वित्त विभाग द्वारा नियमित महिला कर्मचारियों के लिए १८० दिनों के प्रसूति अवकाश का प्रावधान है, किन्तु संविदा कर्मचारियों के लिए यह प्रावधान न होने से ९० दिनों का एरियर्स दिये जाने का उपस्थित नहीं होता।

पंच परमेंश्वर योजना के तहत किये गए

119. (क्र. 4943) श्री मुरलीधर पाटीदार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंच परमेंश्वर योजना प्रारंभ होने से अब तक शाजपुर जिले की सुसनैर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कितनी राशि वर्षवार दी गई? इस राशि का उपयोग कहाँ किए जाने का प्रवाधान है? विवरण दें? (ख) क्या उक्त राशि का उपयोग आगर जिले में सोलर लाइट लगाने में किया गया

है? यदि हाँ, तो इसमें कितनी राशि खर्च की गई और खरीदी कहाँ से की गई? (ग) क्या खरीदी में म.प्र. शासन के क्रय नियमों का पालन किया गया है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार**। (ख) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम नंबर 5 एवं 6 अनुसार**। (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' के कॉलम नंबर 7 के अनुसार**। खरीदारी की जाँच की जा रही है।

<u>पीस वर्क में कराये गये कार्य</u>

120. (क्र. 4980) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को पीस वर्क में कार्य आवंटित करने का अधिकार है? यदि हाँ, तो किन शर्तों पर तथा यह भी बताये कि एस.ओ.आर. से अधिक दर पर कार्य कराने की अनुमति है? (ख) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग मण्डला द्वारा पिछले तीन वर्ष में कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि से पीस वर्क में तथा एस.ओ.आर. से कितने प्रतिशत अधिक दर पर कराये गये कार्य का नाम स्थान सहित पूर्ण जानकारी दें? (ग) कार्यपालन यंत्री ग्रामीण सेवा यांत्रिकी विभाग मण्डला द्वारा पीस वर्क में कराये कार्यों का गुणवत्ता परीक्षण कराया गया? मण्डला में प्रयोगशाला होते हुये बालाघाट जिले की लैब से गुणवत्ता परीक्षण कराने का औचित्य क्या है जिस रिपोर्ट में यह भी लिखा हो कि न्यायालयीन प्रकरण में अमान्य किया जाये? (घ) पीस वर्क के कार्यों में कितने प्रतिशत राशि काटने का नियम है तथा मण्डला में ग्रा.यां. से विभाग द्वारा कराये पीस वर्क कार्यों में कितने प्रतिशत राशि काटी गयी कार्यवार बताये? उपरोक्त अनियमिताओं के लिये कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है नाम, पदनाम सहित बताये एवं उन पर कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डला द्वारा पीस वर्क में कराये गये 01 कार्य की सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण लोक निर्माण विभाग, बालाघाट की लेब में कराया गया। कार्य की भौगोलिक स्थिति एवं सुविधा की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग की बालाघाट लेब से कराया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट अनुसार न्यायालयीन प्रकरण में रिपोर्ट अमान्य किये जाने का उल्लेख नहीं है। (घ) पीस वर्क के कार्यों में आयकर, वाणिज्य कर, कर्मकार उपकर एवं सुरक्षा निधि काटे जाते हैं, शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों अनुसार काटे जाते हैं। कार्यपालन यंत्री,ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डला द्वारा काटी गई राशि की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर को अनियमितता की विस्तृत जाँच हेतु आदेशित किया जावेगा, अनियमितता पाये जाने पर गुण दोष के आधार पर दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही की जावेगी। जाँच कार्य 02 माह में पूर्ण किया जावेगा।

<u>परिशिष्ट - "अड़सठ"</u>

<u>गंधार स्लेब कल्वर्ट का घटिया निर्माण</u>

121. (क्र. 4986) प्रो. संजीव छोटेलाल उइके : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मण्डला जिले के वि.ख. बिछिया के ग्राम मोचा के गंधार नाले पर स्लैब कल्वर्ट की स्वीकृति

किस मद से कब और कितनी राशि में हुई प्रशासकीय स्वीकृति का क्रं. दिनाँक बतायें? (ख) उक्त कार्य की निविदा कब-कब, किस-किस अखबार में प्रकाशित की गयी? क्या यह कार्य पीस वर्क के रूप में कराया गया? यदि हाँ, तो क्या सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गयी एवं प्रचलित एस.ओ.आर. से कितने प्रतिशत अधिक में कराया गया, जबकि विभागीय कार्य प्रचलित एस.ओ.आर. उससे कम पर ही कराने के निर्देश है? उक्त कार्य का मापन, मूल्यांकन सत्यापन किस किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया? नाम, पदनाम सहित बतायें? (ग) क्या यह सही है कि उक्त कार्य गुणवत्ताविहीन कराया गया, जिसमें 1:2:4 के मशाले के स्थान पर 1:3:6 के मशाले का उपयोग किया गया तथा फाड़ी पत्थर भी एक साईज के नहीं थे, जिसे रेत सीमेंट पानी मिलाकर तैयार मशाले से जुड़ाई की जाना थी, जिसके स्थान पर रेत सीमेंट का सूखा मशाला डालकर ऊपर से पानी डाला गया तथा रायल्टी एवं टैक्स न काटकर शासन को नुकसान पहुंचाया गया? यदि हाँ, तो संबंधितों पर कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी? (घ) क्या गंधार स्लेब कल्वर्ट में भ्रष्टाचार की शिकायतें विभाग को की गयी? इन शिकायतो पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मण्डला जिले के विकास खण्ड बिछिया के ग्राम मोचा में गंधार नाले पर स्लेब कल्वर्ट कार्य की आई.ए.पी.मद अन्तर्गत रू. 92.53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दिनाँक 30/12/2014 को प्रदाय की गई। (ख) उक्त कार्य पीस वर्क पद्धति से कराया गया है एवं इसकी निविदा अखबार में प्रकाशित नहीं की गई। कार्य पीस वर्क से कराये जाने की अनुमति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई। पीस वर्क प्रचलित एस.ओ.आर. से 19.97 प्रतिशत अधिक पर कराया गया। विभाग द्वारा एस.ओ.आर. या उससे कम पर कराये जाने के निर्देश जारी नहीं किये गये। उक्त कार्य का मापन श्री जे.के. नामदेव, श्री पी.के. सेन उपयंत्री, द्वारा किया गया एवं सत्यापन श्री के.के. गढेवाल अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया। सम्पूर्ण निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डला श्री आर.डी.खेड़कर के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में किया गया। (ग) उक्त कार्य की जाँच अधीक्षण यंत्री द्वारा कराई गई है निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद प्रतिवेदित है, परन्तु निर्माण कार्य संपादन में प्रक्रियात्मक अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं तथा संबंधितों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण विचाराधीन है। प्रश्नांश के अन्य बिंदुओं की विस्तृत जाँच कराई जाकर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी। (घ) जी हाँ। कार्य की जाँच अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर से कराई गई है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

<u>पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण</u>

122. (क्र. 5038) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश शासन की पंचायत सचिव की स्थानान्तरण नीति के अनुसार क्या शाजापुर जिले में पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण 20 अगस्त 2014 तक किये गये हैं? क्या वर्तमान में पंचायत सचिव अपनी पैतृक ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ है? (ख) शाजापुर जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014 तक कब-कब हुई? जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की किस बैठक में पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण का अनुमोदन किया गया है? (ग) शाजापुर जिले में ग्राम पंचायत सचिवों के शासन की नीति के अनुसार 20 अगस्त 2014 तक पैतृक ग्राम पंचायत से अन्यत्र नहीं करने के लिये जिम्मेदारी किसकी है? क्या शासन की नीति का पालन नहीं करने वाले अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं। जी हाँ। (ख) प्रश्नांश अवधि में दिनाँक 01.07.2014 को जिला पंचायत शाजापुर की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रश्नाधीन अवधि में आगर विधान सभा की निर्वाचन की प्रक्रिया गतिशील होने से बैठक आयोजित नहीं हुई। (ग) जिला पंचायत शाजापुर द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किए जाने थे, किंतु विधान सभा आगर के उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से विनिर्दिष्ट अवधि में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किए जा सके। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा पर्ची का विवरण

123. (क्र. 5043) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगाँव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कितने पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा पर्ची जारी किया जाना शेष है? संख्या बतावें? (ख) क्या जारी की गई पात्रता पर्ची का राशन संबंधित दुकानों को आवंटित हो गया है? अगर नहीं तो कब तक होगा? (ग) ऐसे कितने हितग्राही राशन पात्रता पर्ची से अब तक वंचित है एवं वंचित रह गये लोगों को पात्रता पर्ची का वितरण कब तक होगा? (घ) क्या राशन पात्रता पर्ची का अधिकारियों की लापरवाही के कारण वितरण नहीं हो पाया अगर ये सही है तो उन अधिकारियों/कर्मचारियों पर क्या कार्यवाही की गई बतावें?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) खातेगाँव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सत्यापित पात्र परिवारों में से किसी भी हितग्राही को पात्रता पर्ची का वितरण किया जाना शेष नहीं है। पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त होने पर उनका सत्यापन एवं उनको पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। (ख) जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उचित मूल्य (राशन) की दुकान के संबंध में

124. (क्र. 5044) श्री आशीष गोविंद शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत उचित मूल्य (राशन) की कितनी दुकाने संचालित हो रही है गांववार नाम बतावें? (ख) क्या बढ़ती आबादी एवं गावों की दूरी को ध्यान में रखते हुए नवीन दुकानें खोले जाने का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है अगर हाँ तो कब तक खोलेंगे? (ग) नवीन उचित मूल्य (राशन) दुकान खोलने के सरकार के क्या नियम हैं? (घ) क्या खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणो की शासन से नवीन उचित मूल्य (राशन) दुकान खोले जाने हेतु मांग विचाराधीन हैं?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) खातेगांव विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 87 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक 5,000 जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए एक उचित मूल्य की दुकान होगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य की दुकान होगी। परन्तु 3 किलोमीटर के भीतर कार्डधारियों के लिए कोई उचित मूल्य की दुकान न होने पर दूसरी उचित मूल्य की दुकान खोली जा सकेगी। परन्तु यह और कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में गरीबी रेखा से नीचे एवं अन्त्योदय

अन्नयोजना के न्यूनतम 200 राशनकार्ड होंगे। परन्तु यह भी कि यदि किसी पंचायत में न्यूनतम 200 से कम राशनकार्ड हैं तो दो ग्राम पंचायतों को शामिल कर एक उचित मूल्य की दुकान खोली जाने का प्रावधान है। (घ) जी नहीं।

परिशिष्ट – "उनहत्तर"

फर्टिलाइजर फण्ड के उपयोग के नियम

125. (क्र. 5081) श्री गोवर्धन उपाध्याय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आयुक्त सहकारिता के कार्यालय में स्थापित फर्टिलाईजर फंड से 1-1-10 से 31-10-14 की अवधि में विदिशा जिले में किसानों को पैक्स समिति को, जिला सहकारी बैंकों को सहायता दी गई या उन्हें किसी अन्य रूप में फंड की राशि का लाभ दिया गया? (ख) क्या इस फंड से राशि का दुरूपयोग किया गया/नियमों के विरूद्ध उपयोग किया गया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण देते हुए इसके लिये कौन-कौन दोषी है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं. (ख) परीक्षणाधीन.

मनरेगा योजना अतंर्गत प्राप्त आवंटन

126. (क्र. 5103) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक के लिए वित्तीय वर्ष अनुसार कितना बजट प्राप्त हुआ है? (ख) बड़वानी जिले में उक्त वित्तीय वर्षों में कौन-कौन से कार्य उक्त योजना से कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किए गये है? उन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये है एवं कौन-कौन से कार्य अधूरे पड़े है? ग्रामवार जानकारी उपलब्ध करावें? (ग) आगामी वर्ष में कौन-कौन से कार्य मनरेगा में स्वीकृति हेतु बड़वानी जिले में प्रस्तावित है? जनपदवार जानकारी प्रदाय करें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मनरेगा योजनान्तर्गत बडवानी जिले में वर्षवार प्राप्त राशि का विवरणनिम्नानुसार है (वित्तीय वर्ष 2012-13 प्राप्त राशि 4400.00 लाख, वर्ष 2013-14 प्राप्त। राशि 2141.00 लाख, एवं वर्ष 2014-15 प्राप्त राशि 3190.00 लाख) (ख) उत्तरांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। जानकारी भारत सरकार की वेबसाईट nrega.nic.in पर उपलब्ध है। (ग) उत्तरांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। जानकारी भारत सरकार की वेबसाईट nrega.nic.in पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट – "सत्तर"

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन

127. (क्र. 5104) श्री दीवानसिंह विट्ठल पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी एवं खरगोन जिलों में जनपद पंचायतों में कौन-कौन सी योजनाएं वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनाँक तक संचालित हो रही है? प्रत्येक जनपद पंचायत ने उक्त वित्तीय वर्ष से अभी तक किस-किस योजना में कितनी राशि कौन-कौन से कार्यों पर व्यय की है? योजनावार कार्यवार जानकारी प्रदान करें? (ख) उक्त दोनों जिलो में प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री आवास, इंदिरा आवास के कुल कितने प्रकरण प्राप्त हुए है तथा इन जनपदों ने किनकों-किनकों इसका लाभ दिया

है? मुख्यमंत्री आवास योजना के विगत पांच वर्षों में स्वीकृत समस्त हितग्राहियों की सूची जनपदवार उपलब्ध करावें? वर्तमान में मुख्यमंत्री आवास कितने पूर्ण होकर हितग्राही उपयोग करने लग गये है? वास्तविक स्थिति से अवगत करावें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राष्ट्रीय रोजगार योजनान्तर्गत मेंटों प्रशिक्षण

128. (क्र. 5119) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले में राष्ट्रीय रोजगार योजना अंतर्गत मेंटों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन का दायित्व सी.आई.डी.सी. संस्था नई दिल्ली द्वारा क्या कराया गया था? यदि हाँ, तो किस-किस संस्थान से मेंट उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा दिया गया था? विवरण सहित बतावे? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में रीवा जिले के प्रत्येक विकास खण्ड के प्रत्येक ग्राम पंचायतवार उत्तीर्ण मेंटों की सूची एवं प्रमाण-पत्र की छाया प्रति विवरण सहित उपलब्ध करावे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। मेंट उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र संबंधित मेंटों को तत्समय वितरित किये जा चुके है। इस कारण प्रमाण पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री एवं इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में

129. (क्र. 5177) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा एवं पिपलौदा जनपद अंतर्गत वर्ष 2010-11 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक मुख्यमंत्री आवास एवं इंदिरा आवास के कुल कितने पात्र हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त होकर कितने स्वीकृत हुए? (ख) उपरोक्त वर्षों में स्वीकृत हितग्राहियों के प्रकरणों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होकर कितने कार्य पूर्ण होकर समाप्त हुए? कितने अपूर्ण रहें? कितने चल रहे हैं? (ग) साथ ही ग्राम पंचायतवार एवं ग्रामवार उपरोक्त वर्षों में उपरोक्त कार्यों की क्या स्थिति रही? कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? (घ) साथ ही प्रश्न दिनाँक तक लंबित प्रकरणों की स्थिति, पात्र लंबित आवेदनों की स्थिति एवं विभिन्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों की स्थिति को स्प्ष्ट कर संपूर्ण स्थिति से अवगत कराएं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वर्ष 2011 से 2013-14 तक जनपद पंचायत जावरा में 1979 इं.आ.यो. एवं 3106 मु.मं.ग्रा.आ.मि. के आवेदन पत्र प्राप्त होकर इं.आ.यो. एवं 1979 मु.मं.ग्रा.आ.मि. अंतर्गत 2396 स्वीकृत हुए है। जनपद पंचायत पिपलौदा में 1879 इ.आ.यो. एवं 717 मु.मं.ग्रा.आ.मि. के आवेदन पत्र प्राप्त होकर इं.आ.यो. 1879 मु.मं.ग्रा.आ.मि. अन्तर्गत 446 स्वीकृत हुए हैं। (ख) इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास मिशन अन्तर्गत वर्ष वार राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। मुख्यमंत्री आवास मिशन अन्तर्गत 2010-11 से 12-13 तक हितग्राही का अंश 10000 रू. तत्पश्चात् 2013-14 से आज दिनाँक तक 20000 रू. शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रकरणों के स्वीकृति की स्थिति इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास मिशन अन्तर्गत वर्ष वार पूर्ण अपूर्ण की जानकारी विकासखण्ड जावरा एवं पिपलौदा **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। (ग) इंदिरा आवास

योजना अन्तर्गत जनपद पंचायत जावरा एवं पिपलौदा में मांग-पत्र बहुतायत में प्राप्त होते हैं। जिन्हें 03 प्रतिशत इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत जिला पंचायत कार्यालय को परीक्षण कर भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अन्तर्गत करीब 07 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें आगामी किश्त बैंक द्वारा भुगतान न करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का परीक्षण कराया जाकर आवास की प्रगति अनुसार हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। (घ) वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक स्थिति उपरोक्तानुसार है। कुल 07 शिकायतें प्राप्त हैं, जो कि बैंक द्वारा किश्त भुगतान न करने से संबंधित है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

रतलाम जिला अंतर्गत एन.जी.ओ., उनके कार्य एवं बजट की स्थिति के बारे में

130. (क्र. 5178) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिला पंचायत अंतर्गत शासन/विभाग की केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन क्या एन.जी.ओ. के माध्यम से भी किया जा रहा है? यदि हाँ, तो वर्ष 2010-11 से लेकर प्रश्न दिनाँक तक, बतावें? (ख) रतलाम जिला पंचायत अंतर्गत कितने एन.जी.ओ. के माध्यम से कौन-कौन से कार्य किन-किन विकासखंडों में किन-किन योजनाओं हेतु किये जा रहे हैं? (ग) उपरोक्त कार्यों हेतु किन-किन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये शासन/विभाग द्वारा केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं का कितना-कितना बजट प्राप्त होकर कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अपूर्ण रहें? (घ) कृपया विकासखंड वार योजना अनुसार कार्य, एन.जी.ओ. का नाम, प्राप्त बजट एवं किये गये व्यय की स्थिति से अवगत कराते हुए स्पष्ट जानकारी दें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

निर्मल अभियान के तहत ग्रामों में शौचालय निर्माण

131. (क्र. 5193) श्री रामनिवास रावत : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में निर्मल भारत अभियान तहत विकास आयुक्त कार्यालय से जिला पंचायतों को वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में ग्रामों में कितनी संख्या में शौचालय निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई है? जिला पंचायतवार बतावें। (ख) क्या यह सही है संबंधित जिला पंचायतों द्वारा सुलभ शौचालय निर्माण हेतु प्राप्त राशि जनपद पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को वितरित कर दी गई? जनपदवार कुल कितनी पंचायतों को कितनी-कितनी राशि प्रदाय की गई? संख्यात्मक जानकारी दें? (ग) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिला मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, सतना एवं श्योपुर में बगैर शौचालय निर्माण कराए उक्त अवधि में प्रदाय राशि का आहरण ग्राम पंचायतों द्वारा कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की सहमति से कर दिया एवं राशि का अपभक्षण किया गया? यदि हाँ, तो क्या इसकी जाँच की जावेगी? (घ) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (ग) अनुसार प्रकरण में शिवपुरी की जनपद पंचायत करैरा एवं पिछोर की ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्णय के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हाँ, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है संबंधितों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) निमर्ल भारत अभियान जिला पंचायतों को वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में प्रदाय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट

प्रबंधन, प्रशासनिक मद, प्रचार-प्रसार इत्यादि हेतु राशि प्रदाय की जाती है। (ख) अभियान अंतर्गत सुलभ शौचालय का निर्माण नहीं कराया जाता। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शिवपुरी जिले की जनपद पंचायत करैरा की ग्राम पंचायत दिनारा में जाँच उपरांत पाया गया कि ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा राशि का अपभक्षण किया गया है। मुरैना, ग्वालियर, दतिया, सतना एवं श्योपुर जिलो में राशि के अपभक्षण की जानकारी प्रकाश में नहीं आई है। (घ) जी नहीं। जनपद पंचायत करैरा की ग्राम पंचायत दिनारा के सरपंच/सचिव के विरूद्ध थाना दिनारा में पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाकर पद से पृथक किये जाने की कार्यवाही, आर.आर.सी. जारी कर राशि 67.22 लाख रूपये वसूल किये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है तथा सरंपच को पद से पृथक तथा सचिव को निलंबित कर दिया गया है। जनपद पंचायत पिछौर में किसी भी पंचायत में राशि का अपभक्षण होना प्रकाश में नहीं आया।

<u>**अमानक बीज का विक्रय**</u>

132. (क्र. 5221) श्री जितू पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर जिले में अमानक बीज का विक्रय रोकने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है? (ख) इन्दौर जिले में वर्ष 2014-15 में अमानक बीज विक्रय करने वाले व्यपारियों पर कितने एफ.आई.आर. दर्ज की गई? (ग) वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में इन्दौर जिले में ऐसी कितनी कंपनियों के खाद एवं बीजो पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है जिनके खाद एवं बीज लेबोरेटरी टेस्ट में घटिया या अमानक पाये गये है ऐसी कंपनियों के नाम बताईये? (घ) क्या विभाग द्वारा इन कंपनियों के लायसेंस निरस्त किये गये है? यदि नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) अमानक बीज के विक्रय को रोकने के लिये बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत जिले के उप संचालक कृषि के द्वारा विक्रय प्रतिबंध, लाईसेंस निरस्त एवं निलंबन की कार्यवाही की जाती है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में इन्दौर जिले में बीज के अमानक पाये गये व्यापारियों पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 व 2 अनुसार** है। **(घ)** वर्ष 2014-15 में गुण-दोष के आधार पर बीज अधिनियम 1966 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार बीज के लायसेंस निलंबित तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अनुसार उर्वरक प्रकरणों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।

<u>**परिशिष्ट – "इकहत्तर"**</u>

<u>**यात्री बसों के स्थाई एवं अस्थाई परमिट**</u>

133. (क्र. 5230) श्री अमर सिंह यादव : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों के स्थाई एवं अस्थाई परमिट जारी किये जाते हैं? यदि हाँ, तो राजगढ़ जिले में संचालित होने वाली यात्री बसें के रूट एवं बस का नाम, नम्बर सहित तहसीलवार जारी किये गये स्थाई एवं अस्थाई परमिटों की जानकारी देवें? (ख) क्या राजगढ़ जिले में संचालित होने वाली सभी यात्री बसों का अस्थाई परमिट प्रतिमाह दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो किन-किन यात्री बसों का प्रतिमाह दिया जा रहा है? क्या विभाग द्वारा किसी प्रकार का यात्री बसों के अस्थाई परमिट की वैधता का निरीक्षण करवाया जाता है? (ग) क्या राजगढ़ जिले में बिना परमिट की भी अवैध रूप से यात्री बसें संचालित हो रही हैं? यदि हाँ, तो कितनी बसें संचालित नहीं हो रही

हैं? निरीक्षण के दौरान बिना परमिट अथवा वैधता समाप्त होने के बाद भी चलती पाई गई यात्री बसों पर कोई कार्यवाही किस अधिकारी के द्वारा की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब की गई दिनाँक सहित बतावें? यदि कोई अर्थदण्ड वसूला गया तो किस वाहन से कितनी राशि किस अधिकारी द्वारा वसूली गई तहसीलवार बतावें? (घ) वर्तमान में राजगढ़ जिले में कितनी अस्थाई अनुज्ञा के आवेदन कब से लम्बित है तथा लम्बित रहने का क्या कारण है? उनको कब तक जारी किया जावेगा?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ। राजगढ जिला अंतर्गत संचालन हेतु राजगढ परिवहन कार्यालय द्वारा 68 तथा परिवहन कार्यालय भोपाल द्वारा 12 अस्थाई परमिट एवं 71 स्थाई परमिट जारी किये गये है। जिनकी मार्ग, बस नंबर सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ, ब एवं स अनुसार** है। तहसीलवार परमिट जारी नहीं किये जाते हैं। (ख) जी नहीं। जिन वाहन स्वामियों द्वारा अस्थाई परमिट के आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किये जाते है, उन पर गुण दोष के आधार पर विचार करते हुये प्रतिमाह अस्थाई अनुज्ञा जारी किये जाते है। अस्थाई परमिटों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार** है। विभाग द्वारा समय समय पर चेकिंग कर यात्री बसों के परमिटों की वैधता का निरीक्षण किया जाता है। (ग) बिना परमिट अवैध रूप से संचालित होने वाली यात्री बसों पर रोक लगाने हेतु समय समय पर विभागीय अमले द्वारा जाँच की जाती है तथा ऐसी संचालित पाई जाने वाली बसों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर शासकीय शमन शुल्क की राशि वसूल की जाती है। विभागीय अमले द्वारा इस वित्तीय वर्ष में निरीक्षण/चैकिग के दौरान बिना परमिट अथवा वैधता समाप्त होने के बाद चलती पाई गई 25 यात्री बसों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर इनसे रूपये 11,73,933/- का शमन शुल्क व कर वसूल किया गया है। दिनाँक, वसूले गये अर्थदण्ड, वाहन क्रमांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। जाँच कार्यवाही तहसीलवार ना की जाकर संपूर्ण जिले में की जाती है। (घ) राजगढ परिवहन कार्यालय में अस्थाई अनुज्ञा के कोई आवेदन लंबित नहीं है। अतः शेष जानकारी अपेक्षित नहीं।

<u>मुख्यमंत्री सड़क योजना से नवीन सड़क निर्माण</u>

134. (क्र. 5238) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक विभाग द्वारा कितनी नवीन मुख्यमंत्री सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई? वर्षवार बतायें। (ख) क्या उक्त वर्षों में प्रश्न दिनाँक तक विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है? स्वीकृत राशि, सड़क की लंबाई, सड़क के स्थान का नाम, निर्माण एजेंसी का नाम वर्षवार बतायें? (ग) क्या उक्त वर्षों में की गई समस्त नवीन स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है? यदि हाँ, तो क्या निर्माण एजेंसी को उक्त सड़कों की राशि पूर्ण भुगतान की गई है? यदि नहीं तो कब तक किया जावेगा? उक्त सड़कों में कितनी पुलिया/पुल निर्माण किये गये है?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं। अपूर्ण मार्गों में पूर्ण राशि का भुगतान नहीं किया है। पूर्ण सड़कों का पूर्ण भुगतान अंतिम देयक के निराकरण के पश्चात् किया

जाता है। सड़कों में पूर्ण की गई पुल/पुलियों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>प्रधानमंत्री सड़क योजना से नवीन सड़कों का निर्माण</u>

135. (क्र. 5239) श्री अमर सिंह यादव : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ में वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना से कितनी नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई? वर्षवार बतायें। (ख) क्या उक्त वर्षों में प्रश्न दिनाँक तक विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण किया गया है? स्वीकृत राशि सड़क की लंबाई,सड़क का नाम,निर्माण एजेंसी का नाम वर्षवार बतायें? (ग) क्या उक्त वर्षों में की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत समस्त स्वीकृकत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है? यदि नहीं तो कब तक किया जावेगा?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) राजगढ जिले की राजगढ विधानसभा क्षेत्र में 01 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2012 तक शून्य, 2012-13 में 6, 2013-14 में 7, तथा 2014-15 में शून्य, इस तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वर्ष 2011 से प्रश्न दिनाँक तक कुल 13 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) जी नहीं, वर्तमान में 7 सड़के प्रगतिरत है, कार्य पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट – "बहत्तर"</u>

<u>गुणवत्ताहीन शौचालयों का निर्माण</u>

136. (क्र. 5246) पं. रमेंश दुबे : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र स्वच्छता अभियान व मर्यादा अभियान के तहत विकास खण्ड बिछुआ के ग्राम पंचायत चिचगांव में तत्कालीन सचिव श्री शंकरलाल उईके द्वारा कराये गये गुणवत्ताहीन शौचालय निर्माण तथा उसमें की गयी अनियमितता एवं मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत करेल के तत्कालीन सचिव श्री विष्णुप्रसाद शर्मा द्वारा नियमों निर्देशों के विरूद्ध स्वंय के व परिवार के स्वामित्व के भूमि पर कराये गये कूप निर्माण व मेंढ़ बंधान की शिकायत प्राप्त होने पर क्या प्रश्नकर्ता ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिछुआ को पत्र प्रेषित किया गया था? (ख) यदि हाँ, तो इन पत्रों के प्राप्ती अभिस्वीकृति देने तथा इन पत्रों पर कार्यवाही कर प्रश्नकर्ता को अवगत कराने के संबंध में शासनादेशों में क्या प्रावधान है? क्या इन प्रावधान का पालन कियागया है यदि नहीं तो क्यों? (ग) क्या शासन यह मानता है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्र के नागरिकों से प्राप्त आवेदनों जिसे माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा संबंधित विभाग को कार्यवाही कर निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जाता है, पर की गयी कार्यवाही से यदि आवेदनकर्ता जानकारी मांगता है तो माननीय विधान सभा सदस्यों को भी सहर्स अवगत करानी चाहिए? (घ) यदि हाँ, तो संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा माननीय विधान सभा सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही से समयावधि में अवगत नहीं कराने से क्षेत्र के नागरिकों को उनके पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी देना कैसे संभव होगा? क्या शासन प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्रों पर जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ। (ख) शासनादेशों में पत्रों की प्राप्ति अभिस्वीकृति देने तथा पत्रों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने का प्रावधान है। माननीय विधायक को कार्यालय जनपद पंचायत बिछुआ के पत्र क्र. 152 (ए) /जप/एनबीए/2014 बिछुआ दिनाँक 12-02-2015 तथा पत्र क्रमांक 3001/जप/शिकायत/2014 बिछुआ दिनाँक 29-10-2014 के द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया है। (ग) जी हाँ। (घ) प्रश्नांश ख अनुसार कार्यवाही की गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रूरल टेक्नॉलॉजी एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना</u>

137. (क्र. 5268) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग द्वारा रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना आदिवासी पारंपरिक ज्ञान आधारित समाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से की गयी है? यदि हाँ, तो योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करें? (ख) विभाग द्वारा प्रदेश में रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर पर गत 3 वित्तीय वर्षों में कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी व आवंटित राशि का व्यय किस-किस मद में किया गया? (ग) क्या शासन द्वारा आदिवासी बाहुल्य जिले धार, झाबुआ, अलीराजपुर आदि आदिवासी जिलों में रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर प्रांरभ करने की कोई योजना बना रहा है। यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यो, कारण स्पष्ट करें।

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी नहीं संपूर्ण प्रदेश के सभी वर्गों के विकास के उददेश्य से विभाग में रूरल टेक्नालॉजी एप्लीकेशन सेंटर औबेदुल्लागंज जिला रायसेन में स्थापित किया गया है। (ख) विभाग द्वारा सेंटर पर गत 3 वित्तीय वर्षों में निम्मानुसार राशि व्यय हुई है :-

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय राशि
2011-12	160.00	160.00
2012-13	100.00	100.00
2013-14	100.00	100.00

(ग) जी नहीं, आवश्यकतानुसार गतिविधि संचालित है।

<u>लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित सेवाएं</u>

138. (क्र. 5269) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत कौन-कोन सी सेवाएं अधिसूचित की गयी है और क्या यह आवश्यक है कि, अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदन लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है? यदि हाँ, तो शासन के आदेश की जानकारी प्रदान करें? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से किस-किस अधिसूचित सेवा के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितना शुल्क लिया गया? लोक सेवा केन्द्रवार, वर्षवार, सेवा के नाम, केन्द्र संचालक को प्राप्त कमीशन आदि सहित जानकारी प्रदान करें। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं कितने आवेदकों के नाम गरीबी रेखा में शामिल किये गये?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत 22 विभागों की 122 सेवाएं अधिसूचित की गयी है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि अधिसूचित सेवाओं के लिए आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2012 से प्रश्न दिनाँक लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से अधिसूचित सेवा के लिए 2,28,70,605 आवेदन प्राप्त हुए व 57,22,98,964 शुल्क लिया गया, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। लोक सेवा केन्द्रवार, वर्षवार, सेवा के नाम, केन्द्र संचालक को प्राप्त कमीशन आदि सहित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के लिए 26,13,716 आवेदन प्राप्त हुए एवं 3,62,063 आवेदकों के नाम गरीबी रेखा में शमिल किये गये **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

फसल बीमा योजनान्तर्गत अनुबंधित बीमा कंपनियां

139. (क्र. 5284) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा प्राकृतिक प्रकोप व आपदाओं से किसानों की फसलों के नष्ट हो जाने व अन्य कारणों से फसल उत्पादन प्रभावित होने से किसानों के हित संरक्षण हेतु फसल बीमा योजना चलाई जा रही है? (ख) यदि हाँ, तो क्या जिन बीमा कंपनियों द्वारा किसानों की फसलों का बीमा किया जाता है। उनके द्वारा किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ के संबंध में पूर्ण जानकारी एवं योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार न किये जाने की दशा में किसानों को फसल बीमा योजना का समुचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है तथा न ही बीमा कंपनियों के अधिकारियों द्वारा किसानों से कोई संपर्क किया जाता है जिससे योजना के लाभ दिलाने के नाम पर बिचौलियों एवं बैंको द्वारा किसानों को भ्रमित कर शोषण किया जाता है? (ग) उपरोक्तानुसार बीमा कंपनियों द्वारा फसलों का नुकसान होने पर उनके आंकलन पर राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत सर्वे के आंकड़ो के नकार दिया जाता है तथा स्वयं के सर्वे को ही आधार माना जाता है? यदि हाँ, तो इस हेतु विभाग द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की जावेगी? (घ) क्या शासन द्वारा किसानों को फसलों का बीमा करने हेतु किन्ही विशिष्ट कंपनियों से अनुबंध किया जाता है? यदि हाँ, तो उनके नाम बतावें?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जी हाँ। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार विभाग द्वारा फसल उत्पादन प्रभावित होने से किसानों के हित संरक्षण हेतु राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 से क्रियान्वित की जा रही है। (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में अधिसूचित फसलों हेतु ऋण लेने वाले कृषक का बीमा स्वत ही बैंक के माध्यम से होता है, जिस बैंक से वह फसल ऋण लेता है। गैर ऋणी कृषकों को अपनी निकटतम बैंक शाखा में जाकर स्वयं प्रस्ताव पत्र भरकर बीमा कराना होता है। जिसके लिए बीमा कंपनी द्वारा प्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये बीमा कम्पनी द्वारा कृषि मेंलों में स्टाल लगाकर बैनर, पोस्ट पम्फलेक्ट आदि के माध्यम से किया जाता है। एग्रीकल्चर इन्श्योरेस कम्पनी द्वारा दावों का भुगतान बैंकों को किया जाता है एवं बैंकों द्वारा दावा राशि का भुगतान कृषकों के खातों में जमा किया जाता है। अत: योजना के लाभ दिलाने के नाम पर

बिचौलियों एवं बैंकों द्वारा किसानों को भ्रमित करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर द्वारा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक उपज के आंकडे बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराये जाते हैं। योजनान्तर्गत यदि वास्तविक उपज, थ्रेशहोल्ड उपज से कम पाई जाती है तो कमी के आधार पर बीमा कम्पनी द्वारा बीमित किसानों की दावा राशि की गणना की जाती है एवं गणना उपरांत पात्र किसानों को फसल बीमा लाभ दिया जाता है। योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा न ही स्वयं सर्वे किया जाता है और न ही स्वयं के सर्वे को दावों का आधार माना जाता है। (घ) प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार क्रियान्वित की जा रही है जिसकी क्रियान्वयन एजेन्सी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी है।

नि-शक्तजनों हेतु संचालित योजनाएं

140. (क्र. 5285) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा नि:शक्तजन कल्याण हेतु कौन-कौन सी जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विगत दो वर्षों में नि:शक्तजनों को चिन्हित करने हेतु विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत कब-कब विशेष शिविर लगाये गये तथा उसमें कितने नि:शक्तजनों को चिन्हित कर क्या-क्या लाभ प्रदान किया गया? (ग) क्या शासन नि:शक्तजनों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिये नगर पालिका एवं जनपद स्तर पर त्रैमासिक शिविर आयोजित करेगा? जिसमें नि:शक्तजनों को असुविधा का सामना न करना पड़ें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार** है। (ख) **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार** है। (ग) जिला स्तर पर नि:शक्तजनों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु नियमित रूप से नगर पालिका एवं जनपद स्तर पर शिविर आयोजित किये जाते है।

परिशिष्ट – "तिहत्तर"

वूसली हेतु आर.आर.सी. जारी की जाना

141. (क्र. 5296) श्री विश्वास सारंग : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री सड़क का काम अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी करने के लिए भोपाल व रायसेन जिले के कलेक्टरों को प्रश्न दिनाँक तक किस-किस दिनाँक को पत्र लिखे हैं? जिलावार, ठेकेदारवार व दिनाँकवार जानकारी दें? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या विभाग ने कलेक्टरों को अनेक स्मरण पत्र भी लिखे हैं? यदि हाँ, तो किस-किस दिनाँक को स्मरण पत्र लिखे गये हैं? दिनाँकवार व जिलावार और कितने स्मरण पत्र लिखे गये सहित जानकारी दें? (ग) प्रश्नाशं (क) के तहत संबंधित कलेक्टरों ने प्रश्न दिनाँक तक ऐसे ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली हेतु आर;आर.सी. जारी कर दी है? यदि हाँ, तो एक एक प्रति उपलब्ध कराते हुये दिनाँकवार, ठेकेदारवार जानकारी दें? यदि नहीं की है तो क्यों? कारण दें? (घ) प्रश्नांश (क) (ख) एवं (ग) के तहत क्या प्रश्न दिनाँक तक ठेकेदारों ने अतिरिक्त लागत की राशि जमा कर दी हैं? यदि नहीं तो अब ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(**ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। (ग) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार।** पत्रों की छायाप्रति**जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। (घ) जी नहीं। कलेक्टर द्वारा भू-राजस्व संहिता नियमों के अधीन कार्यवाही की जावेगी।

<u>शाजापुर जिलों में वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट</u>

142. (क्र. 5310) श्री इन्दर सिंह परमार : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवहन विभाग द्वारा शत प्रतिशत ड्रायविंग लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाक से भेजने का प्रावधान है, यदि हाँ, तो 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर तक शाजापुर जिले में जारी कितने लाइसेंस/ रजस्ट्रिेशन कार्ड डाक द्वारा भेजे गये? (ख) शाजापुर जिले में जारी ड्रायविंग लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन कार्ड भेजने पर डाक व्यय कितना हुआ, विवरण देवें? (ग) क्या परिवहन विभाग द्वारा लिंक उत्सव में हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाई जाती थी यदि हाँ, तो वर्तमान में बंद क्यों है? शाजापुर जिले में वाहन मालिकों ने हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने हेतु आवेदन कर क्या राशि जमा की गई थी? यदि हाँ, तो कितने वाहनों की नंबर प्लेट की राशि जमा है? (घ) क्या जिन वाहनों की नंबर प्लेट की राशि जमा है उनकी नंबर प्लेट लगाई जावेगी अथवा राशि वापिस की जावेगी? कब तक? अवधि बतायें।

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 5-क तथा 46-क के प्रावधानों अनुसार क्रमशः ड्रायविंग लाइसेंस/रजिस्टेशन कार्ड को डाक से भेजने का प्रावधान है। दिनाँक 1 जनवरी 2014 से 31 दिसम्बर 14 तक शाजापुर जिले में कुल रजिस्टेशन 23285 व लायसेंस 9399 जारी किये गये, समस्त प्रकार के पंजीयन एवं लायसेंस प्रमाण पत्र नियमानुसार आवेदक द्वारा अपना स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा प्रस्तुत करने पर डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये। (ख) नियमानुसार आवेदक द्वारा स्वयं के पते का पंजीकृत लिफाफा प्रस्तुत किया जाता है। इस पर कोई शासकीय व्यय ना होने से जानकारी निरंक है। (ग) जी हाँ, सेवा प्रदाता कंपनी मै. लिक उत्सव आॅटो सिस्टम प्राईवेट लि. द्वारा अनुबंध के पालन में निरंतर त्रुटियों/अनियमितताओं के कारण तथा कार्य में सुधार ना किये जाने से कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5347/प्रर्व/एचएसआरपी/2014 ग्वालियर दिनाँक 17.10.2014 से अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। शाजापुर जिले में अंतिम रिपोर्ट के आधार पर 29,372 वाहन मालिको द्वारा नंबर प्लेट हेतु कंपनी कार्यालय में राशि रूपये 40,55,766/- जमा की गई थी। 28483 वाहन मालिकों की नंबर प्लेटे जारी की जा चुकी है। 889 नंबर प्लेटे शेष है। (घ) सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा परिवहन आयुक्त के अनुबंध निरस्ती आदेश दिनाँक 17.10.14 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. खण्डपीठ ग्वालियर में रिट याचिका क्रमांक 6567/14 दायर की गई है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग द्वारा निरस्ती आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आदेश दिनाँक 17.12.14 द्वारा निरस्त किया गया है। अनुबंध एवं अपील निरस्ती आदेश के विरूद्ध न्यायालय में सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील विचाराधीन है। सेवा प्रदाता के अनुरोध पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगामी निर्णय तक ऐसे वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने हेतु अधिकृत किया गया

है, जिनकी राशि अनुंबंध निरस्ती दिनाँक तक जमा की गई है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अतः नंबर प्लेट लगाई जाने की समय अवधि बताया जाना संभव नहीं है।

भोपाल संभाग की सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में

143. (क्र. 5334) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल संभाग में विधानसभावार कितनी एवं कौन-कौन सी सहकारी संस्थाओं का पंजीयन विगत तीन वर्षों में किया गया? पंजीयन के दिनाँक का भी उल्लेख करे? (ख) प्रश्नांश (क) पंजीकृत संस्थाएं किन-किन विभागों के कार्य सम्पादित करेगी? (ग) क्या इन पंजीकृत संस्थाओं को सरकार ने अनुदान दिया? अगर हाँ तो किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान दिया?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदोन्नति

144. (क्र. 5335) श्री शैलेन्द्र पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पंचायत सचिवों से पंचायत समन्वय अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये क्या प्रावधान हैं, तथा कब से लागू है? (ख) पंचायत सचिवों की पदोन्नति के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? (ग) वर्तमान में पंचायत समन्वय अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। (ख) मध्यप्रदेश पंचायतराज संचालनालय तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची दो अनुसार। **जानकारी पुस्तकालय में रखेपरिशिष्ट अनुसार**। (ग) वर्तमान में पंचायत समन्वय अधिकारी के 67 पद रिक्त है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य

145. (क्र. 5358) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले के शहपुरा एवं जबलपुर वि. खण्डों के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,मुख्य मंत्री आवास मिशन पंच परमेंश्वर योजना इंदिरा आवास सुदूर ग्राम सम्पर्क योजना एवं निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत किये गये कार्यों हेतु कितना भुगतान किया गया? कार्यों का मुल्यांकन एवं सत्यापन किन-किन अधि/कर्म द्वारा किया गया? उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुये? (ख) जिले के शहपुरा एवं जबलपुर वि.ख. में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कितने प्रकरण कब से लम्बित है? उक्त प्रकरण कब तक स्वीकृत किये जावेगे?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जबलपुर जिलें के शहपुरा एवं जबलपुर विकासखंड के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री आवास मिशन, पंच परमेंश्वर योजना, इंदिरा आवास, सुदूर ग्राम संपर्क योजना एवं निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत किये गये कार्यों हेतु भुगतान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार** है। कार्यों का मूल्यांकन एवं सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार** है। शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जबलपुर जिलें के

शहपुरा एवं जबलपुर विकासखंड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "चौहत्तर"

कृषि के विकास बावत्

146. (क्र. 5359) श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले में कृषि विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? जबलपुर जिले में उपरोक्त योजनांतर्गत विकासखण्डवार विगत 2 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई? (ख) सहायक भूमि संरक्षण अधि. जबलपुर के द्वारा क्या-क्या कार्य कारये गए एवं कितनी-कितनी राशि से कराये गये हैं?

किसान कल्याण मंत्री (श्री गौरीशंकर बिसेन) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

स्नातक सहायक विस्तार अधिकारियों की पदोन्नति

147. (क्र. 5391) श्री बाला बच्चन : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विभाग में वर्ष 1981 में गैर स्नातक कृषि विकास विस्तार अधिकारी जिनका वेतनमान 3500-5200 है विकल्प देकर स्थानांतरित होकर पदस्थ किए गए है? (ख) क्या विभाग के भर्ती नियमों में सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद स्नातक का होकर वेतनमान 4000-6000 है? इस पद के विरूद्ध न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं वेतनमान समान नहीं होने के उपरांत भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को भर्ती नियमों में प्रावधान नहीं होने के बाद भी क्यों सम्मिलित किया? (ग) ऐसे कितने अधिकारियों की विकासखण्ड अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गई है? पूर्ण विवरण देवें। (घ) शासन के परिपत्र क्र./सी./3-12/2006/3/एक, भोपाल दि. 17.08.2006 के बाद कितने गैर स्नातक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की पदोन्नति विभाग में की गई है? कब तक इन्हें हटाकर स्नातक योग्यता धारियों की पदस्थापना की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

बैजनाथ सेवा सहकारी संस्था द्वारा अधिक राशि वसूली की जाँच अनियमितता

148. (क्र. 5397) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स. क्षेत्र की बैजनाथ सेवा सहकारी संस्था महिदपुर के द्वारा दि. 01.01.09 से 31.12.14 तक वितरित बीमा क्लेम की राशि व्यक्ति वार, वर्षवार देवे? (ख) अधिक राशि वसूलने की जाँच कब तक करा ली जावेगी? (ग) इस ओर ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है.** (ख) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिक राशि की वसूली नहीं की गई है. अतः जाँच का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है. (ग) उत्तरांश (ख) अनुसार प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

शास. बहुउद्देशीय महिला उपभोक्ता भंडार की संख्या

149. (क्र. 5404) श्री हरवंश राठौर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बण्डा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय बहु. उद्देशीय महिला उपभोक्ता भंडार कितने है। केन्द्रवार एवं समूहवार नाम सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाए? (ख) क्या यह सही कि शासकीय बहु. उद्देशीय महिला उपभोक्ता भण्डार महिला समूह द्वारा ही संचालित किया जा रहा है? (ग) यदि नहीं तो खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय अन्य प्रतिनिधियों द्वारा उपभोक्ता भंडार के संचालन करने पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। खाद्य अधिकारी द्वारा वर्ष 2014-15 में विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किए गए निरीक्षण कार्यवाही विवरण की जानकारी उपलब्ध कराई जाए?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

पंजीकृत सहकारी संस्थाओं का परिसमापन

150. (क्र. 5412) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इंदौर जिले में कुल पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में से कितनी संस्था परिसमापन की प्रक्रिया में है एवं कब से है? दिनाँक एवं वर्गवार सूची उपलब्ध करावे? (ख) उक्त संस्थाओं के सदस्यों के वित्तीय दावों का कब तक निराकरण किया जावेगा? (ग) अभी तक जो संस्थाएं परिसमापन की प्रक्रिया में नहीं है एवं जो (मृतप्राय) है वर्तमान में कोई सहकारी कार्यों का निष्पादन नहीं कर रही है उनकी सूची उपलब्ध करावे? (घ) उक्त संस्थाओं के संचालक मण्डलों की जानकारी देवें?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) इन्दौर जिले की कुल 2849 पंजीकृत सहकारी संस्थाओ में से 381 संस्थाएं परिसमापन की प्रक्रिया में है,जिनकी वर्षवार एवं वर्गवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है.** (ख) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत संस्था के परिसमापक को संस्थाओ के सदस्यो के वित्तीय दावो के निराकरण करने की अधिकारिता प्रदत्त है. संस्थाओं के वित्तीय दावो का निराकरण, विधि एवं प्रक्रिया अनुसार किये जाने के प्रावधान के कारण समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) इन्दौर जिले में जो संस्थाऐ परिसमापन की प्रक्रिया में नहीं है और जो वर्तमान में (मृतप्राय) है उनकी संख्या 748 है,सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है.** (घ) प्रश्नांश "घ" की जानकारी एकत्रित की जा रही है.

स्वीकृत अनुदान का उपयोग उसी कार्य में किया जाना

151. (क्र. 5413) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इन्दौर जिले में कितने एन.जी.ओ. को वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 में किस किस कार्य के लिए कितना कितना अनुदान दिया गया? (ख) क्या इन संख्याओं का निरीक्षण विभाग द्वारा किया गया कि प्रदाय अनुदान का उपयोग उसी कार्य में हो रहा है जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है? (ग) यदि निरीक्षण किया गया है तो निरीक्षण का दिनाँक एवं निरीक्षणकर्ता का नाम पद एवं संख्या की जानकारी दी जावे? (घ) क्या निरीक्षण में अनियमितता पाई गई है तो क्या कार्यवाही की गई?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।

वाहनों के पंजीयन नंबर की लिखावट में एकरूपता

152. (क्र. 5462) श्री जय सिंह मरावी : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वाहनों के पंजीयन की लिखावट का कोई निश्चित मापदण्ड एवं लिपि निर्धारित है? यदि हाँ, तो क्या है? (ख) क्या निर्धारित मापदण्ड का पालन नहीं करने पर कार्यवाही की जाती है? यदि हाँ, तो शहडोल जिला में वाहनों में अस्पष्ट अपठनीय एवं टेढ़े-मेंढ़े अक्षरो/अंको के लिखावट पर 01 अप्रैल 14 से 31 जनवरी 2015 की अवधि में कितने वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई, तथा दण्ड राशि कितनी प्राप्त हुई? (ग) वाहनों में अस्पष्ट एवं अपठनीय टेढ़े-मेंढ़े अक्षरों तथा अंको में पंजीयन नंबर लिखने पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाया जावेगा अथवा नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर) : (क) जी हाँ, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 51 में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के अक्षरों एवं अंको के आकार संबंधी नियम प्रावधानित है। जिसकी प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। (ख) जी हाँ, शहडोल जिले में पुलिस अधीक्षक शहडोल के पत्र क्र./पुअ/शह/ओएम/विस/36/2015 दिनाँक 27.02.2015 के अनुसार 01 अप्रैल 2014 से 31.01.2015 की अवधि में वाहनों में अस्पष्ट, अपठनीय एवं टेढे मेंढे अक्षरों/अंको के लिखावट वाले 224 वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर रूपये 1,12,000/-की राशि दण्ड के रूप में वसूली की गई। (ग) उत्तर भाग (क) के अनुसार अस्पष्ट एवं अपठनीय टेढ़े मेंढ़े अक्षरों तथा अंकों में पंजीयन नंबर लिखने पर पूर्व से ही पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन पाए जाने पर समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

परिशिष्ट - "पचहत्तर"